पंचम माला, खण्ड 60, अंक 24, बुधवार, 14 अप्रैल, 1976/25 चैत्र, 1898 (शक)
Fifth Series, Vol. LX, No. 24, Wednesday, April 14, 1976/Chaitra 25, 1898 (Saka)

लोक सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[सोलहवां सत्र / Sixteenth Session]

[खंड 60 में अंक 21 से 30 तक हैं / Vol. LX contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/ अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/ English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

4 LSS/76—1

विषय-सूची

CONTENTS

अंक 24 बुधवार, 14 अप्रैल, 1976/25 चैत्र, 1898 (शक)

No. 24 Wednesday, April 14, 1976/Chaitra 25, 1898 (Saka)

विषय	SUBJECT	PAGES
निधन संबंधी उल्लेख	OBITUARY REFERENCE	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	1
*तारांकित प्रश्न संख्या 482 और 490 से 497	*Starred Questions Nos. 482 and 490 to 497	1—17
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 2	Short Notice Question No. 2 . .	17—19
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 461 से 474, 476 से 481, 483 से 489 और 498 से 500	Starred Questions Nos, 461 to 474, 476 to 481, 483 to 489 and 498 to 500	20—37
अतारांकित प्रश्न संख्या 2271 से 2280 2282 से 2313, 2315 से 2405 और 2407 से 2425	Unstarred Question Nos. 2271 to 2280 2282 to 2313, 2315 to 2405 and 2407 to 2425	37—114
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . .	114—116
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	Leave of Absence from Sittings of House	117
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	Committee on Public Undertakings .	118
83वां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश	Eighty third Report and Minutes .	118
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee . .	119
205वां, 207वां और 209वां प्रतिवेदन	Two hundred fifth and two hundred and seventh and two hundred and ninth Report . . .	119
वर्ष 1976-77 की आयात नीति के बारे में वक्तव्य--प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय	Statement Re. Import Policy for 1976-77 Prof. D.P. Chattopadhyaya . .	119—22

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign +marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

अनुदानों की मांगें 1976–77	Demands for Grants 1976-77	
श्रम मंत्रालय—	Ministry of Labour— .	122—63
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S.M. Banerjee . . .	123
श्री राजा कुलकर्णी	Shri Raja Kulkarni . .	124
श्री था किरुत्तिनन	Shri Tha Kiruttinan . . .	126
श्री दामोदर पाण्डेय	Shri Damodar Pandey . .	128
श्री पी० एम० मेहता	Shri P.M. Mehta	128
श्री अमर नाथ विद्यालंकार	Shri Amarnath Vidyalankar . .	129
श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा	Shrimati T. Lakshmikanathamma	130
श्री श्रीकिशन मोदी	Shri Shrikishan Modi .	131
श्री ओंकार लाल बेरवा	Shri Onkar Lal Berwa . .	131
श्री मूल चन्द डागा	Shri M.C. Daga . .	132
श्री राम हेडाऊ	Shri Ram Hedaoo .	132
श्री स्वर्ण सिंह सोखी	Shri Swaran Singh Sokhi . . .	133
श्री मोहम्मद इस्माइल	Shri Mohammad Ismail . .	134
श्री जगन्नाथ मिश्र	Shri Jagannath Mishra . .	135
श्रीमती पार्वती कृष्णन	Smt. Paravathi Krishnan . .	135
श्री नरेन्द्र कुमार सांधी	Shri N.K. Sanghi . . .	136
श्री के० मायातेवर	Shri K. Mayathevar .	137
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi . . .	137
प्रो० एस० एल० सक्सेना	Prof. S.L. Saksena . . .	139
श्री बी० वी० नायक	Shri B.V. Naik	139
श्री डी० के० पंडा	Shri D.K. Panda	140
श्री रघुनाथ रेड्डी	Shri Raghunatha Reddy . . .	141
सूचना और प्रसारण मंत्रालय—	Ministry of Information and Broad-casting—	
श्री सुरेन्द्र महंती	Shri Surender Mahanty . . .	148
डा० अनन्त राव पाटिल	Dr. Anantrao Patil . . .	158
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—62वां प्रतिवेदन	Committee on Private Members' Bills and Resolution—Sixty Second Report	147

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)

LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक सभा

LOK SABHA

बुधवार, 14 अप्रैल, 1976/25 चैत्र, 1898 (शक)

Wednesday, April 14, 1976/Chaitra 25, 1898 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker nn the Chair]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को श्री एच० के० वीरन्ना गौधा के दुखद निधन की सूचना देनी है, जिनका 77 वर्ष की आयु में 7 अप्रैल, 1976 को बंगलौर में निधन हुआ।

श्री गौधा भूतपूर्व मैसूर राज्य के बंगलौर निर्वाचन-क्षेत्र से 1965–67 के दौरान तीसरी लोक सभा के सदस्य रहे । स्वतन्त्रता से पूर्व मैसूर प्रतिनिधि सभा के सदस्य के रूप में जीवन आरम्भ कर वह कई वर्षों तक राज्य विधान सभा के सदस्य रहे । वह 1947–48 में मैसूर संविधान सभा के और 1949—62 के दौरान मैसूर विधान सभा के सदस्य रहे। 1956 से 1958 तक तथा पुन: 1960—62 तक मैसूर सरकार में मंत्री पद पर भी रहे। वे विभिन्न छात्र संगठनों तथा शिक्षा संस्थाओं से सम्बद्ध रहे ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि प्रियविहीन परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करने में सभा मेरे साथ है ।

सभा अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए कुछ क्षणों के लिए मौन खड़ी रहेगी । (तत्पश्चात् सदस्य कुछ क्षणों के लिए मौन खड़े रहे।)

The members then stood in silence for a short while.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र में बिजली बार-बार बन्द हो जाने की जांच

***482. श्री वसंत साठे :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तारापुर परमाणु विद्युत् संयंत्र में बिजली बार-बार बन्द हो जाने के कारणों की जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा तारापुर परमाणु बिजलीघर के कार्य-निष्पादन पर पूरी निगाह रखी जाती है। पाये गए दोषों की तरफ फौरन ध्यान दिया जाता है और उन्हें दूर करने की कार्यवाही की जाती है। किसी भी प्रकार की विशेष जांच करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है ।

(ख) तथा (ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री वसन्त साठे : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी का ध्यान 'क्लैरिटी' दिनांक 20-3-1976 में छपे समाचार की ओर गया है जिसमें कहा गया है :

अमरीकी सम्वाददाता, पौल जैकब ने न्यूयार्क में अभी-अभी आरम्भ की गयी पत्रिका 'मदर जोन्स' के फरवरी-मार्च अंक में उन अमरीकी बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा अदा की गई भ्रामक भूमिका का भन्डा फोड़ किया है जो विदेशों में परमाणु संयंत्र स्थापित करते हैं।

जैकब ने तारापुर परमाणु संयंत्र की ओर ध्यान दिलाया है । तारापुर का निर्माण अमरीका की दो कम्पनियों ने अर्थात् जनरल इलैक्ट्रिक तथा दि बैचटेल कारपोरेशन ने मिलकर किया था, जो विश्व की सबसे बड़ी प्राइवेट स्वामित्व वाली निर्माण और इंजीनियरिंग फर्म हैं।

दिसम्बर, 1972 में अमरीकी परमाणु ऊर्जा आयोग के अधिकारी क्लिफार्ड तारापुर संयंत्र देखने आये जिसे जैकब ने राष्ट्रों का 'नैमित्तिक राजनयिक दौरा' बताता है।

इसमें यह भी कहा गया है कि इस व्यवस्था के निर्माण में कुछ छिद्र रख दिये गये थे जिसके कारण कन्डेन्सर चूता है । तीन या चार समाचारों का इस सम्वाददाता ने उल्लेख किया है । इसमें कहा गया है कि कन्डेन्सर के चूने के कारण गम्भीर समस्या पैदा हो सकती है । सप्रेशन चेम्बर में दम घुटने से हुई मृत्यु भी इस उपेक्षा का कारण है। ड्राइवेलों की मुख्य व्यवस्थाओं में 'लीकेज' तारापुर की एक सतत समस्या है इसी कारण इसे समय-समय पर बन्द करना पड़ता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह समाचार जो विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा दी गई रिपोर्टों पर आधारित है, मंत्री जी के ध्यान में लाया गया है । और क्या इस संबंध में हमने अपने तरीके से और आगे जांच करवाने की ओर कदम उठाया है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह एक पुराना संयंत्र है--63 माडल । तब से इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का काफी विकास हो चुका है जिसमें तीव्र गति से परिवर्तन हो रहे हैं और विकास हो रहा है । पिछले कुछ वर्षों के दौरान--इसमें वाणिज्यिक आधार पर अक्तूबर, 1969 में उत्पादन आरम्भ हुआ--हमें यह अनुभव रहा है कि यद्यपि प्रथम वर्ष में उत्पादन काफी ऊंचा रहा पर बाद में यह घट गया। यह इसी प्रकार बढ़ता और घटता रहा । 1970-71 में द्वितीय कीर्तिमान रहा क्योंकि जैसे समय बीतता गया, कमियां दूर होती गई । मूल डिजाइन की अपर्याप्तता को जिसका मेरे मित्र ने उल्लेख किया, जिनमें कन्डेन्सर ट्यूब भी है, मूल ब्रास एल्यूमीनियम कन्डेन्सर ट्यूबों को टिटेनियम ट्यूबों से बदलने के लिए अध्ययन किया गया है । यह एक विशिष्ट समस्या है । इसी प्रकार उन्होंने 'लीकेज' का उल्लेख किया । शायद उनका आशय ईंधन बण्डलों से 'लीकेज' से है । इन बण्डलों को बदल दिया गया है और सभी को बदला जा रहा है। संचालन प्रक्रियाओं में किये गये सुधारों से पिछले

एक वर्ष के दौरान बिजली फेल हो जाने की घटनाओं में कमी आई है । मेरे पास ये आंकड़े हैं । 1973–74 में 29, 1974–75 में 19 और 1975–76 में केवल 4 बार बिजली फेल हुई । समय के साथ तथा हमारे तकनीशनों द्वारा किये गये सुधारों से उत्पादन में भी वृद्धि हुई है और बिजली भी कम बार फेल हुई है । जिन समाचारों का उल्लेख किया गया है उन्हें मैंने नहीं देखा है ।

श्री वसन्त साठे : मुझे खुशी है कि हम अपनी भूल का निराकरण कर रहे हैं । मुझे विशेष रूप से इसलिए चिन्ता है कि बेचटेल की साख अच्छी नहीं है । इसने बरौनी में हमारी पाइपलाइनों में काफी गड़बड़ की तथा टैक्स कमेटी ने भी कहा है कि अलाइनमेंट सही नहीं था । अब यह पता लग गया है कि बेचटेल विभिन्न देशों में सी०आई०ए० की गतिविधियों से सम्बद्ध था । जैकव के अनुसार वाकर को पता लगा कि 'लीकेज' के कारण अनियत रूप से परमाणुघर को बन्द करना पड़ रहा है और रेडियो एक्टिव वेस्ट व्यवस्था पर अधिक भार पड़ रहा है तथा रिएक्टर के ड्राइवेलों में विद्युतीय इन्सूलेशन समस्या खड़ी हो गई है । यह विशेषज्ञों की वैज्ञानिक रिपोर्ट है । यदि यह एक स्वाभाविक दोष है तो हमारे योग्य इंजीनियर उसे ठीक कर सकते हैं । पर यदि सारी योजना में कोई शरारत है तो यह और भी गम्भीर बात है । इसलिए आपको कम-से-कम आंतरिक जांच करवानी चाहिए ताकि इस बात का पता लग सके कि क्या इसमें किसी की शरारत तो नहीं है हालांकि मैं यह मानता हूं कि ये बहुत ही सूक्ष्म हिस्से हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि हम कौन से निवारक उपाय करने जा रहे हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह समस्या हमारे सामने पहली बार ही नहीं आई है । इसकी अनेक बार जांच हो चुकी है । यदि आप मुझे वह लेख विशेष दे सकें जिसमें से आप उद्धरण दे रहें हैं तो मैं उसे विभाग के पास जांच के लिए अवश्य भेजूंगा । पर यह समस्या नई नहीं है । हमें 'लीकेज' का पता था। हमारे तकनीशियन इसका समाधान करने में सक्षम हैं ।

इस बिजली घर के कार्य की अन्य बिजलीघरों से तुलना करने हेतु विभाग ने 1973-74 में एक मूल्यांकन किया । विभाग का कहना है कि इस परमाणु बिजली घर का कार्य लगभग देश के अन्य तापीय बिजलीघरों के जैसा ही है तथा ब्रेक-डाउन और बिजली फेल होने के मामले में यह अमरीका के परमाणु बिजलीघरों के समान ही है । साथ ही इसका प्रति-किलोवाट उत्पादन भी देश के अन्य तापीय बिजलीघरों के समान ही है । जिन दोषों का पता लगा है, जिनके बारे में मैंने पहले उल्लेख किया है उनकी हम जांच करेंगे और हमारे तकनीशियन इन समस्याओं का समाधान करने में समर्थ हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हाल ही में समाचार पत्रों में इस आशय के समाचार छपे हैं कि ईंधन की पूर्ति के लिए इस संयंत्र को एनरिच्ड यूरेनियम अमरीका से मंगाना पड़ेगा। पर अमरीकी प्राधिकारी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि, हमने गत वर्ष जो शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए अणु विस्फोट किया उसके प्रति उस देश के शत्रुतापूर्ण रवैये को देखते हुए, क्या अमरीका यूरेनियम की सप्लाई करेगा । यदि इस प्रकार की आकस्मिक समस्या आ खड़ी होती है, जब इस प्रकार की कटौती कर दी जाती है या विलम्ब होता है तो इसका तारापुर संयंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जहां तक ईंधन की सप्लाई का संबंध है, अमरीकी सरकार अपने समझौते सम्बन्धी दायित्व को निभाने के लिए वचनबद्ध है । पर अमरीका के नागरिकों के एक समूह ने अपने देश के परमाणु रेगुलेटरी कमीशन के समक्ष तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए एनरिच्ड यूरेनियम सप्लाई

करने के सम्बन्ध में आपत्ति की थी, इसके परिणामस्वरूप एनरिच्ड यूरेनियम के निर्यात में न केवल तारापुर संयंत्र को ही नहीं अपितु कुछ अन्य देशों के इसी प्रकार के संयंत्रों को भी निर्यात करने में देरी हुई, भारत सरकार की प्रतिक्रिया अमरीकी सरकार को पूर्णतः और उचित ढंग से बता दी गई है। यह समस्या अभी यहीं पड़ी है और अग्रेतर सप्लाई का प्रश्न परमाणु रेगुलेटरी कमीशन के विचाराधीन है। हम घटना पर नजर रखेंगे। इस समय में इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता। इसके कारणों से आप भी अवगत हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या समझौते की शर्तों के अनुसार कोई पक्ष समझौते को एकतरफा रद्द कर सकता है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : अमरीका अपने दायित्व के लिए वचनबद्ध है। आशा है आप मुझसे इससे आगे अब और कुछ नहीं पूछेंगे।

श्री के० एस० चावड़ा तारापुर परमाणु बिजलीघर में बराबर बिजली फेल हो जाने के कारण गुजरात को काफी हानि उठानी पड़ी है। क्या सरकार गुजरात में किसी स्थान पर कोई अन्य परमाणु बिजलीघर स्थापित करना चाहती है यदि हाँ तो कहाँ पर ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

Mini Cement Plants

*490. **Shri M.C. Daga** : Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) whether any steps are being taken by Government to give incentive for setting up of mini cement plants in the country and especially in Rajasthan ; and

(b) if so, the facts thereof ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बुद्ध प्रिय मौर्य) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

वर्टिकल शाफ्ट किलन की सहायता से छोटे पैमाने पर सीमेंट का उत्पादन उन स्थानों पर लाभप्रद होता है जिन स्थानों पर निम्नलिखित पूर्वापेक्षाएं पूरी होती हैं :—

(1) जहां चूना पत्थरों के भण्डार थोड़े अथवा बिखरे हुए हों।

(2) अवस्थापना सुविधाएं अपर्याप्त हों।

(3) सीमेंट की मांग सीमित हो तथा रोटरी किलनों द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन करना संगत न हो।

(4) स्थापना स्थल दूर अथवा दुर्गम हो जहां भारी मात्रा में रोटरी किलनों का लाना ले जाना कठिन हो तथा अन्य स्थानों से सीमेंट का लाना ले जाना मंहगा पड़ता हो।

सरकार उपयुक्त स्थानों पर सीमेंट के छोटे कारखाने लगाने को प्रोत्साहन देती है । निम्न-लिखित स्थानों पर सीमेंट के छोटे संयंत्र लगाने के लिए आशयपत्र पहले ही स्वीकार किए जा चुके हैं :--

(1) कल्लाकुडी (तमिलनाडु)	.66 लाख मी० टन
(2) देहरादून (उ०प्र०)	.30 लाख मी० टन
(3) कालसी देहरादून के निकट (उ० प्र०)	1.00 लाख मी० टन
(4) जगाधरी (हरियाणा)	.30 लाख मी० टन

राजस्थान में सीमेंट का छोटा संयंत्र लगाने का कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । इस प्रकार के संयंत्र के लिए प्राप्त होने वाले किसी भी प्रस्ताव पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा ।

Shri Mool Chand Daga : Sir, I want to know whether Geological Survey for setting up mini cement plants in Rajasthan has been conducted. What facilites are available at the places for which letters of intent have already been issued and whether these faciltіes are not available in Rajasthan.

Shri B. P. Maurya : The honourable Member met me in September and had also written a letter to me in December. On that basis, our Ministry issued an order that the survey conducted in regard to Limestone in Rajasthan in the past does not seem to be scientific and the area should be re-surveyed for the purpose. This survey was conducted and a joint committee of the Geological Survey of India and the Cement Corporation of India was constituted. The report of the Committee has not yet been received. But on receipt of this question, information was sought. There are thick deposits of limestone in the area which is enough for setting up a factory with 4 lakhs of tonnes capacity.

Shri Mool Chand Daga : Government have issued letters of intent for four places. I want to know the conditions which are to be fulfilled in this regard and now can any body get letter of intent in Rajasthan. I also want to know that when these letters of intent were issued and why these persons have not set up factories so far ?

Shri B. P. Maurya : The letter of intent was issued to the Birla Jute Manufacturing Company in December, 1970. They could not make use of it because of the objection raised by the Ministry of Railways that the metre gauge lines passing through the area are not capable of bearing more burden. That letter of intent could not be implemented because of this objection.

श्री राम सहाय पांडे : माननीय मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि जियोलाजिकल सर्वे ने यह रिपोर्ट दी है कि राजस्थान में लाइमस्टोन के भरपूर भंडारों के मिलने की संभावना है । क्या मैं जान सकता हूं कि इस विभाग को मध्य प्रदेश में अच्छे किस्म के लाइमस्टोन के भंडारों का पता लगाने का भी निर्देश दिया गया था ?

Shri B. P. Maurya : This question concerns only Rajasthan.

श्री राम सहाय पांडे : जब जियालाजिकल सर्वे ने इस संबंध में रिपोर्ट दी है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह रिपोर्ट केवल राजस्थान के बारे में है अथवा मध्य प्रदेश जैसे अन्य राज्यों के बारे में भी है ?

Shri B. P .Maurya : Report of Geological Survey for the whole of the country is available. But Shri Daga specifically spoke about it and he had said that it was his personal information that the report is old and if survey was conducted again, a correct report will come. If the honourable member wants, a joint Committee of the Geological Survey of India and the Cement Corporation of India can be constituted for Madhya Pradesh also for the purpose.

Shri D. N. Tiwari : Whether the production cost of the low capacity cement factory will be less than that of the big cement factories. If it is higher, what will be its extent ?

Shri B. P. Maurya : The modern technique try-process is being employed. It consumes less fuel and yields good quality cement. It has also been decided that plants with a capacity of more than 4 lakhs tonnes should be set up even plants with a capacity of one million tonne or more are being set up. The smaller the plant, the higher the cost of production. But in view of the Communications transportation difficulties, mini plants with a capacity of 30 thousand, 40 thousand, 50 thousand and 60 thousand of tonnes should be set up. A plant with a capacity of one lakh tonnes is considered to be mini cement plant. So efforts are being made to set up such mini plants in such areas so that the railways are not burdened heavily and much expenditure is not involved. Cement may be available in the same area and if it is seen in this proportion, then there will not be much difference in the cost.

डा० एच० पी शर्मा : इस विवरण में चार शर्तों का जिक्र किया गया है और राजस्थान इन चारों शर्तों को पूरा करता है । किन्तु इस प्रश्न के लिए दिए गए उत्तर में आगे यह भी कहा गया है कि "राजस्थान में सीमेंट का छोटा संयंत्र लगाने का कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।" किन्तु समस्या यह है कि जियोलाजिकल सर्वे अपना सर्वेक्षण पूरा नहीं कर रहा है । जब तक वह प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर देता तब तक हम प्रस्ताव नहीं भेज सकते । अतः यह एक अच्छा खेल है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या जियोलाजिकल सर्वे नीम का थाना संयंत्र, राजगढ़ में अलवर संयंत्र, अन्य संयंत्र तथा पाली संयंत्र का सर्वेक्षण कर रहा है ? आप इस सम्बन्ध में क्या कहना चाहते हैं कि इस सर्वेक्षण को स्वयं ही बन्द कर दिया गया है । आप कहते हैं कि विशेष प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं । अतः इसका यह अभिप्राय हुआ कि इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया जाएगा ।

श्री बी० पी० मौर्य : जहाँ तक इस बात का सम्बन्ध है चार अथवा पांच आशयपत्र है उन्हें अमल में नहीं लाया जा रहा है । इस समय वह भी निलम्बित पड़े हैं । सीमेंट निगम भी एक या दो संयंत्र लगाना चाहता है किन्तु रेल मन्त्रालय उन्हें लगाने नहीं दे रहा किन्तु उनके सामने भी कुछ कठिनाइयां हैं । उनकी मीटर गेज पद्धति है । अगर हम संयंत्र लगाने की इजाजत देते हैं तो स्वाभाविक ही है कि रेल मंत्रालय आने जाने की सुविधाएं देगा । इनके अभाव में सीमेंट उत्पादन का मूल्य बहुत अधिक होगा और आर्थिक दृष्टि से यह लाभप्रद नहीं होगा । कठिनाई तो रेल मन्त्रालय की है ।

गुजरात में औद्योगिक उत्पादन

***491. श्री अरविंद एम० पटेल :**

श्री बेकारिया :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली की कमी के कारण गुजरात में औद्योगिक उत्पादन में कमी हुई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बुद्ध प्रिय मौर्य) : (क) और (ख) गुजरात में 29 फरवरी 1976 को उद्योगों द्वारा बिजली के इस्तेमाल पर लगाए गए कुछ प्रतिबन्धों में 25 मार्च, 1976 को छूट दे दी गई थी । केवल बिजली की राशनिंग के कारण औद्योगिक उत्पादन में अनुमानतः कितनी हानि हुई, इसका ठीक-ठीक पता लगा सकना कठिन है क्योंकि उत्पादन में हानि सामान्य रूप से अनेक अवरोधों के कारण हुई है जैसे आयातित और देशी कच्चे माल की कमी, भट्टी के तेल का पर्याप्त मात्रा में न मिलना, वित्त का अभाव, मांग में कमी आ जाना तथा श्रम विवाद आदि ।

Shri Arvind M. Patel : The other causes responsible for decreased production have been created due to the personal reasons of the factory owners. But due to power shortage, many factories have closed down. Government can estimate the loss in production which is due to the personal reasons of the factory owners, but why does not Government estimate the loss in production which is due to power shortage ? Government manipulates statistics according to its own necessity. But it is also necessary. I will, therefore request the honourable Minister to give information about the shortfall in production due to power cuts just as Government gives information about shortfall in production due to all other reasons ?

Shri B. P. Maurya : Sir, I would not like to term it as cut. The power rationing or restriction was imposed on 29th February 1976 which lasted upto 25th March, 1976. This period comes to 25 days including both days. As far as production is concerned during this period, it is more than that in the corresponding period of 1974-75. The power available in January, 1974 was 16.53 GWH per day, 18.05 GWH in January, 1975 and it has gone up to 19.18 GWH in January 1976. Similarly the position in February 1974 was 15.95, 18.89 in February 1975 and in 1976 it has increased to 19.80. Likewise it went up in March also. It was 15.15, 18.35 in March, 1974 and March 1975 respectively and it has increased to 20 in March, 1976.

So the supply of power has increased despite restriction or rationing on it and there has not been any shortfall in production also.

Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates among I.A.S., I.P.S. and I.F.S. selected by U.P.S.C.

*492 **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) the number of persons selected by the Union Public Service Commission in I.A.S., I.P.S., I.F.S. and other allied services as a result of examinations held in 1974 and 1975;

(b) the number of Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates selected out of them ;

(c) the number of posts reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes out of the total number of posts in these services ; and

(d) whether all these reserved posts have been filled in ?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a), (b), (c) and (d) A statement pertaining to the 1974 examination is laid on the table of the House. So far as 1975 examination is concerned, the final results have not so far been announced by the Union Public Service Commission.

Statement

Indian Administrative Service etc. Examination, 1974

S. No.	Category of Services	Number of Candidates recommended by the U.P.S.C.				Number of vacancies reserved for		Number of candidates appointed/allocated		Remarks
		Total	Sch. Castes	Sch. Tribes		Sch. Castes	Sch. Tribes	Sch. Castes	Sch. Tribes	
1.	*Category I Services* Indian Administrative Service & Indian Foreign Service.	156	23	16	IAS IFS	19 4	12 4	19 4	11 4	Case of one Scheduled Tribe candidate is under consideration.
2.	*Category II Services* Indian Police Service & Dani Police Service Class II.	223@	35@	28@	IPS Dani Police Service	13 2	6 1	13 (Allocation yet to be made	6	
3.	*Category III Services* Central Services Class I and Class II.	392@	58@	27@	Central Services Class I Central Services Class II	33 23	25 25 (Allocation yet to be made.)	33	22	(Short fall of 3 Sch. Tribes candidates is due to the nonavailability of sufficient number of candidates of that Category in the Merit List recommended by the U.P.S.C.).
		158	21	21						

@ Common candidates recommended both for Categories II & III.

Shri Nathu Ram Ahirwar : Mr. Speaker , Sir, I congratulate the Government for informing about the result of 1974. The vacancies reserved for Harijans and adivasis have been filled in. The case of only one Scheduled Tribe candidate for I.A.S. is under consideration and results of 3 candidates belonging to Scheduled Tribes for Central Services have been withheld by U.P.S.C. I should like to know the date when results will be announced and why their results have been withheld ?

Secondly, last time I got a chance to meet some of the candidates of these categories. They told me that they did not get the facilities available to general candidates at the time of examination. I would like to know whether the Government are providing any such facilities to them as are made available to general candidates for appearing in the examination.

श्री एफ० एच० मोहसिन : 1975 की परीक्षा पहले ही समाप्त हो चुकी है । परन्तु साक्षात्कार हो रहे हैं । इन पर अन्तिम निर्णय किसी भी समय मई के अन्त तक होने की संभावना है । संघ लोक सेवा आयोग से सूची प्राप्त होते ही अन्तिम चयन किया जायेगा । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अधिक सुविधायें जुटाने के लिये उठाये गए कदमों के बारे में इस श्रेणी के उम्मीदवारों के मामले में पहले ही उम्र में छूट की सुविधा प्रदान की गयी है । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मामले में किसी सेवा या पद हेतु सीधे भर्ती के लिये निर्धारित अधिकतम आयुसीमा में 5 वर्ष की वृद्धि की गयी है । इनके लिये फीस में भी रियायत दी गयी है । उपयुक्तता स्तर में भी छूट की व्यवस्था है । इस प्रकार के अनुदेश भी पहले जारी किये जा चुके हैं कि यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार उनके लिये आरक्षित सभी रिक्त पदों को भरने के लिये एक सामान्य स्तर के आधार पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, तो उपयुक्तता स्तर में छूट दी जाये और तदनुसार उनका चयन किया जाये, परन्तु वे ऐसे पदों के लिये अयोग्य साबित न हों । इसके अतिरिक्त इस श्रेणी के उम्मीदवारों का अलग से साक्षात्कार होता हैं, ताकि साक्षात्कार अधिकारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के साथ-साथ सामान्य उम्मीदवारों के तुलनात्मक आंकड़े न रख सकें । इन श्रेणियों के उम्मीदवारों को परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण भी दिया जाता है । ऐसे केन्द्र पहले ही इलाहाबाद, मद्रास, पटियाला, जयपुर और शिलांग में खोले जा चुके हैं। इन केन्द्रों के अतिरिक्त, दिल्ली की गैर-सरकारी प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है । परीक्षा में शामिल होने के अवसरों में भी रियायत दी गई है । जब तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार आयु-सीमा के भीतर रहते हैं, तब तक उनके लिये परीक्षा में बैठने के अवसरों की कोई सीमा नहीं है ।

Shri Bibhuti Mishra : Mr. Speaker, The honourable Minister has not replied to the question. The honourable member asked the question that education imparted to the childern of Scheduled Castes and Scheduled Tribes people is not of good Standard, because the childern of urban people study inst. Colombus and St. Zavier Schools and they achieve proficiency in English and thus they compete; but 80 per cent population of the country lives in villages. Since there is a christian School in Chota Nagpur, the boys of this place can compete. I would take to know as to what arrangements will be made to impart high standard education to Scheduled Caste and Scheduled Tribes childern living in the villages ? Kindly reply to this question.

Shri F.H. Mohsin : As I have already told you that centres are opened for imparting training to them. Besides I want to point out that no post has been lying vacant for the last 5 years due to non-availability.

मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि गत पांच वर्षों के दौरान भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय विदेश सेवा और केन्द्रीय सेवाओं में प्रवेश पाने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये आरक्षित कोई भी रिक्त पद खाली नहीं रहने दिया गया है ।

Shri Bibhuti Mishra : I have atked as to how many boys, among the 80 per cent rural people, could compete but the honourable Minister is talking of cities.

Shri F.H. Mohsin : I have no figures in this regard but there has been no vacancy in I.P.S., I.A.S. and I.F.S. during the last 5 years.

श्री एस० एम० बनर्जीः : यह प्रश्न चर्चा के लिये स्वर्गीय डा० अम्बेदकर के जन्म दिन पर आया है। विवरण से इस बात का स्पष्ट पता लगता है कि अब अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लड़के सामने आ रहे हैं और अब वे पब्लिक स्कूलों के अन्य लड़कों के साथ प्रतियोगिता कर सकते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसके लिये कौन सी विशेष व्यवस्था की गई है कि वे अपनी कमी को पूरा करें। माननीय मंत्री ने बताया है कि प्रशिक्षण केन्द्र हैं। परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने प्रशिक्षण संस्थान हैं और वे कहां कहा हैं.......

अध्यक्ष महोदय : इसके बारे में उन्होंने बता दिया है।

श्री एस. एम० बनर्जी : उन्होंने नाम नहीं बताये हैं। उन्होंने केवल संख्या बतायी है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने नाम बताये हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इनका खर्च सरकार वहन करती है ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : मैंने पहले हीं बता दिया है कि प्रशिक्षण केन्द्र इलाहाबाद, मद्रास, पटियाला, जयपुर और शिलांग में हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली में गैर-सरकारी प्रशिक्षण की व्यवस्था है। मैं यह भी बता दूं कि इनका खर्च सरकार वहन करती है। प्रशिक्षण और सम्बद्ध योजनाओं के लिये पांचवीं योजना में 3 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है। 1974-75 और 1975-76 में अखिल भारतीय सेवा परीक्षा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रवेश पाने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशिक्षण के लिये क्रमशः 25 लाख और 40 लाख रुपये के बजट का प्रावधान रखा गया था।

श्री एन० के० पी० साल्वे : सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिये गये आंकड़े अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के रोजगार के बारे में बड़ी संतोषजनर्क स्थिति बताते हैं। परन्तु मंत्री महोदय के उत्तर में एक बात स्पष्ट नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि चूंकि जब भरे गये रिक्त स्थानों की संख्या आरक्षित रिक्त स्थानों की संख्या के बराबर हो, तो क्या इसमें योग्यता के आधार पर पास होने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार भी शामिल किये जाते हैं? मान लीजिए योग्यता के आधार पर 5 उम्मीदवार पास होते हैं और आरक्षित स्थान 19 हैं तो क्या आप 24 उम्मीदवार लेंगे अथवा 19?

श्री एफ० एच० मोहसिन : रिक्त स्थान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित सभी के लिये हैं। परन्तु इसके अतिरिक्त इन श्रेणियों के लिये कतिपय पद आरक्षित हैं:—अर्थात् अनुसूचित जातियों के लिये 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिये $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत। जैसा कि आपने विवरण में देखा होगा श्रेणी I के लिये अनुसूचित जातियों के लिए भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय विदेश सेवा में क्रमशः 19 और 4 का आरक्षण हैं और अनुसूचित जनजातियों के लिये 12 और 4 का आरक्षण है। अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित सभी पद अर्थात् 19 और 4 भर लिये गये हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिये भरे गये रिक्त पदों की संख्या 11 और 4 हैं। केवल एक की कमी है।

श्री एस० के० पी० साल्वे : ये आरक्षित रिक्त पद हैं और ये रिक्त पद भरने के लिये आपने उम्मीदवारों को शायद रियायती अंक दिये हों । इन आरक्षित रिक्त पदों के अतिरिक्त क्या आपने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का ऐसा कोई उम्मीदवार लिया है जो योग्यता के आधार पर पास हुआ हो ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : यह सम्भव है और कुछ सामान्य सूची में भी आये होंगे । परन्तु इस सम्बन्ध में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं ।

श्री था किरुतिनन : माननीय मंत्री जो ने अभी बताया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के प्रशिक्षण के लिये तीन प्रशिक्षण केन्द्र चालू किये गये हैं । मैं जानना चाहता हूं कि इन प्रशिक्षण केन्द्रों में कितने छात्रों को प्रवेश मिला है और क्या सेवाओं में चुने गये सभी उम्मीद-वार इन प्रशिक्षण केन्द्रों के ही हैं अथवा वे बाहर से भी आये हैं ।

श्री एफ० एच० मोहसिन : ये प्रशिक्षण केन्द्र अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के प्रशिक्षण के लिये हैं । हो सकता है कि ऐसे उम्मीदवार हो जिन्होंने इन संस्थाओं में प्रशिक्षण न पाया हो और उनका चयन हो गया हो । हम नहीं कह सकते कि इस तरह चुने गये उम्मीद-वारों में से कितने प्रशिक्षण केन्द्रों के हैं और कितने बाहर से आए हैं? मेरे पास इस समय इस संबंध में आंकड़े नहीं हैं ।

श्री था किरुतिनन : प्रशिक्षण के लिये कितने उम्मीदवारों को प्रवेश मिला था ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : इस समय मेरे पास इसको जानकारी नहीं है ।

टेलको द्वारा विद्युत 'शावल' का निर्माण

***493 †श्री एस० एम० बनर्जी :**
श्री मौलाना इसहाक सांवली :

क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'टेलको' ने एक अमरीकी फर्म के सहयोग से पी० एण्ड एच० विद्युत 'शावल' बनाने के लिए एक योजना केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) सरकार को टेल्को से विद्युत शावलों का निर्माण करने के लिए कोई नया प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । यह फर्म पहले से ही अमरीका के मे० हर्निशफेंजर इंटरनेशनल कारपोरेशन के सहयोग से शावलों का निर्माण कर रहो है ।

श्री एस० एम० बनर्जी. देश में निर्माण कार्य चल रहा है । क्या सरकार का इरादा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में और अधिक विद्युत शावल बनाने का है ? यदि इनका उत्पादन हो रहा है, तो उन उपक्रमों के नाम क्या हैं? यदि नहीं तो क्या अब इनका निर्माण आरम्भ करने का सरकार का विचार है ?

श्री ए० सी० जार्ज : मैं मानता हूँ कि विद्युत शावल निर्माण सम्बन्धी क्रियाकलापों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, 'टेलको' के अलावा अब हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड लार्सन एन्ड टूब्रो, बंगलौर और हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची इन विद्युत शावलों का निर्माण कर रहे हैं, और उनकी अधिष्ठापित क्षमता 255 है और पांचवीं योजना के अन्त तक हमारी आवश्यकता 200 है ।

Shri Ishaque Sambhali : In view of the policy of the Government to encourage production of such important items in the public sector as are basically used in construction works and other activities, may I know the difficulties coming in the way of the Government to manufacture power Showels in the Public Sector when we have big undertakings like heavy Electricals and other establishments.

श्री ए० सी० जार्ज : 'टेलको' अमरीका के मैसर्स हर्निशफेजर के सहयोग से विद्युत शावलों का निर्माण कर रहा है जिसको लाइसेंस 1962 में दिया गया था । किन्तु उसके बाद, हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन, रांची में भी इनका निर्माण आरम्भ हो गया और हमारा इरादा यह है कि हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन का और अधिक विविधीकरण में देश की आवश्यकता के अनुरूप विद्युत शावलों के निर्माण पर ध्यान दिया जायेगा ।

केरल राज्य इलेक्ट्रोनिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा मैगनेटिक टेप के विस्तार के लिये अनुरोध

*494. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **इलेक्ट्रोनिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम लिमिटेड ने मैगनेटिक टेप का 4 करोड़ से 20 करोड़ रनिंग फुट तक विस्तार करने का अनुरोध किया है, और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने इस मामले में क्या निर्णय किया है ?

ऊर्जा मंत्री श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : (क) जी, हाँ ।

(ख) सरकार ने इस प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान कर दिया है ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं मंत्री महोदय से केवल यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार उसी भावना से विभिन्न अन्य प्रस्तावों पर भी, जो उसके समक्ष हैं, विचार करेगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : सरकार का निर्णय जब कभी सराहनीय होता है और उसके लिए उसकी सरहाना की जाती है तो अन्य प्रस्तावों पर भी उसी तरह तथा उसी भावना से निर्णय लेना उसके लिए सहज होता है ।

बिहार की वर्ष 1976-77 की वार्षिक योजना का परिव्यय

*495. **श्री एन० ई० होरो :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बिहार के लिये वर्ष 1976-77 की वार्षिक योजना का अनुमोदन कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका कुल परिव्यय कितना है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) 242.04 करोड़ रुपए।

श्री एन० ई० होरो: 242.04 करोड़ रुपये के कुल व्यय में से कितने प्रतिशत राशि इन्फ्रा-स्ट्रक्चर सम्बन्धी योजनाओं के लिये आबंटित की गई है और क्या इस में अनुसूचित जनजातियों के लिये अपेक्षित उप-योजनागत खर्च भी शामिल है ?

श्री एस० ए० शमीम: आप मास्को के लिये कब रवाना हो रहे हैं ?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल: जहां तक अन्तिम प्रश्न का सम्बन्ध है, मेरे विचार में अभी तो मैं इसी विभाग से सम्बन्धित हूँ ।

जहां तक उप-योजना के लिये व्यय का सम्बन्ध है, हमने बिहार के लिये उप-योजना के प्रयोजनार्थ 46.09 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं जिसमें केन्द्रीय सहायता से 5.43 करोड़ रुपये भी शमिल हैं ।

जहां तक इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च की बात है, मैं यह बताने की स्थिति में नहीं हूँ कि इस पर कितने प्रतिशत व्यय होगा। मैं इतना बता सकता हूँ कि हम ने बहुत अधिक रकम आबंटित की है । उदाहरणार्थ, परिवहन और संचार के लिये 2295 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं । कृषि सम्बन्धी आंकड़े पहले ही दिये जा चुके हैं । चूंकि यह रकम विभिन्न शीर्षों के अधीन आवंटित की गई है, इसलिये मैं एक ब्यौरेवार विवरण दे सकता हूँ ।

श्री एन० ई० होरो: क्या योजना आयोग ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि क्या बिहार सरकार ने इस वर्ष पूरी की जाने वाली सभी योजनाओं या परियोजनाओं को तैयार कर लिया है ? सुनने में आया है कि उप-योजना के लिये कुल 14 योजनाओं में से केवल 4 योजनायें ही अभी तैयार हो पायी हैं । जबकि आवंटित की गई 242.04 करोड़ की राशि इसी वर्ष खर्च करनी पड़ेगी । यदि योजनायें तैयार ही नहीं हैं तो वे यह रकम कैसे खर्च कर सकेंगे ? इसका परिणाम यह होगा कि इस राशि का उपयोग नहीं हो सकेगा ।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल: जहां तक सुनिश्चित करने का सम्बन्ध है, हम समय-समय पर उनका मार्गदर्शन ही करते रहते हैं और उन्हें बताते रहते हैं कि कौनसी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और कौनसी परियोजनाओं को अभी पूरा करना बाकी है । हमारे पास निष्पादित कार्य का ब्यौरा है। समय-समय पर परियोजनाओं की जांच पड़ताल करते हैं । बिहार में वातावरण में जो परिवर्तन हुआ है और आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई है उससे यह आशा की जा सकती है कि इस वर्ष निष्पादन संतोषजनक ढंग से होगा ।

श्री डी० एन० तिवारी: सरकार को यह पता है कि उत्तरी बिहार में बिजली की खपत, यदि सब से कम नहीं, बहुत ही अधिक कम है । वहां पर प्रति व्यक्ति 10 या 12 यूनिट की खपत होती है । क्या सरकार का विचार योजना सम्बन्धी व्यय के इलावा अधिक रकम आवंटित करने का है जिससे इन मामले में उसका स्तर अन्य राज्यों के स्तर के बराबर लाया जा सके ?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल: विभिन्न नये ऊर्जा संयंत्रों के लिये 70.10 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने के लिये भी बहुत अधिक रकम आवंटित की गई है । जहां तक उत्तरी बिहार का सम्बन्ध है । हमें इस बात का पूरा ध्यान है कि उत्तरी बिहार एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । बीस सूत्री कार्यक्रम तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है ।

श्री डी० एन० तिवारी : क्या कोई अतिरिक्त आवंटन किया गया है ?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : हम पिछड़े क्षेत्रों का अधिक ध्यान रख रहे हैं और उत्तरी बिहार एक पिछड़ा क्षेत्र है । इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या यह सही है कि पिछले दो तीन वर्षों में उत्तरी बिहार के अधिकांश ज़िले बाढ़ और सूखा से ग्रस्त रहे हैं ? इसके फलस्वरूप उस राज्य को काफी हानि हुई। क्या सरकार ने उत्तरी बिहार में भूमिगत जल संसाधनों के उपयोग हेतु और बाढ़ नियंत्रण के लिये योजना आयोग के पास कोई प्रस्ताव भेजा था ?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : वार्षिक परियोजना पर चर्चा करते समय हमने बिहार में बाढ़ की समस्या को ध्यान में रखा था और इसीलिये राज्य की 1966-67 की वार्षिक परियोजना के लिये 16 करोड़ रुपये मंजूर किये थे । इसमें 8 करोड़ रुपये पटना बचाव कार्य के लिये थे । बाढ़ की समस्या को हल करने के लिये एक दीर्घकालान परियोजना है । इसे नेपाल सरकार के सहयोग से पूरा करना है क्योंकि कुछ नदियां उधर से ही आती हैं । इस ओर पूरा ध्यान दिया जा रहा है ।

Shri Ramavatar Shastri : Mr. Speaker, Sir, may I know the basis on which the annual plan has been prepared ? Have the Government of Bihar submitted any suggestion in regard to the annual plan and if so, the details there of and the reasonsfor not accepting them ?

Shri I.K. Gujral : Mr. Speaker, Sir, it is correct that the government of Bihar have sought more funds. In view of the limited resources, we could not meet their demand. But the funds made available to them during the last two years are quite substantial during 1974-75 and 1975-76 the central allocation was Rs. 68.68 crores each year. This time the Central grant has been increased by 10 per cent. So far its own plan is concerned, there has been substantial increase in its outlay.

Shri Bibhuti Mishra : Mr. Speaker, Sir, though coal mines and Iron ore mines are at a distance of 100 kilometers and 150 kilometers respectively from here, yet not a single factory has been set up there so far during the last 27 years after attaining independence. May I know whether the Minister of Planning will give preference to the backward areas in the matter of setting up of factories while formulating plans ?

Shri I.K. Gujral : Mr. Speaker, Sir, he is right. Due considerations should be given to the backward areas. Due care has been given to this aspect in all the plans so for formulalated and particularly during the Fifth Five year plan. You will appreciate that the problems of backward areas can not be solved simply by setting up of one or two factories. Much has been invested in Bihar by the public Sector but this has not solved the problem of Bihar. This time more weightage has been given to agriculture, irrigation and electrification during this plan so that there is an improvement in the infra-structure as a result of which the backwardness may be removed. One thing has to be kept in mind in this connection that poverty cannot be eradicated during one or two years. The state's of Madhya Pradesh, Bihar and eastern U.P. are the most sufferers. If we succeed to eradicate poverty from these states, we will be able to solve the problem of poverty to a large extent.

कोंकण क्षेत्र की विकास समस्याओं के अध्ययन के लिये नियुक्त समिति

*496. **श्री बी० वी० नायक :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री वी० पी० नायक की अध्यक्षता में कोंकण क्षेत्र की विकास समस्याओं का अध्ययन करने के लिए योजना आयोग द्वारा नियुक्त की गई समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है; और

(ख) इस समिति के वर्तमान सदस्य कौन-कौन हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल): (क) इस प्रकार की कोई समिति गठित नहीं की गई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बी० वी० नायक: जैसा कि मुझे ध्यान है और जैसा कि समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ था, श्री वी० पी० नायक की अध्यक्षता में एक ऐसी समिति नियुक्त की गई थी। यह हो सकता है कि उसका कोई और नाम हो । उसे पश्चिमी घाटों के विकास से सम्बन्धित अध्ययन दल का सभापति नियुक्त किया गया था । तत्कालीन योजना मंत्री, स्वर्गीय डी० पी० धर से ऐसा एक तार प्राप्त हुआ था । हम यह जानते हैं कि कर्नाटक के वित्त मंत्री को भी इस अध्ययन दल में रखा गया था । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कोई ऐसी समिति बनाई गई थी, चाहे उसका कुछ भी नाम हो?

अध्यक्ष महोदय : उत्तर बिल्कुल निश्चित है कि ऐसी कोई समिति नहीं है ।

श्री इन्द्रकुमार गुजराल : पश्चिमी घाटों के सम्बन्ध में एक समिति है । परन्तु उन्होंने प्रश्न तो कोंकण क्षेत्र के बारे में पूछा है । कोंकण क्षेत्र के लिये ऐसी कोई समिति नहीं है । पश्चिमी घाट तो बहुत लम्बा चौड़ा है । इसमें गोआ से लेकर तमिलनाडु तक का सारा क्षेत्र शामिल है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री बी० वी० नायक : पश्चिमी घाटों से कोंकण ही अभिप्रेत है ।

अध्यक्ष महोदय : आप एक अलग प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री वसंत साठे : आखिरकार कोंकण पश्चिमी घाट पर ही है। इस में कुछ भाग कर्नाटक का है और कुछ भाग केरल का है । इस प्रश्न को इस प्रकार नहीं टाला जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : पश्चिमी घाटों के बारे में उन्हें एक अलग प्रश्न पूछना होगा । मैंने अगला प्रश्न ले लिया है ।

रानीगंज क्षेत्र की कोयला खानों में कार्य चालन संबंधी समस्यायें

*497 **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या रानीगंज क्षेत्र की कोयला खानों में कार्य-संचालन संबंधी खतरनाक समस्यायें विद्यमान हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इन खानों में सुरक्षा सम्बन्धी सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) खान अधिकारियों और प्रबन्धकों द्वारा खान खुदाई के नियमित निरीक्षण के दौरान खानों में सुरक्षा के सभी पहलुओं की भली भांति जाँच-पड़ताल की जाती है । इसके अलावा, खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारी समय-समय पर खानों का दौरा करते रहते हैं और उनके द्वारा बताई गई अनियमितता को दूर करने के लिए फौरन कार्रवाई की जाती है ।

श्री एस० आर० दामाणी : समाचारपत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि खनन संक्रियाओं के लिये रानीगंज क्षेत्र खतरनाक है। क्या वहां पर किये गये सुरक्षा उपायों की छानबीन करने तथा यह सुझाव देने के लिये कोई समिति नियुक्त की गई है कि वहां पर श्रमिकों की सुरक्षा के लिये और क्या-क्या उपाय किये जा सकते हैं?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रशाद) : श्रीमन्, ऊर्जा मंत्रालय ने 5 जनवरी, 1976 को एक समिति नियुक्त की थी जिसमें 13 सदस्य हैं और उसका सभापति मंत्रालय का संयुक्त सचिव, श्री एस० बी० लाल हैं। समिति के निर्देश पदों के अन्तर्गत (1) ऐसी कोयलाखानों के, जहां कार्य हो रहा है, उन सभी मामलों का पुनर्विलोकन करना, (2) कोयला-खानों में दुर्घटनाओं के कारणों का विश्लेषण करना, (3) विद्यमान सुरक्षा उपायों का पुनर्विलोकन करना और (4) सुरक्षा उपायों में सुधार करने के लिये सिफारिशें करना और राष्ट्रीयकृत कोयला-खानों में सुरक्षा के प्रति जागरुकता और सुरक्षा संक्रियाओं की व्यवस्था का विश्लेषण करना आता है।

श्री एस० आर० दामाणी : यह समिति अपना प्रतिवेदन कब तक दे देगी? क्या यह भी मैं जान सकता हूं कि खनन कार्य में सम्भावित खतरों के अलावा सभी कोयलाखानों का कोई विस्तृत सर्वेक्षण किया गया है?

अ० सिद्धेप्रोसिश्वर प्रशाद : श्रीमन्, समिति अपना प्रतिवेदन इस मास की 30 तारीख तक दे देगी। जहां तक खान की सुरक्षा का सम्बन्ध है, कोल इण्डिया लिमिटेड में उन सभी खानों की, जहां कोई खतरा है, जांच करने की व्यवस्था है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच है कि इस क्षेत्र में खान सुरक्षा संगठन इतना अपर्याप्त है कि औसतन एक खान के वास्तविक निरीक्षण की बारी दो वर्ष में केवल एक बार आ सकती है और इस संगठन के पास पर्याप्त संख्या में निरीक्षक तथा अन्य व्यक्ति नहीं है जो खानों का कम समय के बाद निरीक्षण कर सकें? क्या सरकार इसे अत्यन्त असंतोषजनक दशा नहीं समझती?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मुझे ठीक-ठीक तो नहीं मालूम कि खान सुरक्षा महानिदेशालय के ये अधिकारी खानों का कितनी बार निरीक्षण कर पाते हैं, परन्तु ऊर्जा मंत्रालय का रवैया इस बारे में यह है कि किसी बाहरी एजेंसी को इस बात की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिये कि हमे श्रमिकों की सुरक्षा के बारे में सावधानी बरतें। इसी रवैये को लेकर हमने विभागीय स्तर पर सुरक्षा संगठन स्थापित किया है। खान सुरक्षा महानिदेशालय के सुझाव का हम स्वागत करते हैं। कोल इन्डिया लिमिटेड इस मामले में अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग है और समूचे सुरक्षा संगठन के पास अधिकारी हैं जो खानों को बहुत बार निरीक्षण करते हैं और कितनी बार उन्हें खानों में जाना चाहिये यह विनिर्दिष्ट है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या वह वर्ष में एक बार है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मुख्य सुरक्षा अधिकारी का काम एक महीने में बारह दिन खानों के अन्दर जाकर निरीक्षण करना है और अन्य अधिकारियों को काम इससे भी अधिक बार निरीक्षण करना है। सुरक्षा अधिकारियों की जिम्मेदारी केवल नियम-उल्लंघन बताना नहीं है। सुरक्षा संगठन के अन्य अधिकारी खानों के अन्दर का निरीक्षण एक महीने में 18 से 20 दिन तक करते हैं। खानों के अन्दर तथा ऊपर

का निरीक्षण करने के लिए कर्मचारी नियुक्त हैं। कितने दिन निरीक्षण करना है, यह नियत है परन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि हर खान का निरीक्षण प्रत्येक दिन या प्रति दस दिन के बाद होता है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : चासनाला दुर्घटना के बाद से सभी स्थानों और विशेषकर खान क्षेत्रों के लोगों में अत्यधिक भय फैला हुआ है कि खान दुर्घटना किसी भी समय और किसी भी स्थान पर घट सकती है मंत्री महोदय ने बताया है कि उनके विभाग अर्थात् कोल इन्डिया लिमिटेड में खान सुरक्षा का काम देखने के लिए एक टीम बनी हुई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि रानीगंज कोयला पट्टो में पिछले एक वर्ष में कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं और वे किस प्रकार की थीं तथा उनमें कितने लोग हताहत हुए।

प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद : ये आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं। परन्तु जहां तक खान सुरक्षा कार्यों तथा उपायों का सबंध है उनमें बहुत सुधार हुआ है। खान सुरक्षा महानिदेशालय के परामर्श से हम ऐसे कदम उठा रहे हैं कि जिनसे ऐसी दुर्घटनाएं न हों और जब कभी ऐसी दुर्घटनाएं हों तो उनका ब्यौरा लिया जाये और वे सभी उपचारात्मक उपाय किये जायें, जिससे ऐसी दुर्घटना भविष्य में फिर न हो।

श्री त्रिदिव चौधरी : रानीगंज कोयला क्षेत्र के मामले में खनन कार्य संबंधी सामान्य समस्याओं तथा खतरों के अलावा कुछ खानों में भूगर्भीय अग्नि फैलने का खतरा लगातार बना रहता है। सुयोग्य व्यक्तियों का यह कहना है कि जहां तक मिट्टी पाटने आदि का संबंध है वह हर स्थान पर मानक स्तर का नहीं है जिसके फलस्वरूप मिट्टी बैठ जाने की भारी समस्या पैदा हो गई है, विशेषकर झरिया क्षेत्र में और झरिया शहर की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गयी बतायी जाती है। क्या समिति के अलावा ऊर्जा विभाग इन विशिष्ट समस्याओं की ओर ध्यान दे रहा है ?

प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद : कोल इन्डिया को इस तथ्य की जानकारी है कि खानों के अन्दर आग सुलग रही है और सभी उपाय किये गये हैं। जहां तक झरिया का संबंध है, वहां पर कोयला खानों में आग से कोई खतरा नहीं है इस पहलू को सक्षम प्राधिकारी देख चुके हैं।

श्री त्रिदिव चौधरी : वक्तव्य देने से पहले मंत्री महोदय तथ्यों की पड़ताल कर लें।

प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद : यह प्रश्न गत सत्र में उठाया गया था और विशेषज्ञों का विचार है कि झरिया शहर को कोई खतरा नहीं है।

अल्प-सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

Dacoity on Kashi-Vishwanath Express

†2. **Shri Nageshwar Dwivedi :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether on the night of 24th/25th March, 1976 a dacoity was committed in the running Kashi-Vishwanath Express between Hardoi and Shahjahanpur ;

(b) whether there was an encounter with the dacoits ;

(c) the number of dacoits apprehended and of those killed ; and

(d) the outcome of the investigation made so far ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी हां, 25/26 मार्च, 1976 की रात को, न कि 24/25 मार्च, 1976 की रात को।

(ख) एक यात्री ने अपनी सुरक्षा के लिए डाकुओं पर गोली चलायी थी।

(ग) 5 डाकू गिरफ्तार किये गये और 4 मारे गये।

(घ) 5 अपराधियों को गिरफ्तारी के अलावा, लूटी गयी सम्पत्ति बरामद कर ली गयी है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।

Shri Nageshwar Dwivedi : I want to know whether the Police was posted on the Kashi-Vishwanath Express on that day and how much late was the police in arriving thereafter the dacoity had been committed ? In an encounter will the passengers how many dacoits were killed and how many dacoits lost their lives in jumping down the train ? I want to know whether Government have made any arrangement for giving encouragement to the passengers who challenged the dacoits, killed them and this helped in apporehending them ?

Shri Mohd. Safi Quareshi : Mr. Speaker, about 9–10 dacoits entered the train when it had reached Hardoi station. They were equipped with weapons and revolvers and started looting the passengers. A passengers named Jagdish Lal Dhingra who had a revolver under licence resorted to firing and as a result thereof some dacoits got injured and a few others panicked and jumped out of the train. The Police rushed to the spot and arrested those dacoits who were lying wounded on the track. Some country made revolvers and cartridges were recovered from these dacoits. one dacoit named Babu Khan succumbed to his injuries on the way to the hospital. No dacoit was killed as a result of firing but only out of those dacoits who jumped from the running train, some dacoits lost their lives and a few others got injuries. The case for giving some prize to the the passenger who resorted to firing in self-defence, is under consideration.

Shri Nageshwar Dwivedi : I would like to know how many students were there among the killed and injured dacoits and how many of them belonged to rich families ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Among those dacoits, who were killed, there was one Om Parkash Awasthi from Hardoi and others were Rabinder Singh from Hardoi, Gorakh Nath from Farrukhabad and Babu Khan from Whiteganj. Among the arrested dacoits there are Mahmood Hasan, Mohan Lal, and Om Prakash Gupta, all the three from Hardoi, Suresh from Farrukhabad and Richpal Singh, a resident of Bareilly and an employee in the Hydel Department.

Shri S. M. Banerjee : This question has been admitted as it related to Kashi-Vishwanath Express. But the question is that incidents of thefts and dacoity recur daily in two-tier compartments not only at gun point but in an ordinary course. The people do not lodge the report as they apprehand that they would get themselves in another trouble by doing so. I would like to know what arrangements have been made to ensure the safety of the passengers in second class. It was told that there would be push buttons with which the police could be contacted. May I know whether Government have taken any step in which that respect ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Normally alarm bells are fitted in trains but efforts are being made to provide police escort in long distance trains in which passengers have to undertake night journey.

Secondly, the Railway Protection Force does not enjoy the power of making arrests and prosecution. Now we are urging the Home Ministry to confer such powers upon the R.P.F. If it is done so,the R.P.F. will be able to deal with the train thieves effectively.

श्री एन० के० सांघी : चूंकि इनमें से अधिकांश डाकू जिंदा पकड़ लिये गये, इसलिए इस समूचे षडयंत्र का भेद अब तक स्पष्ट हो जाना चाहिए था। क्या इस प्रकार षडयन्त्र पूरे देश भर में है या ये लोग केवल कुछ ही क्षेत्र में सक्रिय हैं ? क्या उक्त गिरोह से संबंध रखने वाले अन्य अपराधियों का रेल विभाग ने पता लगा लिया है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : जब ये डाकू पकड़े गये तो उस समय वे बुरी तरह घायल थे और अस्पताल में थोड़े समय के लिए रहे। इस स्थिति में उनका बयान पहले रिकार्ड नहीं किया जा सका। हमें संदेह है कि यह किसी अन्तर्राज्यीय गिरोह का एक अंग है। पुलिस उसकी छानबीन कर रही है।

Shri Narsingh Narain Pandey : I want to know whether dacoits had recently been committed at these places before the particular incident took place. Is it a particular area of certain western districts where such type of people board on the trains and sometime enter in male and sometime in female compartments and cause loss to the passengers. So, I want to know whether you are making any arrangement for regular checking in such night trains and whether you have asked the State Governments for such night checking at such stations with a view to ensure passenger security ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Discussions with the Chief Ministers have been taking place in this respect. The Railway Minister is calling a meeting with the Chief Minisers to evolve measures to check the occurrence of such types of incidents of dacoity as have been committed recently. Police escort will be provided in long distance trains and police patrolling will be strengthen at those stations which be in such identified areas. Thus the Railways will not sit idle in this regard.

Shri Nathu Ram Ahirwar : Mr. Speaker, after the proclamation of emergency the situation has improved in all fields except in Railways where there is increase in the incidence of loot and arson. Is it a fact that there are certain organised gangs whose members are not able to play mischief in other spheres but are successful in committing crimes on Railways ? Dacoity has been committed thrice in Sabarmati Express near Kanpur and there was an explosion in a passenger train near Bina. Nothing has come out of the enquiry into this incident. May I know whether Government propose to protect the passengers from those robbers who mix-up and Start playing Cards in trains ? One of my friends met with such an incident while travelling to Bhopal last week. When he refused to play cards, another two strangers approached him and asked for change of a hundred-rupee note. These stranger snatched the money from him. The R.P.F. Personnel who were sitting there did not intervene. May I know whether there are instructions to the police to check such persons who indulge in such unlawful activities ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Sir, such gangs have been liquidated to a large extent and the number of such incidents have reduced, but that is also to be eliminated. The passengers have to be cautious about such persons as engage them in card playing and then rob them.

Shri Mohd. Ismail : The hon. Minister has assured to provide police escort in trains. But I would like to know whether it is proposed to give right to the passengers to inform the police about their suspicious on a person of being a dacoit and to provide for an immediate enquiry of such persons ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : There are such instructions that a passenger may report if he suspects or that there is a dangerous criminals in the train.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN QUESTION TO ANSWER

अगली फसल के समय गेहूं की वसूली का लक्ष्य

*461. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**
श्री एन० आर० बेंकारिया:

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगली फसल के समय गेहूं की वसूली के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) और (ख) : जी हां। एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(हजारमीटरी टन)

राज्य	1976-77 के लिए गेहूं के अधिप्राप्ति लक्ष्य
बिहार	100
गुजरात	50
हरियाणा	500
जम्मू एवं कश्मीर	18
मध्य प्रदेश	200
महाराष्ट्र	100
पंजाब	2,800
राजस्थान	200
उत्तर प्रदेश	1,200
अन्य	30
अखिल भारत	5,198

खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडार की मात्रा

*462. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने खाद्यान्नों की सुरक्षित भंडार की मात्रा के संबंध में सुझाव देने के लिए एक तकनीकी दल की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पैनल ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी है; और

(ग) क्या इस दल में कृषकों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है ?

कृषि और सिचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) जी हां। बफर स्टाक की नीति के बारे में सूक्ष्मता पूर्वक जांच करने की दृष्टि से दिसम्बर, 1975 में खाद्यान्नों के बफर स्टाक पर एक तकनीकी ग्रुप नियुक्त किया गया था। यह ग्रुप खाद्यान्नों के उत्पादन में अन्तर-मौसमी घट-बढ़ पर काबू पाने के लिए अनुकूलतम आकार का बफर स्टाक तैयार करने की आवश्यकता, इस स्टाक को कैसे तैयार किया जाये, उसमें क्या वित्तीय कठिनाइयां हैं, के बारे में सिफारिशें करेगा। तकनीकी ग्रुप की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है। ग्रुप में किसानों के प्रतिनिधियों सहित किसी भी गैर सरकारी सदस्य को लेना आवश्यक नहीं समझा गया था।

महाराष्ट्र में लघु कृषक विकास एजेंसियां और सीमांत किसान तथा कृषि श्रमिक एजेंसियां

* 463. **श्री अन्ना साहेब गोट खिड :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में लघु कृषक विकास एजेंसियों और सीमान्त किसान तथा कृषि श्रमिक एजेंसियां किन-किन क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं;

(ख) क्या इन एजेंसियों का कार्य-क्षेत्र बढ़ाया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) चौथी योजना के दौरान महाराष्ट्र में छोटे/सीमान्त किसानों तथा कृषि श्रमिकों को लाभ पहुचाने के लिए 5 लघु किसान विकास एजेंसी/सीमांत किसान तथा कृषि श्रमिक परियोजनायें स्थापित को गई थीं।

1. लघु किसान विकास एजेंसी थाना-नासिक
2. लघु किसान विकास एजेंसी रतनगिरी-सतारा
3. लघु किसान विकास एजेंसी भंडारा
4. सीमान्त किसान तथा कृषि श्रमिक रतनगिरी-सतारा
5. सीमान्त किसान तथा कृषि श्रमिक परभनी।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में महाराष्ट्र राज्य को कुल 12 लघु किसान विकास एजेंसी/सीमान्त किसान तथा कृषि श्रमिक परियोजनायें आबंटित की गई थी और राज्य सरकार को अपनी इच्छा के जिलों में वर्तमान परियोजनाओं को जारी रखने तथा नई परियोजनायें स्थापित करने हेतु अतिरिक्त जिलों का चयन करने के लिए विकल्प दिया गया था। महाराष्ट्र को राज्य सरकार के परामर्श से पांचवीं योजना में कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित 12 जिलों को चुना गया है।

1. थाना*
2. रतनगिरी*
3. सतारा*
4. कोलाबा

5. धुलिया
6. अमरौती
7. बुल्धाना
8. अकोला
9. नान्देड
10. ओसमानाबाद
11. कोल्हापुर**
12. चन्द्रपुर **

*चौथी पंचवर्षीय योजना से चल रही परियोजनाएं।

**भंडारा तथा परभानी जिलों की परियोजनाओं के लिए चल रहीं कुछेक महत्वपूर्ण योजनाओं को पूरा करने के लिए एक वर्ष की अवधि बढ़ा दी गई है। ये परियोजनायें वर्ष 1976-77 के अंत तक परिसमाप्त हो जायेंगी और उसके बाद, कोल्हापुर तथा चन्द्रपुर की दो परियोजनाओं को वर्ष 1977-78 से शुरू किया जायेगा।

जहां तक थाना, रतनगिरी तथा सतारा परियोजनाओं का संबंध है, एजेंसियां अपने कार्यक्रम को फिलहाल चौथी योजना में निर्धारित परियोजना क्षेत्र में कार्यान्वित कर रही हैं। वर्ष 1976-77 से 1978-79 तक की अवधि के लिए उनको पूरक परियोजना रिपोर्टों पर अभी भारत सरकार द्वारा विचार किया जाना है। यदि आवश्यक समझा गया तो परियोजना क्षेत्र में अतिरिक्त खंड शामिल किये जायेंगे ताकि एजेंसी वर्ष 1978-79 के अंत तक 30,000 लाभभोगियों के लक्ष्य को प्राप्त कर सके।

कोलाबा, धुलिया, अमरौती, बुलधाना, अकोला, नान्देड तथा ओसमानाबाद जिलों में शेष परियोजनाओं, जिन्हें पांचवीं योजना में स्थापित किया गया है, के बारे में महाराष्ट्र को राज्य सरकार के परामर्श से परियोजना क्षेत्र निर्धारित किया गया है जिससे कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 50,000 लाभभोगियों को इसके अन्तर्गत लाया जा सके। इसलिए, इन नई परियोजनाओं के बारे में परिचालन क्षेत्र का कम से कम निकट भविष्य में विस्तार करने का प्रस्ताव नहीं है।

कोल्हापुर तथा चन्द्रपुर की परियोजना रिपोर्टें राज्य सरकार द्वारा अभी तक तैयार नहीं की गयीं हैं।

महाराष्ट्र में विभिन्न लघु किसान विकास एजेंसी/सीमान्त किसान तथा कृषि श्रमिक परियोजनाओं के अन्तर्गत आये इलाके इस प्रकार हैं:—

लघु किसान विकास एजेंसी/सीमान्त किसान तथा कृषि श्रमिक एजेंसी	अन्तर्गत लाया गया क्षेत्र (तालुकाओं/खंडों के नाम)
1	2
1. थाना	1. पालघर 2. दहानु 3. तलामसरी 4. वादा 5. जवाहर 6. मोखदा
2. रतनगिरी	1. रतनगिरी 2. चिपलुन 3. खेद 4. गुहागर 5. लांजा
3. सतारा . . .	1. पादन 2. जौली तथा 3. महाबलेश्वर

1	2
4. कोलाबा	1. अलीबाग, 2. मुरुद 3. पोलादपुर 4. महषाला 5. खालापुर 6. पेन 7. सुधागढ़ पाली तथा 8. श्रीवर्धन
5. धुलिया	1. अकरानी 2. अक्कलकुआ 3. तालोदा 4. शाहाद 5. नानदुरबर 6. सिंधखेद 7. नवपुर 8. सकरी 9. धुलिया (श्रोपुर खंड को छोड़ पूरा जिला)
6. अमरावती	1. अमरावती 2. मोरशी 3. चंदुर रेलवे 4. दरयापुर तथा 5. मेलघाट (अचलपुर, चिखालदा तथा धारनी खंडों को छोड़कर पूरा जिला)
7. बुलधाना	1. मलकापुर 2. जलगांव 3. खामगांव तथा 4. मेहकार (चिरवर्ती तथा बुलधाना खंडों को छोड़कर पूरा जिला)
8. अकोला	1. अकोला 2. अकोट 3. मुर्तिजापुर 4. मंगरुलपीर तथा 5. वाशिम (बालापुर तथा पतुर खंडों को छोड़कर पूरा जिला)
9. नान्देड	1. हाडगांव 2. किनवत 3. बिलोली 4. देगलुर 5. मुखेद तथा 6. कान्धार (नान्देड तथा भोकर खंडों को छोड़कर पूरा जिला)
10. ओसमानाबाद	1. ओसमानाबाद 2. कल्लन 3. लातुर 4. उदगीर 5. ओसा 6. ओमेरगा 7. तुलजापुर 8. परांदा तथा 9. भूम (अहमदपुर तथा नीलांगा खंडों को छोड़कर पूरा जिला)
11. कोल्हापुर	परियोजना रिपोर्ट अभी तैयार की जानी है। यह परियोजना वर्ष 1977-78 में आरम्भ की जायेगी।
12. चन्द्रपुर	परियोजना रिपोर्ट अभी तैयार की जानी है। यह परियोजना वर्ष 1977-78 में आरम्भ की जायेगी।

भंडारा और परभानी की परियोजनाओं, जिन्हें चौथी योजना में स्थापित किया गया था, और एक विशेष मामले के रूप में वर्ष 1976-77 में और एक वर्ष के लिए जारी रखने की अनुमति दी गई है, के अन्तर्गत ये क्षेत्र आते हैं :—

लघु किसान विकास एजेंसी/सीमान्त किसान तथा कृषि श्रमिक एजेंसी	अन्तर्गत लाया गया क्षेत्र (तालुकाओं/खंडों के नाम)
भंडारा	सकोली तथा गोंदिया उपखंडों से निम्नलिखित खंड :— 1. सलोली 2. देवरी 3. लखनदुर 4. मोरगांव अर्जुनी 5. गोंदिया 6. सलेकसा 7. आमगांव 8. तिरोरा तथा 9. गोरेगांव
परभानी . .	1. परभानी 2. पाथरी 3. परतुर 4. बासमती 5. जिनतुर 6. कालमनुरी 7. हिंगोली तथा 8. गंगाखेद (पूरा जिला)

Formulation of Punpun Scheme

*464 **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated a scheme known as "Punpun Scheme" for protecting from floods villages of Gaya and Patna Districts situated on the banks of the 'Punpun' river and for providing irrigation facilities in both the districts ; and

(b) if so, time by which Government propose to implement this scheme ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Kedar Nath Singh) : (a) & (b) The Government of Bihar had prepared the Punpun embankment scheme at an estimated cost of Rs. 9.76 crores in 1972. This was examined in Central Water Commission and Ganga Flood Control Commission and it was recommended that this scheme should be implemented in phases. Accordingly the State Government prepared phase I of the Scheme at an estimated cost of Rs. 99 lakhs conisting of three components namely construction of an embankment on the right bank in a length of 13.66 km., raising and strengthening of the existing embankment on the left side in a length of 9.75 km. and construction of a new embankment on the left bank in a length of about 6 km. The first two components of the scheme estimated to cost Rs. 77 lakhs which is likely to benefit an area of 5000 ha and prevent Ganga spill through the Punpun into the Mokameh Tal, has been approved by the Planning Commission for implementation and the State Government is taking necessary action to start construction work of the scheme immediately.

The State Government have also under formulation a scheme on Punpun river to provide irrigation for about 16,000 ha; the project report is expected to be ready by July this year.

केरल में अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजनाएं

*465. **श्री वयालार रवि:** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजनाएं पूरी किये जाने का कोई प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो वे कौन-कौन सी हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह): (क) और (ख) केरल राज्य में सात चल रही सिंचाई परियोजनायें हैं नामशः पेरियार वैली, कल्लाडा, पम्बा, कुट्टियाडी, चित्तुरपुझा कन्हीरपुझा और पझारसी।

सिंचाई राज्य विषय है और सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारें अपनी सम्पूर्ण विकासात्मक योजनाओं की संरचना में से धन की व्यवस्था करती हैं। राज्य योजनाओं के लिए केन्द्र की सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है जो किसी विशेष सैक्टर के विकास या परियोजना से संबंधित नहीं होती है।

केरल सरकार को भारत सरकार द्वारा 1975-76 के वित्तीय वर्ष के दौरान पेरियार वैली, पम्बा और कुट्टियाडी परियोजनाओं के लिए प्रत्येक को 70 लाख रुपए की विशेष अग्रिम योजना सहायता दी गई थी। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे चल रही परियोजनाओं के लिए और अधिक धन की व्यवस्था करे। चल रही तीन परियोजनाओं नामशः पेरियार वेली, कुट्टियाडी और चित्तुरपुझा के बढ़े हुए परिव्यय के कारण पांचवीं योजना के अन्त तक काफी हद तक पूरा हो जाने की संभावना है।

नये मंजूर हुए वरिष्ठ अध्यापन-पद के बारे में लगाई गई शर्तें

*466. **श्री प्रबोध चन्द्र :**

श्री रानेन सेन :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि नये मंजूर हुए वरिष्ठ अध्यापन-पदों के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लगाई गई शर्तों पर प्रोफेसरों ने रोष प्रकट किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार आयोग को ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि-उत्पादों के निर्यात की संभाव्यतायें

*467 **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि आयोग ने इस शताब्दी के समाप्त होने पर बड़ी मात्रा में फालतू कृषि उत्पादों के निर्यात की संभाव्यताओं का उल्लेख किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस आशा का आधार क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) आयोग द्वारा तैयार किये गये मांग और सप्लाई के अनुमानों के आधार पर यह मालूम होता है कि सन् 2000 ई० में कई कृषि जिंसों के मामले में संभावित सप्लाई देशी मांग से अधिक होगी ।

बारानी खेती की नई पद्धति

*468. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी विश्वविद्यालय ने बारानी खेती के तरीके का विकास किया है; और

(ख) क्या बारानी खेती की यह पद्धति किसी राज्य में अपनाई गई है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा चलायी जाने वाली बारानी खेती की अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना के अन्तर्गत 14 विश्वविद्यालयों में स्थित 17 शुष्क भूमि अनुसंधान केन्द्रों में बहुशाखीय अनुसंधान

शुरू किया है और बारानी खेती वाले क्षेत्रों से बेहतर फसल उगाने की विधियां विकसित की है। ये शुष्क भूमि अनुसंधान केन्द्र विशिष्ट स्थानीय समस्याओं पर बहु शाखीय अनुसंधान करते हैं, ताकि उपयुक्त शुष्क भूमि प्रौद्योगिकी विकसित की जा सके। प्रस्तुत अनुसंधान के क्षेत्र हैं--(1) वर्षा और संचित नमी का उपयोग करने के लिए उपयुक्त फसलें और किस्में (2) बारानी भूमि के लिए फसल चक्र और फसलों का मिश्रण, (3) पौधों की संख्या, कतारों का फासला और कतारों की दिशा से संबंधित फसलों की ज्यामिति, (4) जल अवशोषण का अध्ययन और मिट्टी का ठोसपन, (5) नमी के संरक्षण के लिए पलवार, (6) बारानी खेती में उर्वरक-उपयोग, (7) फसलों के विकल्प (स्थानापन्न करने के लिए), (8) रिसाव सुधार तथा मिट्टी की नमी का संचय, (9) जुताई के तरीके और बुआई, और (10) पानी इकट्ठा करना और कम से कम तथा फसल को मुर्झाने से बचाने भर सिंचाई।

बारानी स्थितियों में कृषि उत्पादन को सुधारने के लिए संकर बाजरा और ज्वार तथा ऊंची भूमि में होने वाली धान की किस्में जैसे 'जया', 'सी आर 44-1', 'कृष्णा', 'कावेरी', और 'बाला' खरीफ के मौसम में उगायी जा सकती हैं। उत्तर भारत के लिये रबी के मौसम में चना, सरसों, जौ, कुसुम और अलसी की फसलों को उपयुक्त पाया गया। दक्खिन के पठार में ज्वार, कुसुम और कपास की फसलें उपयुक्त हैं। महाराष्ट्र और उत्तरी-पश्चिमी कर्नाटक में चना और कुसुम की फसलें अच्छी रहती हैं। शोलापुर, बीजापुर और कल्लरी की काली मिट्टी वाले इलाके के लिए भूमि में बरसात का पानी जज्ब हो जाने पर सितम्बर में रबी के ज्वार की बुआई की तिथि बढ़ा देने की सिफारिश की गयी है। मालवा के पठार में इंदौर के आस-पास के गहरी काली मिट्टी वाले इलाके में मानसून की वर्षा के अनुमान पर खरीफ के कपास की सूखी बुआई करने से इसकी फसल की उपज बढ़ जाती है। अनेक बारानी क्षेत्रों में उर्वरक का उपयोग खरीफ के लिए 40 किलो० नाइट्रोजन और रबी के लिए 20 किलो० नाइट्रोजन आर्थिक दृष्टि से उचित रहता है।

अधिक उपज के लिए रबी के मौसम में नमी का संरक्षण करने में पलवार से मदद मिलती है। बारानी इलाकों में फसल को नष्ट होने से बचाने तथा कृषि के उत्पादन में स्थिरता लाने के लिए बरसात में बह जाने वाले पानी को इकट्ठा करने तथा कम से कम अथवा फसल को मुर्झाने से बचाने-भर सिंचाई करने के लिए उसे फिर प्रयोग में लाने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की जा रही है। केन्द्रों से उपलब्ध अनुसंधान के आंकड़ों के आधार पर भिन्न-भिन्न जलवायु की स्थितियों वाले बारानी क्षेत्रों के लिए आनुषंगिक योजनायें तैयार की गयी हैं और विस्तार कार्य में प्रयोग के लिए उन्हें प्रकाशित किया गया है।

अनुसंधान केन्द्रों में विकसित बारानी प्रौद्योगिकी को निकटवर्ती समाकलित अग्रविकास प्रायोजनाओं तक बराबर पहुंचाया जा रहा है, जिन्हें चौथी योजना-अवधि से विभिन्न राज्यों में ग्राम-समूहों में चलाया जा रहा है। इन अग्र प्रायोजनाओं की संख्या 24 है। 5वीं योजना में इनमें से प्रत्येक के अंतर्गत किसानों की लगभग 4,000 हैक्टर भूमि रखी गयी है, जिसका प्रौद्योगिक निर्देशन संबंधित शुष्क भूमि अनुसंधान केन्द्र के प्रभारी प्रधान वैज्ञानिक करते हैं। ये 24 अग्र प्रायोजनायें हैदराबाद; अनन्तपुर (आंध्र प्रदेश); पलामू (बिहार); राजकोट, अमरेली (गुजरात); हिसार, मोहिन्दर गढ़ (हरियाणा); जम्मू (जम्मू और कश्मीर); बंगलौर, बेल्लारी और बीजापुर (कर्नाटक); इन्दौर और रीवा (मध्य प्रदेश); अकोला और शोलापुर (महाराष्ट्र); मयूरभंज (उड़ीसा); जोधपुर, उदयपुर और चित्तौर गढ़ (राजस्थान); तिरूनेलवेल्ली और पुडुकोट्टई (तमिलनाडु); मिर्जापुर, आगरा और ललितपुर

(उत्तर प्रदेश) में स्थित हैं। इन बारानी अग्र प्रायोजनाओं के अन्तर्गत कृषकों के खेतों से उन्नत बारानी प्रौद्योगिकी के प्रयोग के जो प्रदर्शन किये गये, उनके परिणामों से पता चला है कि ज्वार की अधिक उपज (दाने की) बेल्लरी (कर्नाटक) में 18.0 क्विंटल प्रति हैक्टर और पुडुकोट्टई (तमिलनाडु) में 13.7 क्विंटल प्रति हैक्टर प्राप्त हुई, जबकि परम्परागत विधि से खेती करने पर स्थानीय किस्मों से क्रमशः 5.0 क्विंटल और 8.50 क्विंटल प्रति हैक्टर उपज प्राप्त हुई। उन्नत बारानी प्रौद्योगिकी अपनाने से राजकोट (गुजरात) में बाजरे के दाने की दुगुनी पैदावार (22.35 क्विंटल प्रति हैक्टर) प्राप्त हुई, जबकि परम्परागत विधि से खेती करने पर 11.0 क्विंटल प्रति हैक्टर पैदावार मिली। इन अग्र प्रायोजनाओं में उन्नत विधि के प्रयोग में अन्य फसलों जैसे—मक्का, धान, गेहूं, जौ, चना और मूंगफली की उपज भी इसी तरह अधिक हुई हैं।

इन शुष्क भूमि अनुसंधान केन्द्रों में विकसित की गयी प्रौद्योगिकी का उपयोग, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत चुने हुए जिलों में, कृषि कार्यक्रम की योजना तैयार करने और उसे क्रियान्वित करने में भी किया जाता है। इसके अलावा राज्यों के कृषि विभाग भी इस प्रौद्योगिकी का उपयोग, अपने बारानी इलाकों में विकास कार्यों तथा सामान्य विस्तार कार्यों में करते हैं।

खाद्यान्नों संबंधी बोनस फार्मूले को युक्ति संगत बनाना

*469. **श्री मानसिंह भौरा** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने खाद्यान्नों संबंधी बोनस फार्मूले को युक्तिसंगत बनाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) 1976-77 के लिए रबी की नीति के बारे में विचार-विमर्श के दौरान पंजाब सरकार ने इस बात पर जोर दिया था कि गेहूं बोनस की हकदारी को केन्द्रीय पूल में अंशदान के किसी पूर्व निर्धारित लक्ष्य के साथ न जोड़ा जाए। 1976-77 मौसम के लिए गेहूं की प्रोत्साहन बोनस योजना अभी विचाराधीन है।

मॉडर्न बेकरीज द्वारा अर्जित लाभ

*470. **श्री राम सहाय पाण्डे** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष माडर्न बेकरीज़ को कितना लाभ हुआ; और

(ख) क्या उक्त बेकरी का भविष्य में विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री, (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) कराधान से पूर्व 1975-76 के दौरान अनुमानित लाभ 35.87 लाख रुपये है।

(ख) भुवनेश्वर, गोहाटी, इन्दौर, जयपुर और रांची में 5 मानक यूनिट स्थापित किए जा रहे हैं और इनके अलावा 3 बन्द संयंत्र बम्बई, कलकत्ता और कोचीन में स्थापित किए जा रहे हैं। पांचवीं योजना के दौरान अतिरिक्त यूनिट स्थापित करने के लिए कम्पनी उपयुक्त स्थान प्राप्त करने के लिए सर्वेक्षण कर रही है।

भारत–जर्मन जनवादी गणराज्य (जी० डी० आर०) संधि

*471. **श्री पी० गंगा रेड्डी :** क्या शिक्षा, **समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिग्री एवं डिप्लोमा की समानता के बारे में भारत और जर्मन जनवादी गणराज्य बीच हाल ही में नई दिल्ली में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य रूप-रेखा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी०पी० यादव) : (क) जी, हां। भारत और जर्मन जनवादी गणतंत्र के बीच 19 मार्च, 1976 को डिग्रियों/डिप्लोमाओं/प्रमाणपत्रों की समकक्षता के संबंध में एक संलेख (प्रोटोकोल) पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है, जिसमें तत्संबंधी मुख्य बातें शामिल हैं। [ग्रंथालय में रखा गया / **देखिए** संख्या एल०टी०-10677/76)

कृषि में यंत्रों का प्रयोग

*472. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि आयोग ने अपने अंतिम प्रतिवेदन में कृषि के क्षेत्र में संयंत्रों का यदा-कदा उपयोग करने के बारे में कुछ सुझाव दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने आयोग के सुझावों को क्रियान्वित करने के लिये स्वीका कर लिया है; और

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप कृषि विकास की गति में बाधा पड़ने की संभावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सिफारिश की है कि केवल उन्हीं क्षेत्रों में मशीनों का उपयोग किया जाना चाहिए, जहां कि मानव श्रम और भार-वाहक पशुओं की काफी कमी है। जिन क्षेत्रों में श्रम फालतू है उनमें मशीनों के उपयोग की किसी भी प्रवृत्ति पर समुचित नियंत्रण रखा जाना चाहिए। आयोग ने यह भी उल्लेख किया है कि जिन क्षेत्रों में मानव श्रम और भार-वाहक पशुओं की अत्यधिक कमी है, उनमें मशीनों के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जाए। आयोग ने यह विचार भी व्यक्त किया है कि जिन क्षेत्रों में श्रम फालतू है उनमें श्रमिक प्रबंध संबंधी समस्याओं से बचने (अथवा जिसके फलस्वरूप मजदूरी कम हो) के लिये मशीनों के उपयोग की किसी भी प्रवृत्ति पर उचित नियंत्रण लगाया जाए। इस प्रकार आयोग ने जिन क्षेत्रों में श्रम फालतू हैं केवल उन क्षेत्रों में मशीनों के सीमित उपयोग की ही सफारिश की है।

(ख) तथा (ग) आयोग की सिफारिशों की अभी जांच की जानी है।

राष्ट्रीय जल–संसाधन परिषद्

*473. **श्री एम० कतामुत्तु :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि आयोग ने जल संसाधनों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय संसाधन परिषद् की स्थापना करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इस सिफारिश की जांच की जा रही है।

"गंदगी तथा बीमारी के विरुद्ध युवा"

*474. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि "गंदगी और बीमारी के विरुद्ध युवा" अभियान कार्यक्रम में कितनी प्रगति हुई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी०पी० यादव) : युवक बनाम गन्दगी तथा बीमारी अभियान, राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत, छुट्टियों के दौरान विशेष शिविर कार्यक्रम के एक भाग के रूप में वर्ष 1974-75 में शुरू किया गया था। इस अभियान में सुझाए गए कार्यकलाप निम्नलिखित थे :—

(1) पर्यावरण स्वच्छता

(2) प्रतिरक्षण सहित चिकित्सा-सामाजिक कार्य

(3) पेय पानी की व्यवस्था

(4) गोबर-गैस संयंत्रों का निर्माण तथा उसे लोकप्रिय बनाना।

2. इस अभियान के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में वर्ष 1974-75 के दौरान लगभग 1400 शिविर आयोजित किए गए थे जिनमें करीब 53,000 छात्रों, अध्यापकों और गैर-छात्र युवकों ने भाग लिया। किए गए कार्यकलापों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(क) प्रतिरक्षण

चेचक का टीका।
ट्रिपल एन्टिजन टीका।
हैजा, टाइफाइड और मलेरिया के टीके।

(ख) स्वास्थ्य सेवाएं

स्वास्थ्य सर्वेक्षण।
स्वास्थ्य परीक्षा जिसमें स्कूल के बच्चों की स्वास्थ्य परीक्षा भी शामिल है।
चिकित्सा सहायता का आयोजन।

(ग) स्वास्थ्य शिक्षा

संक्रामक रोग निवारक शिक्षा।
पोषण शिक्षा।
पर्यावरण स्वच्छता की शिक्षा।
परिवार नियोजन बाल स्वास्थ्य इत्यादि की शिक्षा।

(घ) **पर्यावरण स्वच्छता**

सफाई अभियान।

चूष्णगर्तों का निर्माण।

कूड़ादानों का निर्माण।

स्वच्छ शौचालयों एवं पेशाब घरों का निर्माण।

नालियों का निर्माण तथा मरम्मत।

पीने के पानी के कुओं का शुद्धीकरण तथा उनमें लाल दवा डालना।

(ङ) **गोबर-गैस संयंत्र**

संयंत्रों के विषय में सूचना फैलाकर उन्हें लोकप्रिय बनाना।

गोबर-गैस सयंत्रों का पंजीकरण।

गौबर-गैस संयंत्रों का निर्माण/प्रदर्शन।

3. गंदगी तथा बीमारी विरोधी युवक कार्यक्रम "वनारोपण तथा पेड़ उगाने वाले युवक" नाम के अन्य कार्यक्रम के साथ 1975-76 के दौरान जारी रहा। अब तक की उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1975-76 में लगभग 2,000 शिविर आयोजित किए गए थे जिनमें एक लाख युवकों ने भाग लिया था।

4. 1974-75 वर्ष के कार्यक्रम का मूल्यांकन मद्रास समाज कार्य स्कूल, मद्रास द्वारा किया गया था। मूल्यांकन की रिपोर्ट में निम्नलिखित बात का पता लगा :—

"गंदगी तथा बीमारी बनाम युवक" अभियान के द्वारा समाज तथा छात्र—दोनों के लाभ के लिए पर्याप्त कार्य किया गया है। इस अभियान के अनुभव से भविष्य में भी ऐसे ही अभियान चलाने की बात पर जोर दिया गया है।

1975-76 वर्ष के अभियान का मूल्यांकन, आजकल टाटा समाज विज्ञान संस्थान, बम्बई द्वारा किया जा रहा है।

5. 1975-76 वर्ष के दौरान आरंभ किए गए कार्यकलाप लगभग ऊपर बताए गए कार्यकलापों के समान ही थे। मार्च, 1976 में समाप्त हुए अभियान की विस्तृत रिपोर्ट की प्रतिक्षा है।

भूमिगत जल का सर्वेक्षण

*476. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में तथा विशेष रूप से सूखा-ग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों में, सिंचाई के लिए उपलब्ध भूमिगत जल संसाधनों की मात्रा का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण संस्था और केन्द्रीय भूमिगत जल मंडल दोनों ने 1-1-76 तक कुल 29,84,459 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से 11,75,807 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भूजल विज्ञान संबंधी सर्वेक्षण के अंतर्गत लिया है। राज्य के भूमिगत जल विभागों ने अपने सूक्षम-स्तरीय अन्वेषणों के अंतर्गत 9,54,542 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र लिया है।

सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत 75 जिलों में से 31 जिलों में कार्य पूरा हो गया है और 29 जिलों में कार्य चल रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भू-जल विज्ञान एवं स्थल अन्वेषण संबंधी अध्ययनों के अंतर्गत लिया गया कुल क्षेत्र 2,73,827 वर्ग किलोमीटर है।

संसाधनों के मूल्यांकन के लिये मंडल ने 1267 समन्वेषी, पर्यवेक्षी एवं छोटे वैध छिद्रों का वेधन किया है, जिनके अंतर्गत अवसादी पर्तों का 2,57,920 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र लिया गया। इसके फलस्वरूप गहरे नलकूपों के माध्यम से बड़े पैमाने के विकास की गुंजाइश हुई है, परन्तु परीक्षण वेधन के जरिये और परीक्षण की आवश्यकता है।

मंडल जटिल भू-जल-विज्ञान संबंधी संरचना के सीमित क्षेत्रों में व्यापक परियोजनाएं भी क्रियान्वित कर रहा है, ताकि भूमिगत जल के मूल्यांकन, नियोजन एवं विकास के लिये पद्धति का विकास किया जा सके। केन्द्रीय भूमिगत जल मंडल ने ऐसी तीन परियोजनाएं, जिनके अंतर्गत 101,400 किलोमीटर क्षेत्र लिया गया है, पूरी कर ली हैं। इनमें से दो परियोजनाएं राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर, सीकर, झुनझुन और बीकानेर और गुजरात के मेहसाना और बनसकंठा सूखाग्रस्त जिलों में हैं और एक परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक राज्य के सख्त चट्टानी क्षेत्रों में है। इन अध्ययनों के फलस्वरूप इन क्षेत्रों में 10,210 लाख घनमीटर अतिरिक्त समन्वेषण क्षमता का पता लगा है।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाने के बारे में मार्गदर्शी सिद्धांत

*477. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी विश्व संगठन ने अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाने के लिए कोई मार्गदर्शी सिद्धांत दिए थे; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं तथा उनका कहां तक पालन किया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) एक विवरण पत्र सभा के पटल पर रखा जाता है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-10678/76]**

20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम सम्बंधी क्रियान्विति सैल

*478. श्री **बसंत साठे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि आयोग ने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की क्रियान्विति की देख-रेख में उसका साथ-साथ मूल्यांकन करने के लिये क्रियान्विति सैल स्थापित करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) ग्रामीण विकास के क्षेत्र में 20-सूत्री कार्यक्रम की कारगर ढंग से क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिये केन्द्रीय क्रियान्विति/देख-रेख/मूल्यांकन सैल को सुदृढ़ बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री **अण्णासाहिब पी० शिन्दे**) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) ग्रामीण विकास क्षेत्र में 20-सूत्री कार्यक्रम से संबंधित कृषि और सिंचाई मंत्रालय के विभिन्न विभाग/प्रभाग राज्यों और केन्द्र में संबंधित मदों के क्रियान्वय की प्रगति की देख-रेख कर रहे हैं। पूरे 20-सूत्री कार्यक्रम का समन्वय मंत्रिमंडल सचिव और प्रधान मंत्री का सचिवालय कर रहा है। मंत्रिमंडल स्तर पर अर्थ नीति तथा समन्वय संबंधी मंत्रिमंडल समिति इस कार्यक्रम की देख-रेख और समन्वय करती है। ग्रामीण विकास क्षेत्र में 20-सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन जांच और मूल्यांकन की निगरानी करने के लिये कृषि और सिंचाई मंत्रालय में एक समन्वय समिति गठित की गई है।

मीठी ज्वार की नई किस्म

*479. **श्री पी० गंगादेव : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए मीठी ज्वार की एक नई किस्म का विकास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ के वैज्ञानिकों ने कोई परीक्षण किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ने संयुक्त राज्य अमेरिका से मंगायी गयी मीठी ज्वार की कुछ किस्मों पर कुछ आरंभिक अनुसंधान किया है। परीक्षित किस्मों में 'एरोमा' सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित हुई।

मीठी ज्वार की फसल की सस्य संबंधी जरूरतों का लेखा-जोखा तैयार किया जा रहा है। इस फसल में लगने वाली पत्तियों की चित्ती और डंठल छेदक बीमारियों की रोकथाम के लिए उपाय किये जा रहे हैं। चीनी का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में मीठी ज्वार की किस्मों की संभावित भूमिका का मूल्यांकन अभी नहीं किया जा सकता।

गेहूं की नयी किस्म

*480. **श्री आर० एन० बर्मन : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि अनुसंधान संस्थानों ने गेहूं की ऐसी नयी किस्म विकसित कर ली है जो चावल उत्पादक क्षेत्रों में भी पैदा की जा सकती है;

(ख) क्या देश ने गेहूं का उपादन दुगुना करके एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है किन्तु उसे धान के उत्पादन में उतनी सफलता नहीं मिली है; और

(ग) यदि हां, तो यह दोहरा लक्ष्य प्राप्त करने के लिये किस प्रकार की कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) परम्परा से धान उगाने वाले क्षेत्रों में भी गेहूं की खेती का प्रसार होता जा रहा है। पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार,

उत्तर प्रदेश और अन्य अनेक राज्यों के परम्परा से धान उगाने वाले क्षेत्रों में गेहूं की 'सोनालिका' किस्म की व्यापारिक स्तर पर खेती की गयी है। एक अन्य किस्म 'जनक' को समस्त पूर्वी इलाकों के लिए 1974 में रीलीज़ किया गया था। अब यह किस्म किसानों में लोकप्रिय होती जा रही है। विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी (पश्चिम बंगाल) में अगस्त 1975 में जो अखिल भारतीय गेहूं अनुसंधान वर्कशाप आयोजित किया गया था, उसमें पूर्वी भारत के लिए रिलीज़ से पहले के परीक्षणों के निमित्त दो अन्य नयी किस्मों 'एच पी-1102' और 'यू०पी० 262' को चुना गया। मध्य भारत में पिछेती बुआई के लिए एक अन्य किस्म 'शेरा' को रिलीज़ किया गया।

(ख) यह सत्य है कि धान की खेती में अब तक उतनी सफलता नहीं मिली है, जितनी गेहूं की खेती में।

(ग) इस दिशा में अनेक उपाय किये जा रहे हैं। विभिन्न कृषि-परिस्थितियों के अनुकूल धान की अधिक उपज देने वाली किस्मों का विकास सामुदायिक नर्सरियों की स्थापना, कुशल कृषि तकनीक, समुचित पौध संरक्षण कार्यक्रम का उपयोग और अच्छे बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं और ऋण जैसे साधनों की समय पर आपूर्ति करना; इनमें से कुछ उपाय हैं।

नागालैंड में कोयले के निक्षेप

*481. **श्री रानेन सेन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैण्ड में कोयले के भारी निक्षेपों का पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अमृतसर दूरदर्शन केन्द्र से पंजाबी कार्यक्रम

*483. **श्री मान सिंह भोरा:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमृतसर दूरदर्शन केन्द्र द्वारा निकट भविष्य में अपने यहां तैयार किये गये पंजाबी कार्यक्रमों का प्रसारण प्रारंभ किये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) अमृतसर दूरदर्शन केन्द्र पहले ही जाबी में मूल रूप से कार्यक्रम तैयार करके टेलीकास्ट कर रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत आप्थेल्मिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर के लस डिपार्टमेंट की समाप्ति

*484. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत आप्थेल्मिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर के लैंस डिपार्टमेंट को समाप्त कर दिया गया है; और

(ख) क्या यह कार्यवाही गैर-सरकारी क्षेत्र में निर्माण की सुविधा हेतु देश की आवश्यकता के बारे में आवश्यक सर्वेक्षण करने के पश्चात् सोवियत संघ के सहयोगकर्त्ता द्वारा तैयार किये गये परियोजना प्रतिवेदन का उल्लंघन करके की गई हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) भारत आप्थाल्मिक ग्लास लिमिटेड दुर्गापुर का लैन्स विभाग बंद कर दिया गया है।

(ख) सोवियत सहयोगकर्ताओं द्वारा तैयार की गई सविवरण प्रायोजना रिपोर्ट के अनुसार स्थापित 'लैन्स विभाग' मुख्यतः इस कारण बन्द कर दिया गया कि एक वर्ष से अधिक से इसका कार्य आर्थिक दृष्टि से हानिप्रद रहा है।

टेलीविजन उपग्रह व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए विकासशील देशों के विशेषज्ञ दल का दौरा

*485. **श्री के० मालन्ना :** क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विकासशील देशों के नाम क्या हैं जिनके विशेषज्ञ दल टेलीविजन उपग्रह व्यवस्था का अध्ययन करने के लिये भारत आये थे; और

(ख) क्या उन्होंने अपने देशों में इस व्यवस्था का विकास करने के लिये भारत से सहायता मांगी है ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) बोलीविया, इण्डोनेशिया, ईरान, ईराक, कीनिया, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलिपीन, थाइलैण्ड और तुर्की।

(ख) यद्यपि अतिथियों ने इसमें बहुत रुचि प्रदर्शित की है और उपग्रह शैक्षणिक दूरदर्शन परीक्षण के प्रति अत्यन्त आभार प्रकट किया है, तथापि सहायता के लिये किसी प्रकार का विशिष्ट अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के बारे में राजाध्यक्ष समिति की सिफारिशें

*486. **श्री आर खंडे राय :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के पुनर्गठन के बारे में 7 जनवरी, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 207 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजाध्यक्ष समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ख) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिये इन सिफारिशों पर सरकार ने इस बीच क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) राजाध्यक्ष प्रतिवेदन में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के संबंध में की गई सिफारिशों की अभी सरकार जांच कर रही है।

उद्योगों में इलेक्ट्रानिक उपकरणों का प्रयोग

*487. **श्री के० लकप्पा :** क्या **इलेक्ट्रानिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उद्योगों द्वारा उत्पादकता बढ़ाने के लिये इलेक्ट्रानिक्स उपकरणों का प्रयोग न करने के समाचारों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री : (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) एवं (ख) उद्योग में विभिन्न प्रयोजनों के लिए इलेक्ट्रानिक्स उपस्करों का उपयोग किया तो जाता है, किन्तु अभी बड़े पैमाने पर नहीं। विभिन्न उद्योगों में कार्य-कुशलता व गुणवत्ता में सुधार करने, उत्पादन बढ़ाने और सुरक्षा में वृद्धि करने की दृष्टि से इलेक्ट्रानिक तकनीकों के अधिकाधिक प्रयोग की गुंजाइश है। इलेक्ट्रानिकी आयोग इस बात पर अध्ययन कर रहा है कि श्रम-प्रधान उत्पादन की हमारी जरूरतों को देखते हुए विभिन्न उद्योगों में इलेक्ट्रानिकी का सही उपयोग क्या हो तथा उसका स्तर क्या हो। उर्वरक, लुगदी व कागज, खनन-कार्य आदि जैसे विषयों पर अध्ययन किए गए हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में पहले से ही पर्याप्त औद्योगिक प्रयास किए गए हैं; प्रिसीजन मशीन संबंधी कार्य के लिए संख्यात्मक नियंत्रण, प्रक्रिया का नियंत्रण करने में अभिकलित्रों (कम्प्यूटरों) का प्रयोग, बिजली के इलेक्ट्रानिक उपस्करों तथा थाईरिस्टर जैसे संघटक पुर्जों को बनाने का कार्यक्रम, संवेदक (सेंसर) नियंत्रण-प्रणाली, यंत्रीकरण प्रपट्ट (इंस्ट्रूमेंटेशन पैनलों) आदि जैसे औद्योगिक इलेक्ट्रानिक उपस्करों का उत्पादन आदि।

विदेशों में भारतीय राष्ट्रिकों की गणना

*488. **श्री शशि भूषण :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत की जनगणना के समान विदेशों में रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों तथा भारत मूलक व्यक्तियों की पूरी गणना करने का काम आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस के लिये तैयारी आरंभ हो गई है; और

(ग) क्या यह प्रस्तावित जनगणना वर्ष 1981 की जनगणना के साथ-साथ होगी या उससे पहले होगी ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री फखरुद्दीन मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान् भारत सरकार दूसरे देशों में जनगणना के कार्यों को आरंभ नहीं कर सकती।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य तेल निकालने के लिये चावल की भूसी का उपयोग

*489. **श्री पी० गंगा देव :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति ने साबुन बनाने तथा तेल पर आधारित अन्य उपभोक्ता उद्योगों के उपयोग के लिये खाद्य-तेल निकालने के उद्देश्य से चावल की भूसी का उपयोग करने की एक परियोजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो देश में खाद्य-तेल का उत्पादन बढ़ाने और भारी मात्रा में आयात पर निर्भर रहना दूर करने के हेतु विभिन्न राज्यों में उक्त परियोजना को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी हां। राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति ने साबुन बनाने के लिए चावल की भूसी से खाद्य तेल निकालने के लिए परियोजना अभिनिर्धारित की है। साबुन बनाने के लिए औद्योगिक किस्म के चावल की भूसी के तेल का उपयोग करने के लिए कोई परियोजना विचाराधीन नहीं है।

(ख) भारतीय खाद्य निगम इस वर्ष के दौरान दो राज्यों--आन्ध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में विभिन्न चावल मिलों का सर्वेक्षण करेगा। सर्वेक्षण में, उपलब्ध मात्रा और तेल को निकालने तथा जमाने आदि में प्रयुक्त विभिन्न तकनीकें आदि शामिल होंगी। इसके बाद चावल मिल-मालिकों तथा किसानों द्वारा व्यापारिक स्तर पर चावल की भूसी के खाद्य-तेल की उपलब्धता बढ़ाने हेतु, उनके बीच प्रचार करने के लिए निश्चित मार्गनिर्देशक कार्यक्रम तैयार करना संभव हो सकेगा।

जल तथा तापीय कल पुर्जों में असंतुलन के कारण बिजली की कमी

*498. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे विद्युत् प्रजनन क्षेत्र में जल तथा तापीय कल पुर्जों में असंतुलन के कारण ही समय समय पर बिजली की कमी पैदा हो जाती है ; और

(ख) यदि कोई असंतुलन है तो उसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) बिजली की कमी मांग और उपलब्धता में अन्तर के कारण होती है और यह कमी पर्याप्त प्रतिष्ठापित क्षमता न होने, उत्पादन एककों से इष्टतम उत्पादन स्तर से कम उत्पादन होने, जबरन बन्द करने की स्थितियों (फोर्सड आउटएजिज) आदि जैसे कारणों से होती है न कि उत्पादन एककों के बीच जल-विद्युत् और ताप विद्युत्, इन दो संघटकों में किसी प्रकार के असंतुलन के कारण। तथापि पूर्व क्षेत्र में जल-विद्युत् का पर्याप्त सहारा न होने से प्रचालनों में पर्याप्त नमनीयता न होने के कारण व्यस्तकालीन क्षमता की उपलब्धता में कठिनाइयां महसूस होती हैं। इस क्षेत्र के लिए बिजली संबंधी भविष्य की योजना बनाने में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि यदि प्राकृतिक साधन उपलब्ध हों तो जल-विद्युत् और ताप-विद्युत् का उत्तम मेलजोल हो।

डेनमार्क से तकनीकी सहायता

*499. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेनमार्क के साथ तकनीकी सहायता के बारे में हाल ही में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) मुख्य रूप से लघु उद्योगों को दिए जाने के लिए औजारों का निर्माण करने एवं औजार निर्माताओं और औजारों की डिजाइनें तैयार करने के लिए कलकत्ता और दिल्ली में औजार कक्ष तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने के लिए डेनमार्क सरकार के साथ 19 मार्च, 1976 को करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे। उस करार के अनुसार डेनमार्क सरकार 825 लाख रु० तक (कलकत्ता के लिए 405 लाख रु० और दिल्ली के लिए 420 लाख रु०) की वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देगी।

पारेषण व्यवस्था को 400 किलोवाट में बदलना

*500. **श्री डी० पी० देसाई** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में समूची पारेषण व्यस्था को 400 किलोवाट में बदला जा रहा है; और

(ख) इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) किसी भी पारे ण व्यवस्था नें विद्युत् पहुंचाने के लिए विभिन्न वोल्टता वाले स्तरों की आवश्यकता होती है। विद्युत् की मात्रा और दूरी पर इन स्तरों की वोल्टता निर्भर करती है। जहां वृहत् विद्युत् उत्पादन केन्द्रों से विद्युत् ले जानी होती है वहां और बहुत बड़ी मात्रा में विद्युत् को एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था मे अंतरित करने के लिए 400 के० वी० पारेषण लाइनें बनाई जा रही हैं। इस समय निम्नलिखित 400 के० वी० पारेषण लाइनें निर्माणाधीन हैं :—

(1) देहर—पानीपत

(2) ओबरा——सुल्तानपुर——लखनऊ

(3) ओबरा——कानपुर——मुरादनगर

(4) कोराडी——कालवा

एशियाई कोचों का सम्मेलन

2271. **श्री सरदार मोहिन्दर सिंह गिल** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में पटियाला में आयोजित एशियाई कोचों के सम्मेलन के क्या परिणाम रहे ;

(ख) क्या इस सम्मेलन के विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए शारीरिक शिक्षा देने और खिलाड़ियों आदि के चयन के तरीके में कुछ परिवर्तन किए जाने हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) ट्रैक तथा फील्ड के प्रशिक्षकों के लिए एक एशियाई महाद्वीपी पाठ्यक्रम पटियाला में मार्च, 1976 में आयोजित किया गया था। हंगरी, जर्मन जनवादी गणतन्त्र, अमेरिका, न्यूजीलैंड तथा भारत के विशेषज्ञ प्रशिक्षकों ने पाठ्यक्रम आयोजित किया था जिसमें प्रशिक्षण के आधुनिक तरीके आयोजनात्मक मामले तथा इस क्षेत्र में अनुभव का आदान-प्रदान भी शामिल था। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान में

इस पाठ्यक्रम से 20 भारतीय प्रशिक्षकों तथा 30 ट्रैक तथा फील्ड प्रशिक्षणार्थियों ने लाभ उठाया था जिन्हें अब इस विषय की बेहतर जानकारी प्राप्त है पाठ्यक्रम के दौरान खिलाड़ियों को काफी लम्बी अवधियों तक प्रशिक्षण प्राप्त करने और अधिक प्रतियोगिताएँ आयोजित करने, जूनियरों के लिए समुचित प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिताओं और ट्रैक तथा फील्ड कार्यकलापों में युवकों द्वारा भारी संख्या में भाग लेने पर विशेष बल दिया गया था। इस पाठयक्रम के परिणामस्वरूप देश में खेलों के क्षेत्र में प्रशिक्षण में सुधार होने की संभावना है, क्योंकि पाठ्यक्रम से भारतीय प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण योग्यता में सुधार हुआ है । मार्गदर्शी रूपरेखाएँ जारी करने का प्रश्न नहीं उठता ।

त्रावनकोर भवन, नई दिल्ली

2272. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने नई दिल्ली स्थित त्रावनकोर भवन और आवास को भारत सरकार से 29 जून, 1973 को ले लिया था ;

(ख) क्या इनका अधिकार सौंपते समय दोनों सरकारों के बीच कोई करार हुआ था, यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने करार में ऐसे मदों की क्रियान्विति की है जिन पर उनकी ओर कार्यवाही की जानी थी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उनकी क्रियान्विति कब तक की जायेगी ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच कोई औपचारिक करार नहीं हुआ था। 29-6-1973 को हुई एक बैठक में कुछ सम्मत निष्कर्ष निकले थे। इन में से कुछ का अभी कार्यान्वयन किया जाना है। उनके बारे में वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

उन मदों के ब्यौरे का विवरण जिन का अभी अन्तिम रूप से कार्यान्वयन किया जाना है या जिन पर कार्यवाही की जानी है या की जा रही है

ब्यौरे	की गई कार्यवाही	कार्यवाही अभी की जानी है
1. 'बी' ब्लाक को खाली करवाना	अनधिकृत दखलकारों के विरुद्ध बेदखली के आदेश जारी कर दिए गए हैं।	अनधिकृत दखलकारों की वास्तविक बेदखली से पूर्व और ब्लाक के गिराये जाने से पूर्व उन्हें वैकल्पिक वास देने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

ब्यौरे	की गई कार्यवाही	कार्यवाही अभी की जानी है
2. मोटरवर्कशाप, टी शाप आदि जैसे अनधिकृत दखलकारों के दखल में भूमि को खाली करवाना और सारी भूमि को राज्य सरकार को देना	टी शाप पहले ही हटा दी गई है। लेकिन मोटर वर्कशाप प्रबन्धक ने बेदखली के विरुद्ध न्यायालय से रोकादेश ले लिये हैं।	न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।
3. आउट हाउसिंग तथा गराजो को खाली करवाना और परिसरों को राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को सौंपना।	दिल्ली विकास प्राधिकरण इन आउट हाउसिंग के रिहायशी अनधिवासियों को वैकल्पिक वास देने के लिए सम्मत हो गया है।	वैकल्पिक वास शीघ्र देने के प्रयास किये जा रहे हैं। ज्योंही उन्हें वैकल्पिक वास दे दिया जाएगा अनधिकृत व्यक्तियों से आऊट हाउसिज खाली करवा लिये जायेंगे।

अस्थायी शिविरों में रखे गए भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों का पुनर्वास

2273. **श्री समर गुह :** क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के उन शरणार्थियों का पुनर्वास करने के बारे में सरकार ने नई नीति बनाई है जो इस समय अस्थायी शिविरों में रह रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो (एक) पुनर्वास स्थलों की परियोजनाओं, (दो) पश्चिम बंगाल में बसाये जाने वाले परिवारों की संख्या, (तीन) ऐसी पुनर्वास योजनाओं को पूरा करने के लिए समय-सूची और (चार) इस आर्थिक पुनर्वास के लिए किए जाने वाले प्रावधान सम्बन्धी योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) विभिन्न अस्थायी शिविरों में शरणार्थियों की संख्या के नवीनतम आंकड़े क्या हैं और उन्हें दिए जाने वाले भरण-पोषण भत्ते और शैक्षिक, चिकित्सा, मनोरंजन और रोजगार सुविधाओं जैसी अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए प्रवासियों के पुनर्वास के लिए कोई नई नीति नहीं बनाई गई है। फिर भी, परिवारों को शुरू में पुनर्वास स्थलों पर भेजा जाता है जहां कर्मी-शिविरों के रूप में कार्य-स्थल शिविर स्थापित किए जाते हैं। उन्हें भूमि-उद्धार, भूमि समतल करने तथा धान के खेतों में मेंड़ बांधने और सड़क बनाने आदि जैसे पुनर्वास पूर्व कार्यों पर लगाया जाता है ताकि ऐसे कार्यों में शारीरिक श्रम का प्रयोग किया जाए और पेट्रोल तेल व स्नेहन की खपत कम की जाए। इन कामगारों को मजदूरी दी जाती है तथा उनके परिवारों को स्वीकृत दर पर बेकारी अनुदान दिया जाता है।

(ख) (1) और (3) 17,500 परिवारों में से अधिकांश परिवारों को पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में बसाने का प्रस्ताव है। इनमें से लगभग 14,500 परिवारों को दण्डकारण्य परियोजन

पोटेरू सिंचाई तथा पुनर्वास योजना, महाराष्ट्र में चान्दा तथा भण्डारा परियोजनाओं, मध्य प्रदेश में बेतुल पन्ना और सरगुजा परियोजनाओं, आन्ध्र प्रदेश में ईसा गांव और उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों की अन्य योजनाओं में कृषि पर बसाया जाएगा। लगभग 3,000 परिवारों को लघु व्यापार/व्यवसाय में पुनर्वास सहायता देने का प्रस्ताव है।

(2) पश्चिम बंगाल में किसी भी परिवार को नहीं बसाया जाएगा।

(4) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 35.17 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है। इस राशि को पोटेरू सिंचाई तथा पुनर्वास योजना के अन्तर्गत और 22.93 करोड़ रुपये बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी।

(ग) सूचना तीन विवरणों (अनुलग्नक 1,2 तथा 3) में दी गई है। **(ग्रन्थालय में रखे गए देखिए संख्या एल० टी०--10679/76)**

केरल के छात्रावासों को गेहूं और चीनी की सप्लाई

2274. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने छात्रावासों में रह रहे छात्रों को वितरित करने के लिए 1200 मीट्रिक टन चावल और 1200 मीट्रिक टन गेहूं तथा 250 मीट्रिक टन चीनी का अतिरिक्त आवंटन करने के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इस बारे में अंतिम निर्णय क्या लिया गया है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति मंत्री विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) :

(क) और (ख) इस संबंध में केरल सरकार के अनुरोध की कृषि विभाग में जांच की गई थी। उक्त विभाग ने यह बताया कि गेहूं तथा चावल का आवंटन राज्य सरकारों को संपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये किया जाता है, जिसमें छात्रावासों में रहने वाले छात्र भी शामिल हैं। केरल को चावल का आवंटन फरवरी, 1976 से पर्याप्त रूप से बढ़ाकर 54 हजार मीटरी टन प्रति मास कर दिया गया है। राज्य सरकार की गेहूं की मांग जून, 1975 से सामान्यत पूरी की जा रही है। अतः राज्य सरकार के लिए केन्द्रीय भंडार के आवंटन से तथा अनाज के स्थानीय उपलब्ध भंडार से प्राप्त हुए अन्न से छात्रावासों से छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करना कठिन नहीं होना चाहिए। इसी तरह से, राज्य सरकारों से छात्रावासों में रहने वाले छात्रों की आवश्यकताएं उन्हें आवंटन किए गए मासिक उगाही (लेवी) चीनी कोटे से पूरी करने की आशा की जाती है।

World Bank Aid for Minor Irrigation Schemes in East Nimar, M.P.

2275. **Shri G.C. Dixit :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) total amount received from World Bank for small irrigation schemes in East Nimar District in Madhya Pradesh ; and

(b) amount utilised so far for the purpose and progress made in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) & (b) Five minor irrigations schemes for Khandwa (East Nimar) District in Madhya Pradesh have been sanctioned under the World Bank assisted Agricultural Credit Project which are presently under implementation, involving financial assistance aggregating to Rs. 183.39 lakhs. The financing agencies are the Madhya Pradesh State Co-operative Land Development Bank, Bank of India and Dena Bank. The total disbursements made to farmers under the above 5 schemes so far is Rs. 100.67 lakhs, 63% of which would be entitled for International Development Association's assistance.

दिलशाद गार्डन एक्सटेंशन-1 कालोनी में निर्माण कार्य

2276. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री 15 अप्रैल, 1974 और 5 अगस्त, 1974 के क्रमशः अतारांकित प्रश्न संख्या 6610 और 1607 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की उप समिति ने दिलशाद गार्डन एक्सटेन्शन–1 कालोनी निर्माण कार्यों की अनुमति दिये जाने के बारे में अपनी रिपोर्ट इसी बीच प्रस्तुत कर दी; और

(ख) यदि हां, तो उप-समिति के निष्कर्ष क्या हैं और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुमैया) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने अभी तक रिपोर्ट पर कोई निर्णय नहीं लिया है।

Technical Know-how on agriculture from East Germany

2277. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) Whether East Germany is prepared to provide to India technical know-how in the field of agriculture with a view to increasing agricultural production in this country ; and

(b) if so, reaction of Government thereon and steps taken in this direction ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) & (b) : No offer has been received from East Germany to provide technical know how to India in agricultural production. However under the Indo-GDR protocol on scientific and technical co-operation signed on 2-1-1971, the Government of G.D.R. is providing training to Indian scientists and experts in animal husbandry, veterinary sciences and also for managerial and scientific staff of Agricultural Co-operatives and State Farms Corporation.

Scheme for setting up of women welfare centres

2278. **Shri Bhagirath Bhanwar :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether there is a comprehensive scheme to set up Women Welfare Centres (Nari Kalyan Kendra) in the country with a view to impart training to backward and destitute women and to provide employment to them after the training ;

(b) nature of schemes in progress at present ; and

(c) whether a draft of a special scheme for improving the lot of rural women in the country who are most backwards, is under consideration of the Government and if so, salient features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of culture (Shri D.P. Yadav) : (a) and (b) The Central Social Welfare Board, which is cent per cent financed by the Government of India, is implementing various schemes which impart training to backward and destitute women and provide employment to them after the training. These include :—

(i) Vocational Training for Adult Women in the age group of 18-30 years.

(ii) Socio-economic programme of sanctioning grants for setting up Small scale Industries production units of Handicrafts and Handloom.

(iii) Dairy scheme to provide assistance upto Rs. 2,000 and necessary equipment and working capital for purchase of milch cattle.

(iv) Condensed Courses of Education for Adult Women in the age group of 18-30 years to provide special coaching of two years to improve their employment potentialities.

(v) 281 Family and Child Welfare Projects and 48 Welfare Extension Projects (Rural), which provide craft training nutrition, health education, special training camps home management, family planning etc.

2. The various schemes of Mahila Mandals and training of associate women workers implemented by the Department of Rural Development also provide economic relief to rural women including backward classes.

3. The Khadi and Village Industries also play a significant role in providing employment to women in rural areas in processing cereals and pulses, match manufacturing, non-edible oils, soaps etc. It has been observed that it has actually provided employment more than 7 lakhs female workers. Moreover, instructions have been sent out to provide practical training to women through various polytechnics, and also to admit as many women as possible in regular management courses conducted by Small Industries Service Institute.

4. The above programmes thus provide training to destitute and backward women on a wide scale and open up new vistas of employment for them.

Tractors lying idle with agro service centres in M.P.

2279. **Shri Martand Singh :** Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to state :

(a) whether big imported tractors have been supplied to most of the Agro-Service Centres in Madhya Pradesh ;

(b) Whether most of these tractors are not in working order for want of tyres and other spare parts and have been lying idle for a long time ; and

(c) number of such tractors Centrewise and efforts made so far or likely to be made in the near future to render them in working order and results thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) No, Sir Only 83 No. of imported tractors have been supplied out of 281 tractors working with Agro Service-Centres in the State of Madhya Pradesh.

(b) & (c) The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Central Assistance for State Forest Corporation in Madhya Pradesh

2280. **Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Madhya Pradesh Government have asked for assistance from Central Government for setting up a State Forest Corporation for the exploitation of forest resources in that State ; and

(b) if so, Central Government's reaction thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) Yes, Sir. The State Government of Madhya Pradesh has established Madhya Pradesh State Forest Development Corporation Ltd. for the Development of Forest resources and asked for a Central assistance of about Rs. 28 lakhs as Centre's contribution in the equity share capital of the Madhya Pradesh State Forest Development Corporation Ltd.

(b) A sum of Rs. 28.00 lakhs has been released by the Central Govt. as Centre's Contribution in the equity share capital of the Corporation for the year 1975-76.

फलों की डिब्बाबंदी तथा प्रोसेसिंग के लिए केन्द्रीय परियोजना

2282. **श्री सय्यद ग्रहमद ग्रागा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार फलों की डिब्बाबन्दी तथा शीतल पेय सहित प्रोसेसिंग के लिए एक केन्द्रीय परियोजना स्थापित करना चाहती है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ग्रण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) फल तथा सब्जी विधायन उद्योग के संवर्द्धन और विकास के लिए फल तथा सब्जी उत्पादन विकास निगम स्थापित करने सम्बन्धी एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। प्रस्तावित निगम, इसके साथ-साथ यूनिटों की स्थापना करके फल तथा सब्जियों के विधायन के लिए परियोजनाएं शुरू करेगा जिनमें फल-रस/शीतल पेय के लिए बोतल भरने सम्बंधी संयत्र लगाना शामिल है।

Adulteration of Indian Made Foreign Liquor in Delhi

2283. **Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) how the Quality Control is enforced in Delhi on Indian-made foreign liquor ;

(b) whether Indian-made foreign liquor is being sold after adulterating with country liquor ; and

(c) if so, number of raids carried out in this connection and of the licences forfeited/ cancelled ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav) : (a) to (c) There is no production of Indian-made foreign liquor in Delhi. The question of enforcing 'Quality Control' does not therefore arise. In regard to Indian-made foreign liquor brought into Delhi, the following measures are being undertaken :—

(i) Consignments are inspected by the Excise Officials on arrival in Delhi.

(ii) Samples are periodically drawn and chemically analysed.

(iii) No new brands of liquor are allowed to be sold till their samples are found to be of the prescribed standard.

(iv) Surprise inspections and raids are conducted by the Excise Staff.

राज्य में लघु सिंचाई पर खर्च की गई धनराशि

2284. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष में लघु सिंचाई योजनाओं के लिए विभिन्न राज्यों को कितनी-कितनी धनराशि मंजूर की गई है;

(ख) किन-किन राज्यों ने इस धनराशि का उपयोग कर लिया है ; और

(ग) उक्त अनुदान राशि किन-किन राज्यों ने अभी तक खर्च नहीं की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) लघु सिंचाई की योजनाएं राज्य योजनाओं में शामिल की जाती है। राज्य सरकारों को राज्य योजना की स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता समग्र योजना के लिए एकमुश्त ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है और यह सहायता विकास की किसी विशेष मद अथवा स्कीम से सम्बन्धित नहीं होती है। तथापि, अलग-अलग राज्यों के संपूर्ण वित्तीय संसाधनों के आधार पर योजना आयोग राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों के परामर्श से क्षेत्रीय परिव्ययों के संबंध में सिफारिशें करता है। गत वर्ष अर्थात 1975-76 और चालू वर्ष अर्थात् 1976-77 के दौरान विभिन्न राज्यों में लघु सिंचाई के लिए योजना आयोग द्वारा सिफारिश की गई धनराशियां अनुबन्ध में दी गई हैं।

(ख) तथा (ग) वर्ष 1976-77 के लिए वार्षिक योजना के विचार-विमर्श के दौरान राज्यों द्वारा सूचित किए गए अनुमानित व्यय के आधार पर गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों ने वर्ष 1975-76 में योजना आयोग द्वारा सिफारिश की गई धनराशि का पूर्ण रूप से अथवा उससे अधिक धनराशि का उपयोग किया होगा। चालू वित्तीय वर्ष अभी शुरू हुआ है और वर्ष के अन्त में ही परिव्ययों के उपयोग संबंधी स्थिति का पता चल सकेगा।

विवरण

राज्य	1975-76 के लिए स्वीकृत परिव्यय (लाख रुपयों में)	1976-77 के लिए स्वीकृत परिव्यय (लाख रुपयों में)
1. आंध्र प्रदेश	270.00	420.00
2. असम	445.00	530.00

राज्य	1975-76 के लिए स्वीकृत परिव्यय	1976-77 के लिए स्वीकृत परिव्यय
	(लाख रुपयों में)	
3. बिहार	1245.00	1800.00
4. गुजरात	610.00	740.00
5. हरियाणा	129.00	78.00
6. हिमाचल प्रदेश	120.00	162.00
7. जम्मू और काश्मीर	260.00	345.00
8. कर्नाटक	515.00	880.00
9. केरल	250.00	315.00
10. मध्य प्रदेश	1250.00	1650.00
11. महाराष्ट्र	1298.00	1981.00
12. मणिपुर	50.00	60.00
13. मेघालय	40.00	50.00
14. नागालैण्ड	35.00	40.00
15. उड़ीसा	370.00	600.00
16. पंजाब	413.00	503.00
17. राजस्थान	169.00	211.00
18. सिक्कम	16.00	20.00
19. तमिलनाडु	1051.00	अभी निर्णय नहीं हुआ है।
20. त्रिपुरा	36.00	45.00
21. उत्तर प्रदेश	1225.00	2110.00
22. पश्चिम बंगाल	650.00	1350.00
23. सम्पूर्ण राज्य	10447.00	13936.00
24. कुल संघ राज्य क्षेत्र	141.80	156.58
25. अखिल भारत	10588.80	14092.58 (तमिलनाडु को छोड़ कर)

केरल में नारियल और नारियल के तेल के मूल्यों में गिरावट

2285. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :**

श्री सी० जनार्दनन :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नारियल का उत्पादन करने वाले एक संगठन केरल केरा कर्षक संघम से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें मूल्यों की अनार्थिक गिरावट रोकने के लिए कुछ प्रस्ताव दिए गए हैं; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) और (ख) जी हां । संधम द्वारा उठाया गया मुख्य विषय नारियल की खेती के विकास के लिए सांविधिक बोर्ड के गठन के संबंध में था।

भारतीय नारियल विकास परिषद् की विशेष बैठक में इस मामले पर विचार विमर्श किया गया था। परिषद् ने नारियल हेतु एक सांविधिक बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और सिफारिश की हैं कि नारियल उत्पादन करने वाले राज्यों के परामर्श से इस मामले की आगे जांच की जाए और राज्य सरकारों के विचारों को दृष्टिगत रखते हुए अंतिम निर्णय लिया जाए। संबंधित राज्य सरकारों को इस मामले पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

दिल्ली में दूध की सप्लाई

2286. **श्री के० लकप्पा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में दूध की सप्लाई बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) तथा (ख) जी हां। इस समय दिल्ली दुग्ध योजना अपनी वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता का शतप्रतिशत उपयोग करके प्रतिदिन 3.25 लाख लिटर दूध का वितरण कर रही है। एक दूसरी डेरी दिल्ली में अपने इकठ्ठा दूध बेचने वाले बूथों से प्रतिदिन लगभग 83,000 लिटर दूध का वितरण कर रही है। दिल्ली दुग्ध योजना की अधिष्ठापित क्षमता 6 महीने के दौरान 3.75 लाख लिटर तक बढ़ाई जा रही है। दूसरी डेरी 4 लाख लिटर की क्षमता की लगाई गई है और यह आगामी 6 महीनों में अपना वितरण उत्तरोत्तर 2.25 लाख लिटर तक बढ़ा रही है जब नये इकठ्ठा दूध बेचने वाले बूथ काम करना शुरू कर देंगे।

Expenditure on Gomati Embankment

2287. **Shri Nageshwar Dwivedi**: Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state total expenditure involved in constructing Gomati embankment for protecting Lucknow City from floods and time by which this work is likely to be completed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Kedar Nath Singh) : Out of the estimated cost of Rs. 14.74 crores for the Lucknow Town Protection Scheme downstream of Hardinge Bridge, the total cost of embankments works out to Rs. 6.98 crores. The Uttar Pradesh State Governmeet have indicated that the work on the embankments is expected to be completed by June, 1976.

The proposal for construction of embankment upstream of Hardinge Bridge is under finalization by the State Government.

माडर्न बेकरीज के एकक

2288. **श्री धामनकर : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम माडर्न बेकरीज के कितने एककों में अब तक उत्पादन कार्य आरम्भ हो गया है ;

(ख) देश के विभिन्न भागों में निकट भविष्य में कितने और संयंत्र स्थापित करने की योजना है तथा उन पर कितनी लागत आयेगी; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्वास्थ्यप्रद डबल रोटियां आम जनता को कम मूल्य पर उपलब्ध हों, यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है तथा क्या बाजार की सुधरी हुई स्थिति को देखते हुए डबल-रोटियों का मूल्य कम करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) दस यूनिट।

(ख) कुछेक मौजूदा यूनिटों में विस्तार करने/परिवर्तन करने के अलावा, कम्पनी 5 और यूनिट स्थापित कर रही है, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

मानक यूनिट	सरकार द्वारा अनुमोदित अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)
भुवनेश्वर	71.05
गोहाटी	95.36
इन्दौर	77.84
जयपुर	76.66
रांची	60.00

(ग) डबलरोटी का खुदरा मूल्य उत्पादन लागत और अन्य संगत बातों के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है। कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद और कानपुर के बारे में, सम्बन्धित राज्य सरकारें भारत सुरक्षा नियमों के अधीन मूल्य निर्धारित करती हैं। कम्पनी खुदरा और थोक व्यापारियों के माध्यम से यह सुनिश्चित करती है कि उपभोक्ताओं को निर्धारित मूल्यों पर डबलरोटी मिले।

Bungalows occupied by Ex-Members of Parliament

2289. **Shri M.C. Daga :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) number of bungalows in Delhi at present occupied by ex-Members of Parliament indicating dates since when the bungalows are being so occupied; and

(b) rates at which rent is realised from them and reasons for not getting the bungalows vacated ?

The Minister of Works and Housing and Parliamentary Affairs (Shri K. Raghuramaiah): (a) & (b) At present, 4 bungalows (and 6 flats) in Delhi are being occupied by ex-MP's. The names of the Ex-Members and the other particulars about the bungalows occupied, the dates from which they are occupying them, the rent paid and the reasons for non-vacation are mentioned in the attached statement **[Placed in the Library. See No. L.T.10680/76]**.

उड़ीसा में सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व पर व्यय

2290. **श्री अर्जुन सेठी : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा स्थित "सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व" पर अद्यतन कुल कितनी राशि खर्च की गई है और इस कार्य में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) वित्तीय वर्ष 1975-76 में इसके लिए बजट में कुल कितनी राशि रखी गई थी और कितनी राशि वास्तव में दी गई है ; और

(ग) इस परियोजना को पूरा करने के लिए कुल कितनी राशि खर्च किये जाने और यह परियोजना कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) वर्ष 1975-76 के अंत तक सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व पर कुल 8,46,000 रु० व्यय किए गए थे।

जहां तक इस कार्य में प्राप्त अद्यतन प्रगति का संबंध है, स्थानीय परियोजना प्राधिकरण से सूचना मांगी गई है।

(ख) वर्ष 1975-76 में सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व को 5,00,000 रु० की राशि आबंटित की गई थी। वास्तविक आवश्यकताओं पर आधारित 4,96,000 रु० की राशि 3 किश्तों में निर्मुक्त की गई थी।

(ग) सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व की पूर्णता पर कुल 38,62,000 रु० खर्च किया जाना है जिसमें से 8,46,000 रु० पहले ही खर्च किए जा चुके हैं। 30,16,000 रु० की शेष राशि वष 1976-77 से 1978-79 के दौरान निर्मुक्त किए जाने का प्रस्ताव है।

वर्ष 1978-79 के अंत तक परियोजना के पूर्ण होने की संभावना है।

दिल्ली प्रशासन द्वारा वाइस प्रिंसिपल के पदों पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अध्यापकों की पदोन्नति

2291. **श्री अम्बेश** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए वाईस प्रिंसिपल के पदों के निर्माण के बाद से लगभग 100 अध्यापकों को पदोन्नत किया गया है ;

(ख) क्या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किसी भी अध्यापक को वाईस प्रिंसिपल पदोन्नत नहीं किया गया है ;

(ग) क्या भारत सरकार के नवीनतम कार्यालय ज्ञापन के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अध्यापकों को उनकी पृथक वरीयता के आधार पर पदोन्नत किया जाएगा ; और

(घ) यदि हां, तो अनुसूचित जाति के अध्यापकों को वाइस प्रिंसिपल के पद पर पदोन्नत न किए जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी नहीं केवल 32।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों के लिए चयन केवल उन्हीं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों में से किया जायेगा जिनके नाम सामान्यतः विचाराधीन होते हैं । यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार वरीयता को ध्यान में रखते हुए उसी गुणावगुण के आधार पर जो अन्य उम्मीदवारों के लिए निर्धारित हैं, उनके लिए आरक्षित स्थानों से कम स्थान प्राप्त करते हैं तो यह फर्क इन्हीं जातियों के उन उम्मीदवारों को, उनके गुणावगुण पर ध्यान दिए बिना चुनकर पूरा किया जाना चाहिए जो विचार किए जाने वाले उम्मीदवारों के दायरे में आते हैं ; बशर्ते पदोन्नति के लिए योग्य समझे जाएं।

पात्रता की शर्तों के अनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों में से कोई भी उम्मीदवार विचारणीय दायरे में नहीं था।

मत्स्य पालन तथा मत्स्य प्रोसेसिंग का विस्तार

2292. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना के दौरान मत्स्य पालन के सुधार तथा विस्तार और मत्स्य प्रोसेसिंग सुविधाओं में वृद्धि करने के भिन्न-भिन्न प्रस्ताव क्या हैं ; और

(ख) इन प्रस्तावों को लागू करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम रहे ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभूदास पटेल) : (क) मत्स्य विकास एवं मछली परिसंस्करण के लिये उठाए गए कदमों में मत्स्यकी नौकाओं को प्रारम्भ करना, मछली पकडने की विधियों को व्यापक बनाना, मत्स्यकी उत्पादों के लिए धन की व्यवस्था करना, मत्स्यन बन्दरगाहों का निर्माण करना, संसाधनों का उपयोग करना, कार्मिकों को प्रशिक्षण देना, परिसंस्करण, विपणन एवं परिवहन, आदि सुविधाएं शामिल हैं।

(ख) 4,885 यंत्रीकृत नौकाओं के लक्ष्य की तुलना में प्रथम दो वर्षों के दौरान 1720 यंत्रीकृत नौकाएं प्रारम्भ की गई हैं। 4 बड़े जलपोत पहले ही प्रारम्भ किए गए हैं और 11 जलपोतों का देशी यार्ड़ों में निर्माण किया जा रहा है तथा 30 जलपोतों के आयात के लिए मेक्सिको को आदेश दिये गये हैं। टूना मत्स्यन के क्षेत्र मे विदेशी सहयोग के लिये अनुमति दी गई है और पर्स-सिनिंग तथा लोंग लाइनिंग की भी लोकप्रिय बनाया जा रहा है। संस्थागत वित्तीय सहायता, विशेषकर कृषि पुनर्वित्त

तथा विकास निगम की पुर्नवित्त सहायता के माध्यम से मत्स्यकी योजनाओं की क्रमिक रूप से वित्तीय सहायता की जा रही है। जहां तक छोटे उद्यमकर्ताओं द्वारा मत्स्यन जलपोतों का अधिग्रहण करने का संबंध है, नौपरिवहन विकास निधि का क्षेत्र बढ़ाया गया है, ताकि मत्स्यन जलपोतों को भी इसके अंतर्गत लाया जा सके। अब ये उद्यमकर्त्ता ऋण की उदार शर्तों पर वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं। पांचवीं योजना के दौरान माल्पे (कर्नाटक), धामरा (उड़ीसा), कोडाई कराई और मल्लीपतनम (तमिल नाडु), विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) और उत्तन, थाल, करंजा, दातिवाड़ा और भुलगांव कोलिवाड़ा (महाराष्ट्र) पर मत्स्यन बन्दरगाहों के लिये स्वीकृति दी गई है। चौथी योजना में स्वीकृत किए गए रायचौक, मद्रास, कोचीन और होन्नावर के मत्स्यन बन्दरगाहों का निर्माण चालू है। तट दूर तथा गहन समुद्रीय जल के मत्स्यक संसाधनों का पता लगाया जा रहा है। सूक्ष्म सर्वेक्षण करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, आदि अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों की सहायता का उपयोग किया जा रहा है। पर्यवेक्षण एवं संचालन संबंधी जन शक्ति के प्रशिक्षण के लिये उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। मत्स्य परिसंस्करण एवं विपणन के क्षेत्र में प्रशीतित भंडारण योजना क्रियान्वित की जा रही है। राज्य की सामान्य योजनाओं के अन्तर्गत भंडारण, परिसंस्करण एवं विपणन की सुविधाओं के सुधार के लिये योजनाएं शामिल की जाती हैं। वर्तमान प्रशीतित रेल डिब्बो के अलावा, मछलियों के संचलन के लिये सड़क तथा रेल दोनों के लिये अतिरिक्त डिब्बों को प्रारम्भ करने का विचार है।

कोरापुट, उड़ीसा में वनारोपण

2293. **श्री अनादि चरण दास :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने उड़ीसा के कोरापुट जिले के मालकांगरी सब डिवीजन में वन रोपण के लिये लगभग 2 करोड़ रुपयों की राशि मंजूर की है ;

(ख) क्या कोरापुट फोरेस्ट लेबरर्स कोओपरेटिव सोसायटी ने नेशनल कोओपरेटिव यूनियन के माध्यम से यह अनुरोध किया है कि वन क्षेत्र के आदिवासी तथा हरिजन मजदूरों को रोजगार देकर बनारोपण का कार्य आरम्भ करने के लिए केन्द्र हस्तक्षेप करे तथा सहायता दे ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

नगरीय सम्पत्तियों के अन्तरण/विक्रय का पंजीकरण न करना

2294. **श्री दशरथ देव :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को यह मालूम है कि दिल्ली में चार-उप-पंजीयक नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन अधिकतम सीमाओं से कम रहने वाली नगरीय सम्पत्तियों के अन्तरण/विक्रय का पंजीकरण नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन सम्पत्तियों के विक्रय/अन्तरण के मामलों पर कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं जबकि वे उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 के अनुसार उपरोक्त अधिनियम के अधिकार-क्षेत्र में नहीं आती हैं;

(ग) क्या सरकार ने पंजीकरण प्राधिकारियों को इस आशय के कोई निदेश जारी किये हैं कि वे अधिनियम सीमा अधिनियम के अधीन स्थापित किये जाने वाले सक्षम प्राधिकरण की अनुमति के बिना ही पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 (क से ङ तक) के उपबन्धों का अनुसरण करें; और

(घ) ऐसे मामले कितने दिनों तक अनिर्णीत पड़े रहेंगे ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : (क) तथा (ख) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के उप-पंजीयक भूमि/सम्पत्ति के अन्तरण के सम्बन्ध में कागज़ों पर कार्यवाही करने से इन्कार नहीं करते हैं बशर्ते कि पक्षकारों ने नगर-भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 26, 27 तथा 28 की अपेक्षितताओं का पालन किया हो।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत नए विश्वविद्यालय

2295. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष अर्थात 1975-76 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित किये गये नए विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है; और

(ख) ऐसे प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) संविधान के अनुसार, राज्य विधान मन्डल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए सक्षम है तथा इस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती है। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12-क के अन्तर्गत उसे किसी नए विश्वविद्यालय को केन्द्रीय निधियों में से सहायता प्राप्त करने का पात्र घोषित करने का अधिकार है।

आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, धारा 12-क के अधीन, केन्द्रीय सरकार के स्रोतों से अनुदान प्राप्त करने के लिए 1975-76 के दौरान निम्नलिखित विश्वविद्यालय पात्र घोषित किए गए हैं :—

1. आचार्य नरेन्द्र देव कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैज़ाबाद।
2. चन्द्र शेखर आजाद कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर।
3. विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी।
4. गढ़वाल विश्वविद्यालय, गढ़वाल।

5. कुमायुं विश्वविद्यालय, नैनीताल।

6. एल०एन० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।

कृषि विश्वविद्यालयों को, उनके विकास के लिए, सहायता भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा दी जाती है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, विश्वविद्यालयों को आयोग द्वारा दी जाने वाली सहायता मामूली होगी।

World Bank Aid for Chambal Command Area

2296. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleassed to state :

(a) nature of programme under-taken for the development of "Chambal Command Area " with the aid of World Bank ; and

(b) time by which these programmes are likely to be completed ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shahnawaz Khan) : (a) and (b) A statement is attached. [Placed in the Library—See No. L.T. 10681/76]

ग्रामीण पुस्तकालय केन्द्र

2297. **श्री एस० राधाकृष्णन :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भगवान महावीर के निर्वाण की 2500वीं शताब्दी के समारोह के हिस्से के रूप में सभी राज्यों में ग्रामीण पुस्तकालय केन्द्र खोलने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) भगवान महावीर के निर्वाण की 2500वीं वर्षगांठ के समारोह के उपलक्ष में, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मेघालय, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश में ग्रामीण पुस्तकालय केन्द्र खोलने की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है।

ये ग्रामीण पुस्तकालय केन्द्र ऐसे उत्तम माध्यमिक स्कूलों के सान्निध्य में, जिनके स्टाफ में, उपयुक्त सेवाओं का आयोजन करने के लिए पुस्तकाध्यक्ष हों, नेहरू युवक केन्द्रों से सम्बद्ध हैं। केन्द्रों को स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को 30,000 रुपये दिये जा रहे हैं। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान द्वारा प्रत्येक केन्द्र को 10,000 रुपये की पुस्तकें मुहैया की जायेंगी। संबंधित राज्य सरकारें इन पुस्तकालयों के अनुरक्षण तथा न्यूनतम स्टाफ को नियुक्त करने और उनके वेतन वहन करने के लिए जिम्मेदार होंगी।

नगर भूमि अधिकतम (सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन सक्षम प्राधिकरण का गठन

2298. **श्री दशरथ देव :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 के उपबन्धों के अनुसार एक सक्षम प्राधिकरण का गठन अभी तक नहीं किया है और यदि हां, तो इसका गठन कब तक कर दिया जायेगा;

(ख) क्या उक्त अधिनियम के अधीन गठन कर दिये जाने के बाद इस सक्षम प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत ऐसी सम्पत्ति का अन्तरण भी आयेंग जो अधिकतम सीमा में कम हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि दिल्ली में अधिकतम सीमा से कम सम्पत्ति के अन्तरण/बिक्री के पंजीकरण के मामले में विलम्ब के कारण सामान्य जनता को असुविधा न हो ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : (क) जी, नहीं। सक्षम अधिकारी अधिसूचित कर दिए गए हैं।

(ख) जी हां ।

(ग) उन विशिष्ट नगर संकलनों में जहां नगर-भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 लागू हुआ है, वहां रिक्त भूमि या नगर सम्पति के अन्तरण को विनियमित करने वाली सम्बन्धित धाराएं 26, 27 और 28 हैं। धारा 26 के अधीन, अधिकतम सीमा के अन्दर रिक्त भूमि के अन्तरण के आशय का नोटिस सक्षम अधिकारी को देना होता है तथा यदि सक्षम अधिकारी हकशफा के अधिकार का प्रयोग नहीं करता है यदि अन्तरण 60 दिन के अन्दर बिक्री के द्वारा किया गया था, तो अन्तरण के निष्पादित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

धारा 27 के अधीन, मकान सहित भूमि का अन्तरण सक्षम अधिकारी को नोटिस देने के बाद ही किया जा सकता है तथा यदि सक्षम अधिकारी अन्तरण की अनुमति नहीं रोकता है या नोटिस की तारीख से 60 दिन के अन्दर हकशफ़ा के अधिकार का प्रयोग नहीं करता है।

अधिनियम की धारा 28 में यह व्यवस्था है कि अन्तरण संबंधी किसी दस्तावेज़ को रजिस्टर नहीं किया जायेगा जब तक कि सक्षम अधिकारी को यथाविधि नोटिस दिए जाने के बाद 60 दिन पूरे न हो जाएं। सक्षम अधिकारियों को किए जाने वाले आवेदन के आवश्यक फार्म पहले ही निर्धारित किए जा चुके हैं। यह आशा की जाती है कि सौदा करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए बशर्ते कि अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाए।

बंगलादेश से मछली का आयात

2299. **श्री समर गुह : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बांगलादेश से मछली का आयात जारी है;

(ख) यदि हां, तो उसके वर्ष 1974-75 के आंकड़े क्या हैं;

(ग) वर्ष 1975-76 के दौरान ऐसे आयात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(घ) ऐसा आयात करने वाले तंत्रों के बारे में अन्य तथ्य क्या हैं; और

(ङ) पश्चिम बंगाल की मंडियों में ऐसी मछली के वितरण का क्या तरीका है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) जी हां।

(ख) 1.51 करोड़ रुपये के मूल्य की 2224.8 मीटरी टन मछली आयात की गई है।

(ग) 1975 में 3.5 करोड़ रुपये के मूल्य की मछली आयात करने का प्रस्ताव था।

(घ) इस लक्ष्य की तुलना में, 1975-76 के दौरान 1.08 करोड़ रुपये के मूल्य की 1880 मीटरी टन मछली का वास्तविक रूप से आयात किया गया था। आयात केन्द्रीय मत्स्यकी निगम लि०, कलकत्ता के जरिए किया गया था।

(ङ) केन्द्रीय मात्स्यकी निगम ने कलकत्ता में और कलकत्ता के बाहर विभिन्न स्थानों पर 50 खुदरा दुकानें स्थापित की हैं। इसके अलावा निगम द्वारा कलकत्ता में नियुक्त किए गए 100 कमीशन एजेंट भी सीधे उपभोक्ताओं को मछली बेचते हैं इन स्थानों पर मछली निगम द्वारा समय-समय पर निर्धारित मूल्यों पर बेची जाती है।

उर्वरकों की मांग

2300. **श्री श्यामसुन्दर महापात्र : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत वर्षों की तुलना में अब उर्वरकों की मांग कम है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) वर्ष 1975-76 के खरीफ और रबी के मौसमों में नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों की मांग पिछले वर्षों की तुलना में काफी अधिक थी। परन्तु, फास्फेटयुक्त एवं पोटाशयुक्त उर्वरकों की मांग कुछ हद तक कम हुई है।

(ख) मांग में कमी होने के लिये विभिन्न बातें जिम्मेदार हैं, जिनमें फास्फेटयुक्त एवं पोटाशयुक्त उर्वरकों के मूल्य अधिक होना, इन उर्वरकों की फसलों पर कम प्रतिक्रिया होना और कृषि जिंसों के मूल्य कम होना शामिल है।

वित्तीय सहायता पाने वाले अखिल भारतीय समाज कल्याण संगठन

2301. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

समाज कल्याण विभाग के तत्वाधान में कितने अखिल भारतीय समाज कल्याण संगठनों को सरकार से वित्तीय सहायता मिल रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : 1975-76 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल 30 अखिल भारतीय समाज कल्याण संगठनों को अनुदान दिए गए।

सेवा निवृत होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत आवास योजना

2302. **श्री बसंत साठे : क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब सरकार द्वारा बनाई गई उस आवास योजना का पता है जिसमें प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को सेवा निवृत्त होने के बाद निश्चित रूप से मकान मिल सकेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रधान मंत्री के 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए ऐसी ही योजना केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये बनाये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० राघुरमैया) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

शिक्षा संस्थाओं में नए छात्रों की रैगिंग

2303. **श्री समर गुह :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी शिक्षा संस्थाओं को नये छात्रों की रैगिंग बन्द करने के लिये कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सुनिश्चित किया है कि वर्ष 1975 के दौरान क्या किसी संस्था में रैंगिंग हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(घ) रैगिंग की परम्परा को बन्द करने के लिये शिक्षा संस्थाओं द्वारा की गई कार्यवाही के सामान्य स्वरूप संबधी तथ्य क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (घ) जून--अगस्त, 1975 में, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थाओं के निदेशकों तथा इस मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन अन्य संस्थाओं के प्रमुखों से अनुरोध किया गया था कि रैंगिंग की प्रथा को बन्द कर दिया जाए तथा ऐसा करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। राज्य सरकारों से भी इसी तरह का अनुरोध किया गया था। 1975-76 के शिक्षा सत्र में रैगिंग की कुछ ही रिपोर्टें मिली थीं। जब कभी ऐसी रिपोर्टें मिलीं, उन पर उचित तरीके से कार्रवाई की गई।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित विभिन्न विशेषज्ञ समितियां

2304. **श्री नारायण चन्द्र पराशर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विद्यमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित की गई विभिन्न विशेषज्ञ समितियों के नाम और संरचना क्या है और उनके कार्य-क्षेत्र की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है; और

(ख) उनमें से प्रत्येक समिति किस तारीख को गठित की गई थी और उन समितियों द्वारा अपने प्रतिवेदन किस तारीख तक दिये जाने की संभावना है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य पर विचार करने के लिए समिति

2305. **श्री नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य पर विचार करने के लिये गठित की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन इस बीच प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन की मुख्य सिफारिशें क्या हैं और इस समिति के सदस्य कौन कौन हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है। समिति का गठन इस प्रकार है :--

1. डा० बी० एस० झा, भूतपूर्व कुलपति, बानरस हिन्दू विश्वविद्यालय ।	अध्यक्ष
2. डा० आर० सी० महरोत्रा, कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय ।	सदस्य
3. प्रो० जी० सी० पाण्डेय, कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय ।	सदस्य
4. श्री एस० एन० पण्डिता, संयुक्त सचिव, शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय ।	सदस्य सचिव

Floods in Madhya Pradesh

2306. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) total amount of losses sufferred by Madhya Pradesh on account of floods in 1975

(b) whether Central Government have given any assistance ; and

(c) if so, amount of assistance so given ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) According to the information received from the State Government 26 human lives were lost and 150 cattle heads perished on account of floods during 1975. The loss to crops and damage, to houses and public utilities has been estimated by the State Government at Rs. 42,74,876.

(b) and (c) : The Government of India have not allocated any special assistance to Madhya Pradesh for providing relief to the people affected by floods in 1975 in the State nor the Central Government have received any such request from the State Government.

अनाथों की संस्थाओं को सहायता

2307. श्री वयालार रवि : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनाथों की बहुत सी संस्थाओं को सरकारी सहायता मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन संस्थाओं को सरकार द्वारा दी गई सहायता की कुल राशि कितनी है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) एक विवरण पत्र संलग्न है।

(ग) 1974-75 75,83,852 रुपए 1975-76 1,32,36,974 रुपए

(यह कार्यक्रम 1974-75 में शुरू किया गया था)।

विवरण

(12 अप्रैल, 1976 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2307 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण-पत्र)।

निराश्रित (अनाथ) बच्चों के कल्याण से सम्बन्धित कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता पाने वाली संस्थाओं की संख्या का राज्यवार बटवारा

	1974-75	1975-76
1. आंध्र प्रदेश	7	8
2. असम	8	11
3. बिहार	3	5
4. गुजरात	2	4
5. हरियाणा	2	4
6. हिमाचल प्रदेश	--	1
7. जम्मू और कश्मीर	--	3
8. कर्नाटक	26	32
9. केरल	14	23
10. मध्य प्रदेश	3	9
11. महाराष्ट्र	3	11
12. मनीपुर	—	3
13. मेघालय	3	5

	1974-75	1975-76
14. नागालैण्ड	1	1
15. उड़ीसा	3	8
16. पंजाब	3	3
17. राजस्थान	6	222
18. सिक्कम	--	1
19. तामिल नाडु	23	333
20. त्रिपुरा	4	4
21. उत्तर प्रदेश	22	27
22. पश्चिम बंगाल	8	13
23. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	1
24. दिल्ली	4	5
25. मिज़ोरम	3	3
26. पांडिचेरी	—	3
27. गोआ, दमन और दीव	—	2
जोड़	149	245

Hudco Scheme for Construction of Houses

2308. Dr. Laxminarayan Pandeya: Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether a comprehensive scheme has been prepared by the 'HUDCO' with a view to limiting the cost of construction of houses for middle income group ;

(b) if so, cities likely to be benefited by such a scheme ; and

(c) whether such cities or individuals as are not covered by this scheme can also benefit by this scheme ?

The Minister of Works and Housing and Parliamentary Affairs(Shri K. Raghuramaiah): (a) HUDCO has prescribed a ceiling cost of Rs. 42,000 (including the cost of land and development, internal services, supervisory and administrative charges etc.) for houses to be constructed for the members of the middle income group.

(b) & (c) : All agencies like the State Housing Boards, Municipal Corporations, Improvement Trusts, Development Authorities,Cooperative Housing Societies, etc.,which are eligible to get loan assistance from HUDCO, can submit their housing schemes for any town or city in the country. Individuals are not, however, eligible to get loan assistance from HUDCO.

Cultivation of Soyabean

2309. Shri Bhagirath Bhanwar : Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to state :

(a) names of States where cultivation of soyabean has been encouraged in a planned way ;

(b) whether soyabean is likely to be helpful in meeting oil and milk requirements during the next few years ; and

(c) in what form the soyabean seeds produced in the country, are being utilised ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) Planned development of soyabean in the country has been taken up from the Fourth Five Year Plan under a Centrally Sponsored Scheme which was implemented, for the first time, during 1971-72 in the following States :—

1. Madhya Pradesh.
2. Uttar Pradesh.
3. Maharashtra.
4. Gujarat.

During the Fifth Five Year Plan, besides continuance of the scheme in the above four States, its scope has been extended to Karnataka. The Scheme was implemented in Haryana also during 1975-76 but due to poor performance, it is proposed to be discontinued in the State from 1976-77. Similarly, due to the non-availability of a proper variety, the scheme has been discontinued in Maharashtra and Gujarat from 1976-77. Instead, it is proposed to implement the scheme in Bihar and Himachal Pradesh from 1976-77.

(b) Yes, Sir. Soyabean can help in meeting oil requirements and can also help to provide milk substitutes.

(c) Soyabean produced in the country is mostly being processed into oil and protein rich meal. It is also being used for direct edible purposes, to a limited extent.

बिना पारी के आवंटन

2310. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1975 को सरकारी क्वार्टरों में बिना पारी के श्रेणी वार कितने कर्मचारी रह रहे थे;

(ख) क्या कुल उपलब्ध आवासों में से बिना पारी के आवंटन के लिये कोई निर्धारित कोटा आरक्षित है अथवा आवंटन तदर्थ आधार पर किया जाता है और आवंटन की कसौटी क्या है;

(ग) क्या एक बार ऐसा आवंटन किये जाने के बाद उसमें रहने वाला व्यक्ति तब तक क्वार्टर नहीं छोड़ता जब तक उसे स्थायी तौर पर आवंटन नहीं हो जाता; और

(घ) क्या सरकार अपने कर्मचारियों को क्वार्टरों के आवंटन के मामले में समान नीति का पालन करने के बारे में विचार करेगी ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) :

(क)	टाईप I	1,376
	टाईप II	2,736
	टाईप III	381
	टाईप IV	182
	टाईप V	176
	टाईप VI	50
	टाईप VII	4
	होस्टल	138
	कुल :	5,043

(ख) चिकित्सा आधार पर तदर्थ आवंटन के लिए आरक्षण टाईप II में सुस्पष्ट रिक्तियों का 25 प्रतिशत और अन्य टाइपों के लिए $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत है। तदर्थ आवंटन सीमित संख्या में मंत्रियों के निजी स्टाफ, अन्य विशिष्ट व्यक्तियों; सेवानिवृत्त, स्थानान्तरित, दिवंगत अधिकारी के आश्रितों आदि को भी किया जाता है। इनके लिए कोई कोटा आरक्षित नही है।

(ग) बिना बारी के आधार पर आवंटित किए गये मकान को अधिकारी तभी तक रख सकता है जब तक वह सामान्य पूल से आवास का पात्र है।

(घ) वर्तमान नीति सभी कर्मचारियों पर लागू है, तदर्थ आवंटन भाग (ख) में उल्लिखित उन्हीं वर्गों के ही लोगों को किया जाता है।

मध्य प्रदेश में वन संसाधनों के लिये नियतन

2311. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वन संसाधनों का उपयोग करने के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : पांचवीं योजना के दौरान राज्य वानिकी योजनाओं के लिये राज्य क्षेत्र में 15.10 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिसमें वन विकास निगम की स्थापना के लिये 400 लाख रुपये शामिल हैं। वन संसाधनों के शोधन के लिये राज्य में पहले ही एक निगम स्थापित कर दिया गया है। अब तक राज्य सरकार ने निगम के साम्य शेयर अंशदान के लिये लगभग 28 लाख रुपये की व्यवस्था की है। केन्द्रीय सरकार ने 1975-76 के दौरान 28 लाख रुपये का समान अंशदान किया है।

भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों में बसाना

2312. **श्री समर गुह** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पहले यह घोषणा की थी कि भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के काफ़ी बड़ी संख्या में आए हुए शरणार्थियों के परिवारों को, जो अभी अस्थायी शिविरों में रखे गए हैं; अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों में बसाया जायेगा;

(ख) क्या ऐसे अनेक शरणार्थियों ने इन द्वीपसमूहों में बसने के लिए सरकार को सामूहिक रूप में आवेदन पत्र दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी, हां। फिर भी, परिवारों की संख्या 1,100 बताई गई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों का पुनर्वास

2313. **श्री समर गुह :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के लिए पुनर्वास परियोजनाओं, जिन्हें सरकार ने पश्चिम बंगाल को छोड़कर विभिन्न राज्यों की सहायता से आरम्भ किया था, की सफलता के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है अथवा रिपोर्ट प्राप्त की है; यदि हां, तो उसके क्या तथ्य हैं;

(ख) क्या शरणार्थी बड़ी संख्या में इन पुनर्वास स्थलों को छोड़ कर चले गये हैं; और यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उनके इस प्रकार छोड़ कर चले जाने के कारणों की पूछताछ की है और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) कृषि पुनर्वास परियोजना की सफलता के बारे में सरकार ने कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया है। परन्तु समय-समय पर पुनर्वास की प्रगति पर सामान्य निगरानी रखी जाती है। जहां तक गैर-कृषि परियोजनाओं का सम्बन्ध है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया था, जिसके परिणाम कुछ स्थानों के सम्बन्ध में उत्साहवर्धक नहीं रहे हैं।

(ख) और (ग) विभिन्न पुनर्वास स्थलों से 1970-71 से 1974-75 तक 8648 परिवार छोड़ कर चले गए थे। अधिकांश व्यक्ति बंगलादेश की स्वतंत्रता के दौरान ही स्थलों को छोड़ गए थे। दण्डकारण्य परियोजना के परियोजना प्रशासन ने समय-समय पर इस बात की पूछ-ताछ की है तथा यह पता चला कि स्थल छोड़कर जाने का एक कारण अपने अन्य सम्बन्धियों के साथ मिलकर रहने का भी था। फिर भी, अब स्थिति पूर्णतया बदल गई है तथा छोड़ कर जाने वालों के मामले अब बहुत कम हो गए हैं।

नर्मदा परियोजना

2315. **श्री अरविन्द एम० पटेल :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा परियोजना की नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) क्या परिव्यय योजना तयार की गई है; और

(ग) इस परियोजना पर कार्य कब आरम्भ होगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) से (ग) गुजरात की नर्मदा परियोजना नर्मदा बेसिन में पड़ती है। नर्मदा के जल के सम्बन्ध में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के राज्यों के बीच विवाद है, जो अभी नर्मदा जल-विवाद न्यायाधिकरण के पास न्याय-निर्णयन के लिए है। परियोजना का कार्य क्षेत्र और इसका कार्यान्वयन न्यायाधिकरण के निर्णय पर निर्भर करेगा।

Conference of Chief Ministers held in New Delhi

2316. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri R. N. Barman :

Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state :

(a) whether the Chief Ministers' Conference was held in New Delhi on the 5th and 6th March, 1976 ; and

(b) if so, the main points discussed therein ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agricultre and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) Yes, Sir.

(b) The Chief Ministers discussed the issues involved in the implementation of the 20-Point Economic Programme and made a number of recommendations on them. These are mainly as follows:—

(1) The Government of India together with the State Governments may examine further constitutional and legal measures necessary to insulate land reforms laws from judicial review. The State Governments may take effective steps consistent with their authority to have quickly disposed of such writ petitions as have been pending in the High Courts from before the inclusion of the ceiling laws in the Ninth Schedule to the Constitution.

(2) The Government of India may consider legal measures necessary for severely restricting, if not altogther dispensing with benami transactions in land and other forms of property as legal transactions. The State Governments and the Union Territories may take suitable measures for strengthening the administrative and judicial machinery required for expediting implementation of ceiling laws.

(3) Suitable provisions may be made to ensure that the title to the land is transferred to the allottee immediately after its allottment without prior payment by him of any amount payable for the allottment.

(4) Steps will be taken for simplifying the procedures adopted for the implementation of the ceiling laws. A number of specific suggestions in this regard have been made.

(5) Suitable monitoring and evaluating machinery may be set up by the State Governments at appropriate levels.

(6) The provision under the Central Sector Scheme for giving short-term and long term assistance to the allottees of surplus land may be supplemented by efforts on the part of the State Govts., commercial banks and other public credit institutions.

(7) Except where there are serious legal hurdles, the implementation of the land ceiling laws will be completed by the 30th June, 1976.

(8) Special laws may be enacted, wherever necessary, for recording the rights of tenants, share-croppers and other insecure holders without waiting for the completion of the re-survey and settlement operations. The legislation may also provide for periodic updating and recording of such rights.

(9) Legislation may be undertaken for restoration to the village community of communal land illegally occupied by others.

(10) The State Governments may take necessary steps for associating at the operative levels representatives of the people, social organisations, the tenants and the share-croppers and especially the beneficiaries of the land reforms programme who can supplement the efforts of the administrative machinery.

(11) Laws may be so amended as to provide for conferment of full ownership right on homestead tenants and a time-bound programme may be taken up for this purpose.

(12) Provision may also be made for conferment of ownership rights on homestead-dwellers as distinct from homestead tenants, in respect of the land under their occupation.

(13) Steps may be taken to provide house-sites to every landless agricultural labourer, village artisans etc. in the rural areas.

(14) The desirability of a uniform legislation on urban land ceiling for the entire country was urged by the Minister for Works and Housing. It was pleaded that the central law on urban land ceiling should be adopted early by the States to which it does not apply as yet.

(15) The Conference urged commercial banks, Regional Rural Banks and cooperative intitutions to fill in the credit gaps created by various measures taken for the liquidation of rural indebtedness. These institutions were also urged to liberalise their lending policies to meet the more important consumption requirements ot the beneficiaries of measures taken for liquidation of rural indebtedness.

(16) While recognising and emphasing the need for effective implementation of the rates of minimum wages fixed for agricultural workers, the Conference agreed that the penal provisions should be made more stringent and if necessary some of the violations made cognisable with adequate safeguards against harassment.

(17) The Conference emphasised the importance of undertaking survey for indentifying bonded labourers. It also suggested that in preparing State Plans, adequate provisions may be made for the rehabilitation of emancipated bonded labour.

(18) The Conference noted that in respect of implementation of the apprenticeship schemes, the targests have been achieved in almost all the States.

पत्तनों पर चढ़ाये-उतारे जाने वाले खाद्यान्न

2317. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1974-75 और 1975-76 में मार्च, 1976 तक बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, कोचीन, त्रिवेन्द्रम, पारादीप तथा काण्डला पत्तनों पर उतारे व चढ़ाये गये खाद्यान्नों की कुल मात्रा कितनी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

वर्ष 1974-75 और 1975-76 के दौरान बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, कांडला, कोचीन, पारादीप तथा त्रिवेंद्रम पत्तनों पर चढ़ाई-उतारी गई खाद्यान्नों की कुल मात्रा।

(आंकड़े मी० टन में)

क्रम सं०	पत्तन	1974-75	1975-76
1.	बम्बई	18,53,231	21,31,574
2.	कलकत्ता	11,16,004	12,04,748
3.	कांडला	5,64,381	9,23,233
4.	मद्रास	6,81,444	12,08,120
5.	कोचीन	1,55,646	3,40,895
6.	पारादीप	—	47,028
7.	त्रिवेन्द्रम	—	6,217
	जोड़	43,70,706	58,61,815

दिल्ली में छोटी डेरियों का स्थानान्तरण

2318. **श्री अरविंद एम० पटेल :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरानी दिल्ली से सभी छोटी डेरियों को हटा दिया गया है ;

(ख) इन डेरियों को कितने तथा किन स्थानों पर ले जाया जायेगा ;

(ग) क्या उन डेरी मालिकों को डेरियों का निर्माण करने और मवेशी खरीदने के लिए ऋण देने का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी क्या शर्तें हैं।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) कश्मीरी गेट तथा मोरी गेट में कुछ डेरियों को छोड़कर पुरानी दिल्ली से सभी छोटी डेरियां स्थानान्तरित कर दी गई हैं ।

(ख) डेरियों को शाहबाद दौलतपुर में स्थानान्तरित किया गया है । इसके अलावा दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मदनपुर खादर, मसूदपुर तथा गाजीपुर (खिचड़ीपुर) में पुनर्वास डेरी फार्मों का विकास किया है । मदनपुर खादर तथा मसूदपुर में जानवरों के लिए शैड बनाए गए हैं । गाजीपुर में जानवरों के लिए शैडों हेतु प्लाट अलाट किए गए हैं ।

(ग) ऐसे किसी प्रस्ताव को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गुजरात में बड़ी और मध्यम दर्जे की सिंचाई योजनायें

2319. **श्री अरविन्द एम० पटेल :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य की अनेक बड़ी और मध्यम दर्जे की सिंचाई योजनायें केन्द्रीय सरकार के पास विचाराधीन हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार उन्हें कब तक निपटाने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) गुजरात की 8 बृहत् और 15 मध्यम स्कीमें केन्द्र के अनुमोदन के लिए लम्बित पड़ी हैं।

इनमें से एक बृहत् स्कीम नर्मदा बेसिन में है जिस पर विवाद है। नर्मदा विवाद के समाप्त हो जाने के पश्चात् ही इस स्कीम को स्वीकृति देने के लिए विचार किया जा सकता है ।

1 बृहत् और 2 मध्यम स्कीमों में अन्तराज्यीय पहलु निहित हैं और इन अंतर्राज्यीय पहलुओं के समाधान होने के पश्चात् ही इन स्कीमों की स्वीकृति के लिए आगे कार्रवाई की जा सकती है ।

5 बृहत् और 4 मध्यम सिंचाई स्कीमों पर टिप्पणियां राज्य सरकार को भेज दी गई हैं। इन स्कीमों पर आगे कार्रवाई राज्य सरकार से इन टिप्पणियों के उत्तर प्राप्त हो जाने के बाद ही की जाएगी।

1 बृहत् और 9 मध्यम सिंचाई स्कीमें केन्द्रीय जल आयोग, कृषि विभाग तथा वित्त मंत्रालय में जांच की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

इन स्कीमों की स्वीकृति उनकी तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य पाए जाने पर निर्भर होगी ।

गुजरात के लिए बड़ी और छोटी सिंचाई योजना के लक्ष्य

2320. **श्री डी० डी० देसाई : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के लिए 1975-76 में बड़ी और छोटी सिंचाई योजनाओं के लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1976-77 में अधिक लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ; और

(ग) यदि प्रश्न के उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो लक्ष्य प्राप्त न किये जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) गुजरात के लिए बृहत्, मध्यम और लघु सिंचाई स्कीमों के जरिए 1975-76 के लिए 96,000 हैक्टेयर की सिंचाई शक्यता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है । 1976-77 वर्ष के लिए 1,10,000 हैक्टेयर शक्यता का लक्ष्य रखा गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

वयोवृद्ध अथवा बीमार कलाकारों के लिए सहायता-निधि

2321. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वयोवृद्ध अथवा बीमार कलाकारों, संगीतज्ञों तथा सांस्कृतिक क्षेत्र के अन्य जाने माने व्यक्तियों के लिये सहायता निधि स्थापित करने की सरकार की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) (i) ललित कला अकादमी ने बीमारी दुर्घटना के कारण अस्थायी अपंग होने पर कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और भारत में प्रदर्शनियां आयोजित करने के लिए "कलाकार सहायक निधि" की स्थापना की है। यात्रा के लिए दो हजार रुपये की सीमा तक के खर्च को वहन करने के लिए भी सहायता दी जाती है, बशर्ते कि संबन्धित कलाकार को भारत सरकार द्वारा अथवा भारत सरकार के माध्यम से किसी बाहर के देश द्वारा छात्रवृत्ति दी गयी हो और वह अपने संसाधनों से उक्त खर्चे को वहन करने की स्थिति में न हो।

(ii) संगीत नाटक अकादमी ने 20,000 रुपये की राशि से "कलाकार कल्याण निधि" स्थापित की है । इस योजना के ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं । तथापि, अकादमी उपाध्यक्ष की विवेकाधीन निधि में से अभाव ग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है ।

(iii) "अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे विख्यात संगीतज्ञों कंठ, संगीतज्ञों और वाद्य संगीतज्ञों दोनों नर्तकी और नाटककारों को अथवा उनके उत्तरजीवियों को वित्तीय सहायता" नामक योजना के अन्तर्गत, भारत सरकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के जरिए प्रतिमास 150 रुपये तक की सहायता अथवा 1,500 रु० का एकमुश्त अनुदान देता है । इस योजना का पात्र बनने के लिए, आवेदनकर्ता की, अपने निजी संसाधनों से होने वाली मासिक आय 150 रु० से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

(iv) "साहित्य, कलाओं तथा जीवन के इसी प्रकार के अन्य क्षेत्रों में ऐसे विख्यात व्यक्तियों को, जो अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे हों, वित्तीय सहायता" नामक योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा प्रति मास 200 रुपये तक की सहायता दी जाती है। इस योजना का पात्र बनने के लिए आवेदनकर्ता की, अपने निजी संसाधनों से होने वाली मासिक आय 400 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिये।

कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण की तरह कोई विकास प्राधिकरण स्थापित करने की योजना

2322. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य नगरों में भी कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण की तरह के विकास प्राधिकरण स्थापित करने की सरकार की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) तथा (ख) बड़े तथा विकासशील कस्बों के लिए विकास प्राधिकरण स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है और देश के विभिन्न नगरों के लिए 15 ऐसे प्राधिकरण पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। ऐसे प्राधिकरणों को भूमि विकास निपटान के कार्यक्रमों की आयोजना, समन्वय, कार्यान्वियन, वित्त-व्यवस्था तथा देख-रेख करने तथा अन्य परियोजनाओं के निष्पादन के लिए पर्याप्त शक्ति मिलनी चाहिए ताकि वे अपने कार्यक्षेत्र में एकीकृत नगर विकास कार्यक्रमों को निष्पादित कर सकें।

निर्माण कार्यों में इस्पात के विकल्प के रूप में इमारती-लकड़ी

2323. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुलों तथा अन्य निर्माणों के लिये इस्पात के विकल्प के रूप में उपयुक्त रूप से तैयार की गई कतिपय इमारती लकड़ियों के इस्तेमाल के बारे में अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी निष्कर्ष क्या है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) तथा (ख) राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के सहयोग से इस देश के वनों में मिलने वाली विभिन्न प्रकार की कम परिचित किस्म की इमारती लकड़ी का अध्ययन किया तथा ऐसी 85 किस्म की इमारती लकड़ी को उचित रूप से ऋतुसह्य बनाकर तथा इनका सुरक्षात्मक उपचार करने के बाद विभिन्न चौड़ाई की छत की कैंची के निर्माण कार्य में प्रयोग करने की सिफारिश की है। 3 मीटर से 9 मीटर तक की छत की कैंचियों के किफायती किस्म के डिज़ाइन बनाए गये हैं और इन डिजाइनों के अपनाने से इस्पात में बचत के साथ साथ सागवान, साल, शीशम आदि जैसी प्रसिद्ध किस्म की इमारती लकड़ी के प्रयोग में बचत होगी। पुल बनाने के लिए इस्पात के स्थान पर उपयुक्त रूप से ऋतुसह्य की गई इमारती लकड़ी के प्रयोग के सम्बन्ध में कोई अध्ययन नहीं किया गया क्योंकि स्थायी पुल या तो प्रबलित सीमेंट कंक्रीट से बनते हैं अथवा पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट से।

Anisabad Kendriya Vidyalaya

2324. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government have prepared a scheme to construct their own building in Kankarbagh for Anisabad Kendriya Vidyalaya : and

(b) if so, the time by which the work on the construction of the building is likely to be completed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav) (a) and (b) **:** Construction work of the building for the Kendriya Vidyalaya at Patna has already started and it is expected to be completed soon.

Kendriya Vidyalaya at Shastri Nagar Patna

2325. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to open a Kendriya Vidyalaya at Shastri Nagar in Patna ; and

(b) if so, facts thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav)(a) and (b): Subject to the availability of the requisite land free of cost the Kendriya Vidyalaya Sangathan may consider the opening of a second Kendriya Vidyalaya in Patna.

वामनपुरम् परियोजना

2326. **श्री वयालार रवि** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत बामनपुरम् परियोजना का अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) राज्य सरकार को केरल की वामनपुरम् सिंचाई परियोजना पर टिप्पणियां अगस्त, 1974 से दिसम्बर, 1974 के दौरान भेजी गई थी। इन टिप्पणियों पर राज्य सरकार के उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) इस परियोजना को कार्यान्वयन के लिए स्वीकृति इसके तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य पाए जाने और इसके लिए राज्य सरकार द्वारा धन राशि उपलब्ध कराने पर निर्भर करेगी ।

वनस्पति घी तथा देसी घी के मूल्यों में अन्तर

2327. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सभी ब्रांडों के वनस्पति घी के मूल्यों में गत छः मास के दौरान काफी गिरावट आई है

(ख) क्या दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा बेचे जा रहे शुद्ध देसी घी के मूल्य वही हैं जो बहुत पहले निर्धारित किये गये थे।

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार वनस्पति घी तथा देसी घी के मूल्यों में अन्तर को कम करने पर विचार कर रही है ; और

(घ) इस संबन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) गत छः महीनों के दौरान सभी किस्म के वनस्पति घी के मूल्य गिरे हैं।

(ख) 5 जून, 1975 को दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा बनाये जाने वाले शुद्ध घी का बिक्री मूल्य 24.50 रुपये प्रति किलो से घटाकर 24 रुपये प्रति किलो कर दिया गया था।

(ग) और (घ) शुद्ध घी और वनस्पति घी के लागत मूल्य में कोई सीधा सबन्ध नहीं है । शुद्ध घी के मूल्य का सम्बन्ध इसके कच्चे अर्थात् दूध से होता है । दूध के उत्पादन पर खाद्य वनस्पति तेल के बीजों के उत्पादन की तुलना में (जिससे वनस्पति घी बनता है) बहुत अधिक लागत लगती है ।

दिल्ली दुग्ध-योजना द्वारा दुग्ध टोकन जारी किया जाना

2328. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुग्ध-टोकन जारी करने के लिये दिल्ली दुग्ध-योजना के पास एक लम्बी प्रतीक्षा-सूची है; और

(ख) इस सूची को छोटा करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल): (क) जी हां। दिल्ली दुग्ध योजना के पास 29-2-1976 को विभिन्न वर्गों के अन्तर्गत दुग्ध-टोकन जारी करने के लिये दर्ज आवेदन पत्रों की संख्या 1,19,616 थी।

(ख) इस समय दिल्ली दुग्ध योजना अपनी अधिष्ठापित क्षमता का शत-प्रतिशत उपयोग करके प्रतिदिन 3.25 लाख लिटर दूध का वितरण कर रही है । यह उत्तरोत्तर 3.75 लाख लिटर तक और बढ़ाया जा रहा है । दिल्ली दुग्ध योजना लगभग 6 महीने में विस्तार हो जाने के बाद प्रतीक्षा सूची में दर्ज बहुत से आवेदकों को दुग्ध टोकन जारी कर सकेगी। इस दौरान 4 लाख लिटर की अधिष्ठापित क्षमता से एक दूसरी डेरी ने प्रतिदिन लगभग 83,000 लिटर दूध वितरण करना शुरू कर दिया है और यह लगभग 6 महीने की अवधि में अपने वितरण का स्तर उत्तरोत्तर 2.25 लाख लिटर बढ़ा रही है ।

शिक्षा प्रणाली में सामंजस्य

*2329. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :--

(क) क्या भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् के निदेशक ने शिक्षा प्रणाली में सामंजस्य लाने के लिए कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) :
(क) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इसके निदेशक ने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया है ;

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ?

भारत में ओलम्पिक खेलों का आयोजन

2330. **श्री रामसहाय पांडे :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या शिक्षा, **समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इंटर नेशनल ओलम्पिक कमेटी के वाइस प्रेजीडेन्ट के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि भारत में ओलम्पिक खेलों के लिए पूरी तरह सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) :
(क) तथा (ख) भारतीय ओलम्पिक संघ से प्राप्त सूचना के अनुसार, जिसके अधिकारी उनके साथ गए थे, ओलम्पिक एकता समिति के अध्यक्ष, श्री वान केर्नेबीक ने, नई दिल्ली में उपलब्ध खेलों के लिए सुविधाओं से बहुत प्रभावित होते हुए, यह विचार व्यक्त किया कि सभी 21 खेलों के आयोजन की कानूनी आवश्यकता के कारण, भारत सम्भवतः अभी खेलों के लिए आमन्त्रित करने की स्थिति में न हो। यह तथ्य, कि देश में खेलों के लिए सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता है, सामान्यतः बखूबी मान्य है, और कुछ स्थानों पर इन सुविधाओं को ओलम्पिक खेलों के मानदंडों तक लाने के साथ साथ, सरकार इस प्रयोजन के लिए बहुत सी योजनाएं लागू कर रही है ।

खाद्यान्नों के भण्डारण के लिए भूतपूर्व महाराजाओं के महल

2331. **श्री नरेन्द्र कुमार साँधी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आने वाले मौसम में फसलों की अच्छी संभावनाओं को देखते हुए खाद्यान्नों के भंडारण के लिए विभिन्न राज्यों में भूतपूर्व महाराजाओं के महलों को प्राप्त करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या इस संबन्ध में कोई निर्णय कर लिया गया है और यदि हां, तो ऐसा किन-किन राज्यों में किया जायेगा और सरकार को कितनी अतिरिक्त जगह मिल जायेगी तथा उसमें कितनी मात्रा में खाद्यान्नों का भंडार किया जा सकेगा ; और

(ग) क्या इसके अतिरिक्त सरकार ने राज्य सरकारों को इस उद्देश्य के लिए छुट्टियों के दौरान स्कूलों तथा अन्य संस्थाओं जैसे सार्वजनिक भवनों का उपयोग करने के निदेश जारी किए हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) बहुत ही अच्छी वसूली होने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से निकासी में कमी आने के परिणामस्वरूप, उपलब्ध भण्डारण क्षमता में कुछ दबाव पड़ा है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे खाद्य निगम, केन्द्रीय भाण्डागार निगम आदि जैसी सार्वजनिक एजेन्सियों की प्राइवेट पार्टियों से भण्डारण प्रयोजनों हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले उपयुक्त स्थान प्राप्त करने में सहायता करें। प्राप्त किए जाने वाले सही किस्म के स्थानों के बारे में भण्डारण के लिए स्थान, व्यवहार्यता आदि जैसी विभिन्न बातों पर निर्भर करते हुए राज्य सरकारें और सार्वजनिक एजेंसियां निर्णय करेंगी ।

सूखे क्षेत्रों में जल-संसाधनों के लिए निधियां

2332. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विगत तीन योजना अवधियों के दौरान, सिंचाई प्रयोजना के लिए सूखे क्षेत्रों से बेहतर जल-संसाधन जुटाने के लिए केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को दी गई निधियों के उपयोग के बारे में कोई मूल्यांकन किया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सहायता की यह शर्त थी कि राज्य सरकारें अमुक अमुक लक्ष्यों की पूर्ति करें ; और

(ग) यदि हां, तो विशेष कर राजस्थान और गुजरात राज्यों में ये लक्ष्य कहां तक प्राप्त हो सके ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) देश के सूखे क्षेत्रों में सिंचाई के लिए जल संसाधनों के विकास के विशेष उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सहायता प्रमुख रूप से तीन कार्यक्रमों/परियोजनाओं अर्थात् (1) राजस्थान नहर परियोजना, (2) रेगिस्तान विकास के लिए मार्ग-दर्शी परियोजना और (3) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध की गई थी। केन्द्रीय सरकार ने इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत धनराशि के उपयोग की प्रगति पर निगाह रखी थी।

(ख) और (ग) राजस्थान नहर परियोजना के लिए गत तीन योजनाओं के दौरान जिसमें 1966-67 से 1968-69 को तीन वर्ष की अवधि भी शामिल है, कुल 75.53 करोड़ रुपये की केन्द्रीय राज सहायता दी गई थी । विभिन्न वर्षों में परियोजनाओं की प्रगति को बढ़ाने के लिए ऋण की सहायता दी गई थी और निर्माण कार्यों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

रेगिस्तान विकास के लिए मार्गदर्शी परियोजनाओं के अन्तर्गत गुजरात और हरियाणा राज्य में कुछ मृदा संरक्षण कार्यों सहित केवल चौथी योजना में हाथ में ली गई लघु सिंचाई योजनाओं के लिए क्रमशः 30.57 लाख रुपये और 32.63 लाख रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय स्वीकृत किए गए थे । वित्तीय आवंटन विशेष लक्ष्यों के साथ जुड़े हुए थे। और ये लक्ष्य पूर्णतः पूरे किए गए।

सूखा ग्रस्त का क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत, उन जिलों में जो शुष्क क्षेत्र में आते हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान सिंचाई योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय और किये गए व्यय की स्थिति नीचे दी गई है :--

क्रम सं०	जिला	स्वीकृत परिव्यय	किया गया व्यय	उपयोग किए गए परिव्यय की प्रतिशतता
			(लाख रुपयों में)	
1.	जैसलमेर .	21.93	16.77	76.5
2.	बीकानेर .	--	--	--
3.	बाड़मेर .	35.24	23.69	67.2
4.	जोधपुर .	56.36	30.40	53.9
5.	नागौर .	51.72	36.19	70.0
6.	चुरू . .	--	--	--
7.	जालोर . .	90.58	48.14	53.1
8.	कच्छ	129.73	54.31	41.9
9.	मोहिन्दरगढ़ . . .	177.55	177.55	100.00

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत की योजनाएं जो चौथी योजना के दौरान पूरी नहीं हुई, उन जिलों के लिए पांचवीं योजना की परियोजनाओं के भाग के रूप में पूरी की जा रही हैं।

कीट नियंत्रण आपरेटरों को लाइसेंस देना

2333. **श्री के० लकप्पा : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कीट नियंत्रण आपरेटरों को लाइसेंस देने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) और (ख) कीटनाशी औषधि अधिनियम, 1968 (1968 की संख्या 46) में आयात, विनिर्माण, बिक्री, परिवहन, वितरण तथा मानव जाति अथवा जानवरों को नुकसान से बचाने की दृष्टि से कीटनाशी दवाओं के प्रयोग की व्यवस्था है। अनेक संगठनों ने घरेलू कृमियों के नियंत्रण के लिए विषाक्त कीटनाशी दवा के छिड़काव का कार्य अपने हाथ में लिया है। वाणिज्यिक कृमि नियंत्रण आपरेटर भी हैं जो कृषि क्षेत्रों में गहन कीटनाशी दवा छिड़काव के कार्यों में लगे हुए हैं तथा इस प्रकार की एजेंसियों द्वारा प्रयोग में लाई गई कीटनाशी दवा की मात्रा काफी अधिक है। यह सुनिश्चित किया जाना है कि क्या वे पर्याप्त रूप से सक्षम हैं तथा कीटनाशी दवा के गलत प्रयोग से मानव और जानवरों के जीवन को होने वाले खतरों के बारे में पूरी जानकारी रखते हुए। इस समय कीटनाशी औषधि अधिनियम, 1968 के उपबन्ध कृमि नियंत्रण संगठणों द्वारा कीटनाशी दवा के प्रयोग को पूरा नहीं करते। जैसा कि 5 अप्रैल, 1976 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1996 के उत्तर में कहा गया है, सरकार ने कीट नियंत्रण संगठनों को कीटनाशी औषधि अधिनियम के अन्तर्गत लाने का निर्णय किया है। इस प्रयोजन के लिए, उनके लाइसेंस लेने के लिए अधिनियम में उचित व्यवस्था करने संबन्धी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

लम्बित सिंचाई कार्यों को पूरा करना

2334. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उपलब्ध असिमित जन-संसाधनों का उपयोग करके लम्बित सिंचाई कार्यों को तुरन्त पूरा करने के लिए यदि कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है तो उसका व्यौरा क्या है ; और

(ख) यदि ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है तो सिंचाई कार्यों जैसी स्थायी/अस्थियों का सृजन करने के लिए इस समय बेकार पड़ी इस विशाल क्षमता का लाभ न उठाने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) सिंचाई राज्य विषय है और राज्य सरकारें सिंचाई परियोजनाओं को अपनी विकासात्मक योजनाओं के अन्तर्गत क्रियान्वित करती हैं। बहरहाल, पांचवीं योजना और वार्षिक योजनाओं में सिंचाई स्कीमों के लिए धन का आवंटन करते समय चालू स्कीमों को जो निर्माण की अग्रिम अवस्था में हैं और जिनसे शीघ्र ही लाभ प्राप्त होने की संभावना है, प्राथमिकता दी जाती है। 1975-76 के दौरान 12 राज्यों को 56.65 करोड़ रुपये की अतिरिक्त अग्रिम योजना सहायता 18 सतत बृहत परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए भी दी गई थी। यह आशा है कि पहले की 75 बृहत स्कीमों में से 64 स्कीमें और सभी मध्यम तथा लघु स्कीमों जो पहले की योजनाओं से चली आ रही हैं, पांचवीं योजना के अन्त तक काफी हद तक पूरी हो जाएंगी।

उपलब्ध जन संसाधनों का अधिकतम अपयोग करके इष्टतम लाभों को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम के लक्ष्य रखे गए हैं, जिसका नहरों, मृद बांधों और सिंचाई परियोजनाओं में निहित बड़ी संख्या में संरचनाओं के निर्माण में यांत्रिक शक्ति के स्थान पर यथासंभव प्राथमिकता दी जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में केन्द्रीय सरकार की भूमि पर बनी गन्दी बस्तियां

2335. **श्री शंकरराव सावंत** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार की भूमि पर बनी गन्दी बस्तियों को मूल सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा हैं, और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Reservation for Scheduled Castes in DDA in Respect of recruitment and promotion

2336. **Kumari Kamla Kumari** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) when the Government orders providing for reservations in recruitment and promotions for Scheduled Castes and Scheduled Tribes came into force in the Delhi Development Authority ;

(b) number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes persons confirmed, promoted and recruited separately ; and

(c) particulars in regard to the number of vacancies filled from the Scheduled Castes as per roster maintained by Delhi Development Authirity ?

The Minister of Works and Housing and Parliamentary Affairs (Shri K. Raghuramaiah):

(a) Ist May, 1969, when a resolution to that effect was passed by the Delhi Development Authority.

(b) and (c) Statement of Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates who were offered /provided/promoted since 1-5-69 the position as obtaining on 1-3-1976

Category of posts	No. of Scheduled caste candidates	No. of schedule tribe candidates	Promotions	Remarks
1	2	3	4	5
Class I .	..	..	..	...
Class II .	5	..	4	..
Class III .	238	19	113	Seniority of the selected candidates was fixed on the basis of 40 point model roster.
Class IV .	114	34	8	

Recruitment :

Class IV : The D.D.A is operating 40 point roster as well as the system of carrying forward of reserved vacancies since March, 1972.

Class III 40 point roster is being maintained by the D.D.A. since March, 1972

Class III (SCS) : In the case of Scheduled caste candidates, the 40 point roster is being maintained since July, 1974.

Promotion : (Upper Division Clerks and Assistants) .—

In the matter of promotions to these categories, 40 points roster is being maintained since 11-9-73. Reserved vacancies for scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates are carried froward in the case of promition from Lower Division clerks to upper division clerks, with effect from 11-9-73.

Excavations at Mathura

2337. **Shri Nageshwar Dwivedi** : Will the Minister of **Education Social Welfare and Culture** be pleased to state

(a) whether excavations have been made in Mathura and Indraprastha from archaeological point of view and if so, the historical proofs achieved there by ; and

(b) whether there are proofs based on archaeological excavations that Kapilvastu was situated in District Basti of Uttar Pradesh and if so, facts in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav) ; (a) : Excavations have been conducted both at Mathura and at Purana Qila, Delhi, traditionally associated with Indraprastha of the Mahabharat story. At Mathura successive settlements belonging to five cultural periods from about the middle of the first millennium B.C. to **circa** fifth century A.D. has been found besides traces of medieval habitation. At Purana Qila, excavations revealed a continuous sequence of occupation from about the fourth century B.C. to the end of the Mughal Period.

(b) The discovery of a large number of sealings from a monastery at Piprawah District Basti in Uttar Pradesh, bearing the legend **Om Deveputravihara Kapilvastu Bhikshu Sanghashya** in Brahmi Characters of 1st 2nd century A.D. points to the possibility of the identification of ancient Kapilvastu with Piprawah.

कृषि वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करने का तरीका

2338. **श्री वसंत साठे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मूल्य आयोग द्वारा कृषि वस्तुओं के निर्धारित मूल्य किसानों के लिए उचित और लाभप्रद नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार को इस आशय के अभ्यावेदन मिले हैं और कृषि वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करने के तरीके का समुचित पुनरीक्षण करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) क्या सरकार का विचार कृषि मूल्य आयोग के प्रस्तावित पुनर्गठन में किसानों को समुचित प्रतिनिधित्व देने का है ; और

(घ) इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) : कृषि मूल्य आयोग, कृषि-जिन्सों के मूल्यों के बारे में सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ व्यक्तिगत फसलों की उत्पादन-लागत संबन्धी उपलब्ध आंकड़े, उत्पादन की संभावनाओं और खुले बाजार में मूल्यों के संभावित रुख को ध्यान में रखता है। कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार जहां कहीं आवश्यक होता है, राज्य सरकारों से परामर्श करके अधिप्राप्ति मूल्य निर्धारित करती है। कृषि-मूल्य नीति का उद्देश्य जहां किसानों को लाभकारी मूल्य देने के बारे में आश्वस्त करना है वहां सामान्य मूल्य स्थिति तथा समूची अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभाव को भी ध्यान में रखना है।

इस संबन्ध में, उत्पादकों के एसोसिएशनों/सहकारी समितियों तथा विभिन्न व्यक्तियों से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं और उन्हें कृषि-जिन्सों की मूल्य-नीति तैयार करते समय ध्यान में रखा जाता है।

किसान-समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले एक गैर-सरकारी सदस्य की नियुक्ति से संबन्धित एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

World Bank Aided Agricultural Credit Projects

2339. **Shri M.C. Daga** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) number of agricultural credit projects in the country assistance for which was given by the World Bank during the last three years and amount of financial assistance provided project-wise as also total amount spent by the Bank ;

(b) whether in many States the pace of the World Bank assisted agricultural credit projects is very slow ; and

(c) if so, reasons therefor ?

Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan): (a) International Development Association (an Affiliate of the world Bank) have sanctioned 11 agricultural credit projects to be implemented through Agricultural Refinance and Development Corporation in the State of Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Haryana Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Punjab, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, West Bengal and a general line of credit to the Agricultural Refinance and Development Corporation. A statement indicating the total lending programme, International Development Association assitance and the disbursements made by Agricultureal Refinance and Development Corporation is enclosed. [**Placed in the Library** see **No. L.T.—10882/76**]

Commodities/Goods Purchased by Supply Department

2340. **Shri M.C. Daga:** Will the Minister of **Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) total value of commodities/goods purchased by the Supply Department in 1974 together with the mode of purchase thereof and the value of stocks lying with it ; and

(b) total expenditure incurred on the maintenance of these stocks ?

The Minister of Supply & Rehabilitation (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) and (b) : The total value of purchases made by the DGS&D on behalf of various Central Government Departments in 1974 was Rs. 876.66 crores. Purchases are generally made by open tender, though negotiation is resorted to if the circumstances warrant. Contracts provide for the goods to be delivered direct by the suppliers to the indentor or the consignee, and hence the questions of stocks lying with the Supply Department, and of the expenditure on maintenance of the stocks do not arise.

Voluntary Non-Students Youth Organisation

2341. **Shri M.C. Daga : Will the Minister of Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) number of voluntary non-students youth organisations in the country, State-wise and the roles played by them;

(b) amount of financial assistance granted by Government to each such organisation during 1973-74; and

(c) whether Government ensure that amount of assistance has been utilised by them properly ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education, Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav) : (a) to (c) : The Ministry of Education does no maintain any list of voluntary non-students youth organisations. Financial assistance is given in a appropriate cases to voluntary organisations working in the field of youth programmes and no separate categorization regarding voluntary non-student youth organisations and others is made. Each schemes of grant-in-aid provides for proper utilisation of the assistance given to voluntary organisations.

घमारा फिशिंग हार्बर, उड़ीसा की लागत में वृद्धि होना

2342. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने हाल ही में उनके मंत्रालय को घमारा में फिशिंग हार्बर की मंजूरी और क्रियान्विति में विलम्ब के कारण उसकी लागत में वृद्धि की स्वीकृति के लिये कोई प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संवन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख) राज्य सरकार ने हाल ही में परियोजना की लागत 84.34 लाख रुपये से संशोधित करके 92.21 लाख रुपये कर दिए जाने के संबन्ध में सूचना दी है । लागत में वृद्धि के औचित्य के साथ बिस्तृत अनुमानों की प्रतीक्षा है ।

उड़ीसा में मगरमच्छ पालन पर व्यय

2343. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-76 के बजट में उड़ीसा में मगरमच्छ संरक्षण एवं पालन पर खर्च करने के लिए कितनी धनराशि रखी गई है ; और

(ख) राज्य सरकार को अब तक कितनी धनराशि दी गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) और (ख) राष्ट्रीय पार्कों और आश्रम स्थलों के विकास के लिए जिसमें मगरमच्छों का परिरक्षण तथा प्रजनन भी शामिल है, केन्द्रीय क्षेत्र की योजना में व्यवस्था की गई है कि इन पर आवर्ती खर्च की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की होगी और अनावर्ती खर्च को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार आर्थिक सहायता देगी। अक्तूबर, 1975 में उड़ीसा सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मगरमच्छों के प्रजनन और परिरक्षण की स्कीमों के लिए 1975-76 के दौरान राज्य सरकार ने 70,000 रु० स्वीकृत किया गया था। 4,01,475 रु० अथवा 4 लाख रु० के अनावर्ती खर्च का अनुमान लगाया गया था। यह स्वीकृत किया जा चुका है और 13 फरवरी, 1976 को उड़ीसा सरकार को दिया जा चुका है ।

थ्रेशरों का डिजायन

2344. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थ्रेसर का डिजाइन दोषपूर्ण होने के कारण दिल्ली के अस्पतालों में प्रतिवर्ष अनेक व्यक्ति दाखिल होते हैं जहां उनके अंगों को काटना पड़ता है ;

(ख) क्या एक सुविख्यात विकलांग विशेषज्ञ ने भी इस बात पर जोर दिया है कि थ्रेशरों की डिगाइन ठीक की जानी चाहिए ; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली/नई दिल्ली में अनधिकृत रूप में निर्मित मकानों आदि का गिराया जाना

2345. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली/नई दिल्ली में झुग्गियां एवं झोंपड़ियां हटाने के साथ-साथ अनधिकृत रूप से बनाये गये बंगलों और मकानों को गिराने का भी सरकार का अभियान चल रहा है ;

(ख) कितने मकान मालिकों ने अपनी इमारतें गिराने के विरुद्ध उच्च न्यायालय से रोकादेश प्राप्त कर लिए हैं ; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : (क) वर्तमान अभियान का उद्देश्य दिल्ली और नई दिल्ली में अनधिकृत रूप से बनाए गए मकानों को गिराना है । जो मकान तथा बंगले स्थानीय निकायों से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद बनाये गये हैं, वे अनधिकृत नहीं है और इसलिए उनको गिराये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ख) जहां तक दिल्ली नगर निगम का संबन्ध है, उच्च न्यायालय ने 117 रोकादेश जारी किए थे। इनमें से 54 हटवाये जा चुके हैं। नई दिल्ली नगरपालिका के विरुद्ध पांच रोकादेश जारी किए गये हैं जो मकानों में अनधिकृत रूप से परिवधन करने के बारे में हैं। जहां तक दिल्ली विकास प्राधिकरण का संबन्ध है, इसके विरुद्ध वर्ष 1976 के दौरान कोई रोकादेश नहीं है ।

(ग) इन मामलों के बचाव तथा रोकादेश हटवाने के लिए प्रयत्न किए जाते हैं।

Dairies in Rajasthan

2346. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state places where dairy centres are proposed to be set up in Rajasthan during 1976-77 with World Bank assistance ?

The Deputy Minister in the Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : There is a proposal to set up Dairy Plants at Ajmer, Alwar and Jaipur in Rajasthan during 1976-77 with World Bank assistance.

तमिलनाडु में सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देना

2347. **श्री एस० राधाकृष्णन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के सरकारी हाईस्कूलों में अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा देना आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक जिले में कितने स्कूलों में इस माध्यम से शिक्षा दी जायेगी ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) तथा (ख) 1976-77 के दौरान, राजकीय हाईस्कूलों में अंग्रेजी माध्यम के अतिरिक्त अनुभाग खोलने के प्रस्तावों पर, ऐसे अनुभागों की आवश्यकता तथा लागत को ध्यान में रखते हुए, राज्य प्राधिकारियों द्वारा जून, 1976 में विचार किया जाएगा।

काजू की खेती और उसका आयात

2348. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने गी कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में, वर्ष वार, कितने काजू का आयात किया गया और किन-किन देशों से ;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें बड़े पैमाने पर काजू की खेती होती है ; और

(ग) इस समय कुल कितने क्षेत्र में, राज्यवार, काजू की खेती होती है और इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च होती है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान आयात की गई काजू की मात्रा नीचे दी गई है :—

(मात्रा मीटरी टनों में)

देश	1972-73	1973-74	1974-75
तंजानिया	1,44,268	99,208	60,739
केन्या	6,779	18,007	11,829
मोजामबिक	48,769	37,494	65,545
पश्चिमी अफ्रीका तथा मेडागास्कर	1,654	2,845	1,874
योग	2,01,470	1,57,554	1,39,987

(ख) निम्नलिखित राज्यों में बड़े पैमाने पर काजू की खेती की जाती है :—

(1) केरल, (2) तमिलनाडु, (3) कर्नाटक, (4) आंध्र प्रदेश, (5) महाराष्ट्र, (6) उड़ीसा, और (7) गोवा।

(ग) काजू की खेती के कुल क्षेत्र के सम्बंध में सरकारी अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। वर्ष 1975-76 में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का राज्यवार व्यय नीचे दिया जा रहा है :--

राज्य	किया गया व्यय (रुपये हजारों में)
1. केरल	312.4
2. तमिलनाडु	701.4
3. कर्नाटक	278.4
4. आंध्र प्रदेश	358.5
5. महाराष्ट्र	134.2
6. उड़ीसा	654.0
7. गोवा	17.2
	2456.1

New Factory of Bharat Heavy Electricals Ltd. Jhansi

2349. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) whether the completion of new factory of Bharat Heavy Electricals Limited, Jhansi, would be delayed as a result of the slow pace of work of Hindustan Steel Construction Limited, Calcutta; and

(b) if so, the action being taken by Government for the timely completion of Transformer Factory in Jhansi ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri A. C. George) : (a) & (b) Though the pace of work of Hindustan Steel Construction Ltd. was initially slow, it has picked up now and the factory will be completed as scheduled.

पर्वतीय राज्यों में ग्रामीण उद्योगीकरण

2350. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे माल तथा प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए देश के पर्वतीय राज्यों के ग्रामीण उद्योगीकरण के लिए योजना बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) और (ख) केन्द्रीय सहायता के विद्यमान नमूने के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को पहाड़ी इलाकों का विकास करने के लिये 30% अनुदान के रूप में और 70% ऋण के रूप में आबंटित किया जाता है। किन्तु चुने हुए पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में ये पद्धतियां हैं (क) जम्मू तथा कश्मीर में लद्दाख; हिमाचल प्रदेश के किन्नौर एवं लाहौल और स्पीती जिलों के लिये 90% अनुदान के रूप में और 10% ऋण के रूप में, नागालैंड और मेघालय के सभी जिलों तथा आसाम के पहाड़ी इलाकों और (ख) उत्तर प्रदेश (नैनीताल और देहरादून जिलों को छोड़कर) के पहाड़ी इलाकों पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले और तमिलनाडु के नीलगिरि के जिले को 50% अनुदान के रूप में 50% ऋण के रूप में दिया जाता है।

पांचवीं योजना के मसौदे में आदिवासी क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों (पश्चिमी घाट सहित) के विकास के लिये 500 करोड़ रु० का अस्थायी आबंटन किया गया है जिसकी व्यवस्था संबंधित राज्यों के लिये राज्यों को उनकी अपनी योजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता के अलावा विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में की जानी है। संबंधित राज्यों से कहा गया है कि वे इन इलाकों का प्राकृतिक भौगोलिक स्थितियों एवं साधन सम्पन्नता को ध्यान में रखते हुए अपने-अपने पहाड़ी इलाकों के लिये समन्वित योजनाएं तैयार करें। उत्तर प्रदेश, आसाम तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने अपने-अपने पहाड़ी इलाकों के लिये अलग-अलग एकीकृत योजनाएं अब तयार कर ली है। इन राज्यों को वर्ष 1974-75 और 1975-76 के लिये 20 करोड़ रु० की विशेष केन्द्रीय साहयता राशि आबंटित कर दी गई है। वर्ष 1976-77 के लिये 36 करोड़ की केन्द्रीय सहायता देने का विचार है।

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों (योजना आयोग में निर्मित) के विकास के लिये निदेश समिति ने उत्तर प्रदेश के पहाड़ी प्रदेश के औद्योगिक विकास की संभाव्यताओं पर विचार करने के लिये एक कृतिक

बल की स्थापना की थी । इसकी सिफारिशों पर पहाड़ी इलाकों में उद्योगों के बिकास संबंधी कार्यक्रम राज्य की पांचवीं योजना के मसौदे में शामिल कर लिये गये हैं ।

रियायती दर पर वित्त की सुविधाएं पाने की दृष्टि से अधिकांश पहाड़ी जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों के रूप में चुन लिया गया है और इनमें से कुछ को निवेश में सहायता देने की केन्द्रीय योजना प्राप्त करने के लिये भी चुन लिया गया है । केन्द्रीय परिवहन राज सहायता योजना जो जम्मू तथा कश्मीर राज्य, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश राज्य और उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में लागू होती है उसमें इनके पहाड़ी जिले शामिल हैं। इसी प्रकार केन्द्र द्वारा चलाई गई ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं की योजना जो पहाड़ी जिलों से कार्यान्वित की जा रही है कुछ पहाड़ी जिले आ जाते हैं ।

त्रिवेन्द्रम आकाशवाणी केन्द्र पर 'युववाणी' कार्यक्रम आरम्भ करना

2351. **श्री वयालार रवि :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिवेन्द्रम स्थित आकावाणी केन्द्र पर 'युववाणी' कार्यक्रम आरम्भ करने के के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) यद्यपि आकाशवाणी के त्रिवेन्द्रम केन्द्र से 'युववाणी' कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए कोई लिखित अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है, किन्तु वहां के केन्द्र निदेशक को कुछ व्यक्तिगत अभ्यावेदन दिये गए थे ।

(ख) आकाशवाणी के त्रिवेन्द्रम केन्द्र से हर शनिवार को 45 मिनट का, हर रविवार को 60 मिनट का और हर बृहस्पतिवार को अंग्रेजी में 25 मिनट का 'युववाणी' कार्यक्रम पहले से ही प्रसारित किया जा रहा है । पांचवीं पंचवर्षीय योजना की स्कीम के मसौदे में आकाशवाणी के त्रिवेन्द्रम केन्द्र से नियमित रूप से प्रतिदिन दो घंटे का 'युववाणी' सेवा आरम्भ करने का भी प्रस्ताव है ।

Facilities provided to Retiring Armed Forces officers and Jawans

2352. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the average number of officers and jawans of the armed forces retiring every year;

(b) the facilities provided by Government to the members of their families;

(c) whether these retired persons are absorbed in other services; and

(d) if so, the facts in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri J. B. Patnaik) : (a) to (d) Approximately, 500 officers and over 50,000 Jawans of the Armed Forces are either retired or released annually.

2. They are absorbed in other services to the extent possible. There are reservations of vacancies for them as follows :—

(i) Central Government Departments

Class III posts	10%
Class IV posts	20%

(ii) *Public Sector Undertakings and Nationalised Banks*

Class III posts	17 1/2%
Class IV posts	27 1/2%

(iii) *State Governments*

Varying reservation of posts ranging from 2% to 28% in States in many categories.

3. The facilities provided by Government to members of the families of the retired/released officers and Jawans are as follows :—

(i) Plots/Houses on paym?nt under the various schemes of the State Governments.

(ii) Direct employment without intervention of the Employment Exchanges of upto two dependents of those who are severely disabled in action.

(iii) Purchase of C.S.D.(I) items at established Defence Canteens.

(iv) Free medical care.

4. In addition, in the Centrally controlled land-colonization schemes in Great Nicobar Islands and Arunachal Pradesh, land—free of cost—and financial assistance for construction of a house, for the purchase of equipment, utensils, agricultural tools, implements and live-stock, and free rations (upto three years) are given to ex-servicemen.

आंध्र प्रदेश में जल-विद्युत् यूनिटों के लिये विदेशी सहायता

2353. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश की जल-विद्युत यूनिटों के लिए सऊदी-अरब से सहायता मांगी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों के बीच समझौता हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्यबातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां। 110 मेगावाट की एक-एक परम्परागत यूनिट की प्रतिष्ठापना वाली श्रीशैलम जल-विद्युत परियोजना और नागार्जुनसागर जल-विद्युत् परियोजना सऊदी विकास निधि के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(ख) जी, नहीं। परियोजनाएं मूल्यांकन की अवस्था में हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

तापीय बिजलीघर

2354. **श्री मधु दण्डवते** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या परमाणु विद्युत केन्द्रों में हाल ही के वर्षों में बार-बार बिजली फल होने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए नये विद्युत्-प्रजनन संबंधी योजना बनाते समय तापीय विद्युत् केन्द्रों की स्थापना पर बल दिया जायेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : परमाणु विद्युत् केन्द्र सन्तोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं और भविष्य में विद्युत् उत्पादन की नीति के जरिए यह प्रयास किया जाएगा कि ताप, जल और न्यूक्लीय विद्युत् केन्द्रों से मिला-जुला इष्टतम उत्पादन हो।

Freedom Fighters from East Nimar District

2355. **Shri G.C. Dixit :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of applications for pension of freedom fighters from East Nimar district of Madhya Pradesh pending in his Ministry; and

(b) the reasons for delay in their disposal and the time by which these applications will be disposed of ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) Nil.

(b) Does not arise.

सीमा सुरक्षा बल की जन-शक्ति

2356. **श्री भागीरथ भंवर :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) सीमा सुरक्षा बल में कुल कितने व्यक्ति हैं ; और

(ख) सीमा सुरक्षा बल में भीलों की प्रतिशतता कितनी है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) 31 मार्च, 1976 को 82,409 ।

(ख) बल में भीलों के अलग से कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

सोवियत संघ से भारी जल की खरीद

2357. **सरदार मोहिन्दर सिंह गिल :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ से भारी जल की खरीद के लिए भारत तथा सोवियत संघ के बीच कोई समझौता हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारत में एफ० एम० प्रसारण

2358. **श्रीमती प्रमिलाबाई दाजी साहेब चव्हाण :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या 'आल इंडिया रेडियो' का विचार शीघ्र ही भारत में 'एफ० एम० प्रसारण' आरम्भ करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां ।

(ख) आरम्भ में, एफ० एम० सेवा मद्रास, बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली से शुरू करने का प्रस्ताव है। एफ० एम० ट्रांसमिटरों को दूरदर्शन ट्रांसमिटर भवनों में मामूली संरचनात्मक आपरिवर्तन करने के बाद लगाया जाएगा। एफ० एम० ट्रांसमिटिंग एंटीना स्थायी दूरदर्शन टावरों पर लगाये जायेंगे। एफ० एम० ट्रांसमिटरों से उन कार्यक्रमों में से कुछ चुने हुए कार्यक्रमों को प्रसारित किया जायेगा जो प्रादेशिक मीडिअम वेव ट्रांसमिटरों से पहले ही प्रसारित किए जा रहे हैं।

Formulation of Master Plans for All Districts of Madhya Pradesh

2359. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether Government of Madhya Pradesh have submitted a proposal to Central Government regarding formulation of Master Plans for all districts of the State and asked for financial assistance from Central Government for the purpose; and

(b) whether Central Government have also issued any guidelines for development of the districts and if so, salient features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri I. K. Gujral) : (a) While Government of Madhya Pradesh have neither sent any proposals to the Government of India regarding formulation of master plans for districts nor asked for any financial assistance in this regard, they have prepared district plans for all districts.

(b) With a view to assisting the State Governments in formulation of district plans the Planning Commission have issued guidelines which attempt to explain the methodology which needs to be followed for the formulation of such plans. These guidelines spell out the various steps through which the process of plan formulation is to be attempted in a democratic framework, the nature of data to be collected, the kind of analysis that should be carried out and the procedures for integrating various schemes into a plan.

बिहार में सामुदायिक टेलीविजन सैट

2360. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या को सरकार द्वारा बिहार में ग्राम पंचायतों तथा अन्य गांवों में लगाये गए सभी टेलीविजन सैट खराब हो गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और खराबी दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ; और

(ग) कुल कितने टेलीविजन सैट लगाये गये थे, कितनी धनराशि व्यय की गई थी ; और वे किन-किन स्थानों पर लगाये गये थे ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) उपग्रह शैक्षणिक दूरदर्शन परीक्षण के प्रारम्भ होने के समय, 27.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत के 393 दूरदर्शन सैट बिहार में लगाये गये थे। जिनमें से फ्रन्ट-एण्ड-कन्वर्टरों और ऐन्टेनाओं की लागत 14.00 लाख रुपये है। गणतन्त्र दिवस की पूर्व संध्या को, इन्हें राष्ट्रीय अन्तः सम्पर्क के अन्तर्गत लाया गया था और इस प्रयोजन के लिये कोई विशिष्ट प्रकार के दूरदर्शन सैट नहीं लगाये गये थे। किसी भी निश्चित समय पर, इन सैटों में से लगभग 90% सैट चालू हालत में होते हैं।

बिहार के जिन गांवों में ये सैट लगाये गये हैं, उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

वायु सेना में चिकित्सा अधिकारियों के वेतनों, पेंशनों, वेतन-वृद्धियों तथा अर्हता-वेतनों संबंधी नियम

2361. **श्री शंकर राव सावंत :**
श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायु सेना में चिकित्सा अधिकारियों के वेतनों, पेंशन, वेतन वृद्धियों तथा अर्हता-वेतनों सम्बन्धी नियम वायु सेना में ही ग्राउंड इंजीनियरों, इलैक्ट्रीकल इंजीनियरों, सिगनलरों आदि जैसे तकनीकी अधिकारियों पर लागू नियमों से भिन्न हैं; और

(ख) यदि हां, तो कब से ?

रक्षा मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) वायु सेना में चिकित्सा अधिकारी आर्मी मैडिकल कोर के अधिकारी होते हैं और उन्हें वायु सेना में स्थानांतरित किया जाता है। वेतनों, वेतन वृद्धियों और अर्हता-वेतनों के बारे में वे वायु सेना अधिकारियों को लागू होने वाले समनुरूप नियमों से नहीं, बल्कि आर्मी मैडिकल कोर से सम्बद्ध नियमों द्वारा शासित होते हैं। तथापि, पेंशन के बारे में चिकित्सा अधिकारी वही पेंशन पाने के पात्र होते हैं जैसा कि अन्य अधिकारी, जिनमें समनुरूप पद के लिए वायु सेना अधिकारी भी सम्मिलित हैं।

चिकित्सा अधिकारियों और वायु सेना में तकनीकी तथा अन्य अधिकारियों के बीच वेतन और वेतन वृद्धि के बारे में भिन्नेता पहली जुलाई, 1947 को नई वेतन संहिता (न्यू पे कोड) प्रारम्भ किए जाने से पहले भी थी। अर्हता-वेतन के बारे में भिन्नता, पहली अप्रैल, 1948 से प्रारम्भ हुई जबकि पहली बार अर्हता-वेतन प्रारम्भ किए गये।

कम लागत वाली "जनता-वाटर फिल्टर असेम्बली"

2362. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित केन्द्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान (सेन्ट्रल ग्लास एण्ड सेरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट) ने कम लागत वाली "जनता-वाटर फिल्टर असेम्बली" का विकास किया है;

(ख) क्या पीने के लिए बैक्टीरिया मुक्त जल प्राप्त करने के लिए संस्थान में विकसित मृत्तिका जल-फिल्टर केन्डिलों का भी अभी हाल में उत्पादन होने लगा है, जो "स्टैरासिल" किस्म की आयातित कैन्डिल के स्थान पर उपयोग की जायेगी;

(ग) क्या बाजार में उपलब्ध सेट की कीमत के केवल पांचवें भाग पर ही यह उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो इस सेट को लोकप्रिय बनाने और देश में ही निर्मित वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) आयातित कैन्डिलों के मुकाबले इनकी कीमत समुचित रूप से कम होगी।

(घ) फिल्टर कैन्डिल निर्माण करने की प्रविधि राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एन० आर० डी० सी०) नई दिल्ली के माध्यम से तीन फर्मों को पहिले ही वितरित की गई है। इनमें से एक फर्म ने उत्पादन भी शुरू कर दिया है। बहुत सी अन्य फर्मों ने भी अपनी रुचि दिखाई है और यह प्रविधि उनको प्रदान करने के लिये कार्यवाही की जा रही है। इन फर्मों के अलावा अखिल भारतीय हस्त-शिल्प कला बोर्ड और खादी-ग्रामोद्योग कमीशन से भी इस सस्ते सैट को लोकप्रिय बनाने के लिये सम्पर्क स्थापित किया गया है।

विश्वविद्यालय की जाली डिग्री और स्कूली प्रमाणपत्रों सम्बन्धी गिरोह

2363. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के खुफिया पुलिस विभाग (सी० आई० डी०) ने विश्वविद्यालय की जाली डिग्रियां और स्कूल के प्रमाण-पत्रों के गिरोह संबंधी मामले की छान-बीन की है; और

(ख) यदि हां, तो इस जांच-पड़ताल के क्या परिणाम रहे?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) दिल्ली पुलिस के खुफिया विभाग ने ऐसे किसी मामले की छान-बीन नहीं की थी। परन्तु दो मामले भारतीय दंड संहिता की धारा 420/468/471/120-ख के अधीन एफ० आई० आर० संख्या 367 दिनांक 25-9-1974 और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420/471 के अधीन एफ० आई० आर० संख्या 466/75 दिनांक 27-10-75 क्रमशः रामकृष्णपुरम् थाने और हज़रत निज़ामुद्दीन थाने में दर्ज किये गये थे। पहले मामले में नई दिल्ली के एक कालेज के प्रिंसिपल ने पुलिस को एक शिकायत की थी कि उनके कालेज में एक व्यक्ति ने बी० ए० पार्ट (I) की जाली मार्कशीट के आधार पर उनके कालेज में बी० ए० भाग (II) में दाखिला लिया था। मामले की छान-बीन पूरी कर ली गई है और 9 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं। दूसरे मामले में एक छात्र ने नई दिल्ली के एक कालेज के प्रिंसिपल द्वारा 500/- रुपये लेकर उसको एक विश्वविद्यालय का जाली प्रमाणपत्र जारी करने के बारे में पुलिस को शिकायत की थी। मामले की छान-बीन की जा रही है।

आकाशवाणी, सिल्चर से बंगाली समाचार बुलेटिन

2364. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आकाशवाणी, सिल्चर से बंगाली समाचार बुलेटिन शुरू करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब किया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) प्रस्ताव विचाराधीन है।

अन्तर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी

2365. **श्री शंकर नारायण सिंह देव** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी बन गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशी भाषा जानने वाले सी० आई० एस० अधिकारियों को इस बारे में प्रशिक्षित किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, गुट निरपेक्ष देशों की समाचार एजेंसियों का एक पूल विकसित करने का प्रस्ताव है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एम० ई० एस० में चौकीदारों के लिये काम के घण्टे

2366. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एम० ई० एस० संस्थानों में कार्य करने वाले चौकीदारों के लिए खाली भवनों के लिए काम के घंटे निर्धारित किए हैं;

(ख) क्या उन्हें अतिरिक्त पारिश्रमिक पाये बिना ही चौबीस घंटे काम करना पड़ता है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) से (ग) खाली पड़े भवनों की देख भाल करने के लिए एम० ई० एस० फार्मेशन द्वारा काम पर लगाए गये चौकीदारों को खाली पड़े भवनों में ही रहना होता है और इस प्रयोजन के लिए, उन्हें ऐसे भवनों में निःशुल्क आवास की अनुमति दी जाती है। उन्हें हरेक पखवाड़े में साधारणतया एक दिन (24 घण्टे) की छुट्टी लेने की अनुमति होती है। इन परिस्थितियों में कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक देने का प्रश्न नहीं उठता।

गांव मुंडका, दिल्ली में डकैती

2367. **श्री पी० एम० सईद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली राज्य (जोन 41) में स्थित मुंडका गांव में 28 और 29 दिसम्बर 1975 के बीच रात में एक खतरनाक डकैती हुई थी;

(ख) क्या पुलिस ने इस बीच इस मामले की जांच-पड़ताल कर ली है और डाकुओं को पकड़ लिया है;

(ग) क्या सरकार को इस मामले में पुलिस द्वारा की गई जांच-पड़ताल के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उचित जांच-पड़ताल के लिए इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का है?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395/397/366/376 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27/54/59 के अन्तर्गत नांगलोई थाने में एक मामला एफ० आई० आर० संख्या 422 दिनांक 29-12-75 दर्ज किया गया है और काफी संख्या में लोगों से पूछताछ की गई है।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्। फिर भी, यह निर्णय किया गया है कि मामले की आगे जांच-पड़ताल का कार्य दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को सौंप दिया जाय।

मॉंगलौर और ब्रह्मावर में आकाशवाणी के यूनिट

2368. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के मांगलौर और ब्रह्मावर यूनिटों से प्रसारण कब तक शुरू हो जायेगा ; और

(ख) क्या इन यूनिटों से क्षेत्रीय भाषा तुलू तथा कोंकणी में भी प्रसारण किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) उम्मीद है कि आकाशवाणी की मंगलोर और ब्रह्मावर यूनिटें, अंतरिम स्टूडियो सुविधाओं के साथ, अगले तीन-चार महीनों में प्रसारण करना आरम्भ कर देंगी।

(ख) जी, हां।

परित्यक्त, रक्षा हवाई क्षेत्र के झोंपड़ी-निवासियों से अभ्यावेदन

2369. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश के ताडेपालिगुडम में स्थित परित्यक्त रक्षा हवाई क्षेत्र के झोंपड़ी निवासियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसके अभ्यावेदन की मुख्य बातें क्या हैं और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) झोंपड़ी निवासियों द्वारा किया गया मुख्य अनुरोध यह है कि बेदखली को रोका जाना चाहिए। आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा झोंपड़ी निवासियों के पुनर्वास के प्रश्न पर विचार करने के लिए बेदखली को एक मास तक रोके रखने का निर्णय किया गया है।

Electrification of Villages during the Fifth Five Year Plan.

2370. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether a target for electrification of atleast 40 percent villages has been laid down in the Fifth Five Year Plan;

(b) whether Government have also suggested to various State Electricity Boards to review from time to time the progress made in the rural electrification programme;

(c) if so, result of the review made in this behalf of Bihar; and

(d) steps taken by the Bihar Electricity Board in this direction after the proclamation of emergency?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy : (Prof. Siddheshwar Prasad) : (a) There are about 5.76 lakh villages in the country. About 1.55 lakh villages (27%) were electrified upto the end of the Fourth Five Year Plan. The size and content of the Fifth Five Year Plan have not yet been determined. However, in the Draft Fifth Plan, a target for electrification of additional 1,10,208 villages has been proposed. Thus, it is expected that about 2.65 lakh villages (46%) will be electrified by the end of the Fifth Plan.

(b) No such suggestion has been made by the Central Government.

(c) Does not arise.

(d) After the proclamation of emergency, the Bihar State Electricity Board have taken several steps to strengthen the organisation to make execution and implementation of rural electrification programme more effective. For a proper and efficient distribution, supply of power and implementation of rural electrification works, 5 Area Electricity Boards have been created with headquarters at Muzzafarpur, Darbhanga, Patna, Bhagalpur and Ranchi. The General Managers-cum-Chief Engineers-in-charge of these Area Electricity Boards have been delegated adequate powers, both executive and financial, for completing the execution of rural electrification schemes in time. Further, at the headquarters of the State Electricity Boards, separate posts of Chief Engineer, Deputy Chief Engineer and Director have been created for review, co-ordination and processing of new schemes as well as execution of the already sanctioned schemes.

आदिवासी क्षेत्रों के लिये विकास बोर्डों की स्थापना

2371. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **गृह** मंत्री आदिवासी क्षेत्रों के लिये परियोजनाओं का तेजी से विकास करने के बारे में 10 मार्च, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 274 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटा नागपुर तथा संथाल परगना विकास बोर्ड के कारगर रूप से कार्यकरण के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है;

(ख) क्या इन बोर्डों की स्थापना अन्य राज्यों में करने का प्रस्ताव है; यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ग) क्या बिहार, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती तथा संलग्न आदिवासी क्षेत्रों के समेकित विकास के लिये एक संयुक्त प्राधिकरण स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) बिहार सरकार ने छोटा नागपुर और संथाल परगना स्वायत्त विकास प्राधिकरण के कार्यकरण को अधिक कारगर बनाने के उद्देश्य से 28-10-75 के एक अध्यादेश द्वारा उक्त प्राधिकरण के कार्यकरण में कुछ परिवर्तन किये हैं।

परिवर्तन की मुख्य विशेषताएं ये हैं :--

(1) प्राधिकरण को सक्रिय और अधिक कारगर बनाने के लिये इसकी जनरल बाडी की संख्या 70 से घटाकर 42 कर दी गई है। प्राधिकरण का पुनर्गठन किया गया है;

(2) प्राधिकरण की कार्यकारी समिति का आकार भी छोटा कर दिया गया है। मुख्य मंत्री समिति का अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष तथा पांच अन्य गैर-अधिकारियों के अतिरिक्त चार केबिनेट मंत्री सदस्य हैं।

(3) प्राधिकरण को क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रमों का पुनरीक्षण करने, मार्गदर्शन करने और निरीक्षण करने के साथ-साथ परियोजनाओं को प्राथमिकताएं देने के कार्यों और उनके स्थान निर्धारण में सलाह देने का अधिकार दिया गया है।

(4) प्राधिकरण की कार्यकारी समिति कार्यक्रम के कारगर कार्यान्वियन का निर्देशन करेगी।

(ख) राज्य सरकारों से उप-योजनाओं के कार्यान्वियन के लिये प्रशासनिक प्रबन्धों का पुनरीक्षण करने का अनुरोध किया गया है। यह सुझाव दिया गया है कि आदिवासी विकास कार्यक्रम का निरीक्षण करने और मार्गदर्शन करने के लिये राज्य स्तर पर एक मंत्रिमंडल उप-समिति गठित की जाए।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

सिविल नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण

2372. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के अधीन सिविल नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए कुछ प्रतिशत आरक्षण होता है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों में, वर्षवार श्रेणी एक से श्रेणी चार में कितने भूतपूर्व सैनिक नियुक्त किये ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जी हां। तृतीय श्रेणी पदों में 10 प्रतिशत और चतुर्थ श्रेणी पदों में 20 प्रतिशत।

(ख) संख्या निम्नांकित है :--

1973	1974	1975
3036	2544	1833

हरिजनों की शिकायतों का समाधान करने के लिये राज्य स्तर की संस्थाओं को अनुदेश

2373. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिजनों की शिकायतों का समाधान करने के लिये राज्य स्तर की संस्थाओं को सरकार ने अनुदेश जारी किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी संस्थाओं के नाम क्या हैं और उनके क्या कृत्य हैं और क्या अधिकार दिये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) हरिजनों की शिकायतों की जांच करने के लिये राज्य सरकारों को समय समय पर अनुदेश जारी किये गये हैं। हरिजनों की शिकायतों का समाधान करने के लिये विभिन्न राज्यों में गठित निकायों के बारे में सूचना अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों की कल्याण समिति की इक्यावनवी रिपोर्ट, जिसे 31-3-76 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था, के पैरा 15 में उपलब्ध है।

रिब्रयू सीमेंट कारखाना

2374. **श्री सैयद अहमद आगा** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कश्मीर घाटी में सीमेंट की कुल कितनी आवश्यकता है;

(ख) रिब्रयू सीमेंट कारखाने की क्षमता कितनी है; और

(ग) रिब्रयू सीमेंट कारखाने से सीमेंट की कितने प्रतिशत आवश्यकता पूरी होती है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जम्मू और काश्मीर (काश्मीर वैली सहित) राज्य की वर्तमान अनुमानित आवश्यकता 1.50 लाख मी० टन प्रतिवर्ष है।

(ख) 2.00 लाख मी० टन प्रतिवर्ष।

(ग) खेरू सीमेंट फैक्टरी में अभी उत्पादन प्रारंभ नहीं हुआ है।

सुपर ताप विद्युत् केन्द्र

2375. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में निकट भविष्य में एक 'सुपर' ताप विद्युत् केन्द्र स्थापित किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या तलचर में सुपर ताप विद्युत् केन्द्र स्थापित करने का विचार छोड़ दिया गया है?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

थोरियम से ऊर्जा (पावर) का उत्पादन

2376. **चौधरी नीतिराज सिंह** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूरेनियम-निक्षेपों की अल्पता और थोरियन-निक्षेपों की बहुलता को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने कोई ऐसा कार्यक्रम निश्चित किया है जिससे थोरियम से बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन हो सके; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) सरकार ने एक कार्यक्रम प्रारम्भ किया है, ताकि अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाये जाने वाले थोरियम को काम में लाकर अंततः काफी ज्यादा मात्रा में विद्युत् का उत्पादन किया जा सके। इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में, सन् 1979-80 तक, तमिलनाडु स्थित कलपक्कम नामक स्थान पर एक प्रयोगात्मक फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिऐक्टर को स्थापित करना शामिल है, ताकि सोडियम से शीतित फास्ट ब्रीडर रिऐक्टरों का निर्माण तथा संचालन करने के लिए आवश्यक अनुभव प्राप्त किया जा सके। इस कार्यक्रम का अगला चरण, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिऐक्टर, जिसके ईंधन के आवरणों में थोरियम-232 को विखंड्य यूरेनियम -233 में बदला जायेगा, के संचालन का पर्याप्त अनुभव हो जाने के बाद, व्यावसायिक स्तर के फास्ट ब्रीडर रिऐक्टरों की स्थापना करने का काम होगा। इस प्रकार से तैयार हुए यूरेनियम-233 के भंडार की सहायता से हम अपने परमाणु विद्युत उत्पन्न करने के कार्यक्रम के चौथे चरण के अंतर्गत थोरियम 232—यूरेनियम 233 ब्रीडर चक्र को अपना सकेंगे। तथापि, व्यावसायिक स्तर के फास्ट ब्रीडर रिऐक्टरों, जिनके निर्माण के बारे में निर्णय लिया जाना शेष है, की स्थापना के बाद ही थोरियम की सहायता से बिजली का उत्पादन करने का कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किया जा सकता है।

203 मदों में एकाधिकार

2377. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय द्वारा किये गये सर्वेक्षण से यह पता लगा है कि 203 मदों में पूर्ण एकाधिकार विद्यमान है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी एक मात्र फर्म के एकाधिकारों को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) हालांकि इस मंत्रालय द्वारा इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है किन्तु जिन वस्तुओं के सम्भरण (सप्लाई) का मात्र एक ही स्रोत है उनका आन्तरिक अध्ययन 1 नवम्बर, 1975 को तकनीकी विकास के महानिदेशालय द्वारा किया गया था। अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि 55 वस्तुएँ इस प्रकार की हैं जिनके संभरण का मात्र एक ही स्रोत है।

कुछ लोगों के हाथों में आर्थिक शक्तियों के नियंत्रण के केन्द्रीयकरण को कम से कम करना यह सरकारी नीति है इस उद्देश्य को दृष्टि में रखकर जिस क्षेत्रमें एकाधिकार है वहाँ उद्यमिता को अनेक उद्यमियों में फैलाने के लिए उन्हें ऐसे क्षेत्र में क्षमता स्थापित करने की अनुमति दी जाती है।

'समाचार' की प्रबन्ध व्यवस्था

2378. **श्री नुरूल हुड्डा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार "समाचार" की प्रबन्ध व्यवस्था में कर्मचारियों, भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ (आई० एफ० डब्लू० जे०) तथा समाचार पत्रों के सम्पादकों के प्रतिनिधियों को शामिल करेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : "समाचार" सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत एक गैर-सरकारी और स्वायत्त संस्था है। संस्था या इसकी प्रबंध समिति की सदस्यता के लिए कर्मचारियों, भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ तथा समाचारपत्रों के सम्पादकों के प्रतिनिधियों की प्रार्थनाओं पर निर्णय करना इसकी प्रबन्ध समिति का काम है।

Strike in Coal Mines over Bonus Issue

2379. **Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Energy** be pleased to state :

(a) whether workers of all the coalmines in Bengal, Bihar and Madhya Pradesh had gone on strike over bonus issue at the end of 1975 and in the beginning of 1976, and if so, the names of labour organisations which organised this strike;

(b) the extent to which production suffered; and

(c) the State-wise number of arrests made and the punishment awarded to them for participating in bonus strike ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad) : (a) to (c) The workers of some coalmines in West Bengal, Bihar and Madhya Pradesh, belonging

to All India Trade Union Congress controlled unions went on a hunger strike/strike on 6th January, 1976 over the bonus issue, the details of which are given below :—

State	Details of Strike/Hunger strike	Loss of production (in tonnes)	No. of persons arrested
1. West Bengal	Hunger strike in 3 coalmines under Eastern Coalfields Limited	340	Nil
2. Bihar	(a) Hunger strike in 21 coalmines under Bharat Coking Coal Limited,	Nil	Nil
	(b) Hunger strike in 23 coalmines and 2 washeries and strike in 2 coalmines under Central Coalfields Limited	770	127
3. Madhya Pradesh	Hunger strike in 5 coalmines under Western Coalfields Limited	Nil	75

The managements of coal companies have not taken any separate disciplinary action against the workers for participating in the above hunger strike/strike.

भारत में मैत्री सोसायटियां

2380. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा विदेशों के बीच मैत्री के लिये भारत में मैत्री सोसायटियां कार्य कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है; और

(ग) क्या सरकार के पास उनकी गतिविधियों का रिकार्ड है तथा क्या सरकार उन्हें वित्तीय संरक्षण भी प्रदान करती है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) सरकार को भारत में कार्य कर रहे 39 संगठनों की गतिविधियों की जानकारी है। सरकार उन्हें वित्तीय संरक्षण प्रदान नहीं करती है।

अखिल भारतीय स्वास्थ्य सेवा

2381. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० ए० एस०, आई० एफ० एस० और आई० पी० एस० की तरह एक अखिल भारतीय स्वास्थ्य सेवा बनाये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव किस वर्ष तक क्रियान्वित हो जाएगा ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा : अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 में सितम्बर, 1963 में संशोधन किया गया था, जिससे कि इसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा के सृजन की व्यवस्था की जा सके। सेवा को 1-2-69 से गठित करने से संबंधित आदेश अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951

की धारा 2क के अधीन जारी किए गए थे। भर्ती तथा संवर्ग प्रबन्ध के संबंध में मूल नियमों को राज्य सरकारों तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से अन्तिम रूप भी दिया गया था और उन्हें भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। किन्तु अभी तक सेवा के राज्य संवर्गों का गठन करने अथवा उनमें आरम्भिक भर्ती करने के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकी, क्योंकि सात राज्य सरकारों अर्थात् असम, जम्मू तथा कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल ने, जिन्होंने पहले इस सेवा में शामिल होने के लिए अपनी सहमति दे दी थी, बाद में सेवा में भाग लेने के लिए अपने विचार बदल दिए अथवा इस सेवा के निर्माण की आवश्यकता के संबंध में कुछ शर्तों को अभिव्यक्त किया। असहमत राज्य सरकारों के साथ मामला उठाया गया था और उनसे अनुरोध किया गया था कि वे राष्ट्र के व्यापक हित में सेवा में भाग लेने के लिए सहमत हों। असम, जम्मू तथा कश्मीर और तमिलनाडु सरकारों ने पुनः विचार करने के बाद भी, सेवा में भाग न लेने के अपने पहले विचार को फिर से दोहराया। कर्नाटक सरकार ने अब उक्त सेवा में शामिल होने की सहमति दे दी है। बाकी तीन राज्य सरकारें मामले पर अभी पुर्नविचार कर रही हैं।

असहमत राज्य सरकारों को उक्त दो सेवाओं में शामिल होने के लिए राजी करने हेतु प्रयत्न किए जा रहे हैं। फिर भी, ठीक-ठीक ऐसी कोई समय सीमा निश्चित करना कठिन है जिस तक कि उक्त सेवा के राज्य संवर्ग गठित हो जाएंगे।

Allotment of Cultivable land to persons affected by Construction of Rihand Dam

2382. **Shri Martand Singh :** Will the Minister of Energy be pleased to state :

(a) whether Government propose to provide a cultivable land to persons whose land has submerged as a result of construction of Rihand Dam and time by which they are likely to be provided with alternate land;

(b) if so, number of persons provided with land and particulars of the land provided to each family or individual ; and

(c) if they have not been provided with the land so far, arrangements made by Government for their livelihood.

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad) : (a) The Government of Uttar Pradesh have indicated that land has been given to all the oustees in Uttar Pradesh whose lands had been submerged as a result of construction of the Rihand Dam and who had opted for settlement in the Rehabilitation area.

(b) 3257 families have been provided with land equal to 2/3 of the land submerged subject to a maximum of 6¼ acres and a minimum of 2 acres.

(c) Does not arise.

Resettlement of Rihand Dam Oustees

2383. **Shri Martand Singh :** Will the Minister of Energy be pleased to state :

(a) whether a large number of Rihand Dam oustees are still without housing facilities and no alternate arrangements have been made by Government for them;

(b) if so, number thereof; and

(c) time by which they are likely to be provided with the same ?

4 LSS/76—7

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad) : (a The Government of Uttar Pradesh have indicated that all the oustees in Uttar Pradesh who have opted for settlement in the Rehabilitation area have already been given 5 Biswas of land per family and timber at concessional rates for construction of houses.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

बालयोगेश्वर द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उलंघन

2384. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या श्री बालयोगेश्वर तथा उनके मुख्य सहयोगी श्री बिहारी सिंह विदेशी मुद्रा की हेराफेरी करने के आरोपों से मुक्त कर दिए गए हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो उनको अमरीका से भारत वापस लाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा श्री बिहारी सिंह को जारी किए गए चार कारण बताओ नोटिसों में से तीन नोटिसों के अन्तर्गत आने वाले मामलों में न्यायानिर्णयन की कार्यवाहियां पूरी हो चुकी हैं, जिसके परिणामस्वरूप उस पर अनुचित विदेशी मुद्रा की जब्ती के अलावा कुल 7,07,000 रुपए का दण्ड भी लगाया गया है। चौथे कारण बताओ नोटिस के अन्तर्गत आने वाले मामले में श्री बिहारी सिंह के विरुद्ध अभियोजन की कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है और उस पर एक विधि न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा प्रेम सिंह रावत उर्फ बालयोगेश्वर को विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन पर कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था। अनधिकृत रूप से आयात किए गए सामान तथा विदेशी मुद्रा, जिसकी घोषणा नहीं की गई थी, के संदर्भ में सीमा-शुल्क विभाग द्वारा श्री रावत और श्री बिहारी सिंह पर अवैध सामान की जब्ती के अलावा सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 112 के अधीन प्रत्येक पर दस हजार रुपए का दण्ड भी लगाया गया था।

अनाज संरक्षण

2385. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र ने टोक्यो, जापान में अपना विश्वविद्यालय आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त विश्वविद्यालय की केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर से करार करने की योजना है जिससे फसल की कटाई के पश्चात् दोनों अनाज के संरक्षण संबंधी जानकारी का विस्तार कर सकें; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और भाग (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मामला अभी विचाराधीन है ?

विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये कृत्रिम अंगों की आवश्यकता

2386. **श्री भाऊ साहेब धामनकर** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कृत्रिम अंगों की आवश्यकता का कोई मूल्यांकन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो आवश्यकता कितनी है और वह अब तक कैसे पूरी की गई है; और

(ग) कानपुर स्थित कृत्रिम अंग बनाने के कारखाने से जिसके शीघ्र उत्पादन आरंभ करने की आशा है, यह आवश्यकता कहां तक पूरी होगी और क्या इस संबंध में मांग तथा सप्लाई में तब भी अन्तर रहेगा ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) आर्टीफीशियल लिम्बस् मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन आफ इंडिया कानपुर की स्थापना करने के संबंध में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने 1972 में एक नमूना सर्वेक्षण किया था जिससे पता चला कि 1981 तक कृत्रिम अवयवों की आवश्यकता 194 हजार हो जायेगी। कुछ हद तक ये आवश्यकताएं सरकार और निजी निकायों द्वारा संचालित अवयव लगाने वाले केन्द्रों द्वारा कुछ उपकरणों का आयात करके स्थानीय व्यवस्था के द्वारा तथा कुछ सामान्य इंजीनियरी सिद्धांतों द्वारा अपेक्षित छोटे-मोट हार्डवेयर का उत्पादन करके पूरी की जा रही हैं।

(ग) आर्टीफीशियल लिम्बस् मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन आफ इंडिया में पूरी तरह से उत्पन्न होने लगने पर आशा की जाती है कि कुछ अत्यन्त सक्ष्म प्रकार के उपकरणों को छोड़कर जिनका निर्माण अलाभप्रद होगा देश की सारी आवश्यकता पूरी कर लेगा।

Guide Lines for Giving Dialect a Status of Language

2387. **Shri Shanker Rao Savant :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether any guide lines have been laid down for giving a dialect the status of a language;

(b) if so, when were they laid down, by whom and the salient features thereof;

(c) whether Konkani is given the status of a language;

(d) if so, by whom, and the purposes thereof; and

(e) Whether the views of the Government of Goa were ascertained before taking this decision ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) & (d) The 1931 Census Report treated Konkani as a separate language. Since then, the number of persons who returned Konkani as their mother-tongue has been shown separately in the published Census documents. It is not possible to ascertain now the reasons for this decision. The 1931 Bombay Census Report noted that Konkani was considered by Scholars to be derived not from Marathi but separately and earlier from another Prakrit.

(e) Does not arise. Goa became a Union territory on 20 December;1961, whereas the decision was taken in 1931.

Shortage of Hindi Type Writers

2388. **Shri Nageshwar Dwivedi :** Will the Ministe r of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) whether there is a complaint about shortage of Hindi type writers in Government departments keeping in view their demand;

(b) whether in view of the shortage of these typewriters, steps are being taken to increase production; and

(c) whether experiment is being made to design a new model of the typewriter and if so, the outlines thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri B. P. Maurya): (a) We have not received any such complaint.

(b) Following steps have been taken to increase the production of typewriters/Hindi typewriters in the country :—

(i) The new units to whom licences/Letters of Intent have been issued for the manufacture of typewriters have been askd to produce 50% of their capacity in regional languages

(ii) During the Licensing period 1975-76, the typewriter industry was brought under the purview of select industry so that the units under this industry can get additional imported raw materials and components. This will help them in ncreasing the production of typewriters.

(c) While efforts are being made to Improve the performance of the Hindi typewriters, there is no proposal under the consideration of this Ministry to Develop a new model.

अम्बर चर्खा परियोजना में पूंजी निवेश

2389. **श्री नारायण चन्द पराशर:** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में राज्यवार, अम्बर चर्खा परियोजनाओं में कुल कितना पूंजी निवेश किया गया है ;

(ख) प्रत्येक राज्य में इन परियोजनाओं में कितने-कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला है और संक्षेप में इनमें कितना व्यवसाय हुआ है; और

(ग) क्या गांवों में और अधिक यूनिट स्थापित करने के प्रयास किये जायेंगे ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-10683/76]

(ग) जी हां, गांवों में और अधिक एकक लगाये जाने का प्रस्ताव है ।

पर्वतीय राज्यों में ग्रामोद्योगों की प्रगति

2390. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के पर्वतीय राज्यों में गत तीन वर्षों में खादी सहित ग्रामोद्योगों में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इन उद्योगों में कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) और (ख) अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड त्रिपुरा के सातों पर्वतीय राज्यों में खादी तथा ग्रामोद्योग में पिछले तीन वर्षों में की गई प्रगति निम्न प्रकार है :—

रुपये लाख में

वर्ष	1972-73	1973-74	1974-75
उत्पादन	516.62 रुपये	640.63 रुपये	531.45 रुपये
बिक्री	313.54 रुपये	429.94 रुपये	469.85 रुपये
रोजगार	0.47	0.31	0.40

Accommodation for Jawans of C.R. P. at Neemuch

2391 **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether sufficient residential accommodation is not available for all the Jawans of C.R.P. at its Neemuch Headquarters ; and

(b) the number of battalions stationed there at present and the number of Jawans for whom accommodation is available ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) Sufficient residential accommodation is available at Neemuch for Jawans of C.R.P.F.

(b) At present no Battalion is stationed at Neemuch. Accommodation for about 2000 Jawans is available there.

औद्योगिक वस्तुओं का मूल्य तथा कोटि

2392. **श्री वसंत साठे :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या औद्योगिक तथा उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य घटाने तथा इन वस्तुओं की कोटि में सुधार करने के लिए सरकार ने कोई एकमुश्त उपाय निकाले हैं, और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) उत्पादकों की गुणवत्ता के संबंध में भारतीय मानक संस्था के प्रमाणीकरण चिन्हांकन के प्रयोग को प्रोत्साहन

देने के अलावा सरकार ने हाल ही में एकत्रित वस्तु आदेश (पैकेज्ड कमोडिटी आदेश) जारी किया है जिसके अनुसार उत्पादकों के लिए पैक की गई वस्तुओं की तोल और अधिकतम मूल्य आदि का उल्लेख करना जरूरी कर दिया गया है। वस्तुओं की गुणवत्ता और मूल्य को उपयुक्त स्तर पर बनाये रखने का सुनिश्चिय करने के लिए मंत्रालयों, विभागों द्वारा निर्माताओं के साथ नियमित रूप से बातचीत भी की जाती है।

बिजली घरों को सप्लाई किए जाने वाले कोयले की किस्म में सुधार

2393. **श्री डी० डी० देसाई : ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या बिजली घरों को सप्लाई किए जाने वाले कोयले की किस्म में हाल के महीनों में बहुत सुधार हुआ है

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या वायुमंडल में राख दूषण न होने देने के लिए बिजली घरों को अनुदेश दिए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) विद्युत केन्द्रों और कोयला खानों का परस्पर संबंध भली-भांति जोड़ देने, स्क्रीनिंग और साइजिंग व्यवस्था किए जाने, संयुक्त रूप से नमूना लिए जाने, करारों में बोनस-पैनल्टी संबंधी धारा को सम्मिलित करके, लदान स्थलों पर निरीक्षकों की तैनाती आदि जैसे उपायों को कार्यान्वित करने के फलस्वरूप, हाल ही के महीनों में बिजली घरों को सप्लाई किए गए कोयले की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। ताप-विद्युत उत्पादन में वर्ष 1974-75 की तुलना में वर्ष 1975-76 में 9% की वृद्धि हुई है।

(ग) जी, हां।

उत्पादकों द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में कमी

2394. **सरदार मोहिन्दर सिंह गिल**: क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बजट में विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत दी गयी रियायतों को ध्यान में रखते हुए बहुत सी वस्तुओं के निर्माताओं को निदेश दिये गये हैं कि वे अपने उत्पादों के मुल्य कम करें;

(ख) यदि हां, तो इन निर्माताओं को कौन से मार्गदर्शी सिद्धांत भेजे गये हैं और उन पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या इस बारे में उद्योगों के लिये कोई समय सीमा दी गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) से (ग) : 1976-77 का बजट पेश किए जाने के तुरंत बाद नागरिक पूर्ति संबंधी सलाहकार समिति, जिसमें सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों, उद्योग, व्यापार तथा उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि शामिल है, की एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में विनिर्माताओं के प्रतिनिधियों ने बजट प्रस्तावों से लाभान्वित होने वाली विनिर्मित वस्तुओं के मूल्यों में तुरन्त कमी करना स्वीकार किया। 15 मार्च, 1976 को पैकेज में रखी गई वस्तु (विनियमन) आदेश, 1975 में संशोधन किया गया, ताकि इस आदेश के अधीन आने वाली सभी पैकेज बंद वस्तुओं, के मूल्यों में इस बात की ओर ध्यान दिये बिना तुरन्त कमी की जा सके कि वे किस महीने में पैक की गई हैं।

बजट प्रस्तावों के फलस्वरूप कई विनिर्मित वस्तुओं के मूल्यों में कमी कर दी गई है । इन वस्तुओं में कुछ इस प्रकार हैं—टायलेट साबुन जिसमें जनता साबुन भी शामिल है, धुलाई का साबुन, सिंथेटिक डेटरजेंट, मैटल ब्लैड, ड्राई सैल, एल्यूमिनियम के बर्तन, मेज पर रखने वाले पंखे, सिगरेटों मध्यम आकार के रेफ्रीजरेटर तथा टेलीविजन सेट ।

"सन्स आफ दी सोयल" सिद्धांत पर राज्यों को निदेश

2395. **श्री एस०आर० दामाणी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारें रोजगार तथा अन्य संबंधित मामलों में संकीर्ण नीतियों का अनुसरण कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में 'सन्स आफ दी सोयल' सिद्धांत पर अधिक बल दिया जाता है; और

(ग) क्या इस बारे में राज्य सरकारों को कोई निदेश दिये गये हैं और यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) राष्ट्रीय एकता परिषद् ने 1968 में इस प्रयोजन हेतु सिफारिश की थी कि स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो और उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो और जहां राज्य के लोगों में से जो लोग योग्यता प्राप्त हों, उन्हें रोजगार का अधिक भाग दिया जाय और इस उद्देश्य को नीति के रूप में कार्यान्वित करने के लिए नियोजक से अनुरोध किया जाये । स्पष्टतया, इसके अनुसरण में महाराष्ट्र और तमिल नाडु जैसी कुछ राज्य सरकारों ने अपने राज्यों के औद्योगिक उपक्रमों में रोजगार के मामले में स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता देने के संबंध में अपील की है ।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को कोई निदेश जारी नहीं किये हैं ।

Inquiries into Newsprint Quota Given to "Avantika" Hindi daily of Ujjain

2396. **Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether enquiries were conducted by separate Government agencies regarding newsprint quota given to "Avantika", a Hindi daily of Ujjain during the period from 1972 to 1975;

(b) whether some cases are still under consideration; and

(c) if so, the decision taken by Government in these cases ;

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) Central Bureau of Investigation conducted investigations into allegations regarding the sale of newsprint imported by "Avantika" against imported licences obtained during the years 1968 to 1972. The matter is under the consideration of the Chief Controller of Imports and Exports of the Ministry of Commerce. No other inquiries have been conducted against the newspaper.

सिलचर और सिलिगुड़ी में प्रेस सूचना ब्यूरो के नये कार्यालय खोलने का प्रस्ताव

2397. **श्री शंकर नारायण सिंह देव :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के कछार जिले और पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में बंगला भाषा में छोटे समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, और .

(ख) यदि हां, तो क्या सिलचर और सिलिगड़ी में प्रेस सूचना ब्यूरो के नये कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) इन क्षेत्रों से बंगला में 19 छोटे समाचार पत्र और नियतकालिक पत्र प्रकाशित होते हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दिया जाना

2398. **श्री वसंत साठे :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने की केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत छः महीने के कठोर कारावास तथा 20 से 40 दिन तक की दंड क्षमा की सामान्य अवधि के अलग-अलग होते हुये भी स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन दी गई थी और पहले मंजूर किये गये कुछ मामलों में पेंशन इस कारण बन्द कर दी गई थी कि दंड क्षमा की अवधि एक महीने से अधिक है और कारावास की वास्तविक अवधि पांच महीने से कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या बाद में गांधी-अर्विन समझौते के अन्तर्गत स्वतंत्रता सेनानियों को शामिल करने के बारे में जो निर्णय लिया गया उसके अनुसार कारावास की कम से कम अवधि पांच महीने निर्धारित की गई थी और यह शर्त समान रूप से सभी स्वतन्त्रता सेनानियों पर लागू की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो कुछ मामलों में ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन, जिन्हें छः महीने के कठोर कारावास में से 30 दिन से अधिक सामान्य अवधि की छूट दी गई थी; बाद में क्यों अस्वीकृत की गई ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) से (ग) : स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन योजना, 1972 में यह प्रावधान है कि सामान्य दण्ड क्षमा की अवधि को वास्तविक कारावास का भाग समझा जायेगा । चूंकि दंड क्षमा नियम हर राज्य में भिन्न भिन्न थे अतः अगस्त, 1974 में निर्णय लिया गया था कि इस प्रयोजन के लिये 30 दिन से अधिक दंड क्षमा पर विचार नहीं किया जाए । इस निर्णय को ध्यान में रख कर पहले से तय किये गये मामलों का पुनरीक्षण किया गया था ।

उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिये कार्यक्रम

2399. **श्री मान सिंह भौरा :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिये कार्यक्रम को शीघ्र क्रियान्वित करने हेतु कोई विशेष योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी०पी० मौर्य) : (क) और (ख) क्षमता के पूर्ण अपयोग को बढ़ाने, निर्यात के विकास को अधिक करने, आधुनिकीकरण में सहायता करने और तकनीकी उन्नयन संबंधी सरकारी नीति के संदर्भ में उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में एक तकनीकी विकास प्रकोष्ट् की स्थापना की गई है। इन प्रयत्न को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने आधुनिकीकरण कार्यक्रम के शीघ्र कार्यान्वियन हेतु एक विशेष योजना बनाई है। इस हेतु एक तकनीकी विकास निधि बनाई गयी है ।

यह निधि (फंड) चुने हुए आई०डी०ए० उद्योगों अर्थात् वाणिज्यिक गाड़ियां, ट्रेक्टर, गढ़ाई फाउन्ड्री, वस्त्रनिर्माण मशीनरी, और मशीन टूल्स के उपयोग में लाई जायेगी। अन्य उद्योगों पर निर्यात आदेशों में उद्यम के सामने प्रतियोगिता की स्थिति आने पर विशेष आवश्यकता के समय विचार किया जा सकेगा ।

समेकित ढंग से शीघ्रतर सुधार के उद्देश्य से प्रस्तावित योजनाओं को प्राथमिकता दी जायेगी :

क---निर्यात क्षमता और निर्यात की माता

ख---लागत में कमी

ग---क्षमता का उपयोग

घ---तकनीकी का उन्नयन

ङ---प्रोडक्ट मिक्स रेशनेलाइजेशन

च---आधुनिकीकरण और रेशनेलाइजजेशन

पुलिस के प्रति धारणा को सुधारना

2400. **श्री भान सिंह भौरा :**

श्री मूलचन्द डागा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने भारतीय पुलिस के प्रति धारणा को सुधारने के लिये मुख्य मंत्रियों को आठ-सूत्री कार्यक्रम का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं।

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) और (ख) केन्द्रीय गृह मंत्री ने हाल में मुख्य मंत्रियों को इस बात पर बल देते हुये लिखा है कि पुलिस-जनता के संबन्धों में सुधार लाने के लिये पुलिस के दैनिक कार्य में अनावश्यक हिंसा को त्यागने तथा उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम को सुव्यवस्थित करके उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है ।

एकाधिकार-गृहों का अधिग्रहण

2401. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब राज्य विकास तथा आत्म निर्भरता संबंधी सम्मेलन ने देश में एकाधिकार गृहों का अधिग्रहण करने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी तथ्य क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी०पी० मौर्य) : पंजाब राज्य विकास तथा आत्मनिर्भरता संबंधी सम्मेलन द्वारा देश के एकाधिकार गृहों का अधिग्रहण करने की मांग से सरकार अवगत नहीं है। हां, विकास और आत्मनिर्भरता संबंधी एक सम्मेलन 13/14 मार्च, 1976 को अमृतसर में पंजाब राज्य इण्डो-सोवियत कल्चरल सोसाइटी के तत्वाधान में हुआ था सूचना है कि उसमें अन्य सिफारिशों के साथ एक ऐसी भी एक सिफारिश की थी कि पंजाब राज्य के भावी औद्योगिक विकास में बहुराष्ट्रीयों और एकाधिकार गृहों के प्रवेश के रोकने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत ओप्थैल्मिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर को हुई हानि

2402. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या **उद्योग और नागरिक** और **पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1974-75 के दौरान भारत ओप्थैलमिक ग्लास लिमिटेड दुर्गापुर को कितनी राशि की हानि हुई और संचित हानि की राशि क्या है ;

(ख) क्या वहां प्रस्ताविक "टैंक फर्नेस" बना दी गई है ;

(ग) इस उद्योग को सक्षम बनाने के लिये अन्य उपाय क्या करने का प्रस्ताव है ; और

(ध) इस उद्योग के न लाभ न हानि की स्थिति में पहुंचने की संभावित तारीख क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी०पी० मौर्य) : (क) मैं० भारत ओप्थैलिमक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर में वित्तीय वर्ष 1974-75 की अवधि में 121.74 लाख रुपये की हानि हुई। कम्पनी की 31 मार्च, 1975 तक की कुल संचित हानि 610.2 लाख रुपये है।

(ख) टैंक फरनेस लगाकर निरन्तर प्रक्रिया प्रौद्योगिकी विकसित करने का कम्पनी का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ग) उपक्रम को जीव्य बनाने के लिये निम्नलिखित अभ्युपाय किये गये हैं अथवा किये जाने का प्रस्ताव है :—

(1) सरकार द्वारा दिए गए ऋणों पर व्याज का भारी प्रभार घटाने के विचार से सरकार के 270 लाख रुपए के ऋण को कम्पनी की इक्विटी पूंजी में बदलने का निश्चय किया गया है। सरकार ने पोस्टरी-स्ट्रक्चर्ड और सरकारी ऋण की 292.31 लाख रुपये की बकाया राशि के सम्बन्ध में (1975-76 से 1979-80) तक पांच वर्ष की अवधि के लिये ऋण भुगतान और व्याज मुक्ति की मोहलत देना स्वीकार कर लिया है।

(2) फ्लिन्ट बटनों, टिन्टेड ब्लेंकों आदि जैसे ऊंचे मूल्य की वस्तुओं का उत्पादन करने के विचार से कम्पनी ने उत्पाद मिश्र में उपयुक्त संशोधन किया है।

(3) कम्पनी अधिक लाभकारी चाक्षुप कांच की वस्तुओं जैसे आप्टिकल ग्लास प्रिज्मों, आप्टिकल लेन्सों आदि का उत्पादन करने के लिये कम्पनी ने उत्पादन में विविधता की है।

(4) ओप्थैल्मिक और आप्टिकल ग्लास का उत्पादन जो 1975–76 की अवधि में 127 मी० टन था उसे बढ़ाकर 1976-77 में 150 मी० टन कर देने का प्रस्ताव है।

(5) ओप्थेल्मिक विभाग जिसमें हानि हो रही थी बन्द कर दिया गया है।

(घ) वित्तीय वर्ष 1978-79 में कम्पनी को हानि रहित स्थिति में आ जाने की आशा है।

कर्नाटक की वर्ष 1976-77 की वार्षिक योजना

2403. **श्री के० मालन्ना** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1976-77 के लिये कर्नाटक राज्य के वार्षिक योजना परिव्यय को स्वीकृति प्रदान कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस वार्षिक योजना में किन योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई०के० गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) कर्नाटक की 1976-77 की वार्षिक योजना में आधारभूत क्षेत्र, अर्थात् कृषि और सम्बद्ध सेवाओं तथा जल व विद्युत विकास की अपेक्षाकृत उच्च प्राथमिकता दी गई है। इन क्षेत्रों के जिन कार्यक्रमों/स्कीमों को प्राथमिकता दी गई है, वे इस प्रकार हैं :—

कृषि और संबद्ध सेवाएं

(1) कृषि उत्पादन

(2) भूमि सुधार

(3) छोटी सिंचाई

(4) भूमि और जल संरक्षण

(5) क्षेत्र विकास

(6) पशु पालन

(7) दुग्ध उद्योग

(8) मत्स्य-पालन

(9) वन उद्योग

(10) सामुदायिक विकास

सिंचाई परियोजनाएं

मालप्रभा
घाटप्रभा चरण 1 और 2
तुंगभद्रा बायां और दायां तट
तुंगभद्रा एच० एल० सी० चरण 1 और 2
भद्रा

विद्युत परियोजनाएं

कालीनदी पन बिजली परियोजना-चरण 1

Ordnance Factories

2404. **Shri M.C. Daga : Will the Minister of Defence** be pleased to state :

(a) whether the capacity of Ordnance factories is being utilised fully; and

(b) the value of the goods exported by them in 1974-75 ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri V.N. Gadgil) : (a) While attempts are constantly made to utilise the available capacity in Ordnance Factories as fully as possible, the volume of orders from the Defence Services as well as fluctuations of Services demands for specific stores do not always permit this. However, where spare capacity arises an attempt is made to use such capacity for meeting the requirements of civil trade etc. to the extent possible.

(b) It will not be in the public interest to disclose the value.

ईरान की सहायता से उद्योगों की स्थापना

2405. **श्री अनविन्द एम० पटेल :**

श्री एन० आर० वेकारिया : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईरानी वित्तीय सहायता से भारत में विभिन्न उद्योगों की स्थापना के बारे में भारत और ईरान की सरकारों के मध्य कोई विचार-विमर्श हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो ये उद्योग कहां-कहां स्थापित होगें और किस-किस प्रकार के होंगे ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख): ईरानी वित्तीय सहायता से कुदरेमुख लौह अयस्क खानों के विकास के लिये एक करार किया गया है। भारत तथा ईरान की सरकारों के बीच भारत में कागज/लुगदी, उर्वरक और एल्युमीना उद्योगों की स्थापना में क्षेत्र में सहयोग करने की संभावनाओं के सम्बन्ध में भी विचार विमर्श हुआ था ।

Receipts of Bales of dyed cloth by K.G.B., New Delhi from Bombay by trucks

2407. **Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) whether large number of bales of dyed cloth were received in Khadi Bhawan, New Delhi by trucks from Bombay to Delhi in 1975-76; and

(b) if so, the total number of bales reached Delhi so far and the transportation charges paid per truck ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri A.P. Sharma) (a) Yes, Sir.

(b) 346 bales of dyed cloth reached Delhi, The total amount of transportation charges paid for the above mentioned bales was Rs. 16,321,30,

फिल्म वित्त निगम द्वारा सामाजिक जागरुकता फिल्मों को सहायता

2408. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि फिल्म वित्त निगम उन फिल्मों को सहायता देगा जिन में सामाजिक जागरूकता का जीवन दिखाया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) फिल्म वित्त निगम की सामाजिक जागरूकता का चित्रण करने वाली फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहन देने की पहले से ही नीति है । निगम द्वारा वित्त पोषित कुछ फिल्में ये हैं :--
'गो दान', 'भुवन शोम', 'दस्तक', 'कन्कु', 'गरम हवा', 'दिक्कत्र पार्वती', और 'परिणय' ।

काली पनबिजली परियोजना के कारण विस्थापित व्यक्तियों की शिकायतें

2409. **श्री बी० वी० नायक : क्या ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें 27 जनवरी, 1976 को कर्नाटक राज्य में काली पनबिजली परियोजना स्थल पर अपनी यात्रा के समय विस्थापित व्यक्तियों की कठिनाइयों की जानकारी मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे शिकायतें क्या थीं ; और

(ग) इस बारे में क्या करने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) कोई विशिष्ट शिकायतें मन्त्री महोदय के ध्यान में नहीं लाई गई थीं। परियोजना प्राधिकारियों ने बताया है कि राज्य सरकार ने अधिकारियों और गैर-सरकारी व्यक्तियों की जो पुनर्वास समिति गठित की है उसकी बैठक, इस समस्या पर विचार करने के लिये, समय-समय पर होती रहती है ।

कोयले का उत्पादन और उस पर खर्च

2410. **श्री एस० आर० दामाणी : क्या ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में कोयले के उत्पादन और उस पर खर्च संबंधी मासिक आंकड़े क्या हैं तथा गत वर्ष में तत्संबन्धी आंकड़े क्या थे।

(ख) क्या इस वर्ष अधिक उत्पादन अधिक व्यक्ति काम पर लगाए जाने के कारण हुआ है अथवा प्रति व्यक्ति अधिक उत्पादन अथवा अन्य संचालन कार्य कुशलता के फलस्वरूप हुआ है; और

(ग) उपरोक्त प्रत्येक अथवा सभी मामलों संबंधी तथ्य क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) से (ग) 1975-76 के दौरान कोयला उत्पादन के मासिक आंकड़े तथा 1974-75 के तुलनात्मक मासिक आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

(लाख टनों में)

मास	1975—76	1974—75
(1)	(2)	(3)
अप्रैल	78.1	65.0
मई	77.1	69.0
जून	74.5	66.7
जुलाई	76.5	69.6
अगस्त	75.3	69.0
सितम्बर	78.8	70.1
अक्टूबर	76.8	68.6
नवम्बर	80.3	74.5
दिसम्बर	90.8	77.5
जनवरी	91.3	87.0
फरवरी	97.1	80.2
मार्च	102.4	86.9
जोड़	999.0	884.1

शेष जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बड़े औद्योगिक एककों के उत्पादन की जांच

2411. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बड़े-बड़े औद्योगिक एककों द्वारा अपनी लायसेंस प्राप्त क्षमताओं की तुलना में किए गए उत्पादन की जाँच करना आरंभ किया है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन एककों की जांच की गई और उससे क्या निष्कर्ष निकले ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख)

औद्योगिक एककों के उत्पादन के निष्पादन पर सरकार निगरानी रखती है। औद्योगिक उपक्रमों को संबंधित तकनीकी प्राधिकरण को मासिक उत्पादन विवरणियां भेजनी होती हैं वह उनकी संवीक्षा करता है ताकि लाइसेंस क्षमता पर हुए उत्पादन की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखा जा सके। क्षमता का कम उपयोग करने के प्रकरण में औद्योगिक उपक्रम को अपनी स्थापित क्षमता का उपयोग बढ़ाने में सहायता देने के अभ्युपाय किए जाते हैं।

औद्योगिक उत्पादन में लघु उद्योग क्षेत्र का योगदान

2412. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में समस्त औद्योगिक उत्पादन में लघु उद्योग क्षेत्र का क्या योगदान रहा और चालू वर्ष में इस संबंध में क्या अनुमान है;

(ख) किन-किन उद्योगों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है; और

(ग) किस्म और बिक्री में सुधार करने के लिए उन्हें धन संबंधी कितनी विशेष सहायता की पेशकश की गई है?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) तकनीकी विकास के महानिदेशालय और लघु उद्योग के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निर्माण कार्य करने वाले क्षेत्र के मिले जुले उत्पादन में बाद वाले क्षेत्र के अंश का अनुमान विद्यमान मूल्यों पर 1973 में 36 प्रतिशत और 1974 में 38 प्रतिशत सकल उत्पादन स्तर पर लगाया गया है चालू वर्ष के लिए अनुमान 38 प्रतिशत और 40 प्रतिशत के बीच रहने की आशा है ।

(ख) चमड़ा, रबड़ और धातु के उत्पादन और बिजली की मशीनों को छोड़कर मशीनें ।

(ग) लघु उद्योग क्षेत्र के उद्योगों की किस्म और पण्यावर्त में सुधार करने के लिए प्रारम्भ में 10 उद्योग चुने गए हैं जिनके नाम मशीनी औजार, मोटरगाड़ियों के पुर्जे और सहायक सामान, ढलाई, बिजली के घरेलू उपकरण, हौजरी और बुने हुए वस्त्र, साइकिलें और साइकिलों के हिस्से, हाथ के औजार, चमड़ा और चमड़े का सामान, वैज्ञानिक औजार एवं स्टोरेज बैटरी तथा उसके हिस्से बनाने वाले उद्योग हैं । वर्ष 1976-77 के लिए लगभग 10 लाख रु० की कुल राशि की संस्थागत सहायता देने का प्रावधान किया गया है। जिसमें संयंत्र के अंदर अध्ययन, परामर्श देने, कार्यशालायें, उद्योग के दवाखानों, प्रशिक्षण आदि पर होने वाला खर्च शामिल है । वर्ष 1975-77 में कलकत्ता और दिल्ली में दो औजार कक्षों की स्थापना करने और प्रशिक्षण के लिए 40 लाख रु० का प्रावधान किया गया है।

मद्रास में टेलीविजन केन्द्र का प्रसारण क्षेत्र

2413. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास में टेलीविजन केन्द्र से प्रसारित कार्यक्रमों को कितने क्षेत्र में देखा जा सकेगा; और

(ख) क्या इसके प्रसारण क्षेत्र को बढ़ाने का विचार है जिससे आंध्र प्रदेश के नेल्लौर और चित्तूर के जिला मुख्यालय टाउनों और तमिलनाडु में वेल्लौर में जो मद्रास से 150 किलोमीटर की दूरी के अन्दर है, इन कार्यक्रमों को देखा जा सके ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) सीमित तकनीकी सुविधाओं और अस्थायी एरियल के कारण इस केन्द्र के कार्यक्रम केवल 10 किलोमीटर तक के घेरे में देखे जा सकते हैं । अगले कुछ महीनों में स्थायी टावर चालू होने पर इस केन्द्र के कार्यक्रम 80 किलोमीटर तक के घेरे में देखे जा सकेंगे ।

(ख) इस केन्द्र का सेवा क्षेत्र 80 किलोमीटर के घेरे से आगे बढ़ाने तथा और दूर के नगरों के इसके सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत चलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए गठित समिति का प्रतिवेदन

2414. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए उपयुक्त नीति निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए योजना आयोग ने 14 अक्तूबर, 1972 को एक समिति गठित की थी और 9 अप्रैल, 1974 को उस समिति का पुनर्गठन किया गया था;

(ख) क्या समिति ने अपना अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारशें क्या हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई०के० गुजराल) (क) जी, हां ।

(ख) समिति ने अपनी रिपोर्ट को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया है । इसको शीघ्र पूरा करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पर्वतीय क्षेत्रों के पिछड़े इलाकों के लिये आधारभूत ढांचा

2415. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री पिछड़े क्षेत्रों के लिए आधारभूत ढांचे के बारे में 7 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1781 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पिछड़े क्षेत्रों में आवश्यक आधारभूत ढांचा बनाने के साथ साथ इन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के संवर्धन के लिए उपयुक्त कार्यक्रम तथा नीति तैयार करने के उद्देश्य से उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में स्थापित किए गए कार्यकारी दल ने आम तौर से देश के पिछड़े क्षेत्रों में तथा विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिए नई रेलवे लाइनें बिछाने की मंजूरी देने की ओर कोई विशेष ध्यान दिया है;

(ख) कार्यकारी दल द्वारा इस संबंध में योजना आयोग तथा रेल एवं वित्त मंत्रालयों को दी गई सिफारिशों की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है; और

(ग) इस कार्यकारी दल की स्थापना के समय इसके सदस्य कौन-कौन थे और अब कौन-कौन हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) नई रेलवे लाईन बिछाने की मंजूरी के सम्बन्ध में कार्यकारी दल द्वारा विचार नहीं किया गया था ।

(ख) कार्यकारी दल द्वारा की गई सिफारिशें निम्नलिखित हैं :—

(1) राज्य सरकारों को पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण के लिए नीतियाँ निर्धारित करने निर्देश और मार्गदर्शन देने तथा वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक केन्द्रीय पिछड़ा क्षेत्र औद्योगिक विकास निगम स्थापित किया जाना चाहिये ।

(2) पिछड़े क्षेत्रों में प्रोत्साहित किए जाने वाले उद्योगों में बड़े मझौले और लघु उद्योग शामिल होंगे।

(3) शुरू में पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि में कार्यक्रम को पूंजीगत सहायता प्राप्त करने वाले जिले के 50 विकास केन्द्रों तक सीमित रखा जायेगा।

(4) पिछड़ा क्षेत्र औद्योगिक विकास निगम आवश्यक तौर पर राज्य स्तर के विद्यमान संगठनों के माध्यम से कार्य करेगा। जहाँ कहीं फिलहाल इस प्रकार की संस्थागत व्यवस्था उपलब्ध नहीं है कार्यक्रम चलाने के लिए राज्य सरकार ऐसे संगठन स्थापित करेगी।

(5) राज्य की ऐसे ही संगठनों को पिछड़ा क्षेत्र औद्योगिक विकास निगम से ऋण, अनुदान और इक्विटी सहभागिता के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकेगी।

(6) पिछड़े क्षेत्र के औद्योगिक विकास निगम के लिए राज्यस्तर के संगठनों को आर्थिक सर्वेक्षण कार्यक्रम शुरू करने विशेषज्ञों की नियुक्ति करने और ब्याज की दरें आदि कम करने के लिए अनुदान देना भी आवश्यक होगा।

(7) पिछड़े क्षेत्रों में बड़े और मझौले उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए लाइसेंस नीति का उपयोग करना भी आवश्यक होगा/हो सकता है।

(8) इच्छुक और समर्थ उद्यमियों को पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए आकर्षित करने में अवस्थापना ढाँचा सम्बन्धी सुविधाएं ही पर्याप्त न हो अतः 15% पूंजी सहायता के अलावा बिक्री कर; बिजली की दरों आदि में रियायतें देना आदि भी आवश्यक हो सकता है।

(9) आवश्यक तौर से संपूर्ण कार्यक्रम समयबद्ध होना चाहिए ताकि कार्यक्रम तैयार करने और उनके कार्यान्वयन में अधिक अंतर की गुंजाइश न रहने पाए।

यद्यपि कार्यकारी दल में योजना आयोग के अधिकारी भी शामिल थे किन्तु ये सिफारिशें योजना आयोग अथवा रेल मंत्रालय को नहीं की गई थीं।

(ग) कार्यकारी दल का गठन निम्न प्रकार किया गया था :--

1. सचिव,
औद्योगिक विकास विभाग। — अध्यक्ष

2. विकास आयुक्त,
लघु उद्योग।

3. संयुक्त सचिव,
औद्योगिक विकास मंत्रालय।

4. प्रधान,
ग्राम और लघु उद्योग, योजना आयोग।

5. संयुक्त विकास आयुक्त,
लघु उद्योग।

6. निदेशक,
   लघु उद्योग, नई दिल्ली।

7. निदेशक, लघु उद्योग, नई दिल्ली।

8. संयुक्त निदेशक,
   औद्योगिक विकास मंत्रालय।

9. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी,
   योजना आयोग।

10. रिवर्व बैंक आफ इंडिया का एक अधिकारी।

11. प्रबंध निदेशक,
    लघु उद्योग विकास निगम, तमिलनाडु (मद्रास)

12. प्रबंध निदेशक,
    ए० पी० आई० आई० सी०, हैदराबाद।

13. उद्योग निदेशक,
    उत्तर प्रदेश।

14. निदेशक,
    कुटीर एवं लघु उद्योग, पश्चिम बंगाल।

15. कार्य की अनिवार्यता के कारण निम्नलिखित लोगों ने बैठक में सम्मिलित होने में अपनी असमर्थता व्यक्त की :--

    (1) औद्योगिक विकास आयुक्त,
        बिहार।

    (2) प्रबंध निदेशक,
        राज्य औद्योगिक और विकास निगम, महाराष्ट्र।

    (3) प्रबंध निदेशक,
        गुजरात अलकालीज एण्ड केमिकल्स लि०, अहमदाबाद।

कार्यकारी दल का कार्य सिफारिशें दे देने के बाद समाप्त हो गया है।

Asian Press Agency

2416 **Shri K.M. Madhukar :** Will the Minister of Information and Broadcasting be pleased to state :

(a) whether Asian Press Seminar was recently held in Djakarta wherein a decision was taken for setting up of an Asian Press Agency;

(b) if so, the reaction of Government thereto; and

(c) whether Government propose to implement this proposal; if so, by what time?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Government are not aware of any such Asian Press Seminar.

(b) and (c) Do not arise.

विभिन्न एककों में परमाणु ऊर्जा का प्रजनन

2417. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री परमाणु ऊर्जा से बिजली के उत्पादन के बारे में 17 मार्च, 1976 के तारांकित प्रश्न संख्या 133 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय परमाणु ऊर्जा का वास्तविक उत्पादन कितना है, विभिन्न एककों का तत्सम्बन्धी विवरण क्या है और पूरी क्षमता के अनुसार उत्पादन के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : वर्ष 1975-76 में परमाणु बिजली का उत्पादन निम्नलिखित प्रकार से 2625.504 मिलियन किलोवाट घंटे रहा है :--

	(मिलियन किलोवाट घंटों में)
तारापुर परमाणु बिजलीघर का पहला यूनिट .	1113.802
तारापुर परमाणु बिजलीघर का दूसरा यूनिट . .	979.702
राजस्थान परमाणु बिजलीघर का पहला यूनिट .	532.000
	2625.504

वर्तमान में तारापुर परमाणु बिजलीघर के दोनों यूनिट लगभग पूरी क्षमता से कार्य कर रहे हैं, जबकि राजस्थान परमाणु बिजलीघर का पहला यूनिट फरवरी, 1976 से बन्द पड़ा है तथा उसके अप्रैल, 1976 के मध्य तक फिर से चालू हो जाने की आशा है। वर्ष 1977 में इस यूनिट को जब अगली वार्षिक देखभाल के लिए बन्द किया जाएगा, तब इसमें तीसरी स्टेज के वे ब्लेड लगा दिए जाएंगे जिन्हें खराब होने की वजह से निकाल लिया गया है तथा उसके बाद ही यह यूनिट पूरी क्षमता से उत्पादन कर सकेगा।

लायन्स क्लब इंटरनेशनल की गतिविधियां

2418. **श्री वयालार रवि :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "लायन्स क्लब इन्टरनेशनल" का "सी० ए० आर० ई०" के संगठनों में निकट का सम्बन्ध है; और

(ख) यदि हां, तो भारत में उक्त क्लब की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) सरकार को मालूम है कि लायन्स क्लब इन्टरनेशनल सी० ए० आर० ई० द्वारा प्रायोजित कुछ परियोजनाओं से संबद्ध है। इस बारे में आवश्यक सतर्कता बरती जाती है और इस मामले में किसी आपत्तिजनक गतिविधि से निपटने के लिए उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी।

केरल में वज्हापाडा और पथनापुरम के हरिजन आदिवासियों की बेदखली

2419. **श्री वयालार रवि** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में बज्हापाड़ा और पथनापुरम के हरिजन आदिवासियों को बेदखल कर दिया गया है और उनकी खेती की नीलामी की जा रही है;

(ख) क्या उन्हें गिरफ्तार किया गया है और उन पर मुकदमें दायर किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) राज्य सरकार से तथ्य मालूम किए जा रहे हैं।

51 परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा ऋण की मंजूरी

2420. **मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने 51 परियोजानाओं के वित्त पोषण के लिए 25.3 करोड़ रुपये की राशि के ऋण मंजूर किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं के नाम तथा तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के निदेशक बोर्ड ने 8 मार्च, 1976 को हुई अपनी बैठक में विभिन्न राज्य विजली बोर्डों की 51 ग्राम विद्युतीकरण योजनाएं कुल 25.396 करोड़ रुपये ऋण सहायता के लिए स्वीकृत की हैं।

(ख) स्वीकृत योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण (उपाबंध) में दिया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-10684/76]

10+2+3 प्रणाली लागू होने के परिणामस्वरूप सरकारी सेवा में प्रवेश की आयुसीमा का बढ़ाया जाना

2421. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार 10+2+3 प्रणाली लागू होने और उसके परिणामस्वरूप शिक्षा में एक वर्ष का समय बढ़ जाने पर सरकारी सेवा में प्रवेश की आयु-सीमा में वृद्धि करने के बारे में विचार कर रही है?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : जी नहीं श्रीमान्। पुरानी शिक्षा पद्धति में विश्वविद्यालय की डिग्री प्राप्त करने तक कुछ राज्यों में शिक्षा की कुल अवधि 14 वर्ष थी और अन्य राज्यों में 15 वर्ष थी। नई शिक्षा पद्धति में, सभी राज्यों में शिक्षा की कुल अवधि में एकरूपता लाने का प्रयत्न किया गया है। सरकार, शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली के लागू होने के परिणामस्वरूप सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए आयु सीमा के बढ़ाने के लिए किसी प्रस्ताव पर फिलहाल विचार नहीं कर रही है।

उपग्रह टेलीविजन के कार्यक्रम देखने वाले लोगों की राज्यवार संख्या

2422. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपग्रह टेलीविजन के कार्यक्रम देखने वाले लोगों की संख्या उत्साहजनक है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक केन्द्र में दर्शकों की औसत संख्या कितनी होती है ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) 100 से 150 दर्शक ।

दरभंगा में आकाशवाणी के मिथिला प्रसारण केन्द्र के कार्यक्रम

2423. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी की मिथिला प्रसारण केन्द्र दरभंगा में फरवरी, 1976 के आरम्भ से काम कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रमों की विशेष मदों के लिए विभिन्न भाषाओं, विशेषकर मैथिली के लिए कितना समय नियत किया गया है ; और

(ग) क्या भारत और नेपाल के मैथिली भाषा-भाषी लोगों के लिए मैथिली भाषा में भी समाचार बुलेटिन प्रसारित किये जाते हैं ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) आकाशवाणी का दरभंगा केन्द्र 2 फरवरी, 1976 को चालू किया गया था ।

(ख) इस केन्द्र से प्रतिदिन मूल रूप से 35 मिनट के उच्चरित शब्द कार्यक्रम और 45 मिनट का संगीत प्रसारित होता है । उच्चरित शब्द कार्यक्रमों में हिन्दी में 5 मिनट की स्थानीय घोषणाएं और मैथिली में 30 मिनट के ग्रामीण कार्यक्रम शामिल हैं । मैथिली में एक और आधे घंटे का पत्रिका कार्यक्रम हर द्वितीय शनिवार को प्रसारित किया जाता है । इनके अलावा, इस केन्द्र से पटना, रांची और दिल्ली के अन्य कार्यक्रम भी रिले किए जाते हैं जो इस प्रकार हैं :--

हिन्दी	2 घंटे 50 मिनट
अंग्रेजी	35 मिनट
उर्दू	15 मिनट

(ग) जी, नहीं

संयुक्त सदाचार समिति की गतिविधियां

2424. **श्री नाथू राम अहिरवार :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के कुछ स्थानीय लोगों द्वारा संयुक्त सदाचार समिति के नाम से भोली जनता की बड़ी पमाने पर धोखाधड़ी की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा किस प्रकार के कार्य किये जा रहे हैं ;

(ग) क्या अपराधियों को दंड देने के लिए इस मामले में कोई जांच कराई गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो उसके परिणामस्वरूप क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (घ) तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा बम्बई में जनता कालोनी का अधिग्रहण

2425. **श्री वयालार रवि : क्या परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विभाग ने बी० ए० आर० सी० रिहायशी बस्ती से लगी हुई बम्बई स्थित जनता कालोनी के अधिग्रहण के लिए बम्बई नगर निगम से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस प्रस्ताव से उक्त बस्ती में रहने वाले गरीब लोगों को भी बड़ी परेशानी होगी ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क), (ख) तथा (ग) जी, हां । जनता कालोनी नगर निगम की जिस भूमि पर बसी हुई है, उस भूमि के अंतरण के लिए विभाग की प्रार्थना सन् 1957 से बम्बई नगर निगम के विचाराधीन है । यह भूमि चारों तरफ से पूरी तरह इस विभाग के कर्मचारियों की रिहायशी बस्ती से तथा भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र से घिरी हुई है तथा इस भूमि की आवश्यकता विभाग की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है । सरकार के विचार से इस प्रस्ताव से गंदी बस्ती में रहने वाले लोगों को कोई अनुचित कठिनाई नहीं पहुंचेगी, क्योंकि उन लोगों को बसने के लिए उसी कालोनी के पास के ऐसे एक अन्य क्षेत्र में उतनी ही जमीन दे दी जाएगी जिसमें सभी प्रकार की नागरिक एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं । नये क्षेत्र में भेजे जाने वाले परिवारों को वहां सामान आदि ले जाने में विभाग द्वारा सहायता देने का प्रस्ताव भी है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

पाईराइट्स, फासफेट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, डेहरी-आन-सोन (बिहार) और भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों सहित 1974-75 की समीक्षाएं और वार्षिक प्रतिवेदन

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी०सी० सेठी) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्र (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

1. (i) पाईराइट्स, फासफेट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, डेहरी-आन-सोन (बिहार) के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ii) पाईराइट्स, फासफेट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, डेहरी-आन-सोन (बिहार) का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या, एल० टी०–10667/76]

2\. (i) भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ii) भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०-10668/76]

राष्ट्रीय उत्पादिकता परिषद्, नई दिल्ली का 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी०पी० मौर्य) : मैं, राष्ट्रीय उत्पादिकता परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 1974-75 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं **[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०-10669/76]**

तमिलनाडु खेतिहर मुज़ारे संरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 1976

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल): मैं, श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे की ओर से तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213(2) (क) के उपबन्ध के अन्तर्गत तमिलनाडु खेतिहर मुज़ारे संरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 1976 (1976 का तमिलनाडु अध्यादेश संख्या 10) जो तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा 5 मार्च, 1976 को प्रख्यापित किया गया था, की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल ०टी०10670/76]**

महाराष्ट्र कृषि-उद्योग विकस निगम लिमिटेड बम्बई का 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल): मैं, अण्णासाहिब शिन्दे की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत महाराष्ट्र कृषि-उद्योग विकास निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1974-75 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 10672/76]

पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता की 1973-74 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्नों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1973-74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिये संख्या एल०टी० 10673/76]।

कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1976

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 20 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 427 में प्रकाशित हुई थी, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखियें संख्या** एल०टी० 10674/76]।

बम्बई विद्युत्-शुल्क (गुजरात संशोधन) अधिनियम, 1976

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad) : I beg to lay on the table a copy of the Bombay Electricity Duty (Gujarat Amendment) Act, 1976 (Hindi and English versions) (President's Act No. 6 of 1976) published in Gazette of India ; dated 31st March, 1976, under sub-section (3) of section 3 of the Gujarat State Legislature (Delegation of Powers) Act, 1976. [Placed in Library. *See*. No. LT. 1067/76].

तामिलनाडु अतिरिक्त निर्धारण तथा अतिरिक्त जल-उपकर (संशोधन) अधिनियम, 1976

Prof. Siddeshwar Prasad: I beg to lay on the Table a copy of the Tamil Nadu Additional Assessment and Additional Water-Cess (Amendment) Act, 1976 (Hindi and English versions) (President's Act No. 4 of 1976) published in Gazette of India, dated the 31st March, 1976, under sub-section. [Placed in Library. *See* No. LT. 10670/76].

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचना और व्याख्यात्मक ज्ञापन

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 66/76 सीमा शुल्क [सा०सां०नि० 292 (ड)] (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 14 अप्रैल, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए संख्या** एल०टी० 10676/76]।

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

(LEAVE OF ABSENCE FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE)

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति सम्बन्धी समिति ने अपने 26वें प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि :

(1) श्रीमती गायत्री देवी

(2) श्री सी० चित्तिबाबू

(3) श्री मधु दण्डवते

(4) श्री श्यामनन्दन मिश्र

(5) श्री मुरासोली मारन

(6) श्री मोरारजी आर० देसाई

(7) श्री समर गुह

(8) श्री आर० एन० गोयनका

(9) श्री जगन्नाथराव जोशी

(10) श्री मोहन धारिया

(11) श्री हुकम चन्द कछवाय

(12) श्री भागीरथ भंवर

(13) श्री जनेश्वर मिश्र

(14) श्री ज्योतिर्मय बसु

(15) श्री राम धन

(16) डा० जीवराज मेहता

(17) श्री मुख्तियार सिंह मलिक

(18) डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय और

(19) श्री फूल चन्द वर्मा

को प्रतिवेदन में उल्लिखित कालावधि के लिए अनुपस्थिति की अनुमति दी जाये ।

क्या सभा यह चाहती है कि समिति की सिफारिश के अनुसार अनुपस्थिति की अनुमति दी जाये ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

श्री के० एस० चावड़ा : 19 में से 16 संसद् सदस्यों को आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के अधीन निरुद्ध किया गया है। सभा यह जानना चाहती है कि उन्हें कब रिहा किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : यह इस विषय के अन्तर्गत नहीं आता है।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

तिरासीवां प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा): मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का निम्नोक्त प्रतिवेदन। तथा कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं:--

(i) भारतीय डेरी निगम पर 83वां प्रतिवेदन।

(ii) उपर्युक्त प्रतिवेदन संबंधो समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

दो सौ पांचवां, दो सौ सातवां और दो सौ नवां प्रतिवेदन

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व): मैं लोक लेखा समिति के निम्नोक्त प्रतिवेदन पेश करता हूं:--

(1) घटिया कीटनाशी औषध (स्वास्थ्य विभाग): पर 152वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशो पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 205वां प्रतिवेदन।

(2) कलकत्ता पत्तन न्याम (नौवहन और परिवहन मंत्रालय) पर 175वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 207वां प्रतिवेदन।

(3) भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1973-74 के प्रतिवेदन संघ सरकार (सिविल) के चमड़ा निर्यात (वाणिज्य मंत्रालय) संबंधी पैराग्राफ 29 पर 209वां प्रतिवेदन।

वर्ष 1976-77 की आयात नीति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: IMPORT POLICY FOR 1976-77

अध्यक्ष महोदय: यह लम्बा वक्तव्य है। आप इसे सभा-पटल पर रख सकते हैं।

वाणिज्य मंत्री (प्रो० देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय): मैं 1976-77 वर्ष की आयात नीति के बारे में वक्तव्य और वर्ष 1976-77 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति की प्रति--खण्ड I और II--भी सभा-पटल पर रखता हूं।

विवरण

महोदय, मुझे वर्ष 1976-77 की आयात नीति को सभा-पटल पर रखने में हर्ष हो रहा है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 10675/76]

इस नीति को बनाते समय हम उन सुखद परिवर्तनों के प्रति अत्यन्त जागरूक रहे हैं जो हमारी आर्थिक व्यवस्था में पिछले एक वर्ष या इसके लगभग समय में हुए हैं। यह प्रयत्न किया गया है कि आयात नीति समस्त राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए निश्चित रूप से अनुकूल हो।

प्रधान मंत्री के 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम और अन्य सम्बन्धित नीतियों के परिणाम स्वरूप देश में उत्पादन-वृद्धि और आर्थिक विकास के लिए उज्जवल नई दृष्टि मिली है । दो वर्षों के तुलनात्मक प्रतिरोध के बाद अब हम औद्योगिक विकास और विदेश व्यापार के क्षेत्रों में संतुलन रखने के लिए प्रमुख रुकावटों का दृढ़ता पूर्वक भेदन करने के लिए तैयार हैं । हमारे जैसे विकासशील देशों में, विदेश व्यापार का निष्पादन स्वयं औद्योगिक प्रगति का आदान है।

इसी के समान ही एक मुख्य परिवर्तन है जिसने प्रगति के लिए बेहतर वातावरण उत्पन्न करने में योगदान दिया है—वह है आर्थिक अपराधियों, जैसे तस्करी, चोर बाजारी और कर चोरी की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को नियन्त्रित करने में प्राप्त सफलता । इन क्षेत्रों में प्राप्त की गई सफलता ने आयातित और घरेलू, दोनों साधनों के उपयोग में आर्थिक अनुशासन की दृढ़ चेतना प्रदान करने के अतिरिक्त, हमारी भुगतान स्थिति के संतुलन को मजबूत बनाने में प्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया है।

31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए हमारा निर्यात लक्ष्य 3,600 करोड़ रुपये था । हालांकि पूरे आंकड़े अभी तक संकलित नहीं किए गए हैं, परन्तु ऐसी आशा की जाती है कि हमारा निर्यात इस आंकड़े तक पहुंच गया है । अन्त होने वाली तीन वर्ष में 1974-75 के दौरान हमारा निर्यात लगभग 100 प्रतिशत तक बढ़ा है । 1975-76 में हम अपने निर्यात में मात्रा के विचार से 6 से 7 प्रतिशत तक की वृद्धि की दर प्राप्त कर लेंगे । मूल्य के विचार से वृद्धि की दर लगभग 16 प्रतिशत होगी । पिछले वर्ष के दौरान यह वृद्धि उस समय प्राप्त की गई है जबकि संसार का व्यापार मंदी का सामना कर रहा था और संसार के व्यापार की वास्तव में अवनति हुई थी।

फिर भी हम निर्यात की दिशा में आत्मतुष्ट नहीं हो सकते । हमारे व्यापार संतुलन में गम्भीर रूप से प्रतिकूलता बनी रही है । ऋण चुकाने की समस्या भी अच्छी प्रकार से विदित है । वास्तव में अपने निर्यात प्रयत्नों को और अधिक तीव्र करने की आवश्यकता है।

देश में उत्साहवर्धक आर्थिक लक्षणों और अन्य अनुकूल तत्वों ने हमें आयातों को उदार बनाने और क्रियाविधियों को कारगर और सरल बनाने के कुछ रचनात्मक उपाय अपनाने का सुप्रवसर प्रदान किया है । लाल फीताशाही का बहिष्कार करने, अड़चनों को हटाने और सरकारी लाइसंसों और निकासी पत्रों को शीघ्रता से जारी करने में भी सरकारी नीति के मुख्य लक्ष्यों में से एक लक्ष्य रहा है । हमें आशा है कि वर्तमान वर्ष की आयात नीति इस प्रक्रिया में और भी योगदान देगी।

बड़े उत्पादन को प्रोत्साहन प्रदान करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष आरंभ की गई आटोमेटिक लाइसेंस योजना नई आयात नीति में "वास्तविक उपयोक्ताओं" के लिए जारी रहेगी और वह अधिक लचीली बनाई जाएगी । इस योजना का हमारे व्यापार और उद्योग के सभी वर्गों ने स्वागत किया है । इसके अन्तर्गत, औद्योगिक एकक प्रायोजक प्राधिकारियों के माध्यम से गए हुए बिना ही कच्ची सामग्री संघटकों आदि के लिए अपने लाइसंसों के प्रथम सेट प्राप्त करते हैं । इस नई नीति के अन्तर्गत उपलब्ध लचीलापन आयात लाइसेंस के मूल्य को निश्चित करने के आधार को विस्तृत करेगा।

जिन औद्योगिक एककों को कच्ची सामग्री, संघटकों आदि की अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता है वे सम्पूरक लाइसेंस जारी कराने के लिए अपने प्रायोजक अभिकरणों के माध्यम से लाइसेंस प्राधिकारियों से सम्पर्क कर सकते हैं। जब चुनिन्दा सूची के एककों के आवेदनों पर उनके आयातित सामान की सामान-सूची, आदेश पुस्तिका आदि के आधार पर विचार किया जाएगा; गैर-चुनिन्दा सूची के एककों के आवेदनों पर केवल तब विचार किया जाएगा जब पिछले वर्ष में उनका उत्पादन कच्ची सामग्री की कमी के कारण गम्भीरता पूर्वक प्रभावित हुआ हो।

जो एक प्रमुख परिवर्तन इस वर्ष आरम्भ किया जा रहा है, वह बिना किसी रिहाई आदेश के ही सरणीबद्ध करने वाले अभिकरणों द्वारा वास्तविक उपयोगिताओं को चुनिन्दा सारणीबद्ध मदों के संभरण के लिए एक पद्धति है। इस योजना के अन्तर्गत लगभग 43 मदों का संभरण किया जाएगा अर्थात् खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा 11 मदों का, राज्य रासायनिक और भेषजीय निगम (राज्य व्यापार निगम की एक नियंत्रित कम्पनी) द्वारा 8 मदों का और सेल इन्टरनेशनल द्वारा 24 मदों का संभरण किया जाएगा। आवेदनपत्र के एक निर्धारित प्रपत्र में अपनी अधिकतम 12 महीनों की आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करते हुए और यह प्रमाणित करते हुए कि इन मदों को उनके अपने निजी एककों में उपयोग के लिए आवश्यकता है, वास्तविक उपयोक्ता सीधे ही सरणीबद्ध करने वाले अभिकरणों के पास आवेदन करेंगे। सरणीबद्ध करने वाला अभिकरण 6 महीने की अवधि या आपस में स्वीकार की गई वितरण अनुसूची अवधि—इनमें जो भी बाद में हो, उसके भीतर इन मदों के संभरण की व्यवस्था करेगा। यदि सरणीबद्ध करने वाला अभिकरण ऐसा नहीं कर सकेगा तो वास्तविक उपयोक्ता एक प्रत्यक्ष लाइसेंस जारी करने के लिए लाइसेंस प्राधिकारी से आवेदन कर सकता है। मद के संभरण करने का उत्तरदायित्व सरणीबद्ध करने वाले अभिकरण के लिए केवल तब उठेगा जब पार्टी द्वारा संतोषजनक वित्तीय व्यवस्था कर ली गई हो। इस योजना के सूत्रपात से औद्योगिक एककों को कच्ची सामग्री उपलब्ध करने में अधिक सुविधा होगी। सरणीबद्ध करने वाले अभिकरण अब कच्ची सामग्री का वितरण करने में एक नई भूमिका अदा करेंगे। प्राप्त किए गए अनुभव की सहायता से इस योजना का विस्तार अन्य मदों के लिए किया जाएगा।

उत्पादन-वृद्धि और उसके परिणामस्वरूप देसी इस्पात की आसान संभरण स्थिति को ध्यान में रखते हुए वास्तविक उपयोक्ताओं को इस्पात का संभरण करने के लिए एक प्रमुख क्रियाविधिक परिवर्तन प्रारम्भ किया गया है। भारत का इस्पात प्राधिकरण वास्तविक उपयोक्ताओं को उस इस्पात का सीधे ही आबंटन करेगा जिसका उत्पादन मुख्य रूप से सुसम्बद्ध इस्पात संयंत्रों द्वारा किया गया है। यदि किसी आयात की जरूरत होगी तो वे उसकी व्यवस्था सेल इंटरनेशनल लि० के माध्यम से करेंगे। इसी प्रकार से, सेल इन्टरनेशनल वास्तविक उपयोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए चुनिन्दा मदों के आयात की सुविधा प्रदान करेगा। उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत लाइसेंस प्राधिकारी से कोई भी रिहाई आदेश प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस्पात की कुछ मदें जो देश में उपलब्ध नहीं हैं, खुले सामान्य लाइसेंस में रखी गई हैं जिससे कि किसी भी लाइसेंस औपचारिकता के बिना ही आयात की व्यवस्था की जा सके।

कांडला और शान्ताक्रुज मुक्त व्यापार क्षेत्रों में स्थित एककों के मामले में कच्ची सामग्री, संघटकों और पुर्जों के सभी आयात इस बात को ध्यान में रखते हुए खुले सामान्य लाइसेंस में रखे गए हैं कि निर्यात उत्पादन में एक मात्र रूप से काम आने वाले आदानों का संभरण बिना किसी बाधा के होता रहे। आयातित कच्ची सामग्री के उपयोग की संवीक्षा केवल कार्योत्तर के (एक्स पोस्ट फैक्टो) आधार पर होगी।

नई आयात नीति बनाते समय छोटे उद्यम कर्त्ताओं की आवश्यकताओं के प्रति हम अधिक यथार्थ रूप से उत्तरदायी रहे हैं। सभी लघु पैमाना एकक, चाहे वे चुनिन्दा उद्योगों में लगे हैं या अन्य उद्योगों में, उन्हें कच्ची सामग्री और संघटकों के लिए जो आयात लाइसेंस साधारण रूप से मिलते हैं उन से 20 प्रतिशत अधिक के लिए मिलेंगे । इसी प्रकार, नए एककों को अपेक्षाकृत अधिक मूल्य के लिए लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे । चुनिन्दा उद्योगों को क्षमता के निर्धारण के आधार पर लाइसेंस मांगने की स्वतन्त्रता होगी । विदेशी मुद्रा के आबंटन के मामले में भी लघु पैमाना क्षेत्र को कुछ लाभ प्रदान किए गए हैं । ऐसे एककों के 50,000 रुपये तक के सभी लाइसेंस स्वतन्त्र विदेशी मुद्रा में होंगे । इस मूल्य तक, कोई भी उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं होगी।

पिछड़े हुए क्षेत्रों में स्थापित किए गए लघु पैमाना एककों और इंजीनियरी स्नातकों, विज्ञान स्नातकों, इंजीनियरी में डिप्लोमाधारियों और भूतपूर्व कर्मचारियों द्वारा स्थापित किए गए लघु पैमाना एककों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं मिलती रहेगी । उद्यमकर्ताओं की इस श्रेणी के लाइसेंसों का मूल्य बढ़ा दिया गया है । आगे इन सुविधाओं को परिगणित जातियों और परिगणित जन जातियों के व्यक्तियों द्वारा स्थापित किए गए एककों के लिए भी बढ़ाया गया है।

औद्योगीकरण के संवर्धन में अनुसंधान तथा विकास के महत्व को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, औजार, उपस्कर आदि के आयात की क्रियाविधियों को सरल किया गया है । विज्ञान और प्राद्योगिकी विभाग के साथ पंजीकृत अनुसंधान तथा विकास एककों को एक वर्ष में एक लाख रुपये मूल्य तक की इन मदों को आयात करने के लिए किसी भी प्रकार के लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

आयात नीति को पंजीकृत निर्यातकों के लिए और भी उदार बनाया गया है । निर्यात उत्पादन के लिए आयात-प्रतिपूर्ति में सुनिश्चितता लाने के लिए ऐसी कच्ची सामग्री और संघटकों के आयात की भी अनुमति दी गई है जो देसी स्रोतों से उपलब्ध है परन्तु उनकी कीमत अधिक है, या उनकी किस्म तुलनात्मक नहीं है या वे पर्याप्त माला में उपलब्ध नहीं है । इन बातों पर विचार करते हुए 129 निर्यात उत्पादों के लिए नई मदें आयात करने की अनुमति दी गई है, 83 निर्यात उत्पादों के लिए अधिक आयात प्रतिपूर्ति दी गई है और 46 नए निर्यात उत्पाद उन निर्यातों की सूची में जोड़े गए हैं जो आयात प्रतिपूर्ति के लिए पात्र बनाते हैं।

मशीनरी के आयात के लिए निर्यातकों को बहुत अधिक रियायत प्रदर्शित की गई है। निर्यात उत्पादन में लगे हुए एक विनिर्माता को प्रतिस्थापन, आधुनिकीकरण, संतुलन और अनुसंधान तथा विकास के लिए अपेक्षित मशीनरी के आयात के लिए, और जिगों, औजारों, और परीक्षण यंत्रों आदि के आयात के लिए पूर्ण आयात प्रतिपूर्ति हकदारी का उपयोग करने की अनुमति दी गई है । 15 लाख रुपये मूल्य तक की मशीनरी के आयातों के मामले में विज्ञापन क्रियाविधि भी हटा दी गई है।

चमड़ा मशीनरी के आयात को खुले सामान्य लाइसेंस में रखा गया है । जिस मशीनरी के लिए देसी दृष्टिकोण से निकासी प्रदान कर दी गई है, खुले सामान्य लाइसेंस उसके आयात की अनुमति प्रदान करेंगे । यह कदम उठाने का उद्देश्य अर्ध संसाधित चमड़े और खालों के निर्यात को परिष्कृत चमड़े, चमड़े के माल और जूतों के निर्यात में तेजी से परिवर्तित करने का है ।

मशीनरी की कुछ किस्मों जैसे पोशाक बनाने वाली मशीनरी, परीक्षण यंत्रों और संवेष्टन करने तथा बांधने के लिए उपस्करों के आयात के लिए निर्यात सदनों को भी उनकी प्रतिपूर्ति हकदारी उपयोग करने की अनुमति दी गई है । निर्यात सदनों को सामान्य सेवा केन्द्र स्थापित करने के लिए अपेक्षित परीक्षण उपस्कर तथा पुर्जों और मशीनरी का आयात करने की भी अनुमति दी जाएगी।

अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर देसी कच्ची सामग्री के संभरण की योजना को उसमें 7 और अधिक मदों अर्थात सोडियम बाईक्रोमेट; सफेद/पीला फोस्फोरस; पोटाशियम क्लोरेट; अंगोरा बाल; एनिलिन/एनिलिन तेल; बीटा नेपथोल; और स्टेंपिंग फोयल को शामिल करके विस्तृत किया गया है।

निर्यात सदनों की योजना के स्थान पर एक नई योजना प्रतिस्थापित की गई है जो अधिक विस्तृत और अधिक निर्यात-अभिमुख है । एक निर्यात सदन बनाने के लिए न्यूनतम पात्रता निर्यात निष्पादन निर्यात उत्पादों की चुनिन्दा सूची के रूप में श्रेणीबद्ध कुछ विशिष्टिकृत उत्पादों के संबंध में 25 लाख रुपये से 50 लाख रुपये और अन्य उत्पादों के संबंध में 3 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है । लेकिन निर्यात सदन प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने वाले लघु पैमाना क्षेत्र के एक विनिर्माता-निर्यातक के लिए और लघु पैमाना एककों के कन्सोरटियम के लिए न्यूनतम निर्यात निष्पादन कम अर्थात् क्रमशः 25 लाख रुपये और 2 करोड़ रुपये होगा । अपने कुल निर्यातों के 5 प्रतिशत या 25 लाख रुपये, इनमें जो भी कम हो, उस सीमा तक लघु पैमाना क्षेत्र में विनिर्मित उत्पादों को निर्यात करने का निर्यात सदन का आभार जारी रहेगा । इन आभारों के साथ ही उन निर्यात सदनों को कुछ प्रोत्साहन देने की भी व्यवस्था की गई है जो लघु पैमाना क्षेत्र के उत्पादों के निर्यात का संवर्धन करते हैं।

हम आयातों में होने वाले विलम्ब को समाप्त करने के लिए और भ्रष्टाचार के अवसरों को कम करने के लिए भी, क्रियाविधियों को सरल तथा कारगर बनाने में निरन्तर लगे हुए हैं। विशेष रूप से वास्तविक उपभोक्ताओं और निर्यातकों द्वारा फालतू पुर्जों, निर्यातकों द्वारा नमूनों के आयात और निर्यात लाभ के वितरण के मामलों में क्रियाविधियों को सरल बनाने के और भी कई उपाय इस नई आयात नीति में शामिल किए गए हैं। निर्यात उत्पादन के लिए अपेक्षित कच्ची सामग्री के आयातों पर सीमा-शुल्क से छूट की योजना भी इस नीति के साथ प्रचालन में रखी गई है।

आयातों को उदार बनाने और क्रियाविधियों को सरल बनाने में नई आयात नीति एक साहसिक कदम है । यह आशा की जाती है कि उद्यमकर्ता आयात नीति में उपलब्ध सुविधाओं का पूर्ण लाभ उठाएंगे और औद्योगिक उत्पादन को उन्नत बनाने तथा निर्यातों में वृद्धि करने में योगदान देंगे।

अनुदानों की मांगें, 1976-77—जारी

DEMANDS FOR GRANTS, 1976-77—Contd.

श्रम मंत्रालय—जारी

अध्यक्ष महोदय: अब सभा श्रम मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा करेगी । श्री एस० एम० बनर्जी अपना भाषण जारी रखें ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं कपड़ा मिलों की बात कर रहा था। एपेक्स निकाय की सिफारिशों और सरकारी आश्वासनों के बावजूद इनमें छंटनी, जबरी छुट्टी चल रही हैं। मिलें बन्द भी हो रही हैं। देश में लगभग 2½ लाख कर्मचारियों को जबरी छुट्टी दी जा चुकी है। पिछले छः मास और एक वर्ष के दौरान 12 कपड़ा मिलें बन्द हुई हैं। इन मिलों को सरकारी नियंत्रण में न लेने के क्या कारण हैं। कानपुर की लक्ष्मी रतन काटन टेक्सटाइल मिल और अथर्टन वैस्ट काटन मिल्स पिछले एक वर्ष से अधिक समय से कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। 8000 से 10,000 कर्मकारों के सामने भूखों मरने की स्थिति पैदा हो गई है।

प्रधान मंत्री के कहने पर इन दो मिलों को सरकारी नियंत्रण में लेने का निश्चय किया गया था इस सभा ने इस सम्बन्ध जो विधेयक पास किया उसमें एक अनुसूची है जिसमें केवल 103 मिलों के नाम शामिल किये गये हैं। मंत्री जी का कहना है कि इन दो मिलों को इस अनुसूची में शामिल करने के लिए इसे संशोधित करना होगा और इस बाबत एक विधेयक सभा में पेश करना होगा। पर इस संबंध में अभी कुछ नहीं किया गया है। उस विधेयक का क्या हुआ? उसे पेश करने में इतना विलम्ब होने के क्या कारण है। अब यह विधेयक कब तक पेश किये जाने की आशा है। इसमें अधिक समय नहीं लगना चाहिये। इसे सभा को बिना पूर्व सूचना दिये पेश करने की आवश्यकता है।

तमिलनाडु के कावेरी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल का क्या बना। वह एक साल से बन्द पड़ा है। इस मिल को सरकारी नियंत्रण में लिया जाना चाहिये जिससे कि उसमें काम करने वाले 1200 कर्मकारों की हालत सुधर सकें।

एपेक्स निकायों की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया है हालांकि इन्हें प्रबन्ध और मजदूरों के बीच होने वाले टकराव को रोकने के लिए बनाया गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए एपेक्स निकायों की सिफारिशों को अनिवार्यतः अमल में लाया जाना चाहिये। अन्यथा मिलें बन्द होती रहेंगी, छंटनी और जबरी छुट्टी भी चलती रहेंगी। इस समय कितने कर्मकारों को छंटनी बन्दी और जबरी छुट्टी की समस्या का मुकाबला करना पड़ रहा है?

जयपुर उद्योग सीमेंट फैक्टरी कई मास से बन्द पड़ी है और उसके कर्मकारों को वेतन नहीं मिला है। राज्य सरकार से सिफारिश की जाये कि वह इस संबंध में कुछ कदम उठाये। मजदूरों की मजदूरी का महल बनाने या विदेशी कारें खरीदने में दुरुपयोग नहीं होने दिया जाये।

राज्य की श्रम मंत्री श्रीमती वाजपेयी ने कानपुर जूट उद्योग को सरकारी नियंत्रण में लेने की सिफारिश की थी, पर इसे अभी तक सरकारी नियंत्रण में नहीं लिया गया है।

जहां तक 1974 के जीवन बीमा निगम समझौते का प्रश्न है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों और प्रबन्ध के बीच हुए समझौते को रद्द करने का प्रयास कर रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस विशिष्ट समझौते को रद्द करने वाले इस विधेयक को पेश करने से पूर्व क्या मंत्री महोदय से परामर्श किया गया था? यदि हां तो आपके इस संबंध में क्या विचार थे। यह समझौता द्विपक्षीय समझौता है जिसे दो मास की दौड़-धूप के बाद सम्पन्न किया गया था। इसे एकपक्षीय आधार पर रद्द करना उचित नहीं है। इसे रद्द करने से कई और समस्याएं पैदा होंगी तथा कई अन्य समझौतों को भी रद्द करना पड़ेगा। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह प्रधान मंत्री तथा मंत्रिमण्डल के अन्य सदस्यों को परामर्श

दें कि वे जीवन बीमा कर्मचारियों के इस लाभ को समाप्त न करें। कई अन्य संगठनों में 18 प्रतिशत तक बोनस इस आपात्कालीन स्थिति के दौरान दिया गया हैं जिससे स्पष्ट है कि सरकार बोनस को सीमित करने में कड़ा रूख नहीं अपना रही है। इसलिए इस विशेष समझौते को रद्द नहीं किया जाना चाहिए।

जहां तक श्रमजीवी और गैर-श्रमजीवी पत्रकारों को अन्तरिम राहत देने का प्रश्न है, उन्होंने 125 रु० की अन्तरिम राहत मांगी है। मंत्री महोदय मजदूरी बोर्ड को आदेश दे कि वह श्रमजीवी और गैर-श्रमजीवी पत्रकारों को अन्तरिम राहत देनें के लिए आदेश जारी करे क्योंकि इन लोगों के वेतन काफी समय से बढ़ाये नहीं गये हैं। उन्हें शीघ्र अन्तरिम राहत देने की जरूरत है।

कानपुर की लक्ष्मी रतन मिल्स और अथर्टन वेस्ट मिल्स की स्थिति बड़ी खराब है। वहां के 8000 कर्मकारों ने अपनी भविष्य निधि का एक अंश खा लिया है। अब उन्हें उनकी भविष्य निधि की एक और किश्त का भुगतान किया जाना चाहिये, जिससे कि वे जीवित रह सकें।

कहा गया है कि भविष्य निधि की बकाया राशि की रकम 22 करोड़ रुपए से घट कर 13 करोड़ रुपए रह गई है। यह अच्छी बात है पर 13 करोड़ रुपए की राशि भी कम नहीं होती। सरकार इस रकम को वसूल क्यों नहीं करती। जिस प्रकार काले धन का पता लगाया गया उसी प्रकार सरकार दोषी पाये गये मालिकों के घर छापा मार कर बकाया राशि वसूल कर सकती है और उसे भविष्य निधि की राशि में जमा किया जा सकता है। कानपुर के एक जाने-माने व्यक्ति श्री राम रतन गुप्त ने स्वतंत्रता के पश्चात् किसी प्रकार के सरकारी कर की अदायगी नहीं की है। उससे यह रकम वसूल की जानी चाहिये। उसके पास सम्पत्ति है। वह नैपाल में एक फैक्टरी स्थापित करना चाहता है। उससे पैसा वसूल कर कर्मचारियों की भविष्य निधि में जमा किया जाना चाहिये।

बड़े दुख की बात है कि कुछ रक्षा प्रतिष्ठानों में मजदूर यूनियनों के अधिकार छीने जा रहे हैं। वहां राजा या नवाब की तरह दरबार लगाये जाते हैं और कर्मकारों से पूछा जाता है कि तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है। डर के मारे सभी का यही उत्तर होता है कि वे सब ठीक हैं। यह उचित नहीं है। अब वह समय नहीं रहा। रक्षा प्रतिष्ठानों अथवा किसी केन्द्रीय सरकारी उपक्रम में मजदूर यूनियनों के अधिकारों को सुरक्षित रखा जाना चाहिये। यह बहुत जरूरी है।

श्री राजा कुलकर्णी (बम्बई-उत्तर-पूर्व) : पिछले एक वर्ष की स्थिति पर व्यापक दृष्टि डालते हुए यह कहा जा सकता है कि श्रम मंत्री ने औद्योगिक सम्बन्धों को आर्थिक विकास और प्रगति का साधन बनाने के लिए जो प्रयास किये हैं उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं।

अब तक औद्योगिक सम्बन्धों को औद्योगिक शांति स्थापित करने में उनकी उपयोगिता अथवा अनुपयोगिता की दृष्टि से देखा जाता था किन्तु पिछले एक वर्ष के दौरान क्षेत्र के बाहर शांति होने से उद्योग के भीतर भी शांति रही है और औद्योगिक सम्बन्ध अधिक उत्पादन और उत्पादिता का माध्यम बन गये हैं।

इसके लिये तीन प्रकार के कदम उठाये गये। पहले, विधायी कदम उठाये गये, दूसरा 20-सूत्रीय कार्यक्रम का कार्यान्वियन किया गया तथा तीसरा रोजगार स्थिति, मजूरी संबंधी नीतियों तथा औद्योगिक सम्बन्धों के ढांचे सम्बन्धी पक्ष को समझने और उसे नियंत्रित करने के संबंध में कदम उठाये गये।

जहां तक विधायी कदमों का संबंध है, वर्तमान श्रममंत्री ने भूतपूर्व श्रम मंत्रियों की अपेक्षा एक साल के भीतर काफी श्रम सुधार किये हैं यह सभी विधान निःसन्देह श्रमिकों के सामूहिक हित के लिए हैं। इन विधानों के अन्तर्गत जहां एक ओर अधिक से अधिक श्रमिकों को मुआवजा देने की व्यवस्था है वहां दूसरी ओर इस राशि में भी वृद्धि कर दी गई है। समान वेतन देने सम्बन्धी अधिनियम भी इस सभा द्वारा पारित कर दिया गया है। बागानों में कार्य कर रही महिलाओं को इससे लाभ होगा। न्यूनतम वेतन अधिनियम से बीड़ी मजदूरों को लाभ होगा। खान कल्याण अधिनियम के अन्तर्गत जो श्रमिक पहले इस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते थे उन्हें भी शामिल कर लिया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत वेतन सीमा को बढ़ा कर 1000 रुपए कर दिया गया है और इस अधिनियम में अब अन्य उद्योगों, वाणिज्यिक दुकानों, प्रतिष्ठानों, होटलों और रेस्टोरेंटों को भी शामिल कर लिया गया है। राष्ट्रीय सेवा अधिनियम के अन्तर्गत अब डाक्टरों तथा इंजीनियरों को चार वर्ष अवश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करना होगा। इन सभी विधानों से श्रमिकों का हित होगा। इन विधानों के अतिरिक्त औद्योगिक विवाद अधिनियम में दो संशोधन करने का प्रस्ताव है। इसमें छटनी तथा जबरन छुट्टी संबंधी संशोधन महत्वपूर्ण है। आपातस्थिति के पश्चात् जबरन छुट्टी और छटनी के अधिक मामले हुए हैं किन्तु इस अधिनियम के पश्चात् इस तरह के मामलों में काफी कमी आई है। सरकार को इस प्रकार के उपाय करने चाहिये जिससे इस प्रकार का एक मामला भी न हो। सरकार ने एक और विवादास्पद संशोधन पारित किया है यद्यपि बोनस अधिनियम में संशोधन कर दिया गया है किन्तु हम आशा करते हैं कि सरकार अपने इस वचन को निभायेगी कि श्रमिकों की आय में अन्तर नहीं आयेगा। यह श्रम मंत्रालय की विभिन्न उपलब्धियां है जिनका मैंने उल्लेख किया।

20-सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सांविधिक तथा गैर-सांविधिक कदम उठाये गये हैं। दो सम्मेलन किये गये। शीर्षस्थ निकाय बनाये गये। राष्ट्रीय शीर्षस्थ निकाय की कुछ बैठकें भी हुई हैं। पांच और छः उद्योगों में औद्योगिक शीर्षस्थ निकाय की भी स्थापना की गई है। हम पैट्रोलियम मंत्रालय के लिए भी एक शीर्षस्थ निकाय की मांग कर रहे हैं। यह समझ नहीं आता कि इस उद्योग की सभी यूनियनों की मांग के बावजूद भी श्रम मंत्री पैट्रोलियम मंत्रालय के लिए औद्योगिक शीर्षस्थ निकाय की स्थापना करने में क्यों असफल रहे हैं।

अभी हाल में सदन में प्रशिक्षु संशोधन अधिनियम पारित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप इसके अन्तर्गत उद्योगों की संख्या 201 से बढ़कर 216 हो गई है और इसमें और अधिक व्यापारों को भी सम्मिलित कर लिया गया है। यह 60 से बढ़ा कर 103 कर दिये गये हैं। यह एक अच्छा कदम है। इसके अन्तर्गत प्रशिक्षुओं के मिलने वाली वजीफा राशि में भी वृद्धि कर दी गई है।

जहां तक बन्धुआ श्रमिकों का प्रश्न है उसके संबंध में जो कार्य किया गया है वह निश्चय ही सराहनीय है। लेकिन इस संबंध में अभी काफी कार्य करना शेष है अब हम चाहते हैं कि श्रम मंत्रालम इसके लिये अधिक प्रयास करे। इसके बारे में हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि कितने बन्धुआ श्रमिकों को मुक्ति दिलाई गई है और उनके पुनर्वास के हेतु क्या उपाय किये गये हैं।

कई राज्य सरकारों ने कहा है कि उनके यहां बन्धुआ श्रम पद्धति नहीं है लेकिन वहां शासक-श्रम पद्धति विद्यमान है। महाराष्ट्र के कई जिलों में हजारों कर्मचारी इस पद्धति के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में जांच कराई जाये और उन्हें राहत दी जाये।

पश्चिम बंगाल में भी कृषि में बन्धुआ मजदूर पद्धति चल रही है। यद्यपि राज्य सरकार इस बात को स्वीकार नहीं करती है। इस संबंध में जांच की जाये और राहत दी जाये। मुझे बताया गया है कि कर्नाटक में 27,000 मजदूर मुक्त करवाये जा चुके हैं। तमिलनाडु में 3500 मजदूर मुक्त करवाये गये हैं। दूसरे राज्य की स्थिति के बारे में भी बताईये।

खेतीहर मजदूर की न्यूनतम मजूरी निर्धारित करना बहुत आवश्यक है। यदि श्रम मंत्रालय अन्य उद्योगों में न्यूनतम मजूरी सुनिश्चित कर सकता है तो उसके लिये कृषि क्षेत्र में न्यूनतम मजूरी अधिनियम को लागू करना कोई असम्भव बात नहीं है।

जहां तक उद्योगों में श्रमिकों के प्रतिनिधित्व का संबंध है यह कहा गया है कि सरकारी क्षेत्र के 47 उपक्रमों में यह योजना लागू कर दी गई है।

मेरा श्रम मंत्रालय से अनुरोध है कि वह उन 47 एककों में जहां श्रमिकों के प्रतिनिधित्व सम्बन्धी यह योजना लागू की गई है योजना के कार्यकरण के बारे नें सही दृष्टिकोण अपनाएं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उद्योगों में इसका अच्छा असर पड़ा है और इसकी परिणति अधिक उत्पादन में हुई है लेकिन फिर भी कई एककों को लाभ के स्थान पर हानि हो रही है। इससे योजना के कार्यकरण को खतरा उत्पन्न हो गया है। यह बात विशेषकर उर्वरक उद्योग के बारे में अधिक सही उतरती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सभी प्रकार के सहयोग और श्रमिकों को प्रबन्ध व्यवस्था में शामिल करने की योजना भी सकल कार्यान्विति के बावजूद उर्वरक उद्योग में घाटा क्यों हो रहा है।

जहां तक रोजगार सेवा का संबंध है हम जानते हैं कि वहां रोजगार कार्यालय है लेकिन वह सन्तोषजनक सेवा नहीं कर रहे हैं। रोजगार सेवा के कार्यकरण और कार्यक्षेत्र को बढ़ाने और इसे और अधिक कामगर बनाने के लिये एक समिति गठित की जानी चाहिये क्योंकि इस समय रोजगार कार्यालय रोजगार की खोज करने वाले व्यक्तियों के नाम दर्ज करते हैं और उनके लिए काम ढूढ़ने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री थाकिरुतिनन (शिवगंज) : अध्यक्ष महोदय यद्यपि हमारे श्रम मंत्री बड़े ही कार्यकुशल हैं फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकेंगे अथवा नहीं।

1956 की औद्योगिक नीति प्रस्ताव में यह स्पष्ट कहा गया था कि समाजवादी समाज की स्थापना में हो रहे तीव्र औद्योगिक विकास में श्रम की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। श्रमिक वर्ग के सामने मुख्य समस्याएं उचित वेतन मिलने, उचित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध होने तथा मकान तथा कपड़े की है। सरकार का न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम श्रमिक वर्ग तक नहीं पहुंचा है। अधिकांश श्रमिक अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे है।

सरकार एक राष्ट्रीय वेतन नीति बनाने के प्रश्न पर कब से कार्यवाही करने के बारे में कह रही है। श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में यह सुझाव दिया गया था कि विभिन्न उद्योगों में न्यूनतम मजूरी तय की जाये। जो इसे अपने उद्योग में लागू न करे उसको गिरफ्तार किया जाये। लेकिन सम्मेलन में यह तय किया गया था कि उल्लंघन कर्त्ता को कड़ा दण्ड दिया जाना चाहिए और इसके अनुसार अधिनियम में संशोधन किया जाये। क्योंकि औद्योगिक विवाद अधिनियम पुराना पड़ गया है अतः इसमें आवश्यक परिवर्तन किये जाएं।

यह दावा किया गया है कि आपातस्थिति से श्रमिकों में अनुशासन आया है और उत्पादन भी बढ़ गया है। इसमें कोई सन्देह नहीं है किन्तु श्रमिकों से जबरन काम लिया जा रहा है और उन्हें श्रम संगठनों की गतिविधियों में भाग नहीं लेने दिया जा रहा है। कार्मिक संघ के अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिये गये हैं। श्रम मंत्री को यह महसूस करना चाहिये कि काम करने की प्रेरणा उन पर बाहर से नहीं थोपी जानी चाहिये। यह तो स्वतः स्फूर्ति होनी चाहिये। सन्तुष्ट श्रम शक्ति उद्योगों के विकास के लिये आस्तियों जैसे सिद्ध होती है।

कुछ वर्ष पहले संसद् में विधान के माध्यम से 8.33 प्रतिशत बोनस निर्धारित किया गया था। अब संसद् ने उसे वापिस ले लिया है। सरकार ने बोनस की धारणा को ही बदल दिया है और सरकार का कहना है कि बोनस विलम्ब से मिलने वाली मजूरी नहीं है बल्कि यह उत्पादन और उत्पादिता पर आधारित है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Deputy Speaker in the chair]

उद्योगों के मालिक जबरन छुट्टी, छटनी और उद्योग बन्द करने के संबंध में क्या कर रहे है? क्या आप जानते है कि उन्होंने श्रमिकों कें मंहगाई भत्ते में कितनी कमी कर दी है। यहां तक कि कुछ कम्पनियां श्रमिकों की भविष्य निधि के दुरुपयोग की दोषी हैं। यदि भविष्य निधि को विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों के लिए लाभप्रद बनाना है तो क्षेत्रीय कार्यालय होने चाहिए जो अग्रिम राशि का ऋण आदि की मांग करने वाले इस निधि के सदस्यों से सीधा सम्पर्क करें।

प्रधान मंत्री के 20-सूत्रीय कार्यक्रम में प्रबन्ध व्यवस्था में श्रमिकों को शामिल करने संबंधी भी एक मद है। पारस्परिक सूझ बूझ के माध्यम से उत्पादन वृद्धि सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रबन्ध व्यवस्था में श्रमिकों को शामिल करने पर अधिक बल देना चाहिये।

जहां तक प्रशिक्षु अधिनियम का संबंध है, एक बार प्रधान मंत्री ने राज्य श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में कहा था कि इस अधिनियम पर अच्छी प्रकार अमल नहीं किया गया है। प्रशिक्षु अवसरों या ऐसे स्थानों को सभी राज्यों में समान रूप से नहीं भरा गया है। कुशल जनशक्ति का सृजन की सम्भावनाएं बहुत कम रही है। इनकी मूल समस्या न तो प्रशिक्षुओं की संख्या से संबद्ध है न ही उनकी छात्रवृत्तियों के मूल्यों से। वास्तविक समस्या यह है कि सफल प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें स्थायी काम दिया जाये। यह बहुमूल्य प्रशिक्षित जनशक्ति व्यर्थ नहीं की जानी चाहिये।

राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा लगाये गये अनुमानों के अनुसार गैर-खेतीहर मजदूरों की कुल संख्या 240 लाख है। इसमें से लगभग 100 लाख मजदूर असंगठित क्षेत्र में है। खेद का विषय है कि सरकार ने इन श्रमिकों की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। इन असंगठित श्रमिकों की क्रय शक्ति बहुत कम है' और फिर भी उन्हें उचित मजूरी नहीं दी जाती है। इनके हितों की सुरक्षा के 1948 के फैक्टरी अधिनियम और 1947 के औद्योगिक विवाद अधिनियम में उचित उपबन्ध किये जाने चाहिए।

यद्यपि चौथी पंचवर्षीय योजना में यह स्पष्ट उल्लेख है कि "इस योजना का एक मुख्य लक्ष्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करना है किन्तु फिर भी इस संबंध में वांछित परिणाम नहीं प्राप्त किये जा सके हैं और देश में उपलब्ध जनशक्ति को रोजगार पर नहीं लगाया जा सका है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना को अपेक्षित रूप में क्रियान्वित नहीं किया जा सका है । कुछ राज्यों ने तो ठीक कार्य किया है लेकिन कुछ राज्य बुरी तरह असफल रहे हैं । जबकि इस प्रयोजन के लिये राशि आवंटित की गई थी लेकिन केन्द्र ने विकसित और पिछड़े राज्यों का सिद्धांत निर्धारित करते हुए सकल राज्य सरकारों को पर्याप्त धन नहीं दिया है । तमिलनाडु ने भी उस कर्मचारी राज्य बीमा योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है लेकिन इसे अधिक धन देने से इंकार कर दिया गया है । यह उचित नहीं है ।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

Shri Damoder Pandey (Hazaribagh) : I support the demands for grants of the Ministry of Labour, but I feel that in view of the wide field of activities of this Ministry, the amount provided for them is not adequate. It would have been better if more funds had been provided to it.

The improvement of the working conditions of the mine workers is one of the special responsibilities of this Ministry. At present we find that their working conditions are very pitiable. Accidents are very frequent in the mines resulting into the death of workers. Therefore, there is a great need to provide adequate equipment for rescue operations.

It is really unfortunate that sixteen posts of gazetted officers are lying vacant in the Directorate of Mines Safety. This is because the salary attached to these posts is not adequate. There is a need to upgrade these posts and improve the service conditions for them. So long this is not done, how can the work of inspection be carried on which is so essential in order to bring down the number of mine accidents.

The big mining engineers are developing new techniques of mining operations but the personnel of the Directorate do not find any opportunity to see them and give their own opinion.

The National Commission on Labour had said that there should be a comprehensive welfare scheme for the mine workers. But what we find today that separate welfare schemes are being worked out for coal, mica, dolomite and limestone mine workers. Is it intended to create jobs for some people ? Since the problems are common, a comprehensive welfare scheme should be formulated for all mine workers.

At present there are 6 lakh workers in coal mines and 2 lakh workers in other mines. During the last 25 years only, 75,000 houses have been built for coal mine workers. If the pace of this work continued to be so low, many decades will be taken to provide houses for all the workers.

Any increase in welfare cess by government is criticised on the ground that it would result into consequential increase in coal prices. The increase of Rs. 25 in the prices of coal after nationalisation is not a matter of any concern since it has not adversely affected any mill railways etc. I would suggest that government should bring a legislation for implementing the proposal for increase in welfare cess.

As regards medical facilities, the system of having dispensaries and regional hospitals has become out dated. Now there is a need for having an integrated scheme to provide health services to the workers.

So far as provident fund is concerned, the system of withdrawal is very cumbersome. It should be simplified. The provision of State clearance certificate should be done away with.

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : देश में श्रमजीवी वर्ग विशेषकर औद्योगिक श्रमिकों के हितों की रक्षा करने में श्रम मंत्रालय पूर्णतः विफल रहा है । बोनस की राशि 8.33 प्रतिशत से घटाकर

4 प्रतिशत करना तो इतना आपत्तिजनक नहीं है जितना कि बोनस को कठिनाई से मिला स्वरूप ही नष्ट करना आपत्तिजनक है। पहले हानि में चल रहे संगठन या उद्योग में भी कर्मकारों को बोनस का हक था जबकि अब बोनस संशोधन कानून के अन्तर्गत बोनस तभी दिया जायेगा जब फालतू लाभ बचेगा। इससे कर्मकारों को आगामी वर्षों में बिल्कुल बोनस नहीं मिलेगा। बोनस कोई अनुग्रहात् अदायगी नहीं है। इसे प्राप्त करने के लिए श्रमिकों को कठिन संघर्ष करना पड़ा है।

कपड़ा मजदूर एसोसियेशन, अहमदाबाद, जोकि मजदूर संघों के क्षेत्र में एक गांधीवादी संगठन है, और कपड़ा मिल मालिकों के बीच हुआ समझौता 29 वर्ष पुराना है और उसके अन्तर्गत हानि में चल रही मिलों में भी कर्मकारों को बोनस का हक है। इस परिपाटी की पुष्टि विभिन्न न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों ने भी की है। इसके लिए संसद् में भी कानून पास हुआ और इससे औद्योगिक शांति स्थापित हुई। परन्तु अब अचानक ही अधिकारियों द्वारा बोनस के इस स्वरूप को समाप्त कर दिया गया है और 'उपलब्ध फालतू लाभ' का सूत्र बनाया गया है।

श्रमिकों के हितों की रक्षा करने में श्रम मंत्रालय के विफल रहने का एक और उदाहरण जीवन बीमा निगम (समझौता-उपान्तरण) विधेयक, 1976 है। इस प्रस्तावित कानून द्वारा द्विपक्षीय समझौता तोड़ा जा रहा है और उसके अन्तर्गत प्राप्त लाभों को छीना जा रहा है। यही नहीं वरन् इससे मजदूर यूनियन आन्दोलन के शांतिपूर्ण और संवैधानिक स्वरूप को भारी क्षति पहुंची है। इसके फलस्वरूप द्विपक्षीय समझौतों और वचनों में कोई दृढ़ता ही नहीं रही है।

जहां तक देश में छंटनी और जबरन छुट्टी का संबंध है, मेरे ही क्षेत्र में पोलीस्टील और भावनगर वेजीटेबिल प्रोडक्ट्स ये दो कारखाने बन्द हुए हैं और उसके परिणामस्वरूप लगभग 5000 श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं। राज्य सरकार ने भावनगर वेजीटेबिल प्रोडक्ट्स के प्रबन्ध ग्रहण के लिए एक जांच समिति नियुक्त करने की मांग की थी परन्तु उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसी तरह बड़ौदा की प्रियलक्ष्मी मिल और खम्बात की सुबालक्ष्मी मिल के बारे में उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम के अधीन एक जांच समिति नियुक्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया गया था परन्तु उसने कोई कार्यवाही नहीं की और इस प्रकार श्रमिक अकथनीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। अतः मंत्री महोदय को चाहिए कि वह गुजरात की बन्द पड़ी मिलों की समस्या के बारे में संबंधित मंत्रालयों से चर्चा करें और उन्हें पुनः चालू कराने के लिए कोई हल ढूंढें।

सरकार इस तरह मजदूरी पर अंकुश तो लगा रही है परन्तु दूसरी ओर विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों में फिर से वृद्धि होना आरम्भ हो गई है। मंत्री महोदय को चाहिए कि वह इस समस्या से निपटने के लिए संबंधित मंत्रालय से चर्चा करें।

Shri Amarnath Vidyalankar(Chandigarh): It is wrongly to say that the Labour Minister has failed to protect the interests of labour. In fact the Labour Minister has made basic Changes in labour laws and made best efforts to improve the lot of workers. Nevertheless the labour department should show more activity. About 73 to 77 per cent cases of industrial disputes are still under consideration and 87 per cent cases are under investigation. Therefore the Labour Ministry should become more active and settle these cases as expeditiously as possible during this emergency.

As regards bonus and other measures pertaining to labour a time has now come when we have to think about them in a new direction. The trade unions have also to derive a

new method and direction in their working. What is needed today is that the trade unions should function in a more responsible manner. In socialism every person has to work to his utmost capacity and has to be paid wages accordingly to his labour.

I think that the trade unions have also to devise a new method and direction in their working. They should think about their responsibility to increase production and should function in a more responsible manner.

Now the question is of workers' participation in management. I think that we are lagging very much behind and government have also not been able to do much in this direction. We want workers' participation in management, but neither government nor employers have so far been able to devise ways to offer opportunities to workers for active participation in management. Workers should be given more responsibility whether it is in regard to maintenance of machinery or in regard to management. Small Committees of workers should be set up and they should be made responsible for so many things. Therefore more serious thought should be given to bring about effective participation of workers in the process of production. Government should suggest means to bring it about.

Secondly, I would like to point out that unemployment is increasing very much in the country and the efforts to tackle this problem are too inadequate. The employment Exchanges work on the old pattern and it has become very necessary to change their mode of working. The representatives of workers and trade unions should meet together to suggest changes in the working method and procedure of employment exchanges. There is an unemployment problem in several areas also and so the employment exchanges should seriously think this aspect also.

श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय महिलाओं के लिये जो यह विधेयक लाये हैं, उसके लिये मैं उन्हें बधाई देती हूं । इस सत्र में दो विधेयक पेश किये गये हैं । एक तो समान कार्य के लिये समान वेतन के बारे में है और दूसरा बीड़ी कर्मकारों के बारे में है । इन दोनों विधेयकों से भी महिलाओं को काफी मदद मिलेगी । समान कार्य के लिये समान वेतन का कानून केवल संविधि पुस्तक में ही नहीं रहना चाहिए, अपितु इसे कार्यान्वित किया जाना चाहिए । मंत्री महोदय को अपने प्रयत्नों में सफलता तभी मिलेगी जब कि इसका कार्यान्वियन होगा । इनके कार्यान्वियन के लिये कुछ प्रक्रियायें तैयार करनी होंगी । कतिपय क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें महिलायें पुरुषों की अपेक्षा अधिक कार्य करती हैं जैसे बागान क्षेत्र ।

गत वर्ष ही विश्व में महिला वर्ष मनाया गया है । जेनेवा सम्मेलन में यह निर्णय किया गया था कि महिलायें पुरुषों के समान मानी जानी चाहिए । महिलाओं का दर्जा ऊंचा करने में समान कार्य के लिये समान वेतन बहुत ही सहायक होगा । अतः मंत्री महोदय उन उपायों को स्पष्ट करे जो इस कानून को लागू करने के लिये किये जाने होंगे ।

अब मैं बीड़ी कर्मकारों के बारे में कहती हूं । बीड़ी उद्योग में काफी संख्या में महिलाएं हैं उन्हें कम वेतन मिलता है । निकोटीन के कारण बीड़ी कर्मकारों का स्वास्थ्य खराब रहता है । उनकी कठिनाइयां दूर करने के लिये क्या किया गया है और क्या उनको कोई पारिवारिक सुविधा प्रदान की जायेगी ? महिला कर्मकारों के बच्चों की देखभाल करने की भी समस्या है । हमने शिशुगृहों की व्यवस्था करने के लिये क्या किया है ?

दहेज विधेयक को सभी महिलाओं का समर्थन मिलेगा, क्योंकि इससे उनकी दशा में सुधार होगा ।

महिलाओं को आर्थिक स्वतन्त्रता तभी मिल सकती है जबकि उन्हें रोजगार प्रदान किया जाये। विकसित देशों में अनेक महिलाओं को रोजगार मिला है और उन्हें इसका गर्व है । मैं मंत्री महोदय से कहती हूं कि वह उद्योग में महिलाओं को रोजगार दिलाने में मदद करें ।

कोयला खानों में दुर्घटनाओं में अनेक मौतें होने के समाचार अत्यन्त ही दुःखद हैं । आशा है कि सरकार गम्भीरता पूर्वक इस बात पर विचार करेगी कि खान दुर्घटनाओं को कैसे रोका जाये और कर्मकारों का अमूल्य जीवन कैसे बचाया जाये ।

Shri Shrikishan Modi (Sikar) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I praise the Labour Minister for his experience, hard work and sincerity. About one lakh construction workers of Rajasthan are at present working in Delhi, Haryana and Punjab. They have to work as bonded labour and they are not paid any bonus or provident fund. They are subject to every kind of exploitation. It is, therefore, suggested that a joint meeting of Labour Ministers of Delhi, Haryana, Punjab and Rajasthan should be convened to find out some solution to improve their plight.

So far as the welfare of mines labour is concerned, there are various complexities and a small committee should be set up to make a thorough assessment of the situation and submit a report suggesting the method of action to implement the labour welfare measures.

The Department of Mines Safety has very inadequate staff. In view of the increasing number of mines, the staff of this Department should be augmented to make proper inspection of mines.

Thousand of workers of the Cement Factory and Sambhar Lake in Rajasthan are unemployed. Some solution to the problem of these workers should be found out in consultations with other Ministries.

There are different kinds of laws for agricultural workers. A simple and straight forward law should be enacted for them. Trade unions should not be allowed to encroach into the field of agricultural labour.

Wages should be related to productivity. Unless it is done, there will be no incentive for larger production.

Crores of workers are engaged in the building industry. But somehow or other the construction work has come to a standstill in the country and as a result, large scale unemployment is imminent in future. Government should find out a solution to this problem in consultation with other ministries.

No doubt, Government have given incentive to educated youths and young Engineers to set up factories, but it is also necessary to see in what condition these factories are working. Government should set up a Board or Committee to study the problems of these factories in small-scale industries sector.

Government should lay down a uniform scale of national wages. At least they should fit the minimum and maximum wages. Keeping in view the problems of small-scale industries, different wages should not be fixed for different industries, but a uniform wage should be fixed at national level so as to avoid any kind of industrial unrest anywhere.

Shri Onkar Lal Berwa (Kota) : Mr. Deputy Speaker, Sir, about 90 per cent workers among the construction workers belong to Scheduled Castes who have to shift from one place to another according to a change in their place of work. As they have no permanent places to live, some provision should be made to provide them accommodation in separate units and all necessary facilities like drinking water, should be made available to them.

Five thousand workers are working in Sawai Madhopur factory. This factory has been closed down for the last 11 months and nothing has been done to provide an alternative employment to labour working there. Government should take over this factory and start it as early as possible. If this is not possible it should be handed over to the State Government.

The compensation paid to workers in case of death by accident in a mine is too inadequate as compared to that paid to an air passenger or a railway traveller. Therefore more attention should be paid to these workers.

The Employment Exchanges are the dens of corruption and malpractices. Something should be done to improve their working.

There should be a uniform legislation in regard to the payment of bonus to workers. The casual labour should also be made permanent.

The stipend of Rs. 60 paid to a worker during the period of training is too inadequate. Then there is no certainty of employment even after the training. Government should enact a legislation to provide work immediately to those workers who are trained.

Shri M.C. Daga (Pali) : The report of the Home Ministry has depicted a very good picture of post-emergency days. It says that production has increased all round. The number of man-days lost during the strike, etc., have come down considerably. There are good things. But Government have done a great injustice to workers. The condition of workers today has deteriorated while the capitalists are getting stronger and stronger because the labour policy has not been effectively implemented to bring about the welfare of the working class.

No national wage policy has been laid down so far. Nor have the workers been given ample opportunity to participate in managements. The Committee on Public Undertakings have also observed that they are strongly in favour of participation of workers and their representatives in the management of public undertakings. But nothing has been done in this direction. The working class do not get judgment in cases of industrial disputes for years together because they are unable to hire good lawyers. On the other hand the employers have enough money to engage prominent lawyers to plead their cases.

There is a good deal of talks about the 20-point programme. But not a single point has so far been implemented fully. This programme envisages abolition of bonded la bour. I am happy that the Minister has not concealed his reaction in this regard. He has said that no state has given any response in regard to it. If this is the state of affair, I do not know how this programme is going to be implemented.

I have recently gone around about 60 villages. The equal wage for equal work policy is only in newspapers. Women workers are still discriminated. They are being paid much less than the male workers. The houses in which labourers have been living for many years are in a dilapidated condition. They should be got repaired and ownership rights should be conferred on them.

It is not known what amount has so far been spent on labour welfare measures. The welfare measures are taken advantage of by the officers. The labour is deprived of them. Therefore the entire policy in regard to labour should be overhanded radically and its implementation should not be left at the sweet will of State Governments. The lust for capital has to be wiped out and dignity of labour established.

Shri Ram Hedaoo (Ramtek) : There is great exploitation of labour in powerloom industry. In this industry, about 75 per cent powerlooms are unregistered and there is large scale evasion of taxes or Government dues by the owners of these looms. On the other hand the employers forced labour to work on powerlooms for 12 hours and pay them a wage for 2 or 3 hours only. There is no guarantee of employment for them and no provident fund or bonus is given to them. About 80 per cent of the workers of this industry

are victims of T.B. In order to assess the actual plight of these workers. a committee consisting of workers representatives should be constituted. The owners of powerloom industry have misled the Government and have amassed a good deal of black money. Government should, therefore, pay adequate attention to the problems of workers in this industry and take stringent steps against those owners who mislead Government and evade taxes and other Government dues.

श्री स्वर्ण सिंह सोखी (जमशेदपुर) : हमें आजादी हासिल किये 27–28 वर्ष हो चुके हैं । पर देश में मजदूरों की स्थिति आज भी अत्यधिक दयनीय है । वे आवास, अस्पताल, स्कूल तथा अन्य मूल कल्याणकारी सुविधाओं से आज भी वंचित हैं । सरकार श्रमिकों के हित में श्रम अधिनियम के उपबन्धों को लागू करे और यदि आवश्यक हो तो उसमें संशोधन भी किया जाये । मजदूर की खुशी में ही देश की खुशहाली है । मजदूर खुश है तो उत्पादन स्वतः ही बढ़ेगा और उत्पादन बढ़ने पर उसे भी हर्ष होगा । श्रम मंत्रालय को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए ।

देश की कुल जनसंख्या का 32.9 प्रतिशत मजदूर वर्ग है । इसमें से 31 प्रतिशत मजदूर बिहार के हैं । इस वर्ग को 100 रु० से 150 रु० मजदूरी मिलती है । इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी दशा कितनी खराब है । खानों में केवल 7.19 लाख लोग काम करते हैं। देश की आबादी की तुलना में यह संख्या बहुत कम है ।

रोजगार कार्यालयों में सैकड़ों प्रार्थनापत्र लम्बित पड़े हैं । 1975 तक इन कार्यालयों के रजिस्टरों में अनुसूचित जाति/जनजाति के 9.14 लाख लोगों के नाम दर्ज थे । खानों में प्रति मजदूर प्रति सप्ताह मजदूरी का औसत 76.14 रु० है । यह लगभग 300 रु० प्रतिमास बैठती है बिहार में अभ्रक की खानों में काम करने वाले मजदूर के संबंध में यह औसत केवल 26.06 रु० है, जो लगभग 104 रु० प्रतिमास बैठता है । बिहार में मजदूरों को यह मजदूरी मिल रही है।

मिट्टी और चीनी मिट्टी की खानों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के उपबन्ध लागू नहीं किये गये हैं। गरीब मजदूर को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रही है।

देश में लगभग 21,757 मजदूर यूनियनें हैं इनमें से 19,820 यूनियनें बोगस हैं क्योंकि केवल 1930 यूनियनें ही विवरण भेज रही हैं । सरकार उन्हें काम क्यों करने दे रही है।

टाटा स्टील कम्पनी ने 3,000 मजदूरों की छंटनी कर दी है । कुछ कर्मकारों को अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किया जा रहा है । पता नहीं सरकार इन बड़े स्टील संयंत्रों के मालिकों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं कर रही ?

रोजगार दफ्तरों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है । जब तक उनके हाथ गरम नहीं होते कोई काम नहीं होगा । यह स्थिति इस आपातकाल में भी चल रही है । मंत्री महोदय स्वयं जमशेदपुर के रोजगार कार्यालय की स्थिति का मुयाना करें और देखें कि वहां क्या स्थिति है।

चासनाला खान में 17-12-75 को दुर्घटना हुई थी । तीन मास बाद वहां दूसरी दुर्घटना घट गई । विभाग क्या कार्यवाही करता रहा ? अगर प्रबन्ध आपकी बात नहीं मान रहा था तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए थी । पर लगता है इस संबंध में कुछ भी नहीं किया गया। इस बारे में हमें स्पष्टतः बताया जाना चाहिए कि इस खान में काम कब से शुरू होने लगेगा ।

पता चला है कि श्रम मंत्रालय के अधिकारियों में कोल इंडिया लिमिटेड में प्रतिनियुक्ति पर जाने की होड़ लगी है । उन्हें वहां जाने की अनुमति न दी जाये ।

खंड स्तर पर श्रम निरीक्षक नियुक्त किये जाने चाहिएं तभी पिछड़े क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी लागू की जा सकती है ।

Shri Mohammad Ismail (Barrackpore) : The Labour Ministry is an ineffective Ministry because nobody pay any heed to the directives given by it. Even the State Governments and public sector undertakings do not care for its directives.

In the jute industry in West Bengal, the arbitrations award which was reasonable has not been accepted. If the State Government had cooperated it could have been possible to implement the award. Thousands of workers have been retrenched. This is the situation.

E.S.I. is harassing workers everywhere. Medicines prescribed by doctors are not made available to them. Doctors, nuises, patients all have complaints against the E.S.I. but nothing is being done to remedy the situation.

The Labour Ministry was not consulted in reducing the hours in L.I.C. The Minister should clarify the position in regard to this matter.

Everyday there are lock-outs, closures and retrenchments but there is no effective intervention in this matter by the Labour Ministry. There was a strike in the Bata for 38 days but the Ministry did not intervene. The Apex Committee has no statutory status. It is therefore an ineffective body.

After the declaration of the internal emergency, the trade union rights have been curbed. Permission is not given to hold annual meetings and to conduct elections, workers arrested under DIR are being dismissed by managements.

There is no participation of workers in managements in the real sense. It is all on papers only. There should be a comprehensive legislation for the welfare of labour in all mines.

Shri Jagannath Mishra (Madhubani) : Exploitation of workers has been there since long. It was gratifying that the Government are paying attention to this matter. It should be our endeavour to provide all the necessary amenities to the workers. Our production can increase only if workers were happy. There should be cordial relations between employees and the employers. Workers should have a feeling that factories or undertakings in which they are working belong to them.

The Government have rendered all assistance to the victims of Chasnala disaster. The work done by the Government deserved all praise. The Government should appoint experts at the helm of affairs in mines. This would help in the proper functioning of these mines.

After the enactment of the new legislation for enforcing the principle of equal pay for equal work, the employers have started harassment of women workers. A large number of women workers have either been retrenched for they are not getting full wages. The Government should take steps to put an end to this kind of injustice to women workers.

Lakhs of workers have been retrenched in West Bengal. Great injustice is being done to jute workers. Action taken by the Government in this connection should be told in the House.

A sugar mill at Sakri (Darbhanga) has been closed by the employers. A large number of workers have been thrown out of job and farmers have been put to loss. What action have you taken in this regard ?

Workers' participation in management should be ensured for proper functioning of factories. A general fund should be instituted for the welfare of all kinds of workers. The fund should be under the control of the Labour Ministry.

The condition of agricultural workers is very bad. A wage has been fixed for them. The centre should ensure that this wage was enforced in all the States.

There are certain disputes between employers and the employees pending for a long time. These disputes should be settled immediately. Steps should be taken to see that there are no disputes between employers and the employees in future.

With these words, I support these demands.

श्रीमती पार्वती कृष्णन् (कोयम्बटूर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रम मंत्री की बहुत प्रशंसा की गई है। मेरे विचार से वह कुछ प्रशंसा के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने नये विधान बनाए हैं किन्तु मैं यह कहना चाहती हूं कि इन विधानों का कार्यान्वियन न के बराबर है । साधारणतयः एक अध्यादेश कब जारी किया जाता है ? एक अध्यादेश तभी जारी किया जाता है जब संसद का अधिवेशन न हो रहा हो। और सरकार का यह दावा हो कि मामले पर शीघ्र ही विधान बनाना आवश्यक है । किन्तु वास्तविकता तो यह है कि श्रम संबंधी अध्यादेशों का, जो अब अधिनियम बन चुके हैं पूरा कार्यान्वियन नहीं हो पा रहा है तथा अभी भी खराबियां विद्यमान हैं । उन्हें लागू करने वाले तन्त्र की नियुक्ति अभी नहीं हुई है । समान वेतन का अधिनियम तुरन्त लागू किया जाए । इसी प्रकार छंटनी, जबरन छुट्टी आदि में अधिनियम लागू नहीं किये गये हैं । मंत्री महोदय इस बात का आश्वासन दें कि अधिनियमों को लागू करने वाले तन्त्र की स्थापना में विलम्ब नहीं किया जायेगा ।

एक बात और है । आपात स्थिति के पश्चात् कार्मिक संघों की गतिविधियों पर एक नियंत्रणसः लगा दिया गया है अगर वह सार्वजनिक बैठकें आदि नहीं कर सकते तो उन्हें आपात स्थिति संबंधी राष्ट्रीय नीति तथा राजनीति कार्यों में कैसे सम्वद्ध किया जा सकता है । आप श्रमिकों से आशा करते हैं कि वह उत्पादन में वृद्धि करें । जब तक सार्वजनिक बैठकें करके वह श्रमिकों को आपात स्थिति लागू करने के उद्देश्य नहीं समझायेंगे और प्रतिक्रियावादी शक्तियों के प्रति चेतावनी नहीं देंगे तब तक उन्हें राष्ट्रीय प्रगति में कैसे सम्बद्ध किया जा सकता है । अतः हमारी मांग यह है कि कार्मिक संघों के इस मौलिक अधिकार को सुनिश्चित किया जाये । इस बात के बारे में श्रम मंत्रालय, जो श्रमिकों के हितों का रक्षक है, को गृह मंत्रालय से बातचीत करनी चाहिये । कार्मिक संघों को कार्य करने की छूट होनी चाहिये । क्योंकि अधिकांश कार्मिक संघों ने आपात-स्थिति लागू करने का तथा प्रतिक्रियावाद शक्ति के विरुद्ध उठाये गये कदमों का समर्थन किया है किन्तु इस समर्थन का क्या लाभ होगा ? अगर कार्मिक संघों को अपनी गतिविधियां जारी रखने की अनुमति नहीं दी जायेगी और उन्हें आपात स्थिति लागू करने की आवश्यकता और उससे प्राप्त होने वाले लाभों के प्रति श्रमिकों को नहीं समझाया जायेगा और उन्हें देश की अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिये उत्पादन वृद्धि की आवश्यकता नहीं बताई जाएगी, उनका समर्थन अर्थहीन हो कर रह जायेगा ।

सरकार को कर्मचारी भविष्य निधि और अतिरिक्त परिलब्धियों, अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत प्राप्त धन के बारे में सजग रहना होगा । आज भी एक अथवा दो कम्पनियों को बन्द कर दिया गया है और स्थिति यह भी है कि कर्मचारी भविष्य निधि, अतिरिक्त परिलब्धियां, अनिवार्य जमा योजना दोनों ही उस ढंग से नहीं चल रही हैं जिस तरह चलनी चाहिये । अतः श्रम मंत्री को इस संबंध में पुरी तरह सतर्क रहना होगा ।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी (जालौर) : मैं श्रम मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। वास्तव में आपातस्थिति लागू होने के पश्चात् देश में औद्योगिक सम्बन्धों में काफी सुधार हुआ है। इस मंत्रालय द्वारा औद्योगिक श्रमिकों को सामाजिक और आर्थिक लाभ प्रदान करने हेतु कई नए विधान लाए गए है इन्हें क्रियान्वित करने में अवश्य ही कुछ समय लगेगा।

[श्री वसन्त साठे पीठासीन हुए
Shri Vasant Sathe in the Chair]

मंत्री महोदय का ध्यान मैं कर्मचारी भविष्य निधि योजना की ओर दिलाना चाहता हूं। कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके भविष्य निधि की राशि का भुगतान करने में भविष्य निधि विभाग और उसके अधिकारियों द्वारा असाधारण विलम्ब किया जाता है। प्रायः यह होता है कि कर्मचारी की मृत्यु के बाद विभाग द्वारा यह कहा जाता है कि चूंकि नामांकनपत्र प्राप्त नहीं हुआ है अतः भुगतान नहीं किया जा सकता। श्रम मंत्री से अनुरोध किया गया था कि वह इस सम्बन्ध में निर्देश दे कि इस फार्म की दो-दो प्रतियां भरी जाएं। एक प्रति श्रमिक को नियोक्ता के द्वारा दे दी जाए। यह दुख की बात है कि इन नए निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। यदि नामांकनपत्र की एक प्रति श्रमिक को भेज दी जाए तो उसे इस बात का पता चल जाएगा कि क्या भविष्य निधि आयुक्त को यह नामांकनपत्र सही रूप से मिला है या नहीं।

श्रमिकों को एक अन्य समस्या का सामना सम्पदा शुल्क और उत्तराधिकार के बारे में करना पड़ता है। कई मामलों में यह प्रमाणपत्र पेश न कर पाने के कारण भुगतान में विलम्ब किया जाता है। जहां तक सम्पदा शुल्क का सम्बन्ध है इस बारे में एक पृथक कानून है जिसके द्वारा इस शुल्क की वसूली की जा सकती है। विशेषकर उच्चतम न्यायालय के हाल ही के एक निर्णय के अनुसार भविष्य निधि की राशि का भुगतान केवल उसी अवस्था में किया जाएगा जबकि सम्पदा शुल्क चुका दिया जाएगा। मंत्रालय को इस मामले की जांच करनी चाहिए और इस सम्बन्ध में निर्देश जारी करने चाहिएं कि सरकार द्वारा इस प्रमाणपत्र को पेश करने पर जोर न दिया जाए।

भविष्य निधि योजना को और भी भिन्न-भिन्न वर्गों के कर्मचारियों पर लागू कर दिया गया है, परन्तु उन्हें कई-कई वर्षों तक अपनी रकम की लेखा पर्ची नहीं मिलती जिससे उन्हें यह सन्देह हो जाता है कि नियोजक ने उनकी रकम जमा नहीं कराई है। अतः सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जिससे ऐसी लेखा पर्ची कर्मचारियों को मिल सके। यदि भविष्य निधि विभाग में इतनी कार्यकुशलता नहीं आ सकती कि वह समय पर भुगतान कर सके या लेखापर्ची जारी कर सके, तो सरकार को चाहिए कि वह केन्द्रीय स्तर पर कम्प्यूटर व्यवस्था स्थापित करे।

हाल ही में अतिरिक्त उपलब्धियां अनिवार्य जमा योजना लागू की गई है परन्तु उसके हिसाब किताब रखने का काम भविष्य निधि आयुक्तों के पास नहीं है। इसके अतिरिक्त, उक्त अनिवार्य जमा सम्बन्धी कटौतियां आयकर की तरह राष्ट्रीयकृत बैंकों की किसी भी शाखा में जमा नहीं की जा सकतीं। अतः मेरे विचार से यह प्रक्रिया अधिक सरल और व्यापक बनाई जानी चाहिए। भविष्य निधि की जमाराशि पर जो ब्याज दिया जाता है उसका हिसाब पिछले वर्ष के अन्त में जमा बकाया पर लगाया है। जिसके कारण चालू वर्ष में जमा किए गए अंशदान पर ब्याज का लाभ कर्मचारी को नहीं मिल पाता। अतः इस स्थिति को दूर करने के लिए कोई उपाय किया जाना चाहिए।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तगर्त कर्मचारी को अपनी नियुक्ति की तारीख से ही चिकित्सा सुविधा मिलने लगती है परन्तु उसके परिवार के सदस्यों को तेरह सप्ताह के बाद से यह सुविधा मिलनी आरम्भ होती है। कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को कुछ समय के बाद से चिकित्सा सुविधा देना युक्ति संगत नहीं है। आपात काल के दौरान जब कर प्रणाली आदि सभी को सरल बनाया जा रहा है, तो श्रम मंत्रालय कर्मचारी राज्य बीमा योजना सम्बन्धी कानून और प्रशासन को भी सरल बनाने की दिशा में विचार करे। इस प्रकार इस योजना का पालन न करने वालों का आसानी से पता लग सकेगा और कर्मकारों को प्रस्तावित आर्थिक सुविधाएं आसानी तथा शीघ्रता से मिल सकेंगी। मैं श्रम मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री के० मायातेवर (डिंडीगुल): मैं माननीय श्रम मंत्री को इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने तमिलनाडु में बन्धक श्रम पद्धति को समाप्त करने के लिए कारगर कदम उठाया है। परन्तु मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि जो श्रमिक बन्धक पद्धति से मुक्त किए जाएं उन्हें भूमि, रोजगार आदि उपयुक्त सुविधाएं दी जाएं। श्री करुणानिधि के नेतृत्व में तमिलनाडु में जो सरकार चल रही थी उसके समय में राज्य में रोज हड़तालों, और हत्याओं की घटनाएं घट रही थीं परन्तु अब वहां पर श्रमिक वर्ग कुछ हद तक सुखी और सन्तुष्ट है।

भारत की जनता के कल्याण के लिए हमारे पास अच्छी योजना और अच्छे उद्देश्य हैं, परन्तु हमें उन्हें क्रियान्वित करना चाहिए। जहां तक खेतिहर मजदूरों का सम्बन्ध है उनके हितों के लिए लड़ने के लिए कोई यूनियन या राजनीतिक दल नहीं है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह खेतिहर मजदूरों के कल्याण के लिए कदम उठाए। खेतिहर मजदूरों की संख्या देश में कुल श्रमिकों की संख्या का 72 से 80 प्रतिशत तक है। बीड़ी मजदूरों के लिए जो कानून बनाया गया है उसका उपयुक्त प्रचार किया जाना चाहिए और उसे कारगर रूप में क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत 450 करोड़ रुपए जमा होंगे, परन्तु मुद्रा-प्रसार को रोकने के लिए यह रकम पर्याप्त नहीं है। निससन्देह, स्वेच्छया आय प्रकटन योजना के फलस्वरूप सरकार को 1500 करोड़ रुपया मिला है परन्तु करदाता को पूरी छूट नहीं दी जानी चाहिए। काला धन बाहर लाने के लिए भिन्न भिन्न समितियों ने जो सिफारिशें की हैं उन्हें क्रियान्वित किया जाए। यह उपयुक्त समय है जब सरकार को काला बाजार करने वालों की गिरफ्तारी करने वाली मशीनरी सक्रिय बनानी चाहिए और काला धन बाहर लाने के लिए उपाय करने चाहिएं। तभी मुद्रा प्रसार को रोका जा सकेगा। मेरा तो यह तक सुझाव है कि 100 रुपये वाला नोट अवैध घोषित कर दिया जाना चाहिए।

माननीय प्रधान मंत्री ने गत मास अपने एक सार्वजनिक भाषण में यह बात स्वीकार की कि श्रमिक देश का एक अंग है। अतः उनकी कमर नहीं तोड़ी जानी चाहिए।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील): देश में समूचे श्रमिक आन्दोलन के प्रति श्रम मंत्रालय को अब एक नया दृष्टिकोण अपनाना और उत्पन्न करना है और विशेषकर इस अनुशासन युग के दौरान इस आन्दोलन में एक नया जीवन डालना है, क्योंकि श्रमिक को केवल हड़ताल करने या अधिक से अधिक मजदूरी मांगने का अधिकार है वरन देश और समाज के प्रति भी उनका कोई कर्त्तव्य है।

मुझे ट्रेड यूनियनों की बैठकों में मजदूरों से मिलने के मौके मिलते हैं। ये लोग वर्तमान स्थिति से प्रसन्न नजर आते हैं क्योंकि कीमतें गिरी हैं और स्थिर हुई हैं और जीवन सुविधाजनक बना है।

हमने उनसे पूछा कि क्या वे मजदूरी बढ़वाना और इस तरह मुद्रा-प्रसार का विस्तार कराना पसन्द करेंगे या कीमतों में गिरावट और स्थिरता चाहेंगे। वे राष्ट्रीय विकास और देश की आर्थिक स्थिति में सुधार के हेतु त्याग करने को तैयार हैं।

माननीय उप वित्त मंत्री ने जीवन बीमा निगम में बोनस समझौता सम्बन्धी प्रस्तावित कानून का सुयोग्यता के साथ स्पष्टीकरण किया जिससे हर सदस्य यह महसूस करता है कि ऐसा कानून बनाना अत्यावश्यक है। आज श्रमिक वर्ग के बारे में मुख्य समस्या यह है कि उसमें राष्ट्रीय जागरूकता और भावना कैसे आए। श्रमिक यह समझते हैं कि इससे अधिकार का दुरुपयोग नहीं होगा।

कृषि मजदूर देश भर में फैले हुए हैं परन्तु उनकी दशा बन्धक मजदूरों से भी बुरी है। केरल ने इस बारे में एक विधेयक पास किया है जिसकी सराहना अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भी की है। प्रसन्नता की बात है कि श्रम मंत्रालय ने यह विधेयक राज्यों में परिचालित किया है और उनकी राय मिल जाने पर सभी राज्यों के लिए एक आदर्श कानून बनाएगा।

श्रम मंत्रालय बन्धक श्रम के बारे में पूरीतरह सतर्क है, परन्तु इस प्रथा को समाप्त करने के लिए न केवल केन्द्रीय सरकार वरन राज्य सरकारें भी प्रयत्न करें। इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव भी है कि श्रम मंत्रालय में और उसी तरह राज्यों में एक उपविभाग बनाया जाए जो इस समस्या पर गौर रखे क्योंकि इस प्रथा को केवल कानून द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि किसी दूरस्थ स्थान पर यह प्रथा चलती रहे। तमिलनाडु में मुख्य सचिव तथा अन्य अधिकारियों द्वारा अपनाए गए अत्याचारपूर्ण रवैये का स्पष्टीकरण नहीं किया जा सका। इस उपेक्षा के लिए सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए।

जहां तक भविष्य निधि संगठन का सम्बन्ध है, वहां पर स्थिति सुधरी है। माननीय मंत्री ने कर्मचारियों तथा प्रादेशिक आयुक्तों का एक सम्मेलन बुलाकर बकाया कार्य को निपटाने के लिए विचार विमर्श किया है। इसके लिए कर्मचारियों और प्रशासन को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। यद्यपि भविष्य निधि संगठन को स्वायत्तशासी निकाय बनाने प्रादेशिक आयुक्तों को अधिक शक्ति देने के लिए बार बार आग्रह किया जाता रहा है परन्तु अभी तक ऐसा नहीं किया गया। मंत्री महोदय को चाहिए कि वह इस संगठन के कर्मचारियों में यह भावना पैदा करें कि वे लोग अपनी पदोन्नति में आयुक्त तक बन सकते हैं।

समाचारों के अनुसार मंत्री महोदय ने नियोजकों से कर्मचारियों की 30 करोड़ की बकाया राशि वसूल कर ली है। इस के लिए वह बधाई के पात्र हैं।

श्रमिक राष्ट्रवाद और राष्ट्र निर्माण गतिविधियों से अवगत हैं और वे राष्ट्र निर्माण के लिए प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 20 सूत्री कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। परन्तु नियोजक, एकाधिकारवादी उद्योगपति और पूंजीपति श्रमिकों के हितों के प्रतिकूल कार्य कर रहे हैं। उन्हें तो अपने मुनाफे से मतलब है। उनका देश के आर्थिक विकास या राष्ट्र निर्माण गतिविधियों से कोई सरोकार नहीं है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और उद्योगपत्तियों द्वारा श्रमिकों के साथ किए जाने वाले अन्याय को रोकना चाहिए। राज्य सरकारों को हिदायतें दी जानी चाहिऐ कि वे ऐसा कोई कार्य न करें जिससे श्रमिकों को कोई हानि न हो।

मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि मंत्री महोदय श्रमिकों के लाभ के लिए इसी सत्र में एक महत्वपूर्ण विधान लाए हैं। आशा है, वह आगे भी इसी भावना से कार्य करते रहेंगे और इससे श्रमिक आन्दोलन को एक नई दिशा मिलेगी जिससे राष्ट्र निर्माण कार्य में सहायता मिलेगी।

Pro. S. L. Saksena (Maharajganj) : Mr. Chairman, the minimum wage in the sugar industry in Uttar Pradesh is very low. There was a time when it was Rs. 4 per month. After a long struggle, it has been raised to some extent. But still it is on the lower side. Even now the salary of a worker in my State amounts to Rs. 301 including D.A. Whereas in Rourkela a sweeper gets a sum of Rs. 700 (which of course, includes both D.A. and bonus) per month. It is high time when a tripartite conference should be convened to fix minimum wage for them which could compare well with the minimum wage of other workers. Sugar is an important industry which earns foreign exchange for the country and it is therefore necessary that more attention should be paid to this industry and it should be nationalised.

The workers of Ghughli Sugar Factory in Gorakhpur Distrcit have not been receiving their salaries regularly. So much so that some of the workers have not got anything for the last 12 months. The arrears on this account amount to about Rs. 28 lakhs. Immediate attention should be paid to this matter.

There was a labour depot at Gorakhpur for the recruitment of labour from Gorakhpur District. The closure of this depot has created a lot of inconvenience to the workers of this district. The Deputy Directors occupying 4 rooms in that building has been asked to vacate it. He should be permitted to continue in that building.

There was a scheme to utilise the unclaimed wages of Rs. 9 lakhs on labour welfare. Under this scheme it had been decided to open two health centres under the supervision of the retired D.M.O. of N.E. Railway, Shri D.M. Gupta who had undertaken to cary out this job for a salary of Rs. 100 per week. But the scheme is still awaiting approval of the Government. Necessary sanction should therefore be accorded to the scheme soon so that the money could be utilised for the welfare of the workers.

As regards participation of workers in management, it appears to be a force since in Gorakhpur district there is not a single industry where workers have been taken in the management. From the experience gained in China, Yugoslavia, Bulgaria, Romania, Hungary etc. it can be observed that workers taken in the management give usefull suggestions. Some concrete steps should, therefore, be taken to make workers' participation in management a success.

It is good that bonded labour has been abolished in the country and a Bill has been brought before the Parliament for the benefit of the *bidi* workers. Thereby the Minister has earned the gratitude of lakhs of *bidi* workers. I congratulate the Minister for this and hope that he will pay due attention to my suggestion.

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जिनसे पता चलता है कि देश में खेतिहर मजदूरों की संख्या सर्वाधिक है। तथापि कार्मिक संघ आन्दोलन और सरकार ने खेतिहर मजदूरों की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। मंत्रालय के 44.82 करोड़ रुपए के आयव्यय में से केवल 4.50 लाख रुपए खेतिहर मजदूरों के लिए रखे गए हैं। यह एक अनुचित बात है।

विभिन्न राज्यों में मजदूरों की संख्या में भारी विषमता है। हमारे देश में अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जोकि एक बहुत ही अधिक पिछड़ा क्षेत्र है, और वहां की जनसंख्या का 57.5 प्रतिशत मजदूर हैं। जबकि हरियाणा में सब से कम मजदूर 26.4 प्रतिशत हैं। इस विषमता को दूर किया जाना चाहिए। जहां तक खेतिहर मजदूरों का सम्बन्ध है, उनकी संख्या देश में कुल जनसंख्या की 22 प्रतिशत है। इस प्रकार खेती के कार्य में रत 12.5 करोड़ लोगों के लिए मंत्रालय के कुल आयव्ययक का केवल 1/1000वां भाग राशि रखी गई है।

यह कितने खेद की बात है कि अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष में भी महिलाओं को खेतों में काम करना पड़ता है। महिला खेतिहर मजदूरों की संख्या 1.5 या 1.6 करोड़ है जो अन्य व्यवसायों में लगी महिलाओं की संख्या से अधिक है। परन्तु इन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। जब भी यहां पर इनके बारे में कोई प्रश्न उठाया जाता है, तभी यह कह दिया जाता है कि यह राज्य विषय है। परन्तु मैंने संविधान की सप्तम अनुसूची में समवर्ती सूची के अन्तर्गत प्रविष्टि संख्या 22, 23, और 24 में, जिनका सम्बन्ध श्रमिक कल्याण और कार्य की शर्तों आदि से है, दिए गए विषयों पर केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें विधान बना सकती हैं। इसलिए यह कहना गलत है कि इस के लिए केवल राज्य सरकारें ही जिम्मेवार हैं।

रोजगार कार्यालयों में दर्ज बेरोजगारों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि काम पाने वालों की संख्या काम के लिए नाम दर्ज कराने वालों की संख्या से सदा कम रही है। 1975 में एक करोड़ लोगों में से केवल 4 लाख लोगों को काम दिलाया गया। इसी तरह चलता रहा तो 1976 में नाम दर्ज कराने वालों को काम दिलाने में 25 वर्ष लगेंगे। यह कितनी शर्म की बात है। इस समस्या को युद्ध स्तर पर हल किया जाना चाहिए जिससे नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की स्थिति में सुधार हो सके।

इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि तीन वर्ष के लिए भर्ती बन्द कर दी जाए और इस बीच युवकों को श्रम का महत्व समझाने के लिए उन्हें खुदाई करने और गढ़ा भरने जैसे काम दिए जाने चाहिए। इनमें जो अच्छा कार्य करें उन्हें अन्य कार्यों पर लगाया जाना चाहिए । इस दौरान मैट्रिक पास को 90 रुपए, अवर स्नातक को 120 रुपए और स्नातक को 150 रुपए दिए जाएं। इस समस्या को हल करने के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी है।

विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें राष्ट्रीय श्रम नीति निर्धारित करनी चाहिए।

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : सभापति महोदय, एक ओर तो बड़े बड़े भू-स्वामियों और उद्योग-पतियों को बहुत अधिक रियायतें दी गई हैं दूसरी ओर खेतिहर मजदूरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यह ठीक है कि कुछ प्रगतिशील विधान बनाया गया है और उसके लिए वह वास्तव में बधाई के पात्र हैं। सरकार को खेतिहर मजदूरों के लिए, जिनकी संख्या कुल जनसंख्या, की 90 प्रतिशत है, अधिक खर्च करना चाहिए और ऐसा करने के लिए श्रम मंत्रालय को अधिक शक्तियां प्रदान की जानी चाहिएं।

जहां तक राज्य विद्युत बोर्डों का सम्बन्ध है, इसके लिए भी श्रम मंत्री बधाई के पात्र हैं, क्योंकि 14-8-75 को प्रबन्धकों और कर्मचारियों के बीच एक समझौता हुआ था। परन्तु खेद है कि यह समझौता अभी लागू नहीं हो सका है क्योंकि प्रबन्धक उन कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर रहे हैं जो इस समझौते को क्रियान्वित करना चाहते हैं। श्रम मंत्री को चाहिए कि वह उन अधिकारियों के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही करें जो विद्युत विभाग के कर्मचारियों के बीच एकता को भंग करना चाहते हैं। जीवन बीमा निगम में विकास अधिकारियों के सम्बन्ध में कार्य की वही शर्तें जारी रहनी चाहिए जो 1971 में थी। इस सम्बन्ध में उनसे बातचीत की जानी चाहिए।

संविदा श्रमिकों के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर नियंत्रण होना चाहिए। यद्यपि इस सम्बन्ध में एक अधिनियम है, तथापि वह इतना कारगर सिद्ध नहीं हो रहा है। उड़ीसा से लाखों व्यक्ति बाहर जा रहे हैं, यहां तक कि मेरे जिले में 20 लाख व्यक्ति बाहर जा रहे हैं। इस मामले की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

1956 के औद्योगिक नीति संकल्प में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की आवश्यकता है। यद्यपि संकल्प में श्रम को बहुत अधिक महत्व दिया गया है तथापि उसमें कुछ कमियां हैं उन्हें दूर करके मजदूरों को अधिकाधिक रियायतें दी जानी चाहिएं उत्पादन बढ़ा है। परन्तु चाय बागानों और रेलवे में कई पद रिक्त पड़े हुए हैं और उनको अभी तक भरा नहीं गया है। इस के फलस्वरूप श्रमिकों पर कार्यभार बढ़ता जा रहा है। इस मामले की ओर ध्यान दिया जाए और इस सम्बन्ध में कुछ किया जाए।

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : श्रीमन्, मैं इस वादविवाद में भाग लेने वाले सभी संसद सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने बहुत ही उपयोगी सुझाव दिए हैं। इस के साथ-साथ, उन्होंने इस वर्ष बनाए गए विधान और देश में औद्योगिक सम्बन्धों को सुधारने के लिए किए गए कार्यों के आधार पर श्रम मंत्रालय की सराहना की है। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि वादविवाद के दौरान उठाई गई सभी बातो की ओर पूरा पूरा ध्यान दिया जाएगा।

वर्ष 1975-76 की सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना राष्ट्रपति द्वारा आन्तरिक आपात की घोषणा है जो जून, 1975 में की गई थी। देश में प्रतिक्रियावादी और फासिस्टवादी तत्वों ने देश राष्ट्र के स्थायित्व और उसकी क्रमबद्ध प्रगति को खतरा पैदा कर दिया था परन्तु प्रधान मंत्री ने समय पर कार्यवाही कर के उनके इन प्रयत्नों को विफल बना दिया है। वे तत्व अभी कुछ दब जरूर गए हैं परन्तु अभी पूर्णतया समाप्त नहीं हुए हैं। वे फिर अपना सिर न उठा सकें इसके लिए हमें सतर्क रहना होगा जिससे इस समय अनुशासन की जो लहर देश में आई है उसे सदा कायम रखा जा सके।

प्रधान मंत्री ने जिस 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा 1 जुलाई, 1975 को की थी, वह भारत के सामाजिक अर्थव्यवस्था के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। यह गर्व की बात है कि इन 20 सूत्रों में से 4 सूत्रों से हमारा मंत्रालय संबंधित है। हमें इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में अपना योगदान करने का सुनहरो अवसर प्राप्त हुआ है। सभा इससे पूर्णतया सहमत होगी कि मेरे मंत्रालय ने इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में सराहनीय कार्य किया है।

20-सूत्री कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण बात बन्धुआ श्रम पद्धति को समाप्त करना है। इस सम्बन्ध में आवश्यक विधान पहले ही बनाया जा चुका है। इस प्रकार मुक्त हुए बन्धुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिये आवश्यक हिदायतें दे दी गई हैं और राज्य सरकारें उनको रोजगार देने का प्रबन्ध कर रही हैं। ऋणग्रस्तता की विभिन्न किस्मों का पता लगाने के लिये सर्वेक्षण किया जा रहा है। सामाजिक अर्थव्यवस्था सम्बन्धी कार्यक्रम को समन्वित करने तथा उसकी देखभाल करने के लिये भी एक केन्द्रीय समिति बनाई गई है। कई शिविर संगठित किये गये हैं। इनमें एक शिविर बिहार में पालामऊ जिले में है जहां माननीय अध्यक्ष महोदय जी हो आये हैं। उन्होंने उसे एक अच्छा शिविर बताया है। इन शिविरों में मुक्त बन्धुआ श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे वे अपने पावों पर खड़े हो सकें। कुछ सदस्यों ने कहा है कि राज्य सरकारों ने बन्धुआ श्रमिकों के बारे में कोई विशेष कार्यवाही नहीं की है। इस मामले पर श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया था। मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में भी इसकी चर्चा हुई थी। इस समस्या पर श्रम सचिव की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक केन्द्रीय समिति भी विचार कर रही है। राज्यों में श्रम मंत्रियों को विशेष रूप से कहा गया है कि वे इस समस्या की ओर ध्यान दें और बन्धुआ श्रमिकों को मुक्त कराने में पूरा-पूरा सहयोग दें।

20-सूत्री कार्यक्रम का एक अन्य सूत्र खेतिहर मजदूरों के लिये न्यूनतम मजदूरी निश्चित करने के बारे में है। इस पहलू पर भी विस्तारपूर्वक विचार किया गया है। इस कार्य की ओर विशेष ध्यान देने से कई राज्य सरकारों ने खेतिहर मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में संशोधन करने के लिये कई प्रस्तावों पर अलग से विचार हो रहा है जिससे इस अधिनियम को अधिक कारगर बनाया जा सके। इस प्रयोजन के लिये मैं शीघ्र ही एक विधेयक संसद में पेश करूंगा। इसके अतिरिक्त, हम बहुत ही शीघ्र एक अधिसूचना जारी करने जा रहे हैं जिसमें खेतिहर मजदूर और मैंगनीज, अबरक, बाक्साइट, क्रोमाइट, चीनी-मिट्टी, ताम्बा, जिप्सम, बेराइटिस इत्यादि खान उद्योगों में मजदूर की न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर दी गई है।

पिछले कई वर्षों के सतत प्रयासों द्वारा हम बीड़ी उद्योग के मामले में न्यूनतम मजदूरी की दरों में कुछ हद तक समानता लाने में सफल रहे हैं। पहले इनकी मजदूरी की दरें बहुत कम थीं लेकिन इस अवधि के दौरान उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि कर दी गई है।

20 सूत्री कार्यक्रम का तीसरा सूत्र श्रमिकों द्वारा वर्कशाप स्तर तथा सयंत्र स्तर पर उद्योग के प्रबन्ध में भाग लेने के बारे में है। इस सम्बन्ध में जो योजना है वह इतनी लचीली है कि उसे स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाकर कहीं भी लागू किया जा सकता है। निर्णय लेने के लिये तन्त्र में भाग लेने से श्रमिक महसूस करने लगता है कि वह केवल उत्पादन का मूक उपकरण ही नहीं है परन्तु आर्थिक तन्त्र का एक जागरूक नियंत्रक भी है। इससे उसमें उद्योग के प्रति अपनेपन की भावना पैदा हो जाती है और इस प्रकार अन्ततः उत्पादन में वृद्धि होती है। उदाहरणार्थ, दुर्गापुर इस्पात कारखाने में श्रमिकों के प्रबन्ध में भाग लेने की व्यवस्था को अपना लेने से वहां पर दिन-प्रतिदिन बिगड़ रहे औद्योगिक सम्बन्धों में बहुत अधिक सुधार हुआ है और उत्पादन में भी काफी वृद्धि हुई है। इसीलिये इस योजना को अधिकांश सरकारी उपक्रमों में क्रियान्वित करने के लिये कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है। कुछ राज्यों ने तो इसका विस्तार उन कारखानों पर भी कर दिया है जहां श्रमिकों की संख्या 500 से कम है। गैर-सरकारी क्षेत्र में हाल ही में इस मामले में हुई प्रगति भी प्रशंसनीय है। इस में अब कोई सन्देह नहीं है कि इस योजना के लागू होने के पश्चात् औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार होने के साथ-साथ उत्पादन और उत्पादिकता में भी वृद्धि होगी।

20-सूत्री कार्यक्रम का श्रम मंत्रालय से सम्बन्धित अन्तिम सूत्र प्रशिक्षु अधिनियम के बारे में है। केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा किये गये उपायों के फलस्वरूप प्रशिक्षु अधिनियम के अन्तर्गत देश में सभी पद भरे जाने लगे हैं और कुछ राज्यों में तो शत-प्रतिशत से भी अधिक पद भरे जा रहे हैं। अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों, अल्प संख्यक वर्गों और अपंग व्यक्तियों में से प्रशिक्षुओं की भर्ती की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रशिक्षुओं को मिलने वाले वजीफे की दर बढ़ा दी गई है। जिस बात की ओर बार-बार ध्यान आकर्षित किया जाता है वह यह है कि प्रशिक्षुओं को उन्हीं स्थापनों में रोजगार मिलना चाहिये जिनमें वे प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इस मामले पर विचार हो रहा है। इस सम्बन्ध में आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मैंने हाल ही में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह सुझाव दिया था कि इस मामले पर राज्यों के उच्च स्तरीय निकायों की बैठक में नियोजकों के साथ विचार-विमर्श किया जाए, उसे स्वीकार कर लिया गया है। मुख्य मंत्री उक्त निकायों के नेताओं से बातचीत करेंगे और इस मामले को लागू करने के बारे में सुझाव देंगे।

श्रम मंत्रालय इन कार्यक्रमों के प्रति अपनी जिम्मेवारियों से पूर्णतया अवगत हैं और यह एक सन्तोषजनक बात है कि हमने उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से इन कार्यक्रमों को तुरन्त और दक्षतापूर्ण ढंग से क्रियान्वित करने के लिये हर सम्भव कोशिश की है।

आपात स्थिति के लागू होने से औद्योगिक सम्बन्धों में आशातीत सुधार हुआ है। अनुशासन की भावना के व्याप्त हो जाने से उत्पादन बढ़ा है। व्यर्थ जाने वाले कार्य दिवसों में बहुत कमी हुई है। 1974 में 400 लाख कार्य दिवस व्यर्थ गये थे जबकि 1975 में इनकी संख्या केवल 200 रह गई और इस प्रकार इनमें 50 प्रतिशत कमी हुई। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि आपात स्थिति की घोषणा के पश्चात् जुलाई, 1975 से जनवरी, 1976 में 54 लाख कार्य दिवस व्यर्थ गये जबकि गत वर्ष सात महीनों की इसी अवधि के दौरान 169 लाख कार्य दिवस व्यर्थ गये थे।। आपात स्थिति की घोषणा से तुरन्त पहले 7 महीनों में तथा इसके तुरन्त पश्चात् 7 महीनों में क्रमशः 181 लाख और 54 लाख दिवस व्यर्थ गये। यह एक बहुत ही उत्साहवर्धक बात है। सरकारी और गैरसरकारी क्षेत्रों के मामलों में आपात स्थिति की घोषणा के पश्चात् 7 मास की उक्त अवधि में व्यर्थ गये 54 लाख कार्य दिवसों में से गैर-सरकारी क्षेत्र में 53 लाख कार्य दिवस व्यर्थ गये और केवल एक लाख कार्य दिवस सरकारी क्षेत्र में व्यर्थ गये। इसके पश्चात् सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक सम्बन्धों में और भी अधिक सुधार हुआ है।

सरकारी क्षेत्र की स्थापना इस धारणा पर की गई थी कि इससे देश में समाजवादी समाज की स्थापना होगी और हमें इस मामले में आशातीत सफलता मिली है। 1974-75 में सरकारी क्षेत्र में 7,260 करोड़ से भी अधिक धन लगा हुआ था। यह गत वर्ष किये गये पूंजी निवेश से 16 प्रतिशत अधिक है। सरकारी क्षेत्र के चालू 120 उद्यमों के बारे में 1974-75 में करों के भुगतान से पूर्व और करों के भुगतान के पश्चात् क्रमशः 312.48 करोड़ रुपये और 183.55 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ जबकि इसकी तुलना में 1973-74 में यह क्रमशः 148.68 करोड़ रुपये और 64.42 करोड़ रुपये मुनाफा हुआ था। इस प्रकार 1973-74 में कुल पूंजी पर हुए 5.2 प्रतिशत मुनाफे की तुलना में 1974-75 में 8.4 प्रतिशत कुल मुनाफा हुआ। इसी प्रकार साम्य पूंजी पर कर देने के पश्चात् 1973-74 में हुए 1.9 प्रतिशत शुद्ध मुनाफे की तुलना में 1975-76 में 4.9 प्रतिशत शुद्ध मुनाफा हुआ। 1974-75 में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री हुई जो 1973-74 से 51 प्रतिशत अधिक है। 1091 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई जबकि 1973-74 में केवल 675 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित हुई थी। 1974-75 में सरकारी उपक्रमों के कार्य में भी काफी सुधार हुआ। उनकी क्षमता के उपयोग और संसाधन जुटाने के मामलों में भी काफी सुधार हुआ है। सरकारी उपक्रमों में रोजगार सम्बन्धी आंकड़े बढ़कर 14.08 लाख हो गये जबकि 1973-74 में 13.44 लाख व्यक्ति कार्य कर रहे थे। यह सन्तोष की बात है कि गत कुछ वर्षों में सरकारी क्षेत्र में लगातार सुधार हुआ है और राष्ट्र ने उनमें जो विश्वास स्थापित किया उसके औचित्य की सिद्धि हुई है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्राइवेट क्षेत्र भी महत्वपूर्ण भूमिका निभायें तथा नियोजकों और कर्मचारियों के संगठनों के बीच द्विपक्षीय विचार विमर्श प्रणाली का विकास हो, एक राष्ट्रीय एपेक्स निकाय का गठन किया गया है। इस निकाय के आधार पर ही वस्त्र, सीमेन्ट, इंजीनियरिंग, बागान, रसायन, बैंककारी, कागज आदि जैसे प्रमुख उद्योगों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर द्विपक्षीय औद्योगिक समितियां

बनाई गई हैं। इसके अलावा, राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे राज्य स्तर पर शीर्षस्थ (एपेक्स) निकायों की स्थापना करें। राष्ट्रीय शीर्षस्थ निकाय की एक बैठक में लिये गये इस निर्णय के बावजूद कि एकपक्षीय तौर पर छटनी, ज़बरन छुट्टी और बन्दी नहीं की जायेंगी, यह देखा गया है कि ऐसे मामले रुके नहीं हैं। वर्तमान क्षमता के कम उपयोग को ध्यान में रखते हुए इससे काफी चिन्ता होती है। अतः यह आवश्यक समझा गया कि इस विषय में एक विधान बनाया जाये। इसीलिये ज़बरी छुट्टी, छंटनी और बन्दी के नियमन के लिए हमने औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन किया है। कुछ राज्य सरकारों ने भी इसी प्रकार के कदम उठाये हैं।

इस वर्ष की दूसरी मुख्य विशेषता यह रही कि आपात स्थिति एवं सरकार द्वारा इससे पूर्व उठाये गये कदमों के फलस्वरूप मूल्यों में हो रही लगातार वृद्धि रुक गई और कीमतों में वस्तुतः गिरावट आई। इससे कर्मचारी लाभान्वित हुए। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। इस पर हमें गर्व होना चाहिए। आशा है कि भविष्य में वेतन सम्बन्धी समझौते, विशेषकर मंहगाई भत्ते की अदायगी के मामले इस प्रवृत्ति पर आधारित होंगे।

हमने वर्ष 1975 अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया और इसी वर्ष समान पारिश्रमिक देने सम्बन्धी अध्यादेश भी जारी किया गया जिसे बाद में समान पारिश्रमिक अधिनियम का रूप दिया गया। यह आशंका व्यक्त की गई थी कि क्या इस अधिनियम के उपबन्ध कृषि पर भी लागू होंगे या नहीं। मैं सभा को पहले ही आश्वासन दे चुका हूं कि इसके उपबन्ध कृषि पर भी लागू किये जायेंगे और इसके लागू किये जाने में यदि कोई विधायी कठिनाई उत्पन्न हुई तो उसे दूर करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। हम इस कानून को कृषि पर शीघ्र लागू करने का विचार कर रहे हैं। अब तक हमने यह बागानों, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, बैंकों, बीमा कम्पनियों, वित्तीय संस्थानों, अस्पतालों, नर्सिंग होमों, औषधालयों और शिक्षा, अध्यापन, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थाओं में रोजगार पर लगे व्यक्तियों के सम्बन्ध में लागू किया है। इस कानून के अन्तर्गत महिलाओं के लिए रोज़गार के समुचित अवसर पैदा करने और उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाये जायेंगे।

बिक्री संवर्द्धन में लगे कर्मचारियों की सेवा शर्तों का विनियमन करने वाला कानून पास किया जा चुका है। राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम और मातृत्व प्रसुविधा अधिनियम में संशोधन किये गये हैं। कृषि मजदूरों के कल्याणार्थ केरल अधिनियम के आधार पर हम एक आदर्श कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में कुछ राज्य सरकारों के विचारों की प्रतीक्षा की जा रही है और हम चाहते हैं कि यह काम भी यथासम्भव शीघ्र पूरा हो जाये। इन विधायी उपायों के अलावा हम स्वैच्छिक व्यवस्थाओं के माध्यम से भी मज़दूरों की समस्याओं को हल करने और उनके कार्यक्रमों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्रमिकों की शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं पर भी अधिकाधिक बल दिया जा रहा है। धन की उपलब्धि होने पर हम इस योजना का विस्तार करना चाहेंगे जिससे कि यह उपयोगी भूमिका निभा सके। एक राष्ट्रीय श्रम संस्था की स्थापना की गई है। इस संस्था ने जिसने दो वर्ष पहले अपना काम आरम्भ किया था, इस अल्पावधि में महत्वपूर्ण योगदान किया है। भूमिहीन ग्रामीण मज़दूरों को संगठित करने के मामले में काफी प्रगति हुई है, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस संस्था ने बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल के सुदूर क्षेत्रों में आठ ग्रामीण श्रमिक

शिवरों का आयोजन किया है। इन शिविरों में 376 व्यक्तियों ने भाग लिया। मुझे खुशी है कि इस कार्य में कुछ विधायकों और संसद सदस्यों ने भी रुचि दिखाई है। इस संस्था ने यूनियन के नेताओं के लिए कार्यक्रम का आयोजन भी किया है जिसमें कुल मिलाकर 327 व्यक्तियों ने भाग लिया। औद्योगिक प्रबन्धकों और सरकारी अधिकारियों के लिए 7 शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया। प्रबन्धों, विशेषकर डाकघरों, अस्पतालों, बैंकों, जीवन बीमा और औद्योगिक उपक्रमों में श्रमिक भागीदारी की व्यवस्था भी आरम्भ की गई है। हमें इस संस्था पर गर्व होना चाहिए।

केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध तन्त्र के कार्यकरण में आई कुछ शिथिलता का उल्लेख किया गया है। हमें यह बात अवश्य स्वीकार करनी चाहिए कि औद्योगिक सम्बन्धों में काफी हद तक सुधार हुआ है और इसके परिणामस्वरूप औद्योगिक विवादों की संख्या में कमी हुई है। केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध तन्त्र के अधिकारी औद्योगिक विवादों और संकल्पों पर बराबर ध्यान दे रहे हैं। इसी प्रकार श्रम कानूनों के कार्यान्वियन पर भी अधिकाधिक ध्यान दिया जा रहा है। संविदा श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, उपदान संदाय अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आदि के उपबन्धों को लागू करने का कार्य जोरों से किया जा रहा है। हाल ही में आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा उपदान संदाय अधिनियम के सम्बन्ध में दिये गये निर्णय का उल्लेख किया गया है। अब तक प्राप्त अनुभव के आधार पर हम इस अधिनियम में संशोधन करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। उक्त उच्च न्यायालय के फैसले से जो स्थिति उत्पन्न हुई है हम उस पर अवश्य ही गम्भीरता से विचार करेंगे।

हम उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोलकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालयों का विकेन्द्रीकरण कर रहे हैं। एक ऐसा कार्यालय कानपुर में स्थापित किया जा चुका है। पुणे, गोरखपुर, मेरठ आदि में ऐसे कार्यालय खोलने का विचार है। कार्यालयों की संख्या में वृद्धि करके हम भविष्य निधि आयुक्त की कार्यक्षमता में वृद्धि करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे काम अधिक शीघ्रता और कुशलता से निपटाया जा सकेगा।

फार्मों के सरलीकरण और डुप्लीकेट फार्मों के सम्बन्ध में अनुदेश देने की बाबत श्री सांधी ने प्रश्न उठाया है। इस सम्बन्ध में अनुदेश बहुत पहले जारी किये जा चुके हैं। अगर कहीं ऐसे अनुदेश जारी नहीं किये गये हैं तो मैं उनसे विचार विमर्श कर निवारणात्मक कार्यवाही करूंगा। ये फार्म नये कर्मचारियों के लिए हैं और उन पर लागू नहीं किये जा सकते जो अपनी रिटर्न भेज चुके हैं यदि कोई कठिनाई सामने आई तो उसे दूर किया जायेगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने खानों में सुरक्षा की समस्याओं और खान सुरक्षा महानिदेशालय संगठन को मज़बूत करने की आवश्यकता का उल्लेख किया है। खान सुरक्षा महानिदेशालय के पुनर्गठन के प्रस्तावों पर विचार हो रहा है। आशा है कि वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करके हम शीघ्र ही निर्णय ले सकेंगे। हम खान अधिनियम के अन्तर्गत कुछ कोयला खान विनियमों में संशोधन करने पर भी विचार कर रहे हैं। कुछ सदस्यों का यह विचार है कि खान सुरक्षा महानिदेशक प्रत्येक दुर्घटना के लिये जिम्मेवार हैं परन्तु ऐसा नहीं है। महानिदेशक और उसका संगठन केवल एक विनियामक संगठन है। दुर्घटना की प्राथमिक जिम्मेदारी तो प्रबन्धक की है।

औद्योगिक कर्मकारों के लिये आवास के सम्बन्ध में एक स्पष्ट नीति की आवश्यकता के बारे में कुछ बातें कही गयी हैं। यद्यपि हमने इस क्षेत्र में कुछ प्रगति की है फिर भी अभी कारखानों तथा प्रतिष्ठानों में काम कर रहे कर्मचारियों के लिये काफी कुछ करना शेष है। आशा है कि हम इस

दिशा में तेजी से अग्रसर होंगे और श्रमिकों को आवश्यक आवास सुविधा देंगे, किन्तु यह एक लम्बा कार्य है ।"

जहां तक श्री राम रतन गुप्ता एण्ड कम्पनी का सम्बन्ध है, मैं श्री बनर्जी को विश्वास दिला सकता हूं कि विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत कार्यवाही करने के प्रयोजन से सभी सम्भव कदम उठाये गये हैं । मुकदमे की कार्यवाही भी शुरू की गयी है ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : लक्ष्मीरतन काटन मिल्स और अथर्टन वेस्ट मिलों को हाथ में लेने के बारे में स्थिति क्या है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : यह प्रश्न वाणिज्य मंत्रालय के अन्तर्गत आता है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं वाणिज्य मंत्री सहित सभी मंत्रियों से पूछता हूं ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : वाणिज्य मंत्रालय की ओर से कुछ कहना मेरे लिये ठीक नहीं है । मैं समझता हूं कि आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैंने एक संगत प्रश्न पूछा और मुझे वाणिज्य मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि उस सम्बन्ध में एक विधेयक पेश किया जायेगा ।

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : मैंने कहा था कि बड़ौदा की प्रियलक्ष्मी मिल और खम्बात की मुव्वलक्ष्मी मिलें हाथ में ले ली जानी चाहिये । इसके साथ ही मैंने भावनगर वेजिटेबिल प्रोडक्ट्स को लेने के लिये भी कहा था । उन्होंने उत्तर में इसके बारे में जिक्र नहीं किया है ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : मेरे मित्र श्री बनर्जी एक बड़े अनुभवी संसदशास्त्री हैं । आशा है कि वह मेरा मतलब समझ गये होंगे ।

श्री पी० एम० मेहता : मेरे प्रश्न का क्या उत्तर है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : ये दोनों मिलें वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत हैं न कि श्रम मंत्रालय के अन्तर्गत ।

अंत में मैं देश के विकास में श्रमजीवी वर्ग की भूमिका का उल्लेख करना चाहता हूं । मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि भारतीय मजदूर वर्ग हमारी संसदीय संस्थाओं और लोकतंत्रीय मूल्यों का समर्थन करेगा । हम भारत के इतिहास के संकट तथा चुनौती से भरे हुए युग से गुजर रहे हैं और हमें अपने निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा अपनी परम्पराओं को बनाये रखने के लिये श्रमिक वर्ग की ओर ध्यान देना होगा । मैं सिफारिश करता हूं कि सभा मांगों का समर्थन करे और यह अनुरोध करता हूं कि सभी कटौती प्रस्ताव वापस लिये जायें ।

सभापति महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

All the Cut Motions were put and negatied.

सभापति महोदय द्वारा श्रम मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गयी तथा स्वीकृत हुईं :

The following Demands in respect of Ministry of Labour were put and adopted:

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०
67.	श्रम मंत्रालय .	60,00,000	..
68.	श्रम और रोजगार . . .	36,67,31,000	8,23,000

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

62वां प्रतिवेदन

श्री एस० पी० भट्टाचार्य (उलुबेरिया) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 62वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

अनुदानों की मांगें 1976-77—जारी
DEMANDS FOR GRANTS 1976-77—Contd.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

सभापति महोदय : अब सभा सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मांगों पर चर्चा करेगी ।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वर्ष 1976-77 की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गयीं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०
64.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय . .	35,78,000	..
65.	सूचना और प्रचार	12,39,89,000	96,25,000
66.	प्रसारण	33,66,16,000	17,78,44,000

निर्माण श्रौर श्रावास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : 6 घंटे नियत किये गये हैं। एक घंटा श्राज मिलेगा। कल गैर-सरकारी कार्य 3.30 बजे शुरू होगा। मुझे यह कहा गया है कि गैर-सरकारी कार्य कुछ देर तक स्थगित किया जाय। यह सभा के विचारार्थ है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : हम सहमत नहीं है। कल के बाद लम्बा श्रवकाश है श्रौर श्रनेक सदस्य चले जायेंगे।

श्री के० रघुरामैया : मैं विरोधी दलों के नेताश्रों से बात करने जा रहा हूं।

सभापति महोदय : श्री भौरा।

श्री एस० एम० बनर्जी : वह कल भाषण देंगे। उन्हें श्राज बाहर जाना पड़ा है।

सभापति महोदय : श्री महन्ती।

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : महोदय, सूचना श्रौर प्रसारण मंत्रालय की मांगों के वाद-विवाद में भाग लेने में मुझे कोई खुशी नहीं है, क्योंकि मैं मंत्रालय की सभी मांगों का पूर्णतया विरोध करता हूं।

इस मंत्रालय के कार्यकरण का तरीका ही मौलिख रूप से कुछ ऐसा श्रापत्तिजनक है कि लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला कोई भी जागरूक व्यक्ति इन मांगों का समर्थन नहीं करना चाहेगा।

श्रापात स्थिति की घोषणा के पश्चात् सूचना श्रौर प्रसारण मंत्रालय के कार्यकरण में बहुत परिवर्तन श्रा गया है। यदि किसी एक दल या व्यक्ति का प्रचार का साधन मात्र बन गया है। सेंसरशिप श्रादेश तथा इस संबंध में दिये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों ने विरोधी-पक्ष की श्रावाज को दबा दिया है श्रौर सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने श्रब एक तरफा प्रचार करके स्वतः एक दलीय शासन को स्थान दे दिया है।

20-सूत्री श्रार्थिक कार्यक्रम का राग श्रलापना इस मंत्रालय का मुख्य काम बन गया है। किन्तु यह कार्यक्रम कोई नया कार्यक्रम नहीं है श्रौर न ही यह इतना महत्वपूर्ण है कि सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय इस पर इतना श्रधिक ध्यान दें। इसका इस तरह बढ़ चढ़कर प्रचार करना केवल किसी व्यक्ति के प्रभाव को बढ़ाना जोकि पक्षपातपूर्ण प्रचार है। 165 लाख पोस्टर तथा श्रन्य सामग्री छापी गई है श्रौर शायद 100 लाख रुपये इस तरह के पक्षपातपूर्ण प्रचार पर बर्बाद किये गये हैं।

[श्री भागवत झा श्राजाद पीठासीन हुए]
[Shri Bhagwat Jha Azad in the Chair]

फिल्म प्रभाग ने इस सिद्धांत को ध्यान में रखकर 34 डाक्यूमेंट्री फिल्मों का निर्माण किया है। गीत श्रौर नाटक प्रभाग इस 20-सूत्री श्रार्थिक कार्यक्रम के प्रचार के लिये पागल हुश्रा जा रहा है। प्रेस सूचना ब्यूरो समाचार पत्रों के कार्यालयों में 20-सूत्री कार्यक्रम के श्रधिकाधिक प्रचार के लिये श्रन्धाधुंध रूप से लेख भेज रहा है। भले कोई इसका समर्थन कर ले किन्तु वह इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि एक दलीय शासन का उद्भव हो रहा है।

प्रतिवेदन में केवल यही बताया गया है कि 12,500 समाचार पत्रों पत्रिकाओं में से केवल 272 समाचार पत्र/पत्रिकाओं पर ही सेंसर, प्रि-सेंसरशिप आदेश लागू किया गया है। मंत्री जी को इन 272 मामलों के बारे में विस्तृत जानकारी देनी चाहिये कि किन कारणों से इन पर सेंसर लगाई गई। इस बात के कई उदाहरण हैं कि सेंसरशिप स्वेच्छाचारिता तथा मनमाने ढंग से कार्य कर रही है।

अनेक समाचार पत्र जैसे 'स्वराज्य' 'फ्रीडम फस्ट' 'भूमिपुत्र' के साथ भेदभाव का व्यवहार किया गया है। 'भूमिपुत्र' ने श्री एम० सी० चागला का भाषण प्रकाशित किया था और सेंसर ने उन प्रतियों को जब्त करना चाहा किन्तु न्यायपालिका ने सेंसर के इस आदेश को रद्द किया।

श्री पी जी० मावलंकर : अब उन न्यायाधीशों का ट्रांसफर किया जा रहा है।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : कितनी शर्म की बात है और देश के लिये कितना बुरा दिन है। सेंसर कैसे मनमाने ढंग से कार्यरत है। स्वेच्छा मार्गदर्शी सिद्धांतों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। ये मार्गदर्शी सिद्धांत आपत्तिजनक, अनुचित तथा गैर-लोकतांत्रिक हैं।

एक मार्गदर्शी सिद्धान्त यह है कि न्यायालयों के निर्णयों के आवश्यक अंश ही प्रकाशित किये जाये। यहां तक कि न्यायालयों की कार्यवाही का भी सेंसर किया जायेगा। क्या उच्च न्यायालयों की कार्यवाही से भी हिंसा भड़क उठती है?

दूसरा मार्गदर्शी सिद्धान्त यह है कि आसुंका के अन्तर्गत बन्दी नेताओं के नाम तथा उस स्थान के बारे में न छापा जाये जहां उन्हें बन्दी किया गया है। क्यों? अंग्रेजी राज्य ने भी सेंसर इतनी सख्ती से लागू नहीं किया जितना अब किया जा रहा है।

तीसरा मार्गदर्शी सिद्धान्त यह है कि प्रधान मंत्री के पद का अपमान न किया जाये। किन्तु यह बात समझी जानी चाहिये कि प्रधान मंत्री का पद इस पद पर कार्य कर रहे व्यक्ति से अलग है। अगर मैं प्रधान मंत्री को स्थायी मान लूं तो देश एक संसदीय लोकतन्त्र न रह कर एक साम्राज्य हो जायेगा।

मेरे कहने का यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि प्रधान मंत्री के पद का अपमान किया जाये किन्तु उनकी आलोचना तो की जा सकती है। प्रधान मंत्री का एक नागरिक को आदर करना चाहिये किन्तु उसके कार्यों की आलोचना की जा सकती है।

सेंसर की भूमिका के बारे में मैं बम्बई उच्च न्यायालय के "फ्रीडम फर्स्ट" के मामले पर दिये गये निर्णय से उदधृत करता हूं उस निर्णय में कहा गया है कि सेंसरशिप आदेश के अन्तर्गत सेंसर का यह कर्त्तव्य नहीं बनता कि वह सभी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को मनमाने ढंग से समाचार आदि प्रकाशित करने के लिये बाध्य करे और वह चाहे कि वह सभी सरकार की 'हां' में 'हां' मिलायें।

इसी निर्णय में आगे कहा गया है कि सेंसर को अपनी शक्तियों का जनमत बनाने अथवा जनता को प्रभावित करने के लिये प्रयोग नहीं करना होता। सेंसरशिप आदेश के अन्तर्गत सेंसर की नियुक्ति प्रजातंत्र की रक्षा के लिये की जाती है न कि उसकी कब्र खोदने के लिये। मैं यह कहता हूं कि आज सेंसर प्रजातंत्र का रक्षक नहीं है बल्कि भक्षक है। यह सेंसरशिप आदेश आपात स्थिति लागू होने के पश्चात् लागू किया गया था इसे भारत सुरक्षा अधिनियम के नियम 48 के अन्तर्गत लागू किया गया है। इसे लागू करने का अभिप्राय यह था कि हिंसा भड़काने वाली कार्यवाहियों पर रोक लगे अतः सेंसरशिप आदेशों को हिंसा भड़काने वाली कार्यवाहियों पर लागू किया जाना चाहिये। किन्तु आज हमें पता चलता

है कि सेंसरशिप का प्रयोग विपक्षी की आवाज दबाने के लिये किया जाता है । इस प्रकार हम लोकतान्त्रिक ढांचे में किस प्रकार चुनाव करवा सकते हैं अतः ऐसे लोकतन्त्र किस प्रकार सफल हो सकता है । सेंसरशिप ने हमारे लोकतन्त्र के आधार को हिला दिया है । अतः यद्यपि हमारे विचारों में विभिन्नता है फिर भी यही समय है कि इसके बारे में कुछ किया जाये । महात्मा गांधी ने इस सन्दर्भ में कहा था कि विचार अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता अबाध रूप से प्राप्त होनी चाहिये । अतः में आशा करता हू कि माननीय मंत्री इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे जिसमें हम सच्ची स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकेंगे ऐसी स्वतन्त्रता जिसके लिये कहा जाता है कि आपात स्थिति लागू की गई है ।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4
65	3	**श्री भोगेन्द्र झा** (जयनगर) : साम्प्रदायिकता, अलोकतंत्रीय संगठनों और विचारधाराओं के विरुद्ध प्रचार अभियान चलाने में आकाशवाणी और समाचार-पत्रों की असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए
65	4	**श्री भोगेन्द्र झा** (जयनगर) : धनी लोगों द्वारा भारतीय श्रमिकों का शोषण और इसे रोकने के लिये जन आन्दोलनों और सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों को दर्शाने वाली फिल्में दिखाने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए
65	5	**श्री भोगेन्द्र झा** (जयनगर) : भ्रष्टाचारी पूंजीवादी और सामंतवादी परम्पराओं को दिखाने वाली हालीवुड की फिल्मों और अन्य फिल्मों का आयात रोकने और लोकतंत्रीय और समाजवादी संस्कृति का प्रचार करने वाली फिल्मों का अधिक उत्पादन करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए
66	13	**श्री भोगेन्द्र झा** (जयनगर) : ग्रामीण गरीब लोगों के कल्याण के लिये प्रधान मंत्री के 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को तीव्रता से लागू करने के लिये शोषकों के विरुद्ध जन-जागृति पैदा करने वाले कारगर कार्यक्रमों का प्रसारण करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए
66	14	**श्री भोगेन्द्र झा** (जयनगर) : आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से मैथिली भाषा में समाचार प्रसारित करने की आवश्यकता	राशि में 100 रुपए घटा दिए जाएं

1	2	3	4
66	15	**श्री भोगेन्द्र झा** (जयनगर) : आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र पर अधिक शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाने की आवश्यकता ।	राशि में 100 रुपए घटा दिए जाएं
65	6	**श्री भान सिंह भौरा** (भटिंडा) : एकाधिकारी-गृहों से समाचार पत्र उद्योग को अलग करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए
65	7	**श्री भान सिंह भौरा** (भटिंडा) : कुछ अधिकारियों द्वारा सेंशरशिप की शक्ति का दुरुपयोग रोकने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए
65	8	**श्री भान सिंह भौरा** (भटिंडा) : पश्चिमी देशों के समाचार पत्रों में भारत-विरोधी प्रचार का मुकाबला करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए
65	9	**श्री भान सिंह भौरा** (भटिंडा) : संगीत और नाटक प्रभाग की गतिविधियां ग्रामीण क्षेत्रों तक बढ़ाने और भारत की सभी क्षेत्रीय भाषाओं में प्रगतिशील और रचनात्मक कार्यक्रम दिखाने की आवश्यकता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए
65	10	**श्री भान सिंह भौरा** (भटिंडा) : टेलीविजन और आकाशवाणी के लिये पंजाबी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को दिल्ली के बजाय पंजाब में तैयार करने की आवश्यकता ।	राशि में 100 रुपए घटा दिए जाएं
65	11	**श्री भान सिंह भौरा** (भटिंडा) : जालंधर में टेलीविजन केन्द्र का निर्माण-कार्य शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता ।	राशि में 100 रुपए घटा दिए जाएं
64	16	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** (तेल्लीचेरी) : समाचार-पत्रों को व्यापार गृहों से अलग करने के लिये कदम उठाने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए
64	17	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** (तेल्लीचेरी) : प्रतिगामी साम्राज्यवाद और फासिस्टवाद की शक्तियों के विरुद्ध प्रेस सेंसरशिप को कारगर हथियार के रूप में उपयोग करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए

1	2	3	4
64	18	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** (तेल्लीचेरी) : प्रेस सेंसरशिप को एक राजनीतिक उपकरण बनाने में असफलता जो अपनी शक्तियां विवेकपूर्ण दुश्मनों के विरुद्ध और मित्रों के हक में प्रयोग करता है ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए
64	19	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** (तेल्लीचेरी) : लघु और मध्यम समाचार-पत्रों को पर्याप्त सरकारी विज्ञापन देने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए
64	20	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** (तेल्लीचेरी) : आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यक्रमों को नया रूप देने में असफलता जिससे समाजवाद, लोकतंत्र और धर्म-निरपेक्षता और सुदृढ़ होगा ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए
64	21	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** (तेल्लीचेरी) : टेलीविजन पर उद्देश्यहीन कार्यक्रमों को रोकने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए
64	22	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** (तेल्लीचेरी) : उर्दू पत्रकारिता को सहायता और बढ़ावा देने और उसका संवर्धन करने की आवश्यकता ।	राशि में 100 रुपए घटा दिए जाएं
64	23	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** (तेल्लीचेरी) : भारत में उन विदेशी पत्रकारों, जो भारत और उसकी नीतियों की निन्दा करते हैं के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने की आवश्यकता ।	राशि में 100 रुपए घटा दिए जाएं
64	24	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** (तेल्लीचेरी) : यह सुनिश्चित करना कि भविष्य में छोटे समाचार-पत्रों को अखबारी कागज के संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा की आवश्यकता ।	राशि में 100 रुपए घटा दिए जाएं
64	25	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** (तेल्लीचेरी) : बड़े समाचार-पत्रों पर इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता ताकि वे अपनी पत्रिकाओं में विज्ञापनों के लिये असंगत रूप से अधिक जगह देकर पाठकों को समाचारों से वंचित न कर सकें ।	राशि में 100 रुपए घटा दिए जाएं

1	2	3	4
64	26	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** (तेल्लीचेरी) : समाचार पत्रों के कर्मचारियों और पत्रकारों के लिए बेहतर वेतनमान सुनिश्चित करने की आवश्यकता ।	राशि में 100 रुपए घटा दिए जाएं
64	27	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** (तेल्लीचेरी) : आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा श्रोताओं और दर्शकों को विश्व में हो रहे भारी परिवर्तनों के बारे में सजग करने के उद्देश्य से अधिक अन्तर्राष्ट्रीय समाचारों को प्रसारित करने की आवश्यकता ।	राशि में 100 रुपए घटा दिए जाएं
64	28	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** (तेल्लीचेरी) : रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रमों में राजनीतिवाद को समाप्त करने की आवश्यकता ।	राशि में 100 रुपए घटा दिए जाएं
64	29	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** (तेल्लीचेरी) : आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा अपने विशेष युवा कार्यक्रमों को इस ढंग से आदर्शवादी और राजनीतिक रूप देने की आवश्यकता ताकि इससे राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति की जा सके ।	राशि में 100 रुपए घटा दिए जाएं
64	30	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** (तेल्लीचेरी) : अन्य क्षेत्रों से कार्यक्रमों के लिए दिल्ली टेलीविजन में अधिक समय देने की आवश्यकता ।	राशि में 100 रुपए घटा दिए जाए
64	31	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** (तेल्लीचेरी) : उपग्रह कार्यक्रम को जारी रखने और देश के और अधिक क्षेत्रों में इसका विस्तार करने की आवश्यकता।	राशि में 100 रुपए घटा दिए जाएं
64	32	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** (तेल्लीचेरी) : केरल में उपग्रह कार्यक्रम के लिए सुविधाएं प्रदान करने के लिए केरल सरकार की मांग स्वीकार करने की आवश्यकता ।	राशि में 100 रुपए घटा दिए जाएं
64	33	**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : समाजवाद-विरोधी विज्ञापनों का आकाशवाणी से प्रसारण बन्द करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए
64	34	**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : आकाशवाणी के प्रसारणों में प्रतिबन्धित संगठनों के काले कारनामे निरन्तर प्रसारित करने की आवश्यकता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए

1	2	3	4
64	35	**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : पटना में टेली-विजन (दूरदर्शन) केन्द्र खोलने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए
64	36	**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : समाचार-पत्रों को इजारेदार पूंजीपतियों के पंजों से मुक्त करने में विफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए
64	37	**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : आकाशवाणी के केन्द्रों से देश की प्रतिगामी और फासिस्ट शक्तियों के विरुद्ध प्रचार युद्ध चलाने में विफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए
64	38	**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : आम जनता को आकाशवाणी द्वारा सम्प्रदायवादियों के घृणित और जहरीले प्रचारों से सावधान करने में विफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए
64	39	**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : लोगों में सामंत-वाद, इजारेदारी, सम्प्रदायवाद, पृथकतावाद, फासिस्टवाद विरोधी भावना भरने के लिए वैसे फिल्मों के बड़े पैमाने पर निर्माण की आवश्यकता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए
64	40	**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : साम्राज्यवादी खतरों से देशवासियों को आगाह करने के लिए आकाशवाणी का असंतोषजनक प्रयोग ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए
64	41	**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : भद्दी और कुत्सित भावना भरने वाले फिल्मों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाने में विफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए
64	42	**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : आकाशवाणी के माध्यम से साम्राज्यवादियों द्वारा भारत विरोधी प्रचार का मुंह-तोड़ जवाब देने की आवश्यकता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए
64	43	**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : कुछ बड़े अधि-कारियों द्वारा सेंसर का दुरुपयोग ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए

1	2	3	4
64	44	**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : सूदखोरी, महाजनी घूसखोरी, चोरबाजारी, जमींदारी-जुल्म के विरुद्ध आकाशवाणी से कारगर प्रचार करने में विफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए
64	45	**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : जमीन की हदबंदी तथा भूमि सुधार संबंधी अन्य कानूनों का आकाशवाणी से बड़े पैमाने पर प्रचार करने में विफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए
64	46	**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : बीस-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए आकाशवाणी द्वारा जनता को प्रोत्साहित करने में विफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए
64	47	**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : प्रतिगामी एवं फासिस्ट-विरोधी तत्वों को आकाशवाणी से प्रसारण एवं वार्ता के लिए विशेष सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए
64	48	**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : तीसरे पत्रकार वेतन आयोग के फैसला न होने तक पत्रकारों को अन्तरिम सहायता देने की आवश्यकता ।	राशि में 100 रुपए घटा दिए जाएं
64	49	**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : पाकिस्तान और बंगला देश के भारत-विरोधी प्रचारों की काट करने के लिए अधिक शक्तिशाली ट्रान्समीटर लगाने की आवश्यकता ।	राशि में 100 रुपए घटा दिए जाएं
64	50	**श्री रामावतार शास्त्री** : (पटना) विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए अच्छी भारतीय फिल्मों के अधिक संख्या में विदेशों में भेजने की आवश्यकता ।	राशि में 100 रुपए घटा दिए जाएं
64	51	**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : स्टाफ आर्टिस्टों को नियमित बनाने में असफलता ।	राशि में 100 रुपए घटा दिए जाएं
64	52	**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : विज्ञापन के लिए पूंजीपतियों से अधिक राशि लेने की आवश्यकता ।	राशि में 100 रुपए घटा दिए जाएं

1	2	3	4
64	53	**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : फिल्म सेंसर बोर्ड के सदस्यों में ऐसे लोगों को रखने की आवश्यकता जिनका दृष्टिकोण प्रगतिशील, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी हो ।	राशि में 100 रुपए घटा दिए जाएं
64	54	**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : आकाशवाणी के कलाकारों के साथ समान व्यवहार करने की आवश्यकता ।	राशि में 100 रुपए घटा दिए जाएं
64	55	**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : आकाशवाणी में व्याप्त नौकरशाही रवैये को बदलने की आवश्यकता ।	राशि में 100 रुपए घटा दिए जाएं
64	56	**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : कलाकारों के साथ होने वाले दुर्व्यवहारों को रोकने में असफलता ।	राशि में 100 रुपए घटा दिए जाएं
64	57	**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : आकाशवाणी के कलाकारों को स्थायी बनाने में असफलता ।	राशि में 100 रुपए घटा दिए जाएं
64	58	**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : आकाशवाणी से प्रतिगामी, फासिस्ट, संघी, आनंदमार्गी तत्वों को निकाल बाहर करने की आवश्यकता ।	राशि में 100 रुपए घटा दिए जाएं
64	59	**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : समाचार एजेन्सी "समाचार" के पत्रकारों एवं अन्य कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा की गारंटी करने की आवश्यकता ।	राशि में 100 रुपए घटा दिए जाएं
64	60	**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : कागज का कोटा लेकर बेचने वाले अखबार मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही करने में असफलता ।	राशि में 100 रुपए घटा दिए जाएं
64	61	**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : मैथिली, भोजपुरी, और मगधी बोलियों में फिल्मों के निर्माण के लिये आवश्यक सहायता देने की आवश्यकता ।	राशि में 100 रुपए घटा दिए जाएं
64	62	**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : टैक्स बचाने वाले फिल्म निर्माताओं, अभिनेताओं एवं अभिनेत्रियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में विफलता ।	राशि में 100 रुपए घटा दिए जाएं

1	2	3	4
64	63	**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : सिनेमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने में विफलता ।	राशि में 100 रुपए घटा दिए जाए
64	64	**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : समाजवादी मुल्कों से फिल्म मंगवा कर प्रदर्शित करने की आवश्यकता ।	राशि में 100 रुपए घटा दिए जाएं
64	65	**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : बड़े सिने-कलाकारों द्वारा छोटे सिने-कलाकारों के साथ किये जाने वाले दुर्व्यवहार को रोकने में असफलता।	राशि में 100 रुपये घटा दिए जाएं
64	66	**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : संसद् में बोलने वाले तमाम सदस्यों के नामों का आकाशवाणी से समान रूप से प्रसारण करने में विफलता ।	राशि में 100 रुपए घटा दिए जाएं
64	67	**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : पटना से प्रकाशित उर्दू अखबारों के पत्रकारों एवं गैर-पत्रकारों को द्वितीय वेतन बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार सुविधाएं दिलवाने में असफलता ।	राशि में 100 रुपए घटा दिए जाएं
64	68	**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : छोटे समाचार पत्रों को अधिक विज्ञापन देने की आवश्यकता ।	राशि में 100 रुपए घटा दिए जाएं
64	69	**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : श्रमिकों तथा किसानों के आन्दोलनों सम्बन्धी समाचारों को रोकने में सेंसर की अवांछनीय कार्यवाही ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए
64	77	**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : पूंजीवाद की सड़ांध को व्यक्त करने वाले हालीवुड फिल्मों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने में असफलता ।	राशि में 100 रुपए घटा दिए जाएं
64	78	**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : आकाशवाणी के संगीत एवं नाटक डिवीजन का बीस-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार के लिए उपयोग में लाने की आवश्यकता ।	राशि में 100 रुपए घटा दिए जाएं
64	79	**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : "समाचार" समाचार एजेन्सी में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ समर्थक पत्रकारों को घुसने देने से रोकने की आवश्यकता ।	राशि में 100 रुपए घटा दिए जाएं

1	2	3	4
64	80	**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना): उर्दू पत्रकारिता के विकास के लिए अधिक से अधिक सहायता देने की आवश्यकता।	राशि में 100 रुपए घटा दिए जाएं
64	81	**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना): छोटे और मझौले समाचारपत्रों को पर्याप्त मात्रा में कागज का कोटा आवंटित करने में असफलता।	राशि में 100 रुपए घटा दिए जाएं
64	82	**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना): पत्रकारों और गैर-पत्रकारों को एक अच्छा वेतनमान दिलवाने की आवश्यकता।	राशि में 100 रुपए घटा दिए जाएं
64	76	**श्री दीनेन भट्टाचार्य** (सीरमपुर): आकाशवाणी के कलाकारों के एक वर्ग विशेष के प्रति राज-नीतिक आधार पर पक्षपोशी करना।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए
65	83	**श्री दीनेन भट्टाचार्य** (सीरमपुर): समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं को सरकारी विज्ञापन देने में भेदभाव।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए
65	84	**श्री दीनेन भट्टाचार्य** (सीरमपुर): देश भर में समूचे मुद्रणालयों पर सेंसरशिप लगाना।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए
65	85	**श्री दीनेन भट्टाचार्य** (सीरमपुर): सिनेमा गृहों में अश्लील और अनैतिक फिल्मों के प्रदर्शनों को रोकने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए
65	86	**श्री दीनेन भट्टाचार्य** (सीरमपुर): सब समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं से पूर्व-सेंसरशिप हटाने की आवश्यकता।	राशि में 100 रुपए घटा दिए जाएं
65	87	**श्री दीनेन भट्टाचार्य** (सीरमपुर): सभी समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं को उचित आधार पर अखबारी कागज देने की आवश्यकता।	राशि में 100 रुपए घटा दिए जाएं

डा० अनन्तराव पाटिल (खेड) : सभापति महोदय, मैं सूचना तथा प्रसारण मंत्री और मंत्रालय के सभी अधिकारियों की सराहना करता हूं कि उन्होंने देश में वातावरण को निर्मल बनाये रखने की अपनी जिम्मेदारी को भली प्रकार निभाया है। मंत्रालय का मुख्य कार्य यह है कि राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों और उनमें सार्थक जनसहयोग की आवश्यकता के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए वह जनसम्पर्क माध्यमों को अधिकतम उपयोग करे वर्ष 1975-76 के दौरान मंत्रालय और उसके जनसम्पर्क यूनिटों ने प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 20-सूत्री कार्यक्रम और अन्य सरकारी निर्णयों का व्यापक

प्रसार करने के लिए सराहनीय कार्य किया । बहुत सी पुस्तक-पुस्तिकाएं और पर्चे न केवल प्रकाशित किये गये वरन् उन्हें दूरस्थ गांवों में रहने वाली जनता तक पहुंचाया गया और उन्हें गत दशक में हुई प्रगति के बारे में अवगत कराया गया ।

जहां तक प्रेस, रेडियो और टेलीविजन का सम्बन्ध है, आपात स्थिति की उद्घोषणा के साथ पूर्व-सेंसरशिप भी लगाई गई परन्तु वह शीघ्र ही हटा ली गई और प्रेस से सम्बद्ध लोगों के परामर्श से स्वयं कार्य करने वाली विनियमन व्यवस्था बनायी गई । अब प्रैस को कुछ निदेश मिले हुए हैं जिनका उन्हें पालन करना होता है । राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जनसंघ आदि प्रतिबंधित संगठनों से सम्बन्धित कुछ पत्र-पत्रिकाएं महाराष्ट्र तथा कुछ अन्य राज्यों में अभी भी प्रकाशित हो रही हैं जो आपत्तिजनक सामग्री छापकर लोगों को पथभ्रष्ट करते हैं । राज्य सरकारों को उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के लिए कहा जाना चाहिए ।

देश में समाचार पत्रों का स्वस्थ विकास हो—इसके लिए हम गत पांच-छः वर्षों से कहते आ रहे हैं । प्रैस स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का यह अर्थ नहीं है कि कुछ भी प्रकाशित किया जाये । आपात स्थिति की घोषणा से पहले समाचार-पत्र प्रतिक्रियावादियों और उग्रपंथी राजनीति को बढ़ावा देकर देश में गलत वातावरण उत्पन्न कर रहे थे । पश्चिमी देशों में भी जब ऐसा वातावरण उत्पन्न किया गया तो विशेष कानून बनाये गये । प्रैस को सुधारने के लिए पिछले सत्र में तीन विधेयक रखे गये । तत्कालीन सूचना तथा प्रसारण मंत्री ने 1974 में, जब उनके मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद चल रहा था, उत्तर देते हुए कहा था कि समाचारपत्रों के स्वामित्व को वितरित कर दिया जाना चाहिए । 1952 में प्रैस आयोग ने भी यही सिफारिश की थी कि यदि हम देश में योग्य प्रैस चाहते हैं तो समाचार-पत्रों के स्वामित्व को बड़े-बड़े उद्योगों और व्यापारिक संगठनों के हाथ से ले लेना चाहिए क्योंकि वे हितों को तो बढ़ावा देने में रुचि लेते हैं और ग्रामीण जनता के हितों में उनकी रुचि नहीं है ।

यद्यपि मैं इस बात से सहमत हूं कि इस देश में महानगरीय समाचारपत्रों की आवश्यकता है परन्तु आज जिलास्तरीय तथा प्रादेशिक भाषाओं के समाचार-पत्र भी प्रकाशित होना आवश्यक है क्योंकि उनमें ही जन-भावनाओं को अभिव्यक्त किया जा सकता है । जहां तक 20 सूत्री कार्यक्रम का सम्बन्ध है, उसके बारे में ऐसे समाचारपत्रों द्वारा ही जनता को शिक्षित किया जा सकता है और ऐसे समाचार पत्र ही जनता तक बहुत कम लागत से पहुंच सकते हैं ।

अखबारी कागज और मुद्रण मशीनरी की कीमतें दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही हैं । मंत्री महोदय का कहना है कि वह इनके आयात के लिए और देश में इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं, परन्तु अखबारी कागज की मिलें देश में स्थापित करने में कुछ समय लगेगा, इसलिये मंत्री महोदय से निवेदन है कि वह छोटे तथा मध्यम समाचारपत्रों को भिन्न-भिन्न प्रकार से सहायता पहुंचायें। उन्हें सस्ती दर पर नेपा मिल का अखबारी कागज दें । बम्बई और पूना के बड़े समाचारपत्रों को कनाडा और रूस का कागज दिया जा रहा है, इससे छोटे तथा मध्यम समाचारपत्र असंतुष्ट हैं । अतः मेरा सुझाव है कि सभी समाचारपत्रों को नेपा मिल तथा विदेशों का कागज अनुपात से वितरित किया जाये।

बड़े समाचारपत्र तेज गति वाली रोटरी मशीनें और अन्य आधुनिक मुद्रण यंत्र खरीद सकते हैं परन्तु छोटे और मध्यम समाचारपत्र ऐसा नहीं कर सकते । यह उद्योग वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त

करने का हकदार नहीं है, इसलिए छोटे समाचारपत्र, बड़े समाचारपत्रों के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं ठहर सकते । इस उद्योग में न केवल एकाधिकार है वरन् प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथा भी है जिसे रोका जाना चाहिए ।

चार-पांच वर्ष पहले पृष्ठ-आधारित मूल्य अनुसूची का कानून पास किया गया था जिसे उच्चतम न्यायालय ने नियम-बाह्य ठहरा दिया । जब हम सामाजिक-आर्थिक विकास और जन-कल्याण के लिए संविधान का संशोधन करने के लिए तैयार हैं तो इस क्षेत्र में भी परिवर्तन किया जा सकता है । यह भी निर्धारित होना चाहिए कि कितने पृष्ठ विज्ञापनों के लिए और कितने पृष्ठ समाचारों के लिए लगाये जायें । यह तो अच्छा है कि दृश्य-श्रव्य प्रचार निदेशालय छोटे और मध्यम समाचार-पत्रों को अधिक विज्ञापन देता है । परन्तु विज्ञापन की दरों में वृद्धि भी की जानी चाहिए । सरकारी प्रतिष्ठानों के सभी विज्ञापन इस निदेशालय के माध्यम से दिये जाने चाहिएं ।

आकाशवाणी ने आपात स्थिति के दौरान बहुत अच्छा कार्य किया है, परन्तु इस देश में अशिक्षा तथा निर्धनता की समस्या है । रेडियो, टेलीविजन तथा समाचारपत्र ग्रामीण क्षेत्र की जनता तक नहीं पहुंच पाते । सूचना तथा जनमत के लिए ये संचार-साधन बहुत महत्वपूर्ण हैं परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि योजना आयोग ने इनके लिए पांचवीं योजना में पर्याप्त धनराशि नियत नहीं की है । हमें उपग्रह दूरदर्शन कार्यक्रम जारी रखने के लिए कोई उपाय ढूंढना होगा ।

चलचित्र अभिनेताओं, निर्देशकों तथा गायकों को दूरदर्शन कार्यक्रमों में लाया जाना चाहिए और उन्हें निःशुल्क कार्यक्रम पेश करने के लिए कहा जाना चाहिए । चलचित्रों में, जोकि इस देश में एक महत्वपूर्ण संचार माध्यम है, हिंसा, अश्लीलता तथा यौन प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है । सैकड़ों सिनेमा सम्बन्धी पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं जिनमें भद्दे तथा नग्न फोटो छापे जाते हैं । सिनेमा का उपयोग मनोरंजन के साथ-साथ जनता को शिक्षित करने के लिए भी किया जाना चाहिए ।

एक राष्ट्रीय समाचार एजेन्सी की आवश्यकता गत 25 वर्षों से अनुभव की जाती रही है । यह एजेन्सी भारत और विदेश दोनों में शक्तिशाली बनायी जानी चाहिए और उसके विदेश डिवीजन को किसी योग्य व्यक्ति की देखरेख में रखा जाना चाहिए क्योंकि इस समय केवल 25 प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियां विश्व भर में छायी हुई हैं । हम अपनी समाचार एजेन्सी को इतना सक्षम बनाएं कि अन्त-राष्ट्रीय एजेन्सियों को सम्पादकीय के लिए लेख आदि भेजे जा सकें और इस प्रकार विदेशों में हम अपने देश के बारे में अच्छी राय कायम कर सकें ।

Dr. Rudra Pratap Singh (Barabanki) : Mr. Chairman. . . . . .

Mr. Chairman : The hon. Member may continue his speech tomorrow.

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 15 अप्रैल, 1976/26 चैत्र, 1898 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till 11 of the clock on Thursday, April 15, 1976/ Chaitra 26, 1898 (Saka).

MGIPRRND—Sec. II Day—4LSS/76—2—9-76—200